



राष्ट्रीय
अनुसूचित जनजाति
आयोग

पहली रिपोर्ट
2004-2005 एवं 2005-2006

आदरणीय राष्ट्रपति जी,

मुझे आपको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सम्मान प्राप्त हो रहा है, जो उन संरक्षणों के कार्यचालन के बारे में है, जिनकी व्यवस्था संविधान के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अथवा सरकार के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई है। इस अवधि में, आयोग के सदस्यों ने विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण किया और राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर वरिष्ठ अधिकारियों और लोगों के प्रतिनिधियों के साथ गहरी चर्चाएं कीं। आयोग ने केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और वित्तीय संस्थाओं के, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बहुत सी सुनवाइयां कीं और वह नियुक्तियों के मामले में आरक्षण की नीति के उल्लंघन के बारे में याचिकादाताओं की बहुत बड़ी संख्या की शिकायतों को दूर कराने का साधन बना। आयोग ने संसद के मौजूदा और भूतपूर्व सदस्यों, देश के विभिन्न भागों के जनजातीय नेताओं और जनजातीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ 18 अगस्त, 2005 को जनजातीय विकास से सम्बन्धित बहुत से मुद्दों के बारे में उनके विचारों से लाभ उठाने के लिए विचार-विमर्श किया।

2. अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामाजिक सेवाओं और आर्थिक विकास के अवसरों के सम्बन्ध में वे अन्य समुदायों से बहुत अधिक पिछड़े बने हुए हैं। इसलिए, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक सशक्तीकरण की कुंजी आर्थिक विकास है। आयोग को यह देखकर चिन्ता हुई है कि भारत सरकार द्वारा जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत विशेष सहायता के तहत रिलीज़ की गई धनराशि और भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दिए गए सहायता अनुदानों की राशियां राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को समय पर रिलीज़ नहीं की जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के पास खर्च न की गई विशाल राशि जमा पड़ी है। आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए दिए गए अनुदानों के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है। इसलिए, आयोग का विचार है कि अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों सम्बन्धी अनुदानों का उचित और समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। आयोग ने यह भी नोट किया है कि जैसाकि योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत अपेक्षित है, केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग अपने योजना बजट का अपेक्षित प्रतिशत भाग देश की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या अर्थात् 8.2 प्रतिशत के अनुपात में अलग निर्धारित नहीं कर रहे हैं। यह मंत्रालयों और विभागों द्वारा की जा रही एक गम्भीर चूक है और उन्हें

इस बात की सलाह देने की जरूरत है कि जनजातीय विकास को बढ़ावा देने में सरकार के हाथों को मजबूत करने में उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। योजना आयोग को ऐसे तरीकों का पता लगाना होगा, जिनके जरिए राज्य सरकारों द्वारा अपने योजना बजटों से जनजातीय विकास के लिए खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित धनराशियां अलग निर्धारित की जाएं।

3. भूमि और वन, जनजातीय जीवन समर्थन प्रणाली के दो आधारभूत संसाधन हैं। इसलिए, आयोग यह देखकर चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता कि इन दोनों प्रणालियों पर प्रहार हो रहा है, जिसका पता इस बात से लगता है कि लगभग उन सभी राज्यों में जहां जनजातीय लोगों की संख्या काफी अधिक है, अन्यसंक्रामण-रोधी कानूनों के विद्यमान होने के बावजूद जनजातीय भूमि के अन्यसंक्रामण के मामलों में वृद्धि हो रही है। स्पष्टतः इसका कारण यह है कि अन्यसंक्रामण-रोधी कानूनों में बचाव के रास्ते हैं। इसलिए, राज्य सरकारों को यह सलाह दिए जाने की आवश्यकता है कि वे जनजातियों के लोगों से गैर-जनजातीय लोगों को जनजातीय भूमि के गैर-कानूनी अंतरण को रोकने के लिए इन बचाव के रास्तों को बंद करने के उद्देश्य से इन कानूनों की समीक्षा करें। राज्य सरकारों को यह सलाह देने की भी आवश्यकता है कि वे राज्य-कानूनों के उपबन्धों का तालमेल पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के साथ बिटाएं, जो अन्य बातों के साथ-साथ, ग्राम सभाओं को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के गैर-कानूनी अन्यसंक्रामण को रोकने और किसी अनुसूचित जनजाति की भूमि के अन्यसंक्रामण को फिर से बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है। आयोग को यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा रहने के लिए अथवा आजीविका के लिए स्वयं खेती करने के लिए वैयक्तिक अथवा सांझे अधिभोग के अन्तर्गत वन भूमि को रखने और वहां रहने के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए कानून बनाने का विचार है और इस बारे में एक विधेयक संसद में पहले से प्रस्तुत किया जा चुका है। आयोग का विचार है कि यह एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि इसमें उन समुदायों को, जिनका जीने का अधिकार वनों के अधिकार पर निर्भर करता है, सुरक्षित और अ-हस्तान्तरणीय अधिकार प्रदान करने की लम्बे समय से और वास्तविक रूप से महसूस की जा रही मांग की ओर ध्यान दिया गया है।

4. आयोग की गम्भीर चिन्ता का एक अन्य क्षेत्र यह है कि भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत उन जनजातीय लोगों के पुनःस्थापन और पुनर्वास की प्रगति बहुत धीमी है, जो भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अपनी भूमि के अभिग्रहण के कारण विस्थापित हो गए हैं और अपने घरों तथा अपनी आजीविका के साधनों से वंचित हो गए हैं। सरकार उन लोगों के आघात को नजरन्दाज नहीं कर सकती, जो इस प्रकार के अभिग्रहण के परिणामों से पीड़ित हैं। आयोग ने परियोजनाओं के कारण निष्कासित हो जाने वाले लोगों की पीड़ाओं और कठिनाइयों को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए पुनर्वास का यथासम्भव सर्वोत्तम पैकेज तैयार करके इस समस्या से निपटने के लिए बहुत से उपायों का सुझाव दिया है। इनमें से एक उपाय यह है कि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भूमि के अभिग्रहण के कारण जिन लोगों के विस्थापित हो जाने की सम्भावना हो, उनका सुनियोजित पुनर्वास और पुनःस्थापन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग अथवा भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 के भाग के रूप में उपयुक्त केन्द्रीय विधान बनाया जाए और राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे ही विधान बनाएं कि उन सबके द्वारा पुनःस्थापन और पुनर्वास के एक-समान पैकेज अपनाए जाएं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब ऐसे अभिग्रहण किए जाते हैं, तो जनजातियों के लोग सबसे अधिक गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। आयोग का विचार है कि पुनःस्थापन और पुनर्वास से सम्बन्धित सारे मुद्दे, परियोजना के निर्माण के वास्तविक कार्य के शुरू होने से पहले ही, इस ढंग से निपटा दिए जाने चाहिए, जिससे जनजातीय लोगों को सन्तोष हो। आयोग को सरदार सरोवर परियोजना के जनजातीय निष्कासितों से बहुत बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें शिकायत की गई थी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य सरकारों द्वारा पुनःस्थापन और पुनर्वास के पर्याप्त और उपयुक्त प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। आयोग ने 10-14 अप्रैल, 2005 को मध्य प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस परियोजना से प्रभावित 18,000 से अधिक परिवारों को अभी फिर से बसाया जाना है। इससे आयोग को तीव्र चिन्ता

हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि वे बाकी परिवारों के पुनर्वास और पुनः स्थापन के लिए अविलम्ब कदम उठाएं और एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। आयोग ने 11-13 जनवरी, 2006 को उड़ीसा के जाजपुर जिले के कलिंग नगर क्षेत्र का दौरा भी किया था, जहां उद्योगों की स्थापना करने के लिए काफी अधिक भूमि का अभिग्रहण किया गया है और लोगों द्वारा अपने पुनर्वास के लिए अपर्याप्त प्रबन्ध किए जाने और उनकी भूमि के लिए उन्हें दिए गए अथवा दिए जाने वाले कम मुआवजे के विरोध में किए जा रहे आन्दोलन के दौरान 2 जनवरी, 2006 को पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के समय 12 जनजातीय लोग अपने बहुमूल्य जीवन से हाथ धो बैठे थे। आयोग ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और इस बात पर बल दिया कि जनजातीय नेताओं के साथ सलाह करने के बाद पुनर्वास का व्यापक पैकेज तैयार किया जाए। आयोग ने उन्हें यह सलाह भी दी कि जनजातीय लोगों को (जिनकी भूमि का अभिग्रहण किया गया था) मौजूदा बाजार दरों पर मुआवजा दिया जाए।

5. इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि मानव संसाधन विकास में शिक्षा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण निविष्टि है। यह लोगों के सशक्तीकरण का सर्वाधिक प्रभावकारी और निर्णायक साधन है – एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर बिटाए गए वर्गों, जैसे जनजातियों को अपने आपको गरीबी के मौजूदा स्तर से ऊपर उठाने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है। जब तक समाज के इन सुविधावंचित वर्गों को न्यूनतम शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, तब तक वे संविधान में प्रतिष्ठापित सिविल, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही स्कीमों को मजबूत बनाने और उनका उपयुक्त रूप से विस्तार करने की आवश्यकता है, ताकि जनजातियों के और अधिक लोगों को शामिल किया जा सके। इस बात की भी अविलम्ब आवश्यकता है कि जनजातीय क्षेत्रों में इन स्कीमों के कार्यान्वयन को कारगर ढंग से मानीटर किया जाए। अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का स्तर अन्य समुदायों की तुलना में बहुत नीचे है। 1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों में केवल 29.60 प्रतिशत लोग साक्षर थे, जबकि इसकी तुलना में सामान्य श्रेणी के 52.21 प्रतिशत लोग ऐसे थे। 2001 की जनगणना के अनुसार, सामान्य लोगों में 65.38 प्रतिशत लोगों के साक्षर होने की तुलना में, जनजातियों में 47 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर थे। 1991 से 2001 तक की अवधि में जनजातियों में महिला साक्षरता दर 18.19 प्रतिशत से बढ़ कर 34.76 प्रतिशत हो गई, जो सामान्य श्रेणी की महिला साक्षरता दर से लगभग 20 प्रतिशत कम है। इस प्रकार, हालांकि अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है, लेकिन यह अन्य समुदायों की साक्षरता दरों से अभी बहुत कम है। साक्षरता के इस निम्न स्तर से शिक्षा की घटिया गुणवत्ता और आरक्षण की व्यवस्था के बावजूद सेवाओं में, विशेष रूप से उच्च सोपानों में, जनजातीय लोगों के कम प्रतिनिधित्व के कारणों का पता चलता है। केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व समूह क और समूह ख की सेवाओं में 1.1.2003 को 8.2 प्रतिशत की तुलना में, जो देश की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का प्रतिशत है, क्रमशः 4.18 प्रतिशत और 4.32 प्रतिशत था। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों की स्थिति से भी लगभग ऐसी ही तस्वीर उभर कर सामने आती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापन कर्मचारि-वृन्द के मामले में, अधिकतर विश्वविद्यालयों में उनका प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक स्थिति से बहुत पीछे था। अधिक से अधिक जनजातीय लोगों और जनजातीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए विभिन्न स्कीमों के दायरे का विस्तार करने के द्वारा और विशेष रूप से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और वित्तीय संस्थाओं में, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, जहां अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, आरक्षण के अनुदेशों का जोरदार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के जरिए इस स्थिति पर काबू पाया जाना जरूरी है। यह भी आवश्यक है कि इन संस्थाओं में सरकार की आरक्षण नीति का उल्लंघन करने की उत्तरदायिता निर्धारित की जाए। आयोग ने अनुसूचित जनजातियों को बढ़ाने और जनजातीय बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर को रोकने के लिए अपेक्षित बहुत से कदमों के सुझाव दिए हैं।

6. इस समय आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के आधार पर किया जा रहा है। विभिन्न सूत्रों की, जिनमें भूतपूर्व राष्ट्रीय

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग भी शामिल है, यह जोरदार मांग रही है कि इन कार्यकारी अनुदेशों के स्थान पर एक उपयुक्त विधान प्रतिस्थापित किया जाए। आयोग को यह जानकर खुशी हुई है कि सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया है और संसद में इस प्रयोजन से एक विधेयक पहले से प्रस्तुत कर दिया है। आयोग आशा करता है कि प्रस्तावित कदम से सरकार की आरक्षण नीति का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आयोग ने सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के स्तर को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण नीति में और ढील देने के लिए बहुत से सुझाव दिए हैं।

7. बहुत अधिक लोगों द्वारा झूठे सामुदायिक प्रमाणपत्रों के आधार पर भारत सरकार और राज्य सरकारों के अन्तर्गत रोजगार और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने की समस्या बहुत चिन्ताजनक आकार धारण करती जा रही है और इसका कोई अमोघ हल नहीं मिला है। आयोग का विचार है कि इस मुद्दे की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, जितना कि दिया जाना चाहिए, और बहुत से झूठे सामुदायिक प्रमाणपत्र धारक इस प्रणाली का अनुचित लाभ उठाते जा रहे हैं और इसके जरिए वास्तविक जनजातीय लोगों को सरकारी सेवाओं में उनके हिस्से से वंचित कर रहे हैं। आयोग का यह दृढ़ मत है कि इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने के उद्देश्य से नियुक्ति-पश्चात सत्यापन करने की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर सामुदायिक प्रमाणपत्रों के नियुक्ति-पूर्व सत्यापन की प्रणाली विकसित की जाए, जो उस अवधि में किया जा सकता है, जब सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व-वृत्त का सत्यापन पुलिस से, इन उम्मीदवारों को, जिनमें आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवार भी शामिल हैं, नियुक्ति की पेशकश किए जाने से पहले करा लिया जाता है। इस समस्या की गम्भीरता को समझे हुए, आयोग ने झूठे सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी किए जाने के इस खतरे से कारगर ढंग से निपटने के लिए ऐसे बहुत से कदमों का सुझाव दिया है, जो सरकार द्वारा उठाए जाने आवश्यक हैं।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने नवम्बर, 2004 में 2003 की लेख्य याचिका (सिविल) संख्या 76 में इस बारे में आयोग के विचार मांगे कि क्या मालेरु समुदाय उसी मलेरु के समान है, जिसे कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। उच्चतम न्यायालय ने इस आयोग को निदेश दिया कि वह सभी प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद छः महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। आयोग ने याचिकादाताओं के वकीलों और सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ, जिनमें याचिकादाता नियोजित हो गए थे, तीन सुनवाईयां कीं। आयोग ने विहित समय-सीमा के भीतर (अर्थात् 13 मई, 2005 को) अपनी 200 से अधिक पृष्ठों वाली रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की।

9. आयोग ने देखा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की रक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, 1995 जैसे विशेष कानून होने के बावजूद, उन पर अत्याचारों की घटनाओं में अधिक कमी नहीं हुई है। यह एक सामान्य तथ्य है कि अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर लोग अभी भी अलग-थलग स्थानों पर रह रहे हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और निरक्षर हैं और, इसके परिणामस्वरूप, उनके प्रति किए जाने वाले अपराध सूचित नहीं किए जाते और जो सूचित किए जाते हैं, वे अभिलेखबद्ध नहीं किए जाते, और जो अभिलेखबद्ध किए जाते हैं, वे प्रायः न्यूनतम बना दिए जाते हैं। आयोग ने यह भी देखा है कि औसत रूप से लगभग 17 प्रतिशत मामलों का फ़ैसला न्यायालयों द्वारा एक वर्ष में कर दिया जाता है, जिनमें से औसत रूप से केवल 17 प्रतिशत मामलों का अन्त दोषसिद्धि के रूप में होता है और 83 प्रतिशत का विमुक्ति में। यह भी देखा गया है कि अन्वेषण की प्रक्रिया युक्तिसंगत अवधि में पूरी नहीं होती। इसलिए, राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि अन्वेषण करने की प्रक्रिया 30 दिनों की विहित अवधि में पूरी की जाए और यह भी कि अत्याचारों के उत्पीड़ितों को, विशेष रूप से हत्या, घोर चोट, बलात्कार और आगजनी के मामलों में, वित्तीय राहत की राशि घटना के तुरन्त बाद अदा की जाए। जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जागरूकता अभियान चलाने की भी आवश्यकता है, ताकि उत्पीड़ित व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें।

10. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन दो आयोगों, अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रूप में करने के बाद किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत 19 फरवरी, 2004 से किया गया है। लेकिन, भूतपूर्व आयोग के कर्मचारि-वृन्द और अधिकारियों का वास्तविक विभाजन केवल 1 दिसम्बर, 2004 को हो सका। चूंकि आयोग का अपना स्वयं का कोई अलग कार्यालय नहीं था, इसलिए वर्ष 2004-05 के दौरान उसका अधिकतर समय एक अलग कार्यालय स्थापित करने में बीत गया। हम इस भवन (अर्थात् लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली) में अपना नया कार्यालय जुलाई, 2005 के महीने में ही स्थानान्तरित कर सके थे, और उसके बाद आयोग के अधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों के विकास के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अलग कार्यात्मक यूनिट स्थापित करने, और आयोग के लिए एक अलग संस्थापना स्थापित करने के काम में गहन रूप से संलिप्त होना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में दो वर्षों, अर्थात् 2004-05 और 2005-06 की अवधि को शामिल करने का फैसला किया है।

11. मैं इस रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों की विषय-वस्तु को अन्तिम रूप देने में आयोग के उपाध्यक्ष श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी और आयोग के सदस्यों, श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु, श्रीमती प्रेम बाई मांडवी, श्रद्धेय लामा लाबजंग, और मेरे निजी सचिव, श्री आर.पी. मीना द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के प्रति आभार स्वीकार करना चाहूंगा। अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के सम्बन्ध में ज़मीनी सचाइयों की अपनी जानकारी के आधार पर उनके द्वारा दिए गए व्यापक सुझावों से आयोग को सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन में और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों और कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण कमियों की पहचान करने में और उनका बेहतर तथा और अधिक प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन कमियों को दूर करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने में सहायता मिली। मैं आयोग के तत्कालीन सचिव द्वारा विभिन्न पहलुओं के बारे में दी गई बहुमूल्य सहायता और मार्गदर्शन को और इस रिपोर्ट को तैयार करने और उसे एक संरचनात्मक स्वरूप देने में श्री के. एन. सिंह, संयुक्त सचिव द्वारा किए गए कठोर परिश्रम को भी साभार स्वीकार करना चाहूंगा।

12. हमने अनुसूचित जनजातियों की बुनियादी समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण करने का एक अल्प प्रयास किया है, और जहां कहीं सम्भव हुआ है, स्थिति में सुधार करने के सुझाव दिए हैं, ताकि विकास की स्कीमों के लाभ दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों तक पहुंच सकें। समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को हर कीमत पर बचाया जाना है। हमारी राय में इसका उपाय न केवल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्कीमों के जोरदार कार्यान्वयन के जरिए, बल्कि अधिक से अधिक जनजातीय लोगों को इन स्कीमों और कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाने के लिए इन स्कीमों और कार्यक्रमों के दायरे का विस्तार करने के जरिए भी उनके आर्थिक पिछड़ेपन से उनकी मुक्ति में निहित है। हम सच्चे मन से आशा करते हैं कि सरकार हमारी सिफारिशों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

सादर,

आपका,

ह/-
(कुंवर सिंह)

श्री ए.पी.जे. अब्दुल कलाम,
भारत के राष्ट्रपति,
नई दिल्ली

सूची

संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	आयोग का संगठनात्मक ढांचा और कार्यचालन	1-24
1.1	अनुच्छेद 338 उसके मूल रूप में	1
1.2	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त	1
1.3	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (असांविधिक)	2
1.4	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (असांविधिक)	3
1.5	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (सांविधिक)	3
1.6	भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन और संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना	5
1.7	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां	7
1.8	आयोग के विस्तारित विचारणीय विषय	8
1.9	भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का विभाजन	9
1.10	आयोग के सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा	11
1.11	आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उनका कार्य-क्षेत्र	13
1.12	क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य	14
1.13	छः क्षेत्रीय कार्यालयों में मौजूदा कर्मचारियों को बढ़ाने और चार और क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता	15
1.14	आयोग का नया कार्यालय	16
1.15	आयोग के कार्यकरण का दृष्टिकोण और कार्य-पद्धति	17
1.16	आयोग द्वारा आयोजित की गई बैठकें	18
1.17	अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के महत्त्वपूर्ण दौरे	22
1.18	वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान शिकायतों/याचिकाओं से सम्बन्धित फाइलों/मामलों के निपटान की प्रगति	22
—	अनुबंध	25-45
2.	अनुसूचित जातियों के संरक्षण और विकास के लिए संवैधानिक उपबन्ध	46-58
2.1	अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा	46
2.2	विकास और सुरक्षा सम्बन्धी संरक्षण	46
	(i) सामाजिक सुरक्षण	47
	(ii) आर्थिक सुरक्षण	48
	(iii) शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षण	49
	(iv) राजनैतिक सुरक्षण	50
	(v) सेवा सुरक्षण	51
2.3	संस्थात्मक सुरक्षण	56
3.	अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास	59-140
3.1	प्रस्तावना	59
3.2	जनांकिकीय प्रवृत्तियां और मौजूदा स्थिति	60

3.3	पांचवीं अनुसूची	62
3.4	छठी अनुसूची	65
3.5	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996	66
3.6	जनजातीय विकास कार्यनीति और कार्यक्रम	72
3.7	आदिम जनजाति समूहों का विकास	82
3.8	कर्नाटक में मलेरु जनजाति को आदिम जनजाति समूह के रूप में मान्यता देना	84
3.9	भूमि आबंटन और वितरण	85
3.10	भूमि का अन्य-संक्रामण	87
3.11	अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2005	93
3.12	गौण वन उत्पाद	97
3.13	खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों का सुरक्षण	100
3.14	स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं	102
3.15	ग्रामीण आवास	106
3.16	ग्रामीण सड़कें	109
3.17	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	111
3.18	पेय जल आपूर्ति	113
3.19	ग्रामीण विद्युतीकरण	116
3.20	ग्रामीण सफाई	117
3.21	ग्रामीण रोजगार	118
3.22	ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्य कल्याण योजनाएं	121
3.23	राज्य के सहकारी जनजाति विकास निगमों और ऐसे अन्य संगठनों को सहायता अनुदान	122
3.24	राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता की स्कीम	123
3.25	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	124
3.26	भारतीय सहकारी जनजातीय विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड(ट्राइफेड)	128
3.27	संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन	130
3.28	आयोग द्वारा निपटाए गए कुछ मामले	131
—	अनुलग्नक	141—176
4.	विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनःस्थापन और पुनर्वास	177—197
4.1	प्रस्तावना	177
4.2	आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम और पुलिचिंताला सिंचाई परियोजनाएं	179
4.3	सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनःस्थापन और पुनर्वास	179
4.4	आयोग का कलिंग नगर (उड़ीसा) का दौरा	183
—	अनुलग्नक	188—197
5.	अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास	198—231
5.1	प्रस्तावना	198
5.2	अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता	199
5.3	राष्ट्रीय शिक्षा नीति	201
5.4	प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम	202

5.5	शिक्षा कर्मी परियोजना	204
5.6	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	205
5.7	सर्व शिक्षा अभियान	205
5.8	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ अन्य विशेष उपबंध	207
5.9	नामांकन की वृद्धि	210
5.10	प्राथमिक, प्रारम्भिक और माध्यमिक स्तरों पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दर	211
5.11	केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें (5.11.2) और केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें (5.11.2)	215
5.12	विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियां	228
5.13	एकलव्य माडल रिहायशी स्कूल	229
5.14	सरकार से विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करने वाली शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के दायरे का विस्तार	230
—	अनुबंध	232—241
6.	सेवा सुरक्षण	242—304
6.1	संवैधानिक उपबन्ध	242
6.2	आरक्षण की रूपरेखा	244
6.3	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए पांच कार्यालय ज्ञापनों की समीक्षा	246
6.4	अपनी योग्यता के आधार पर चुने गए/ पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में नहीं गिना जाएगा	249
6.5	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षित प्वाइंटों के विनिमय की अनुज्ञेयता, बैकलाग रिक्तियों को भरना और आरक्षित प्वाइंटों का व्यपगत न होना	250
6.6	पदों का अनारक्षण	252
6.7	विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जनजाति अधिकारियों का अलग प्रतिनिधित्व	253
6.8	गैर-सरकारी क्षेत्र में आरक्षण	254
6.9	वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण	255
6.10	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को रियायतें	256
6.11	चयन द्वारा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को रियायतें	257
6.12	आरक्षण के लिए माडल रोस्टर	260
6.13	विचार का ज़ोन	262
6.14	समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों के लिए सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति (और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी) के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण की प्रतिशतता	263
6.15	तदर्थ पदोन्नतियों में आरक्षण	265
6.16	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान	266
6.17	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां	268

6.18	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की बहाली	270
6.19	अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004	276
6.20	आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का समेकन	277
6.21	केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व	278
6.22	सीधी भर्ती में आदिम जनजाति समूहों को विशेष रियायतें	292
6.23	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशनों को मान्यता	292
6.24	आयोग द्वारा निपटाए गए सफल मामले	293
—	अनुबंध	304
7.	अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना और उनका सत्यापन	305—324
7.1	प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी	305
7.2	नियुक्ति करने वाले अधिकारियों की प्रमाणपत्रों का सत्यापन करने की ड्यूटियां	306
7.3	समुदाय प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देश	309
7.4	प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेश	312
7.5	जाति/जनजाति प्रमाणपत्रों को जारी किए जाने और उनके सत्यापन का विनियमन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव	314
7.6	माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.एस. नागेन्द्र और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य की 2003 की लेख्य याचिका (सिविल) संख्या 76 में इस बारे में आयोग के विचार मांगे जाना कि क्या 'मालेरु' समुदाय वही 'मलेरु' है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत जारी किए गए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में शामिल है	314
—	अनुबंध	323—324
8.	अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और अत्याचार	325—357
8.1	प्रस्तावना	325
8.2	अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की घटनाएं	326
8.3	अपराधों का वर्गीकरण	327
8.4	अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों की राज्य-वार घटनाएं	327
8.5	पुलिस द्वारा मामलों का निपटान	329
8.6	न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान	33
8.7	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	331
8.8	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियम, 1995	332
8.9	अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों की राज्य-वार संख्या	333
8.10	अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों का वर्गीकरण	334
8.11	अत्याचार के मामलों का पुलिस द्वारा निपटान	335
8.12	विशेष न्यायालयों द्वारा अत्याचारों के मामलों का निपटान	336

8.13	राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम, 1995 के अन्तर्गत किए गए विशेष प्रबन्ध	338
8.14	आयोग में निपटाए गए अत्याचार के कुछ मामले	347
9.	सिफारिशों का सारांश	358—389
अध्याय—1	आयोग का संगठनात्मक ढांचा और कार्यचालन	358
अध्याय—2	अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए संवैधानिक उपबन्ध	358
अध्याय—3	अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक—आर्थिक विकास	359
अध्याय—4	विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनःस्थापन और पुनर्वास	371
अध्याय—5	अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास	373
अध्याय—6	सेवा सुरक्षण	380
अध्याय—7	अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना और उनका सत्यापन	385
अध्याय—8	अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और अत्याचार	388

अध्याय-1

आयोग का संगठनात्मक ढांचा और कार्यचालन

1.1 अनुच्छेद 338 उसके मूल रूप में

1.1.1 अनुच्छेद 338 का संशोधन किए जाने और संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा नया अनुच्छेद 338 जोड़े जाने के द्वारा 19 फरवरी, 2004 से भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन होने के बाद यह आयोग की पहली रिपोर्ट है और इसलिए आयोग की विरासत को सुरक्षित रखने और भावी पीढ़ी से उसके उतार-चढ़ाव वाले इतिहास की झलक दिखाने के लिए आयोग के ऐतिहासिक क्रम-विकास का संक्षिप्त उल्लेख करना आवश्यक है।

1.1.2 संविधान के निर्माताओं ने इस तथ्य को नोट किया था कि देश के कुछ समुदाय अत्यन्त सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से उत्पीड़ित हैं, जो अस्पृश्यता की अति-प्राचीन प्रथा से उत्पन्न हुआ है और कुछ अन्य समुदाय आदिम काल की कृषि पद्धतियों, बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के अभाव और भौगोलिक अलगाव के कारण इन बातों में पिछड़े हुए हैं और इसलिए उनके त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए उनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन समुदायों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के खंड 1 के उपबन्धों के अनुसार क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के शोषण के खिलाफ सुरक्षणों की व्यवस्था करने के लिए और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में विशेष उपबंध किए गए थे। सरकार ने महसूस किया कि अपनी सामाजिक निःशक्तता और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, वे निर्वाचित पदों, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थाओं में अपना युक्तिसंगत हिस्सा प्राप्त करने में घोर रूप से असमर्थ हैं और, इसलिए, शासन में उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इन समुदायों के पक्ष में आरक्षण की नीति का अनुसरण करना जरूरी समझा गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में जिन विभिन्न सुरक्षणों की व्यवस्था की गई है, उनके और विभिन्न अन्य सुरक्षाकारी विधानों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए, संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत एक विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद के मूल रूप में यह उपबन्ध किया गया था कि—

- (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे।
- (ii) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान में दिए गए सुरक्षणों से सम्बन्धित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन सुरक्षणों के कार्यकरण के सम्बन्ध में ऐसे अन्तराल पर, जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे।
- (iii) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जहां भी हवाला होगा, उसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों का हवाला, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खण्ड (i) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करेंगे, और आंग्ल-भारतीय समुदाय का हवाला शामिल है।

1.2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त

1.2.1 ऊपर उल्लिखित उपबन्धों के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन के मानीटरिंग के लिए:

- (i) संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दिए गए सुरक्षणों से सम्बन्धित मामलों का अन्वेषण करने और सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के रूप में एक विशेष अधिकारी पहली बार 18 नवम्बर, 1950 को नियुक्त किया गया था।
- (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय के प्रभावकारी कार्यकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के विभिन्न भागों में आयुक्त के 17 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए थे, जिनके अध्यक्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सहायक आयुक्त थे, जिन्हें जुलाई, 1965 में उपायुक्त का पदनाम दिया गया।
- (iii) जून, 1967 में 17 क्षेत्रीय कार्यालयों का 5 ज़ोनल कार्यालयों के रूप में पुनर्गठन किया गया और उन्हें समाज कल्याण विभाग में नव-निर्मित महानिदेशालय, पिछड़े वर्ग कल्याण के नियंत्रणाधीन कर दिया गया। प्रत्येक ज़ोनल कार्यालय का अध्यक्ष ज़ोनल निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण (एक नव-निर्मित पद) था और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपायुक्त के पद को उप महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण का पदनाम दिया गया और उन्हें चंडीगढ़ (उत्तरी ज़ोन), भोपाल (केन्द्रीय ज़ोन), पटना (उत्तरी ज़ोन), बड़ौदा (पश्चिमी ज़ोन) और मद्रास (दक्षिणी ज़ोन) के ज़ोनल निदेशकों के नियंत्रणाधीन कर दिया गया।
- (iv) पूर्वी ज़ोन कार्यालय की भुवनेश्वर और शिलांग में दो शाखाएं थीं और बाद में केन्द्रीय ज़ोन कार्यालय का एक शाखा कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया गया। इनमें से प्रत्येक शाखा कार्यालय का अध्यक्ष एक उप-निदेशक था। पश्चिमी ज़ोन कार्यालय को 1969 में अहमदाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया।

1.2.2 17 क्षेत्रीय कार्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के 'आंख और कान' के रूप में कार्य करते थे। लेकिन, जून, 1967 में सरकार द्वारा इन सभी 17 क्षेत्रीय कार्यालयों को उनसे ले लेने और उन्हें पिछड़े वर्ग कल्याण के पांच आंचलिक (ज़ोनल) कार्यालयों के रूप में पुनर्गठित करने और उन्हें समाज कल्याण विभाग के तहत महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के नव-निर्मित पद के नियंत्रणाधीन करने का निर्णय लिया गया। सरकार के इस निर्णय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के संगठन को कमजोर बना दिया, क्योंकि आयुक्त के पास ऐसी कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं रह गई थी, जिसके द्वारा वह विश्वसनीय सूचना एकत्र कर सके और इन सुविधाहीन समूहों की समस्याओं और उनके लिए हाथ में लिए गए विकास कार्यक्रमों का जायजा ले सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित संसदीय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट (1969) में सरकार की इस कार्रवाई पर अप्रसन्नता प्रकट की और आयुक्त के हाथ मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को क्षेत्रीय संगठन वापस नहीं किया।

1.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (असांविधिक)

1.3.1 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों, विशेष रूप से संसद सदस्यों द्वारा निरन्तर यह मांग की जाती रही कि अनुच्छेद 338 में उल्लिखित विशेष अधिकारी के स्थान पर बड़े हुए कार्यों और शक्तियों वाला एक बहु-सदस्यीय आयोग बनाया जाए। यह महसूस किया गया था कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का कार्यालय संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन का मानीटरन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तदनुसार, एक-सदस्यीय प्रणाली को बहु-सदस्यीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए संविधान के अच्छेद 338 को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। हालांकि यह संशोधन अभी विचाराधीन था, लेकिन सरकार ने गृह मंत्रालय के संकल्प संख्या 13013/9/77-एस.सी.टी.(1), दिनांक 21 जुलाई, 1978 द्वारा

(अनुलग्नक 1.1 के रूप में संलग्न) एक प्रशासनिक निर्णय के जरिए एक बहु-सदस्यीय आयोग की स्थापना करने का निश्चय किया। यह निर्णय लिया गया था कि

- (i) आयोग में एक अध्यक्ष होगा और संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त विशेष अधिकारी सहित चार से अनधिक सदस्य होंगे और अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगा।
- (ii) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेगा और अपनी रिपोर्ट, जिसमें उसके क्रियाकलापों का ब्योरा और सिफारिशें दी गई होंगी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा और आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ एक ज्ञापन, जिसमें उसकी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का विवरण होगा और केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारण दिए गए होंगे, संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

1.3.2 पहला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अगस्त, 1978 में भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसके चार अन्य सदस्य थे।

1.3.3 भूतपूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों को, जिन्हें 1967 में महानिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण के नियंत्रण के अधीन अन्तर्गत कर दिया गया था, वापस आयोग के नियंत्रणाधीन लाया गया।

1.3.4 बाद में सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के आकार को ध्यान में रखते हुए, संविधान के अनुच्छेद 338 को संशोधित करके दो संगठनों – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रतिस्थापित करने के लिए एक सांविधिक और बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया। सरकार ने इस प्रयोजन से 3 अगस्त, 1978 को लोक सभा में संविधान (छियालीसवां संशोधन) विधेयक, 1978 प्रस्तुत किया। लेकिन 1978 के शीतकालीन सत्र में समय के अभाव के कारण इस विधेयक पर चर्चा नहीं की जा सकी और इसे लोक सभा में संविधान (इक्यावनवां संशोधन) विधेयक, 1979 के रूप में फिर से पेश किया गया। हालांकि लोक सभा में इस विधेयक पर वाद-विवाद हुआ था, लेकिन 17 मई, 1979 को मतदान के दौरान अपेक्षित बहुमत प्राप्त न होने के कारण यह विधेयक पारित न हो सका। इन परिस्थितियों में, भारत सरकार के 21 जुलाई, 1978 के संकल्प (ऊपर उल्लिखित) द्वारा स्थापित आयोग कार्य करता रहा। यह एक असन्तोषजनक स्थिति थी, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विशेष अधिकारी/ आयुक्त के सांविधिक कार्यालय और असांविधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों का सह-अस्तित्व बना हुआ था और दोनों एक ही कार्य कर रहे थे। नवम्बर, 1981 में तत्कालीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा अपना पद-भार छोड़े जाने के बाद इस पद को चार से अधिक वर्षों तक भरा नहीं गया।

1.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (असांविधिक)

1.4.1 1 सितम्बर, 1987 को सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के कृत्यों का सीमांकन करने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त राष्ट्रपति को रिपोर्ट (वार्षिक) प्रस्तुत करेंगे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका फिर से नामकरण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कर दिया गया था, अध्ययन करेगा। कल्याण मंत्रालय की दिनांक 1 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या बी.सी.-13015/12/86-एस.सी.डी. VI (अनुलग्नक 1. II के रूप में संलग्न) में, जो गृह मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 1978 के संकल्प संख्या बी.सी.-13013/9/77-एस.सी.टी. I (ऊपर उल्लिखित) का

अधिक्रमण करते हुए जारी की गई थी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (असांविधिक) को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए:

- (i) छूआछूत और उससे उत्पन्न सामाजिक भेदभाव की सीमा और किस्मों और वर्तमान (तब मौजूद) उपायों की प्रभावकारिता का अध्ययन करना तथा और आगे किए जाने वाले उपायों की सिफारिशें देना;
- (ii) उन सामाजिक-आर्थिक और अन्य संगत परिस्थितियों का अध्ययन करना, जिनके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के खिलाफ अपराध होते हैं और ऐसे अपराधों का तुरन्त अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश देना;
- (iii) समाज की मुख्यधारा के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सभी पहलुओं से एकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन वर्गों के विकास के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करना। इनमें सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, कला, साहित्य, भाषा, आवास, संचार, कृषि, वानिकी, बागबानी, मात्स्यिकी, पुनर्वास, प्रदूषण और पर्यावरण के क्षेत्रों संबंधी अध्ययन शामिल हैं; और
- (iv) ऐसे अन्य कार्य, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के किन्हीं पहलुओं के बारे में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त समझे जाएं, सामान्य नीतियां विकसित करने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को सौंपे जाएं।

1.4.2 कल्याण मंत्रालय के उपर्युक्त संकल्प में यह निश्चय भी किया गया था कि:

- (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (असांविधिक) का एक अध्यक्ष होगा और ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे;
- (ii) आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्य-काल सामान्य रूप से तीन वर्षों से अधिक नहीं होगा;
- (iii) यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की नीति और उसके स्तर से सम्बन्धित व्यापक मुद्दों के बारे में सलाह देने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार निकाय होगा, और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आयोग सामाजिक मानव-विज्ञान, सामाजिक कार्य और अन्य सम्बन्धित समाज विज्ञानों के क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल कर सकता है;
- (iv) आयोग की रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए परियोजना-आधारित होंगी।

1.5 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (सांविधिक)

1.5.1 एक सांविधिक बहु-सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने के लिए एक नया विधेयक, अर्थात् संविधान (पैंसठवां संशोधन) विधेयक, 1990 संसद में पेश किया गया था। संसद द्वारा पारित विधेयक को 7 जून, 1990 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और यह 8 जून, 1990 को अधिसूचित किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सम्बन्धी नियम 3 नवम्बर, 1990 को अधिसूचित किए गए थे। इस अधिनियम को 12 मार्च, 1992 से लागू किया गया था और उस तारीख से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया। संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 की एक प्रति अनुलग्नक 1.III के रूप में संलग्न है।

1.5.2 संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा यथासंशोधित अनुच्छेद 338 में यह उपबन्ध किया गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्य होंगे और उनकी सेवा की शर्तें, उनके पद का कार्य-काल ऐसा होगा, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित

करेगा। अधिनियम में यह उपबन्ध भी किया गया है कि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अन्तर्गत वारंट द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और आयोग को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने की शक्ति प्राप्त होगी।

1.5.3 पहला आयोग 12 मार्च, 1992 को संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त और कल्याण मंत्रालय के दिनांक 1 सितम्बर, 1987 के संकल्प (ऊपर उल्लिखित) के तहत स्थापित किए गए असांविधिक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रतिस्थापित करके गठित किया गया था। पहला आयोग श्री रामधन को अध्यक्ष के रूप में, श्री बंदी उरांव को उपाध्यक्ष के रूप में और श्री बी. सोमैया, डॉ. सरोजिनी महिषी, चौधरी हरि सिंह, श्री एन. ब्रह्मा और श्री जीना भाई दारजी को सदस्यों के रूप में शामिल करके गठित किया गया था।

1.5.4 दूसरा आयोग 5 अक्टूबर, 1995 को श्री एच. हनुमनतप्पा को अध्यक्ष और श्रीमती ओमेम मोयोंग देवरी को उपाध्यक्ष के रूप में शामिल करके गठित किया गया था। आयोग के सदस्य श्री एन.सी. चतुर्वेदी, श्री आनन्द मोहन बिस्वास, श्रद्धेय लामा लोबजंग, श्री नर सिंह बैथा और श्री बी. यादव्या थे।

1.5.5 तीसरा आयोग 16 दिसम्बर, 1998 को गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह भूरिया, उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर पासवान थे और श्री हरिन्दर सिंह खालसा, श्रद्धेय लामा लोबजंग, श्री छोत्रे माझी और श्री एम. कन्नन जिसके सदस्य थे। श्रीमती वीना नैय्यर को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 30 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 529(ई.) के जरिए सदस्य नियुक्त किया गया था। श्री एम. कन्नन के त्यागपत्र देने पर, श्री सी. चेल्लपन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 3 जुलाई, 2000 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.722(ई.) द्वारा सदस्य नियुक्त किया गया था।

1.5.6 चौथा आयोग 21 मार्च, 2002 को गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉ. बिजय सोनकर शास्त्री, उपाध्यक्ष श्रद्धेय लामा चोस्फल जोप्ता थे और जिसके सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी, श्री नारायण सिंह केसरी और श्री तपिर गाव थे। श्रीमती वीणा प्रेमकुमार शर्मा ने भी 23 अगस्त, 2002 को सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री चेल्लपन ने, जिन्हें 3 जुलाई, 2000 को तीसरे आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, और जो चौथे आयोग में उसकी हैसियत में बने रहे, 2 जुलाई, 2003 को अपना तीन वर्ष का कार्य-काल पूरा कर लिया। श्री सम्पत कुमार ने 3 सितम्बर, 2003 को श्री सी. चेल्लपन के स्थान पर पदभार ग्रहण किया।

1.6 भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन और संविधान के अनुच्छेद 338क के अन्तर्गत एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना

1.6.1 संविधान के निर्माताओं ने यह महसूस कर लिया था कि भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताएं और समस्याएं अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं और, इसलिए, अनुसूचित जातियों का सर्वोत्तम विकास करने के लिए एक विशेष कार्य-पद्धति की आवश्यकता है। इन बातों को स्वीकार करने के कारण ही, संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 244 (पांचवीं और छठी अनुसूची के राज्य), 275 (1) (केन्द्र से राज्यों को अनुदान) और 339 (अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आयोग नियुक्त करने का उपबन्ध) में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबन्ध किए थे। तदनुसार, ऐसा पहला आयोग वर्ष 1960 में श्री यू.एन. धेबर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की थी। इसके अनुसरण में, स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद जनजातीय लोगों की अधिक आबादी वाले और अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए जनजातीय उप-योजना कार्यनीति अपनाई गई थी। बाद में, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) में एक अलग जनजातीय विकास प्रभाग बनाया गया था। अक्टूबर, 1999 में, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास की ओर सूक्ष्मता से ध्यान केन्द्रित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय नाम से एक

नया मंत्रालय बनाया गया था। यह जरूरी समझा गया था कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित सभी क्रियाकलापों को समन्वित करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस भूमिका को निभाना प्रशासनिक रूप से साध्य नहीं होगा। जनजातीय विकास के लिए एक अलग स्वतंत्र तंत्र के सृजन की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का विभाजन करना और अप्रैल, 2001 में एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना करना था। यह पृथक्करण अनुसूचित जनजातियों के लिए आय सृजन करने वाली विकास स्कीमों के लिए धन का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। इसके बाद, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास को और बढ़ावा देने के लिए जुलाई, 2002 में (42 वर्षों के अन्तराल के बाद) संविधान के अनुच्छेद 339 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दूसरा आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए अब तक अपनाई गई कार्य-नीतियों की जांच करने और एक सक्षम व्यापक जनजातीय नीति की रूपरेखा का सुझाव देने के कार्य सौंपे गए थे। श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में स्थापित किए गए आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2004 में प्रस्तुत की।

1.6.2 यह भी आवश्यक समझा गया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान के सुरक्षणों के कार्यान्वयन को अधिक कारगर ढंग से मानीटर करने के लिए मौजूदा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 338 को संशोधित करके और संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 (अनुलग्नक 1.IV के रूप में संलग्न) के द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 338क शामिल करके 19 फरवरी, 2004 से की गई थी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आयोग को संविधान के अन्तर्गत अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अन्तर्गत प्रदान किए गए सुरक्षणों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी मामलों को मानीटर करने और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने और सलाह देने का आदेश दिया गया है।

1.6.3 19 फरवरी, 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना होने के बाद, चौथे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (भूतपूर्व) ने 19 फरवरी, 2004 को पद-त्याग कर दिया। नए अनुच्छेद 338क में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध किया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य शामिल होंगे और उनकी सेवा की शर्तें, उनके पद का कार्य-काल वह होगा, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा, तय करे और यह भी कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा के अंतर्गत वारंट द्वारा की जाएगी। आयोग को अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

1.6.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य (सेवा की शर्तें और कार्य-काल) नियम, 2004 फरवरी, 20, 2004 को अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य उस तारीख से, जब वे ऐसा पद ग्रहण करेंगे, तीन वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः संघ के मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। आयोग के सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्रदान किया गया है।

1.6.5 पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में श्री कुंवर सिंह, अध्यक्ष (जिन्होंने 15.3.2004 को पदभार ग्रहण किया), श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी (जिन्होंने 29.5.2006 को पदभार ग्रहण किया), श्रद्धेय लामा लोबजंग (जिन्होंने 2.3.2004 को पदभार ग्रहण किया), श्रीमती प्रेम बाई मंडावी (जिन्होंने 4.3.2004 को पदभार ग्रहण किया), और श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु (जिन्होंने 11.3.2004 को पदभार ग्रहण किया) सदस्य थे। श्री तपिर गाव, जो 3.3.2004 को उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे, ने 31.3.2004 को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद, उपाध्यक्ष का पद 28.5.2006 तक खाली पड़ा रहा था।

1.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां

1.7.1.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (5), (8) और (9) द्वारा निर्धारित की गई हैं। खंड (5) में यह कहा गया है कि आयोग के ये कर्तव्य होंगे:

- (क) संविधान के अंतर्गत अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून अथवा सरकार के किसी अन्य आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबन्धित सुरक्षाओं से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और इन सुरक्षाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;
- (ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित करने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना;
- (ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना और संघ तथा किसी राज्य के अंतर्गत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (घ) इन सुरक्षाओं के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष, और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;
- (ङ.) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में, जो उन सुरक्षाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना; और
- (च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के बारे में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वाह करना, जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

1.7.1.2 खंड (6) में यह उपबन्ध किया गया है कि राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद में एक ज्ञापन के साथ रखवाएगा, जिसमें संघ से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई की अथवा जो कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है, उसकी जानकारी दी जाएगी और इनमें से किसी सिफारिश की अस्वीकृति के, यदि कोई हो, कारण दिए गए होंगे।

1.7.1.3 खंड (7) में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई रिपोर्ट, अथवा उसका कोई भाग, किसी ऐसे मामले के बारे में हो, जिसके साथ कोई राज्य सरकार सम्बन्धित हो, तो उस राज्य का राज्यपाल वह रिपोर्ट राज्य के विधान मंडल में एक ज्ञापन के साथ रखवाएगा, जिसमें राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों के बारे में की गई कार्रवाई की, अथवा जो कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव हो, उसकी जानकारी दी जाएगी, और इनमें से किसी सिफारिश को, यदि कोई हो, अस्वीकार किए जाने के कारण बताया गए होंगे।

1.7.1.4 खंड (8) में यह कहा गया है कि आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय अथवा उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो वाद के विचारण के समय और विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के बारे में प्राप्त होती हैं, अर्थात:

- (क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को 'सम्मन' करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना;
- (ग) शपथ पर साक्ष्य ग्रहण करना;

- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रति अधिग्रहण करना;
- (ङ.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;
- (च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।

1.7.1.5 खण्ड (9) में यह उपबन्ध है कि संघ सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों के बारे में आयोग से परामर्श करेगी।

1.8 आयोग के विस्तारित विचारणीय विषय

1.8.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 29 नवम्बर, 2004 के पत्र संख्या 17014/3/2004-सी.ऐण्ड एल.एम.-II द्वारा इस आयोग को सूचित किया कि राष्ट्रपति ने यह निदेश दिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विचारणीय विषयों में निम्नलिखित को शामिल करने के लिए उनका विस्तार किया जाएगा:

- (i) वे उपाय, जो गौण वन उत्पादों के सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रदान करने के लिए किए जाने आवश्यक हैं;
- (ii) खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को विधि के अनुसार सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपाय;
- (iii) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और आजीविका की और अधिक सक्षम कार्यनीतियों के लिए कार्य करना;
- (iv) विकास परियोजनाओं से विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास के उपायों की उपादेयता को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय;
- (v) जनजातीय लोगों से भूमि के अन्यसंक्रामण को रोकने के लिए और उन लोगों का प्रभावकारी रूप से पुनर्वास करने के लिए किए जाने वाले उपाय, जिनके मामले में अन्यसंक्रामण पहले से हो चुका हो;
- (vi) वनों की रक्षा करने और सामाजिक वानिकीकरण को हाथ में लेने के लिए जनजातीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने और उन्हें शामिल करने के लिए किए जाने वाले उपाय;
- (vii) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) का पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;
- (viii) जनजातियों के लोगों की झूम खेती की प्रथा को, जिसके परिणामस्वरूप निरन्तर निःशक्तीकरण होता है और भूमि तथा पर्यावरण का ह्रास होता है, कम करने और अन्ततोगत्वा पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

1.8.2 आयोग के उपर्युक्त विस्तारित विचारणीय विषयों पर, आयोग की 1 दिसम्बर, 2004 को हुई चौथी बैठक में चर्चा की गई थी। आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि यद्यपि वह अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं भी अतिरिक्त कृत्यों को स्वीकार करने के लिए रजामन्द है, लेकिन उसी समय उसने यह भी महसूस किया कि जब तक अध्ययन करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी और धनराशियां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, तब तक अतिरिक्त जिम्मेदारियों का पालन करागर ढंग से नहीं होगा। इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने चाहा कि अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए, और अपेक्षित अध्ययन कराने के लिए आयोग को अपेक्षित धन उपलब्ध कराने के लिए भी जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास एक अलग प्रस्ताव भेजा जाए। आयोग ने यह भी कहा कि उसे अतिरिक्त कृत्य अनुच्छेद 338 के खंड(5) में अतिरिक्त कर्तव्य जोड़ कर अथवा इस अनुच्छेद के

खंड(5) के उप-खंड (च) के अन्तर्गत एक उपयुक्त अधिसूचना जारी करके सौंपे जा सकते हैं। आयोग ने, तदनुसार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति देने और आयोग को यह परामर्श देने का अनुरोध किया कि क्या आयोग अपने प्रक्रिया नियमों में अतिरिक्त कर्तव्य अधिसूचित करे या नहीं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 17 फरवरी, 2004 के ऊपर उल्लिखित पत्र के द्वारा आयोग के मौजूदा स्टाफ के साथ संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (5) के अन्तर्गत उल्लिखित कर्तव्यों के अलावा, कार्य की अतिरिक्त मदों का निर्वहन करने की सलाह दी। मंत्रालय ने आयोग को कार्य की अतिरिक्त मदों को शामिल करने के लिए कार्यविधि नियमों को संशोधित करने की सलाह भी दी। आयोग ने अपने दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के पत्र संख्या 11/ई/2004-ई.एस.डी.डब्ल्यू.(एस.टी.) द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि क्या मंत्रालय का यह स्पष्ट विचार है कि उनके द्वारा की गई कार्रवाई संविधान के उपबंधों के अनुसार है और यदि ऐसा है, तो वह अतिरिक्त कर्तव्यों के बारे में उपयुक्त अधिसूचना जारी करे। उस समय, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) से सलाह लेने का निर्णय किया और उनकी सलाह पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 23 अगस्त, 2005 की समसंख्यक अधिसूचना (अनुलग्नक-1.V के रूप में सलंगन) जारी की, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (5) के उप-खंड(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य कृत्य विनिर्दिष्ट करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

- (i) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** इन नियमों का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अन्य कृत्यों का विनिर्देशन) नियम, 2005 है;
- (ii) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे;
- (iii) आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास और उन्नयन के संबंध में निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात (पैरा 1.8.1 के नीचे उल्लिखित)।

1.8.3 यह कहना उचित होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को योजना-स्कीम के अन्तर्गत कोई बजट शीर्ष/ धन उपलब्ध नहीं है और योजना-भिन्न के अन्तर्गत सीमित बजट में से, आयोग संवैधानिक आदेश के संदर्भ में किसी व्यावसायिक अभिकरण के माध्यम से कोई अध्ययन कराने में अपने आपको भीषण रूप से असमर्थ महसूस करता है। धनराशियों की अनुपलब्धता भी जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में गहराई से चर्चा करने के लिए कार्यक्रम/ बैठकें/ सम्मेलन आयोजित करने के मार्ग में बाधा बन जाती है। इसलिए, आयोग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से योजना-भिन्न बजट में ही 50 लाख रुपए की न्यूनतम व्यवस्था के साथ "अन्य प्रशासनिक व्यय" नाम का एक अन्य शीर्ष खोलने का अनुरोध किया है, ताकि आयोग ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने और अपेक्षित अध्ययन कराने पर आने वाले व्यय को पूरा कर सके।

1.9 भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का विभाजन

1.9.1 भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का विभाजन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बीच 2:1 के अनुपात में करने के आदेश, जैसाकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया था, दिनांक 1 दिसम्बर, 2004 के आदेश संख्या 27/4/एस.सी.टी.सी./2002-प्रशा. द्वारा जारी किए गए थे।

1.9.2 आयोग का प्रशासनिक अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के दर्जे और वेतन-मान वाला अधिकारी है, जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव के दर्जे और वेतन-मान वाला संयुक्त सचिव और अन्य अधिकारी और कर्मचारी हैं।

1.9.3 द्विभाजन के समय भूतपूर्व आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और 18 राज्य कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल संख्या (राज्य कार्यालयों में संयुक्त संवर्ग और लिपिक वर्गीय पदों सहित) 340 थी, जिनमें से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 113 पद आबंटित किए गए थे, जिनमें वे 27 पद शामिल हैं, जो रिक्त पड़े थे। विभाजन के बाद 4 और पद रिक्त हो गए हैं, जो अभी तक भरे नहीं गए। आयोग द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माध्यम से, जो संयुक्त संवर्ग पदों और लिपिक वर्गीय पदों के सम्बन्ध में नियंत्रक प्राधिकरण हैं, रिक्त पदों को भरने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। सी.एस.एस./ सी.एस.एस. एस./ सी.एस.सी.एस. के 5 रिक्त पदों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से भरने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आबंटित किए गए 113 पदों की उपर्युक्त संख्या में वे कुछ पद शामिल नहीं हैं, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 19 अप्रैल, 2004 के कार्यालय आदेश संख्या 17014/12/99-टी.डी.आर. द्वारा सृजित किए गए थे, जिनमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्यों और उनके वैयक्तिक स्टाफ के पदों के अलावा, सचिव-1, संयुक्त सचिव-1, एस.पी.-1, पी.पी.एस.1, पी.एस.-1, सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग)-1, विधि अधिकारी-1, सहायक निदेशक (राजभाषा)-1, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक-1, पुस्तकालयाध्यक्ष-सह- प्रलेखन सहायक-1, लेखाकार-1 और डिस्पैच राइडर-1 के पद शामिल हैं। आयोग के सचिवालय के लिए नए सृजित किए गए इन 12 पदों में से 8 पद अभी भी रिक्त हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय से इन रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने अथवा इन पदों के बारे में भरती के तरीके की जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि इस समय रिक्त पदों की कुल संख्या 44 है। द्विभाजन के समय आयोग को आबंटित रिक्त पदों की कुल संख्या, विभाजन के सन्दर्भ में सृजित पदों में से रिक्त पदों की कुल संख्या, और इस समय रिक्त पद, और आयोग के विस्तारित विचारणीय विषयों के संदर्भ में पदों की अतिरिक्त आवश्यकता की जानकारी नीचे की सारणी में दी गई है:

क्रम सं.	द्विभाजन के बाद आयोग को आबंटित 113 पदों में से रिक्त पद	सृजित किए गए लिपिक-वर्गीय पदों की संख्या	स्तम्भ 3 के पदों में से खाली पद	विस्तारित विचारणीय विषयों के बारे में कार्य करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निदेशक-1, उप-निदेशक-2, सहायक निदेशक-2, आर.ओ.-1, वरिष्ठ अन्वेषणकर्ता-5, पी.ए.-5, स्टेनो-2, यू.डी.सी.-4, एल.डी.सी.-5, चपरासी-5, सी.सी.एफ.-1	सचिव-1, संयुक्त सचिव-1, पी.पी.एस.-1, पी.एस.-1, एस.पी.-1, सहायक निदेशक (कार्यक्रम)-1, विधि अधिकारी-1, सहायक निदेशक (राजभाषा)-1, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक-1, पुस्तकालयाध्यक्ष-सह- प्रलेखन सहायक-1, लेखाकार-1, डिस्पैच राइडर-1	एस.पी.-1, सहायक निदेशक (कार्यक्रम)-1, पी.एस.-1, विधि अधिकारी-1, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक-1, पुस्तकालयाध्यक्ष-सह- प्रलेखन सहायक-1, डिस्पैच राइडर-1	निदेशक-1, सहायक निदेशक-2, अन्वेषक-4, कम्प्यूटर ऑपरेटर-2, स्टेनो-सह- टाइपिस्ट-1
जोड़	36	12	8	10

1.9.4 इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूतपूर्व आयोग की कुल कर्मचारियों में से केवल एक-तिहाई कर्मचारियों के आबंटन के कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भीषण कृत्यिक समस्याओं का अनुभव हो रहा है, और आबंटित पदों (ऊपर उल्लिखित 12 नए सृजित पदों सहित) में से एक-तिहाई पद रिक्त पड़े हुए हैं। आयोग में इतने अधिक पदों के रिक्त पड़े रहने पर आयोग अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है, और **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अनुरोध करता है कि वे उन समस्याओं और बाधाओं को समझेंगे, जिनका सामना आयोग कर रहा है, और इन रिक्त पदों को भरने के लिए सुनियोजित प्रयास करेंगे, ताकि आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन प्रभावकारी तरीके से कर सके।** आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय से भी अतिरिक्त स्टाफ मुहैया करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता है, ताकि आयोग अपने विस्तारित विचारणीय विषयों के बारे में कारगर ढंग से कार्रवाई कर सके।

1.10 आयोग के सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा

1.10.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय और भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कार्य करता है। मुख्यालय में चार स्कन्ध हैं, अर्थात:-

- (i) प्रशासन / स्थापना स्कन्ध
- (ii) आर्थिक और सामाजिक विकास स्कन्ध
- (iii) सेवा सुरक्षण और समन्वय स्कन्ध
- (iv) अत्याचार स्कन्ध

1.10.2 **प्रशासन / स्थापना स्कन्ध** स्थापना सम्बन्धी सभी मामलों, प्रशासन, जिसमें रोकड़ / लेखा और बजटीय मामले शामिल हैं, और आयोग के सचिवालय और छः क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों के कार्मिक प्रबन्ध को देखता है और आयोग के कार्यकरण में प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है।

1.10.3 **सेवा सुरक्षण स्कन्ध** केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकारों / केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों / राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों / विश्वविद्यालयों / स्वायत्त निकायों / सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के बारे में कार्य करता है। अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की अपनी सेवा सम्बन्धी शिकायतों के सम्बन्ध में सभी अभ्यावेदनों / शिकायतों के बारे में कार्रवाई इस स्कन्ध में की जाती है। इसके अलावा, यह स्कन्ध अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख नीतिगत मुद्दों से सम्बन्धित मामलों के बारे में भी कार्य करता है, जो केन्द्रीय मंत्रालयों / राज्य सरकारों द्वारा उसके पास, सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में उसे अपनी टिप्पणियां / विचार प्रस्तुत करने के प्रयोजन से भेजे जाते हैं। झूठे सामुदायिक प्रमाणपत्रों से सम्बन्धित मामलों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने अथवा सूची से बाहर निकाले जाने के मामलों के बारे में भी इस स्कन्ध में कार्य किया जाता है। इस स्कन्ध का समन्वय यूनिट आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के दौरे के कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकारों को सूचना जारी करने, आयोग की आन्तरिक बैठकें आयोजित करने के लिए प्रबन्ध करने, आयोग की बैठकों और अन्य बैठकों के कार्यवृत्त तैयार करने और जारी करने, और सूचना के लिए और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए इन कार्य-वृत्तों को यूनिटों के अध्यक्षों और अधिकारियों के बीच परिचालित करने का काम भी करता है। आयोग को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में कार्य करने वाले अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों से बहुत बड़ी संख्या में याचिकाएं प्राप्त होती हैं। आयोग में इन अभ्यावेदनों / याचिकाओं की जांच की जाती है और सम्बन्धित संगठन से पैरा-वार टिप्पणियां मांगी जाती हैं। आयोग, याचिका में कही गई बातों और सम्बन्धित संगठन द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर अपना अन्तिम मत निर्धारित करता है और तदनुसार, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह देता है। यदि आयोग सम्बन्धित संगठन

द्वारा की गई कार्रवाई से सन्तुष्ट हो जाता है, तो उसके द्वारा भेजे गए उत्तर की प्रति याचिकादाता के पास उसकी सूचना के लिए भेज दी जाती है और उसके बाद मामला बन्द कर दिया जाता है, जब तक कि याचिकादाता प्रति-प्रत्युत्तर ने भेजे और यदि उसमें कोई अतिरिक्त सामग्री होती है, तो सम्बन्धित संगठन के साथ सलाह करते हुए उसकी और आगे जांच की जाती है। यदि आयोग को सम्बन्धित संगठन से, बार-बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद, याचिका में उठाई गई बातों के बारे में उत्तर प्राप्त न हो, तो आयोग उस संगठन के अध्यक्ष को अथवा उस संगठन के किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य के साथ चर्चा करने के लिए आयोग के समक्ष हाजिर होने के लिए आमंत्रित करता है। चर्चा के बाद लिए गए निर्णय उसी दिन अभिलेखबद्ध कर लिए जाते हैं और उस पर सभी सम्बन्धितों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके पश्चात आयोग द्वारा सम्बन्धित संगठन से अपनी सलाह/ सिफारिश पर एक विनिर्दिष्ट अवधि में आवश्यक कार्रवाई करने और उनके द्वारा लिए गए निर्णय के परिणाम के बारे में आयोग को सूचना देने का अनुरोध किया जाता है।

1.10.4 अत्याचार स्कन्ध अनुसूचित जनजातियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम, 1995 के अन्तर्गत परिभाषित अत्याचारों के मामलों और बंधुआ मजदूर प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से सम्बन्धित मामलों के बारे में, व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त होने पर अथवा समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर कार्रवाई करता है। इस स्कन्ध द्वारा इन विषयों के मूल्यांकन अध्ययन/ सर्वेक्षण किए जाते हैं। अत्याचारों के बारे में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से प्राप्त शिकायतें सम्बन्धित पुलिस प्राधिकारियों के पास विस्तृत जांच करने के लिए भेज दी जाती हैं। आयोग द्वारा यह देखा गया है कि आम तौर पर पुलिस प्राधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम, 1995 की अपेक्षित धाराओं का सहारा लिए बिना भारतीय दंड संहिता की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू करते हैं। इसलिए, आयोग यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान देता है कि तफतीश के बाद आरोप-पत्र अत्याचार अधिनियम की संगत धाराओं के संदर्भ में अधिक समय गंवाए बिना तैयार किए जाएं। कई मौकों पर, आरोप द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर, एस.सी. ऐण्ड एस.टी. (पी.ओ.ए.) अधिनियम, 1989 की संगत धाराओं को शामिल करने के लिए आरोप-पत्रों को बदलना पड़ा। पुलिस प्राधिकारियों से यह अनुरोध भी किया जाता है कि अत्याचार के शिकार व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए पैमाने के अनुसार नकदी अथवा जिन्स अथवा दोनों के रूप में तत्काल राहत मुहैया करने के लिए जिला मेजिस्ट्रेट के साथ परामर्श करके प्रबन्ध किए जाएं और उक्त अनुसूची में दिए गए पैमाने के अनुसार राहत और पुनर्वास सुविधाएं मुहैया करने के लिए भी प्रबन्ध किए जाएं। यदि अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर किए गए अत्याचार बहुत गम्भीर स्वरूप के हों, जिनमें मानव जीवन और सम्पत्ति की क्षति, आदि शामिल हो, तो आयोग के अध्यक्ष/ सदस्य आयोग के अधिकारियों के साथ अत्याचार के घटना-स्थल पर राज्य और जिला अधिकारियों के साथ यह चर्चा करने के लिए जाते हैं कि उन्होंने राहत और पुनर्वास के क्या उपाय किए हैं।

1.10.5 आर्थिक और सामाजिक विकास स्कन्ध अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और उन्नयन से सम्बन्धित मामलों के बारे में कार्य करता है। आयोग द्वारा यह कर्तव्य केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकारों द्वारा बनाई जा रही विभिन्न योजना-स्कीमों के कार्यान्वयन का मानीटरन करने के तंत्र के माध्यम से निभाया जाता है और आयोग द्वारा कार्यान्वयन का मानीटरन केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा करके किया जाता है। आयोग ने केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों से विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रश्नावलियां तैयार की हैं। आयोग द्वारा समीक्षा करने से पहले इन प्रश्नावलियों में प्रस्तुत की गई सूचना की विस्तारपूर्वक जांच की जाती है। जब आयोग के सदस्य राज्यों में अपने दौरों के दौरान जिला अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं, तो उनके द्वारा जिला/ तालुका स्तर पर कार्यान्वयन के अधीन विभिन्न स्कीमों की समीक्षा का काम में लेने के लिए एक अलग प्रश्नावली है। इनमें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष

केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज की गई धनराशियों, की प्राप्ति, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज की गई धनराशियों की प्राप्ति, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों की प्राप्ति, जनजातीय उप-योजना के लिए राज्य योजना और केन्द्रीय मंत्रालयों (जनजातीय उप-योजना संघटक) से धनराशियों की प्राप्ति का मानीटरन करना भी शामिल है। इस स्कन्ध के कुछ अन्य क्रियाकलापों में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा अत्याचारों और सेवा सम्बन्धी मामलों से भिन्न मामलों में उनकी शिकायतों के बारे में दिए गए अभ्यावेदनों/ शिकायतों के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के साथ सलाह करते हुए, कार्रवाई करना, और भूमि सुधार अधिनियम के कार्यान्वयन और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करना शामिल है।

1.11 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उनका कार्य-क्षेत्र

1.11.1 भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के 17 क्षेत्रीय कार्यालय थे, जो विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित थे। शिमला के कार्यालय को बाद में चंडीगढ़ कार्यालय में मिला दिया गया था। मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों, अर्थात् छत्तीसगढ़ और झारखंड की स्थापना के बाद दो नए कार्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़) और रांची (झारखंड) में खोले गए थे। भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के 18 राज्य कार्यालयों और इन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बीच उसी अनुपात अर्थात् 2:1 के अनुपात में बांट दिया गया था। भूतपूर्व आयोग के भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, रांची और शिलांग में स्थित छः कार्यालय, उनमें तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आबंटित कर दिए गए थे और अगरतला, अहमदाबाद, बंगलौर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, तिरुवनन्तपुरम में स्थित 12 कार्यालय, उनमें तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों सहित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रखे गए थे।

1.11.2 इन कार्यालयों की अवस्थिति और उनके कार्य-क्षेत्र, और इन कार्यालयों के अध्यक्ष अधिकारियों के नामों और पदनामों की जानकारी नीचे दी गई है:

क्रम सं.	अवस्थिति और पता	अधिकारी का नाम और पदनाम	कार्य-क्षेत्र
1.	कमरा संख्या 309, निर्माण सदन, सी.जी. ओ. काम्पलेक्स, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011	श्री ध्रुव कुमार, निदेशक टेलीफोन (0755-2578272 / 2576530 (पी.सी.)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और दादरा तथा नगर हेवली और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र
2.	एन-1/297, आई. आर.सी. विल्लेज, भुवनेश्वर-751015	श्री आर.के. मिश्रा, अनुसन्धान अधिकारी, टेलीफोन: 0674- 2551616 / 2551818	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र
3.	सी-29, लाल कोधी स्कीम, एस.एम.एस. स्टेडियम के पीछे, पंकज सिधरी मार्ग, जयपुर-302015	डॉ. जी.एस. सोमावत, निदेशक, टेलीफोन: 0141-2741173 / 2743199 (पी.सी.)	चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल और दमन और दीव

4.	आर-26, सेक्टर-2, अवन्ती विहार, डाकघर, रविग्राम, रायपुर-492006	श्री ध्रुव कुमार, निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (फोन: 0755-2560869)	छत्तीसगढ़
5.	14, न्यू ए.जी. कोआपरेटिव कालोनी, कदरु, रांची	श्री आर.के. मिश्रा, अनुसंधान अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) (फोन: 0651-2340368 / 2341677)	बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश
6.	रेबेक्का विल्ला, टेम्पल रोड, लोअर लछुमियरी, शिलांग-793001	सुश्री पी. सिमलिह, सहायक निदेशक (फोन: 0364-2221362 / 2504202 (पी.सी.)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

1.12 क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य

1.12.1 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय आयोग के 'आंख और कान' के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में नीति के निर्माण और मार्गनिर्देशों के मुद्दों पर नज़र रखते हैं और घटना-चक्र की सूचना आयोग के मुख्यालय को समय-समय पर देते रहते हैं। राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करने वाले जो नीति सम्बन्धी निर्णय लिए जाते हैं, वे आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों के ध्यान में लाए जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यचालन को आंकने के लिए और लक्ष्यगत समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने में उनके प्रभाव का जायज़ा लेने के लिए मूल्यांकन और अन्य अध्ययन करने के वास्ते राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के साथ सम्पर्क स्थापित रखें। अध्ययनों के निष्कर्षों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है। मुख्य टिप्पणियां आयोग की रिपोर्ट में दी जाती हैं।

1.12.2 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे यह देखने के लिए कि राज्यों के प्राधिकरणों द्वारा योजनाएं और नीतियां बनाए जाते समय अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा हो और उन्हें बढ़ावा मिले, राज्य प्राधिकरणों के साथ विचार-विमर्श करते रहें और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। राज्य कार्यालय अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशियों के उपयोग को भी मानीटर करते हैं, जिसमें जनजातीय उप-योजना से प्राप्त धनराशियों का उपयुक्त रूप से उपयोग किए जाने पर नज़र रखना भी शामिल है।

1.12.3 प्रत्येक राज्य कार्यालय अपने द्वारा हाथ में लिए गए क्रियाकलापों के बारे में आयोग को तिमाही रिपोर्ट भेजता है, जिसमें उनके अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित प्रमुख मुद्दों को उजागर किया जाता है। इन रिपोर्टों में किसी राज्य की घटनाओं के बारे में उपयोगी सूचना होती है, जिससे आयोग उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए विभिन्न राज्यों के सम्बन्ध में और राष्ट्रीय स्थिति का समूचे रूप से जायज़ा ले सकता है।

1.12.4 आयोग के क्षेत्रीय अधिकारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार-क्षेत्र वाले राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का दौरा किए जाने के समय उनके साथ होते हैं। आयोग द्वारा राज्य समीक्षाएं किए जाने के समय और अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अत्याचार के मामलों में अध्यक्ष/सदस्यों द्वारा स्थल पर जा कर की जाने वाली जांच के समय इन अधिकारियों को सहयोजित किया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए यह जरूरी है कि वे राज्य/ जिला स्तर पर आयोग द्वारा समीक्षा किए जाने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए रखें।

1.13 छः क्षेत्रीय कार्यालयों में मौजूदा कर्मचारियों को बढ़ाने और चार अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता

1.13.1 दो आयोगों के रूप में विभाजित होने से पहले, भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के 18 राज्य कार्यालय थे, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए आयोग के 'आंख और कान' के रूप में कार्य कर रहे थे। विभाजित होने के बाद, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राज्य कार्यालयों की संख्या 18 से घट कर 6 रह गई है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकार-क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। उदाहरण के लिए, आयोग के मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार-क्षेत्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गोवा राज्य तथा दादरा और नगर हवेली, और लक्षद्वीप के संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। भुवनेश्वर, जयपुर, रांची और शिलांग के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थिति भी इसके समान है। आयोग के भुवनेश्वर, रायपुर और रांची के क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का अध्यक्ष एक अनुसंधान अधिकारी है और शिलांग में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का अध्यक्ष एक सहायक निदेशक है। क्षेत्रीय कार्यालयों के बढ़े हुए अधिकार-क्षेत्र के मुद्दे और चार क्षेत्रीय कार्यालयों की अध्यक्षता अनुसंधान अधिकारी/ सहायक निदेशक के स्तर के पदाधिकारी द्वारा किए जाने के मुद्दों पर आयोग की 28 सितम्बर, 2005 को हुई बैठक में विचार किया गया था और आयोग ने यह दृढ़ मत व्यक्त किया कि आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालयों की मौजूदा स्टाफ संख्या को बढ़ाने, चार क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालयों के अध्यक्षों के स्तर को निदेशक के स्तर तक ऊंचा उठाने, और चार और क्षेत्रीय कार्यालयों का सृजन करने की अविलम्ब आवश्यकता है, ताकि आयोग अनुसूचित जनजातियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रहरी के रूप में काम करने के लिए उसे संविधान में सौंपे गए कर्तव्यों के साथ न्याय कर सके। तदनुसार, आयोग सिफारिश करता है:

- (i) जनजातीय कार्य मंत्रालय को आयोग के भुवनेश्वर, रायपुर, रांची और शिलांग स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों के स्तर को निदेशक के स्तर तक उठाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।
- (ii) जनजातीय कार्य मंत्रालय को आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक कर्मचारियों (कार्यालयाध्यक्षों से भिन्न) की मौजूदा संख्या को बढ़ाने के लिए भी, जैसाकि नीचे की सारणी में स्तम्भ 4 में दिया गया है, आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए:

क्रम सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	मौजूदा स्वीकृत/ उपलब्ध पद	अतिरिक्त पद, जिनके सृजन का प्रस्ताव है
1.	भोपाल	निदेशक-1, अनुसंधान अधिकारी/ सहायक निदेशक-1, वरिष्ठ अन्वेषक-2, उच्च श्रेणी लिपिक-1, पी.ए.-1, आशुलिपिक-1, अवर श्रेणी लिपिक-2, एस.सी.डी.-1, दफ्तरी-1, चपरासी-2, सी.सी.एफ.-1	कार्यालय अधीक्षक-1
2.	भुवनेश्वर	सहायक निदेशक/ अनुसंधान अधिकारी-1, ओ.एस.-1, पी.ए.-1, उच्च श्रेणी लिपिक-1, अवर श्रेणी लिपिक-1, एस.डी.डी.-1, दफ्तरी-1, चपरासी-2, सी.सी.एफ.-1	अन्वेषक-1, अवर श्रेणी लिपिक-1
3.	जयपुर	निदेशक-1, अनुसंधान अधिकारी-1, वरिष्ठ अन्वेषक-1, अन्वेषक-2, ओ.एस.-1, पी.ए.-1, उच्च श्रेणी लिपिक-1, अवर श्रेणी लिपिक-2, एस.सी.डी.-1,	शून्य

		दफ्तरी-1, चपरासी-2, सी.सी.एफ.-1	
4.	रायपुर	कार्यालय अधीक्षक-1	सहायक निदेशक-1, वरिष्ठ अन्वेषक-1, अन्वेषक-2, पी.ए.-1, उच्च श्रेणी लिपिक-1, अवर श्रेणी लिपिक-2, समूह 'घ'-2, दफ्तरी-1, चौकीदार-1, ड्राइवर-1
5.	रांची	सहायक निदेशक-1, अन्वेषक-2, उच्च श्रेणी लिपिक-1, अवर श्रेणी लिपिक-1, चपरासी-2	कार्यालय अधीक्षक-1, वरिष्ठ अन्वेषक-1, पी.ए.-1, अवर श्रेणी लिपिक-1, दफ्तरी-1, सी.सी.एफ.'1, एस.सी.डी.-1
6.	शिलांग	सहायक निदेशक-1, वरिष्ठ अन्वेषक-1, अन्वेषक-2, ओ.एस.-1, पी.ए.-1, उच्च श्रेणी लिपिक-1, अवर श्रेणी लिपिक-2, एस.सी.डी.-1, दफ्तरी-1, चपरासी-1, सी.सी.एफ.-1	चपरासी-1

(iii) अनुसूचित जनजातियों के हितों के सुरक्षण के लिए पांचवीं अनुसूची के सभी क्षेत्रों में आयोग की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए आयोग के चार अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें से एक-एक कार्यालय हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), शिमला (हिमाचल प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) में हो, निम्नलिखित न्यूनतम कर्मचारि-वृन्द के साथ स्थापित किए जाएं:

(क)	निदेशक	-4 (चार कार्यालयों में प्रत्येक के लिए एक)
(ख)	सहायक निदेशक	-4 (- तदेव -)
(ग)	वरिष्ठ अन्वेषक	-4 (- तदेव -)
(घ)	अन्वेषक	-8 (चार कार्यालयों में प्रत्येक के लिए दो)
(ङ.)	पी.ए.	-4 (चार कार्यालयों में प्रत्येक के लिए एक)
(च)	कार्यालय अधीक्षक	-4 (- तदेव -)
(छ)	उच्च श्रेणी लिपिक	-4 (- तदेव -)
(ज)	अवर श्रेणी लिपिक	-8 (चार कार्यालयों में से प्रत्येक के लिए दो)
(झ)	समूह 'घ'	-8 (- तदेव -)
(ञ)	दफ्तरी	-4 (चार कार्यालयों में प्रत्येक के लिए एक)
(ट)	चौकीदार	-4 (- तदेव -)
(ठ)	एस.सी.डी.	-4 (- तदेव -)

जोड़ -60

1.14 आयोग का नया कार्यालय

1.14.1 जब भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग आयोगों, अर्थात् राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में विभाजित किया गया, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को आबंटित अधिकारी और कर्मचारी लोक नायक भवन, नई दिल्ली के 'बी' विंग के 5वें तल पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अस्थाई रूप से कार्यालय का स्थान बांटते रहे। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने सम्पदा निदेशालय से आयोग के नए कार्यालय के निर्माण के लिए स्थान आबंटित करने के लिए सम्पर्क किया। सम्पदा निदेशालय ने अपने दिनांक 17 अगस्त, 2004 के पत्र

द्वारा नए कार्यालय के निर्माण के लिए लोक नायक भवन, नई दिल्ली के 'बी' विंग की छठी मंजिल पर 8,532 वर्ग फुट स्थान आबंटित किया।

1.14.2 केन्द्रीय लोक निर्माया विभाग द्वारा निर्माण का कार्य फरवरी, 2005 के अन्तिम सप्ताह में शुरू किया गया और वह जून, 2005 में पूरा हुआ। लोक नायक भवन के 'बी' विंग की छठी मंजिल पर आयोग के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन 11 जुलाई, 2005 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, श्री कुंवर सिंह और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, डॉ. सूरज भान द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिकारी और कर्मचारी जुलाई, 2005 के महीने में अपने नए कार्यालय में स्थानान्तरित हो गए।

1.15 आयोग के कार्यकरण का दृष्टिकोण और कार्य-पद्धति

1.15.1 विकास की स्कीमों के प्रभाव का अनुवीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए आयोग, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा करके वहां के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य-स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित करने के जरिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के साथ विचार-विमर्श करता है। आयोग विकास की स्कीमों के प्रभाव को आंकने के लिए जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय दौरे भी करता है। आयोग ने देखा है कि इन दौरों तथा बैठकों के परिणामस्वरूप राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने अनुसूचित जनजातियों की वास्तविक समस्याओं को बेहतर रूप से समझने में अधिक रूचि ली है और अधिक भाग लिया है और उन्हें उपचारात्मक उपाय तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रारम्भिक कार्रवाई करने और उचित और संगत कार्यनीतियां अपनाने की सलाह दी गई है।

1.15.2 आयोग अपने मुख्यालय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए क्षेत्र स्तरीय पृष्ठताछ और अध्ययन करता है। अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और अत्याचारों से सम्बन्धित मामलों में तुरन्त राहत सुनिश्चित करने और विकास के लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस प्रक्रिया को एक नया बल प्रदान किया गया है।

1.15.3 शिकायतों के बारे में, विशेष रूप से सुरक्षणों के उल्लंघन के संदर्भ में, तफतीश करने की प्रक्रिया को भी यह सुनिश्चित करने के लिए चुस्त-दरुस्त बनाया जा रहा है कि मामलों का तेजी से निदान किया जाए और प्रामाणिक मामलों में राहत दी जाए।

1.15.4 आयोग महसूस करता है कि उपयुक्त रूप से योजना बनाने और विकास के लिए उपयुक्त स्कीमों के कार्यान्वयन के द्वारा ही अनुसूचित जनजातियां विकास के सामान्य स्तर तक पहुंच सकती हैं और अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर योजना बनाने की प्रक्रिया से अपने आपको सक्रिय रूप से जोड़ने और उसमें भाग लेने की शुरुआत की है। योजना आयोग, जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के साथ नियमित सम्पर्क कायम रखा जा रहा है। आयोग में क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से मंत्रालयों/ राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की वार्षिक योजनाओं का विश्लेषण इस उद्देश्य से किया जाता है।

1.15.5 संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (9) में यह उपबन्ध किया गया है कि संघ और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों के बारे में आयोग के साथ सलाह करेंगी। आयोग ने सभी सम्बन्धितों पर इस बात के लिए बल दिया है कि इस उपबन्ध को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करने वाले बहुत से विधेयक और अन्य नीति सम्बन्धी मामले अब आयोग के पास उसकी टिप्पणियों के लिए भेजे जा रहे हैं। अभी हाल में, आयोग ने (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 के बारे में अपनी टिप्पणियां और सुझाव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्य सभा सचिवालय के पास भेजी थीं, (ii) आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को समेकित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यालय ज्ञापन के प्रारूप, और (iii) शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2005 के बारे में अपनी टिप्पणियां/ सुझाव भेजे थे। आयोग फिर से दोहराना चाहेगा कि यह उपबन्ध आबद्धकर स्वरूप वाला है और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों पर

यह सुनिश्चित करने के लिए जोर देना चाहेगा कि अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में आयोग से परामर्श किया जाए।

1.16 आयोग द्वारा आयोजित की गई बैठकें

1.16.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली बैठक 16 अप्रैल, 2004 को प्रारूप क्रियाविधि नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए आयोजित की गई थी, जो भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के क्रियाविधि नियमों के अनुरूप, मामूली से उपान्तरणों के साथ, तैयार किए गए थे। आयोग ने प्रारूप क्रियाविधि नियमों को अनुमोदित कर दिया। इस बैठक में जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी, उनका सम्बन्ध भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के 18 राज्य कार्यालयों और अधिकारियों तथा कर्मचारियों का विभाजन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बीच किए जाने से और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के बढ़े हुए विचारणीय विषयों के बारे में कार्य करने के लिए आयोग में अतिरिक्त पदों के सृजन से था।

1.16.2 आयोग की दूसरी बैठक 29 जून, 2004 को की गई थी। आयोग ने 16 अप्रैल, 2004 को हुई अपनी पिछली बैठक में किए गए फैसलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में कतिपय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने से सम्बन्धित मामले पर चर्चा की। यह निर्णय किया गया कि पिछले आयोग के सदस्य, श्री बुदरु श्रीनिवासुलु इन समूहों, नामशः आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में तेलगु मुनुरवार, तेलगु मुनुरवाद, तेलगु फुलमली और मनुरकापुर की स्थिति की जांच करेंगे और आयोग के विचारार्थ रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश में खारवार समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का सम्बन्ध था, अभ्यावेदन को, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सम्बन्धित राज्य सरकार और आर.जी.आई. के साथ सलाह करते हुए और आगे जांच किए जाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास भेजने का फैसला किया गया।

1.16.3 अगली बैठक, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संयुक्त बैठक थी, 6 जुलाई, 2004 को आयोजित की गई थी। इस बैठक का सभापतित्व दोनों आयोगों के अध्यक्षों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यक्त किया गया कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां अपेक्षित स्तर की नहीं हैं और वे निरक्षरता, गरीबी और व्यवस्था के भीतर के चिरकालीन शोषण के कारण योजना की प्रक्रिया के लाभों से अभी भी वंचित हैं। चर्चा के केन्द्र-बिन्दु थे: राज्यों द्वारा एस.सी.पी. और टी. एस.पी. के अन्तर्गत धनराशियों का आबंटन राज्य की जनसंख्या के अनुसार न किया जाना, केन्द्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में अध्यापन के पदों में आरक्षण के अनुदेशों को क्रियान्वित न किया जाना, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 1997 में जारी किए गए 5 कार्यालय ज्ञापनों के प्रतिकूल प्रभाव के निराकरण के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा, माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में लम्बित दो लेख्य याचिकाएं – एक याचिका, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 16(4क) की वैधता को चुनौती दी गई है, और दूसरी याचिका, जिसमें अनुच्छेद 16(4क) के उपबन्धों के आधार पर, जिसमें किसी श्रेणी अथवा किन्हीं श्रेणियों के पदों पर, परिणामी वरिष्ठता के साथ, पदोन्नति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, समूह 'क' के पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण की प्रार्थना की गई है – और केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों में आरक्षण के अनुदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति का, दोनों आयोगों द्वारा नियतकालिक रूप से की जाने वाली समीक्षाओं के जरिए मूल्यांकन।

1.16.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चौथी बैठक 1 दिसम्बर, 2004 को हुई थी। आयोग ने 6 जुलाई, 2004 को हुई तीसरी बैठक में (जो दोनों आयोगों की संयुक्त बैठक थी) लिए गए फैसलों के बारे में की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की, जो अन्य बातों के साथ-साथ इन मामलों के बारे में थी: (i) पिछले 10 वर्षों में टी.एस.पी. के अन्तर्गत और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत धनराशियों के आबंटन, उपयोग और अपवर्तन के बारे में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा सूचना प्रस्तुत करना, (ii) टी.एस.पी. के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और

महाराष्ट्र का ब्योरा प्राप्त करना, (iii) केन्द्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के अनुदेशों का कार्यान्वयन, (iv) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा, और इस प्रयोजन से एक उपयुक्त प्रश्नावली तैयार करना, (v) गैर-सरकारी क्षेत्र में सेवाओं और पदों में आरक्षण, (vi) देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवाओं के बारे में आंकड़े प्राप्त करना, (vii) पुलिस अधिकारियों और सरकारी अभियोजकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके कानून लागू करने वाले अभिकरणों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1995 के उपबन्धों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, और (viii) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 5 जुलाई, 2004 के निर्णय के सन्दर्भ में, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अन्तर्गत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसी समुदाय/ किन्हीं समुदायों को अनुसूचित जनजातियां घोषित किए जाने वाली राष्ट्रपति की अधिसूचना के न होने पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और स्थानीय निकायों अथवा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक प्राधिकरणों के अन्तर्गत किसी पद को अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अभिकरणों में पदों और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित मामला।

1.16.5 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी जाने वाली टिप्पणियों के बारे में फैसला करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की एक संयुक्त बैठक 13 दिसम्बर, 2004 को की गई थी। दोनों ही आयोगों ने प्रस्तावित विधेयक के बारे में एक-समान टिप्पणियां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पास एक ही दिन भेज दीं। विधेयक के बारे में अनुपूरक टिप्पणियां तैयार करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एक अलग बैठक 17 दिसम्बर, 2004 को आयोजित की गई और उस बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर टिप्पणियां उसी दिन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेज दी गई थीं। विधेयक के राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने पर राज्य सभा सचिवालय ने 15 फरवरी, 2005 को आयोग से अनुरोध किया कि विधेयक के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के विचारों का लाभ प्राप्त करने का फैसला किया गया है, और तदनुसार, उन्होंने आयोग से उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया। इस मामले पर चर्चा करने के लिए आयोग ने 7 मार्च, 2005 को फिर एक बैठक की और फैसला किया कि जो टिप्पणियां दिसम्बर, 2004 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई थीं, वे राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाएं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और राज्य सभा सचिवालय को भेजी गई टिप्पणियों का ब्योरा इस रिपोर्ट के अध्याय-5 "सेवा सुरक्षण" के पैरा 5.19.2 में दिया गया है।

1.16.6 संविधान (अनुसूचित जनजातियां)(संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग I में जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए आयोग की एक विशेष बैठक 1 मार्च, 2005 को आयोजित की गई। विधेयक में उन प्रविष्टियों को संशोधित करने का प्रस्ताव था, जिनमें यह उपबन्ध था कि लक्षद्वीप के उन निवासियों को, जो और जिनके माता-पिता इन द्वीपों में पैदा हुए थे, अनुसूचित जनजातियां माना जाएगा। इन संशोधनों में यह परन्तुक जोड़ने का प्रस्ताव था कि यदि ऐसे माता-पिता के, जिनमें से दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे, बच्चे लक्षद्वीप से बाहर पैदा हुए हों, स्थाई रूप से लक्षद्वीप में बसे हों, तो यह माना जाएगा कि वे लक्षद्वीप में पैदा हुए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आयोग से यह अनुरोध किया था कि वह 'स्थायी रूप से बसे' अभिव्यक्ति की परिभाषा के बारे में, जो गृह मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप प्रशासन के साथ सलाह करके लक्षद्वीप के द्वीपों में शिक्षा के लिए अथवा अन्यथा कम से कम 10 वर्षों के वास की अवधि के रूप में प्रस्तावित की गई है, अपनी टिप्पणियां भेजें। आयोग ने नोट किया कि विधेयक पर, जो राज्य सभा में 5 मार्च, 2003 को पुरःस्थापित किया गया था, विचार करना गृह मंत्रालय के अनुरोध पर स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि उस मंत्रालय को बहुत से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे

कि यह बिना अन्तिम सिरे वाला होना चाहिए और चिकित्सीय (मेडिकल) मामलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आयोग ने 1 मार्च, 2005 को निम्नलिखित टिप्पणियां भेजीं:-

- (i) संघ राज्यक्षेत्र के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट प्रसव-पीड़ा के मामलों के कारण मुख्य भूमि पर पैदा हुए बच्चों के सम्बन्ध में न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के वास की शर्त उनके खिलाफ बड़े कठोर रूप से काम करेगी, क्योंकि उनकी प्रसूति के मामले लक्षद्वीप के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट किए गए थे, और, इसलिए द्वीपों से बाहर उनका जन्म उन परिस्थितियों में हुआ था, जो उनके वश से बाहर थीं और जो द्वीप में अपेक्षित चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न हुई थीं। तदनुसार, आयोग ने यह व्यक्त किया कि संघ राज्यक्षेत्र के निवासियों के बच्चों की सुरक्षित प्रसूति के लिए लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रसव-पीड़ा / प्रसूति मामलों के कारण मुख्य भूमि पर जन्मे बच्चों के मामलों को अलग आधार पर निपटाया जाना चाहिए, गैर-चिकित्सीय मामलों के समान नहीं, और बच्चे के जन्म के बाद द्वीपों में 10 वर्षों की न्यूनतम अवधि के वास की शर्त के बारे में उन बच्चों के मामलों में जोर नहीं दिया जाना चाहिए, जो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रसव-पीड़ा के मामलों के कारण मुख्य भूमि पर पैदा हुए थे और उनके मामलों में अपने जन्म के बाद उनका तुरन्त द्वीप में लौट आना, उन्हें लक्षद्वीप के सम्बन्ध में संविधान (अनुसूचित जनजातियां)(संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 के अर्थ के भीतर इन द्वीपों के नियमित निवासी के रूप में माने जाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
- (ii) लक्षद्वीप के द्वीपों में शिक्षा के लिए अथवा अन्यथा 10 वर्षों के वास की न्यूनतम अवधि को केवल उन बच्चों के बारे में आदेशात्मक बना दिया जाए, जो प्रसूति के मामलों के कारण नहीं, बल्कि अन्य परिस्थितियों / बातों के कारण मुख्य भूमि पर पैदा हुए हों।
- (iii) जो बच्चे उन परिस्थितियों के कारण, जिनका सम्बन्ध प्रसूति मामलों से न हो, मुख्य भूमि पर पैदा हुए हों और मुख्य भूमि पर अपने जन्म के तुरन्त बाद द्वीपों में वापस लौट आए हों, उन्हें द्वीपों में 10 वर्षों के न्यूनतम वास के पूरा होने से पहले की अवधि में शिक्षा संस्थाओं में वे सभी रियायतें / आरक्षण दिए जाने चाहिए, जो द्वीपों में पैदा हुए बच्चों को उपलब्ध हों।

1.16.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वर्ष 2005-06 के दौरान हुई बैठकों का तारीख-वार ब्योरा और उनमें जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

3 मई, 05

ए.एस. नागेन्द्र और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य की 2003 की लेख्य याचिका (सिविल) संख्या 76 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश पर, यह तय करने के बारे में कि मालेरु समुदाय वही मलेरु समुदाय है, जो संविधान के अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत जारी किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में शामिल है, प्रारूप रिपोर्ट पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी। इस मामले का ब्योरा इस रिपोर्ट के अध्याय-8 "झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र" के पैरा 6.7 में दिया गया है।

15 जून, 05

यह बैठक आयोग की 1.12.2004 को हुई बैठक में लिए गए फैसलों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी। इस बैठक में कार्य-सूची की मदों के अलावा, जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, वे आयोग में जनशक्ति की कमी, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग आयोग के गठन और उसके कृत्यों के बारे में प्रचार करने, आयोग के सभी स्कन्धों में कार्य की प्रगति, वर्ष 2002 में यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में शामिल किए गए अन्य समुदायों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव-क्षेत्रों के परिसीमन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, आदि द्वारा जारी किए गए विशेष भरती अभियानों के संदर्भ में पिछली संचित रिक्तियों को भरने में हुई प्रगति के बारे में थे।

11 जुलाई, 05

इस बैठक में, आयोग ने उन अतिरिक्त कर्तव्यों पर चर्चा की, जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोग को सौंपे जाने का प्रस्ताव था। इस बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, आयोग के प्रस्तावित विस्तारित विचारणीय विषयों पर चर्चा करने के लिए जनजातीय विकास के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक 18.7.2005 को की गई। इस बैठक में डॉ. बी.डी. शर्मा, भूतपूर्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त, श्री एस.आर. शंकरन, सेवानिवृत्त आई.ए.एस., डॉ. भूपिन्द्र सिंह, विशेष अनुसूचित जनजाति आयुक्त और सेवानिवृत्त आई.ए.एस. ने भाग लिया।

25 अगस्त, 05

आयोग ने इस बैठक में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उस कार्यालय ज्ञापन के बारे में तैयार की गई टिप्पणियों पर चर्चा की, जिसे उस विभाग द्वारा जारी किए जाने का प्रस्ताव था और जिसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकार के अन्तर्गत पदों और सेवाओं में आरक्षण के बारे में इससे पहले जारी किए गए सभी आदेशों का अधिक्रमण/ उपान्तरण करते हुए इस बारे में समेकित अनुदेश दिए गए थे।

12 सितम्बर, 05

यह बैठक माननीय झारखंड न्यायालय, रांची के उस निर्णय के परिणामों पर चर्चा करने के लिए, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए सभी स्तरों पर पंचायतों के सभापतियों की सभी सीटों के आरक्षण से सम्बन्धित पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (छ) के दूसरे परन्तुक को निरस्त कर दिया गया था, और यह फैसला करने के लिए आयोजित की गई थी कि क्या जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर किए जाने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय में मध्यक्षेप आवेदन दायर करना उचित होगा।

28 सितम्बर, 05

यह बैठक आयोग की पहली रिपोर्ट के प्रारूप के पांच अध्यायों, अर्थात् (i) आयोग का संगठनात्मक ढांचा और कार्यकरण, (ii) अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और विकास के लिए संवैधानिक उपबन्ध, (iii) सेवा सुरक्षण, (iv) झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र, और (v) अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और अत्याचार पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

14 दिसम्बर, 05

यह बैठक आयोग की सामान्य प्रशासनिक समस्याओं और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भेजी गई याचिकाओं/ शिकायतों की प्राप्तियों और उनसे सम्बन्धित मामलों के निपटान में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी।

19 दिसम्बर, 05

यह बैठक आयोग की पहली रिपोर्ट के पांच प्रारूप अध्यायों में आयोग की 28.9.2005 को हुई बैठक में आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर किए गए संशोधनों पर और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के अध्याय के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

6-7 मार्च, 06

इस बैठक में, आयोग ने अपनी रिपोर्ट के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास सम्बन्धी संशोधित प्रारूप अध्याय पर चर्चा की। आयोग ने मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में मेट समुदाय को शामिल करने के मुद्दे पर, जैसाकि राज्य सरकार और जनगणना आयुक्त, भारत के महापंजीचक द्वारा सिफारिश की गई है, चर्चा

की। एक अन्य विषय, जिस पर बैठक में चर्चा की गई थी, वह माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ, जिसमें पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (छ) के दूसरे परन्तुक को निरस्त कर दिया गया था, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर की गई एस.एल.पी. के बारे में था। यह फैसला किया गया कि आयोग को यह मामला पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की जोरदार पैरवी करें। 'मेट' समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के मुद्दे पर, आयोग ने फैसला किया कि आयोग को प्रस्ताव की पात्रता आंकने के लिए उस राज्य में जाना चाहिए। आयोग ने इस बैठक में यह विचार भी व्यक्त किया कि जनजातीय क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे तरीके अपनाए जाने के बुनियादी कारणों का पता लगाया जाए।

5 मई, 06

यह बैठक सामान्य प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा करने और आयोग में लम्बित मामलों और फाइलों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए हुई थी।

1.17 अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के महत्वपूर्ण दौरे

1.17.1 आयोग को सौंपा गया एक कर्तव्य संविधान अथवा किसी विधि अथवा सरकार के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबन्धित सुरक्षाओं से सम्बन्धित मामलों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना और ऐसे सुरक्षाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन करना है। इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए, आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए, जिनमें जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के अन्तर्गत स्कीमों के वित्तपोषण के लिए राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों से धनराशियों की प्राप्ति; विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.पी.ए.); और संस्थात्मक वित्त, इन स्कीमों के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति को आंकना; अत्याचारों के गम्भीर मामलों की मौके पर जाकर जांच करना; राज्य/ जिला प्राधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं, जैसे भूमि के बारे में विवाद, परियोजनाओं के निर्माण के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनर्वास, झूठे सामुदायिक प्रमाणपत्र, राज्य सेवाओं, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, आदि में आरक्षण के अनुदेशों का कार्यान्वयन, आदि के बारे में चर्चा करना शामिल है, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा करते हैं। राज्य स्तर की समीक्षाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और जिला स्तर की समीक्षाओं के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के साथ चर्चा समाप्त होने पर, राज्य/ जिला स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों को अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास, आरक्षण नीति के कार्यान्वयन और अत्याचारों सम्बन्धी मामलों के बारे में चर्चाओं के दौरान उभरे विभिन्न मुद्दों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त अनुदेश दिए जाते हैं। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा किए गए कुछ क्षेत्रीय दौरों का ब्योरा, और जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनकी संक्षिप्त जानकारी सहित, अनुलग्नक-1.VI की सारणी में दिया गया है।

1.18 वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान शिकायतों/ याचिकाओं से सम्बन्धित फाइलों/ मामलों और प्राप्तियों के निपटान की प्रगति

1.18.1 दिसम्बर, 2004 में भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन के समय, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास, सेवा सुरक्षाओं और अत्याचारों से सम्बन्धित कुल 983 फाइलें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अन्तरित की गई थीं और वर्ष 2004-05 के शेष महीनों में 148 फाइलें खोली गईं, जिससे फाइलों/ मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1131 हो गई, जिनमें से 53 फाइलें बन्द कर दी गईं और वर्ष 2004-05 के अन्त में

1078 फाइलें लम्बित पड़ी थीं। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान 1154 फाइलें खोली गईं, जिससे फाइलों की कुल संख्या 2232 (1078+1154) हो गई, जिनमें से 167 फाइलें वर्ष के दौरान बन्द कर दी गईं और मार्च, 2006 के अन्त में 2065 फाइलें/ मामले लम्बित थे। जहां तक शिकायतों/ याचिकाओं की प्राप्तियों का सम्बन्ध है, विकास, सेवा और अत्याचार के मामलों संबंधी ऐसी कुल 195 प्राप्तियां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को दिसम्बर, 2004 में अन्तरित कर दी गई थीं। वर्ष 2004-05 के तीन महीनों में और वर्ष 2005-06 के दौरान आयोग को शिकायतों/ याचिकाओं सम्बन्धी 5359 प्राप्तियां प्राप्त हुईं, जिससे प्राप्तियों की कुल संख्या 5554 हो गई। आयोग द्वारा जनवरी, 2005 से मार्च, 2006 तक की अवधि में 4859 प्राप्तियां निपटा दी गईं। मार्च, 2006 के अन्त में, 695 प्राप्तियां लम्बित थीं। इन फाइलों/ मामलों और शिकायतों/ याचिकाओं सम्बन्धी प्राप्तियों का ब्योरा (स्कन्ध-वार) नीचे सारणी में दिया गया है:

क. फाइलों/ मामलों का निपटान

अवधि	आगे लाई गई फाइलें/ मामले	खोली गई फाइलें/ मामले	कुल फाइलें	बन्द की गई फाइलें	अवधि के अन्त में सक्रिय फाइलें
अत्याचार स्कन्ध					
वित्तीय वर्ष 2004-05	123@	35*	158	31	127
वित्तीय वर्ष 2005-06	127	204	331	73	258
आर्थिक और सामाजिक विकास स्कन्ध					
वित्तीय वर्ष 2004-05	402@	31*	433	—	433
वित्तीय वर्ष 2005-06	433	461	894	53	841
सेवा सुरक्षण स्कन्ध					
वित्तीय वर्ष 2004-05	458@	82*	540	22	518
वित्तीय वर्ष 2005-06	518	489	1007	41	966
जोड़ (सभी स्कन्ध)					
वित्तीय वर्ष 2004-05	983@	148*	1131	53	1078
वित्तीय वर्ष 2005-06	1078	1154	2232	167	2065

@ दिसम्बर, 2004 में भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के स्टाफ के विभाजन के समय अंतरित फाइलों की संख्या

* विभाजन के बाद और मार्च, 2005 तक खोली गई फाइलों की संख्या

ख. प्राप्तियों का निपटान

आयोग का यूनिट/ स्कन्ध	दिसम्बर, 2004 में स्टाफ के विभाजन के बाद याचिकाओं संबंधी आगे लाई गई प्राप्तियां	जनवरी 2005 से मार्च 2006 तक प्राप्त याचिकाओं सम्बन्धी प्राप्तियां	निपटान के लिए कुल प्राप्तियां (स्तम्भ 2+3)	जनवरी 2005 से मार्च 2006 तक निपटाई गई प्राप्तियां	मार्च 2006 के अंत में कार्य के लिए लम्बित प्राप्तियां (स्तम्भ 4-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अत्याचार स्कन्ध	11	1391	1402	1297	105
सामाजिक-आर्थिक	32	1765	1797	1575	222

विकास स्कन्ध					
सेवा सुरक्षण स्कन्ध	152	2203	2355	1987	368
जोड़(सभी स्कन्ध)	195	5359	5554	4859	695

1.19 चूंकि एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पहली बार 19 फरवरी, 2004 से स्थापित किया गया था, इसलिए अपनी स्थापना के पहले वर्ष, अर्थात् 2004-05 के दौरान आयोग को अपना ध्यान बहुत सी अवसंरचनात्मक और कृत्यिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की ओर, जिनमें आयोग के लिए नए कार्यालय परिसर का निर्माण करना भी शामिल था, देना पड़ा। आयोग द्वारा अपना ध्यान बहुत सी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन की ओर मोड़े जाने और विभाजन से उत्पन्न हुई बहुत सी अन्य बाधाओं तथा बहुत-से रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण कर्मचारियों की कमी के बावजूद, आयोग ने दिल्ली में अपने मुख्यालय के कार्यालय और अपने छः क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिए, जिनमें से अधिकतर कार्यालयों का अधिकार-क्षेत्र बहुत बड़ा है, अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने के गम्भीर प्रयत्न किए। आयोग के क्रियाकलापों का जोर अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने पर और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति को तेज बनाने के लिए राज्य सरकारों को बहुत से सुझाव देने पर था। आयोग ने अपने संवैधानिक दायित्वों को और ऐसे बहुत से मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जो स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद आधी से अधिक शताब्दी के बीत जाने के बाद भी, अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास और जनजातियों को मुख्यधारा में मिलाने के उद्देश्य से अब क्रान्तिक हो गए हैं, अपने कार्यकरण में एक जोरदार और सक्रिय कार्य-पद्धति अपनाई है। आयोग ने अपने कार्यकरण को प्रकाश में लाने के लिए बहुत सी पहलें की हैं, जिनमें विकास स्कीमों के बारे में राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के साथ गहरे पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करना, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1995 के विभिन्न उपबन्धों के उपयोग के बारे में पहले से अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पुलिस अधिकारियों और लोक अभियोजकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों पर जोर डालना, सेवाओं में आरक्षण के अनुदेशों और विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से समीक्षा का कार्य हाथ में लेने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों से विस्तृत सूचना मंगवाने के लिए नई प्रश्नावली तैयार करना, और भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों के साथ उठाए गए मामलों के बारे में जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। आयोग को आशा है कि इन पहलों से आने वाले वर्षों में बेहतर परिणाम निकलेंगे।

.....

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001
दिनांक: 21 जुलाई, 1978/30 आषाढ़, 1990

संकल्प

सं.13013/9/77-एस.सी.टी.-I

संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है, जिसका कर्तव्य संविधान के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और इन संरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में राष्ट्रपति को निर्धारित अवधियों में रिपोर्ट देना होगा। इसके अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो आम तौर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त कहलाता है। समस्या की महत्ता को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह विचार है कि विशेष अधिकारी के कार्य तथा प्राधिकार के अतिरिक्त, इन मामलों को एक ऐसे उच्च स्तरीय आयोग को सौंपना उचित होगा, जिसमें सार्वजनिक जीवन में सुप्रसिद्ध तथा उच्च प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्ति हों। आयोग के क्रियाकलाप से विशेष अधिकारी के प्राधिकार कम नहीं होंगे।

2. तदनुसार, सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक आयोग गठित करने का निर्णय किया है, जिसमें अध्यक्ष और संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी सहित चार से अधिक अन्य सदस्य नहीं होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा।

3. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

4. प्रस्तावित आयोग के कार्य मोटे तौर पर वही होंगे जो इस समय संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन विशेष अधिकारी को सौंपे हुए हैं और यह कार्य निम्नलिखित होंगे:

- (i) संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ उस प्रक्रिया का पुनरीक्षण भी शामिल होगा, जिसके अनुसार सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षणों को व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित किया जाता है।
- (ii) छूआछूत समाप्त करने और इसके कारण उत्पन्न होने वाले पक्षपातपूर्ण भेदभाव को पांच वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त करने के उद्देश्य को विशेष रूप में ध्यान में रखते हुए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन का अध्ययन करना।
- (iii) लागू कानून के रास्ते में आने वाली बाधाओं को समाप्त करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध किए जाने से संबंधित सामाजिक-आर्थिक और अन्य संबंधित परिस्थितियों का पता लगाना और समुचित सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना जिसमें अपराधों की शीघ्रता से जांच करना भी शामिल है।
- (iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त संरक्षण से वंचित किए जाने के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करना।

5. अपने कार्यों के निष्पादन के बारे में आयोग स्वयं अपनी प्रक्रिया अपनाएगा। भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आयोग को समय-समय पर यथा अपेक्षित सूचना और दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे और सहायता प्रदान करेंगे। भारत सरकार का विश्वास है कि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधित अन्य आयोग को अपना पूरा-पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

6. आयोग अपने कार्यों और सिफारिशों का विवरण देते हुए राष्ट्रप्रति को एक वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगा। किन्तु यदि आयोग आवश्यक समझे तो अपने कार्य के क्षेत्र में आने वाले मामलों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को किसी भी समय दे सकता है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ एक ज्ञापन, जिसमें उसकी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण होगा, और केन्द्रीय सरकार से संबंधित किन्हीं सिफारिशों की अस्वीकृति के कारण स्पष्ट किए गए होंगे, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./—

(बी.जी. देशमुख)

अपर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1987

संकल्प

सं.बी.सी.-13015/12/86-एस.सी.डी.-VI

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आयोग (एतदुपरांत इसे आयोग कहा गया है) की स्थापना गृह मंत्रालय के 21 जुलाई, 1978 के संकल्प सं.बी.सी.13015/9/77-एस.सी.टी. (एतदुपरांत इसे संकल्प कहा गया है) के अन्तर्गत की गई थी।

2. जहां उपरोक्त संकल्प के अनुसार उक्त आयोग के कार्य, विशेष अधिकारी को, संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत मुख्यतः सौंपे गए कार्यकलापों के अनुरूप हैं।

3. तथा जहां आयोग के कार्य में संशोधन करना आवश्यक समझा गया है, जैसा कि विशेष अधिकारी के और आयोग के कार्यकलापों में किसी भी प्रकार की अतिव्याप्ति के परिहार के लिए मूल रूप से उपरोक्त संकल्प में विचार किया गया था।

4. अतः, अब उपर्युक्त संकल्प का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने उक्त आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित करने का निश्चय किया है। इसमें एक अध्यक्ष होगा तथा ग्यारह से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सरकार प्रत्येक मामले में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करेगी, बशर्ते कि उनका कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न हो।

5. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास-स्तरों तथा व्यापक मामलों की नीति निर्धारण के बारे में एक राष्ट्रीय स्तर का सलाहकार निकाय होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय आयोग में, समाज मानव विज्ञान, समाज-कार्य तथा अन्य संबंधित समाज विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल होंगे।

6. राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य निम्न प्रकार होंगे:

- (क) अस्पृश्यता की सीमा तथा विस्तार तथा उत्पन्न होने वाले सामाजिक भेदभाव तथा वर्तमान उपायों के प्रभाव का अध्ययन करना तथा आगे किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करना।
- (ख) सामाजिक-आर्थिक तथा अन्य संबंधित परिस्थितियों का अध्ययन करना, जिनके कारण अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं तथा ऐसे अपराधों की तुरन्त जांच सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के समूहों को समाज के सभी वर्गों की मुख्य धारा से मिलाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से इनके विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। इसके अध्ययनों में सामाजिक-आर्थिक विकास, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार, कला, साहित्य, भाषा, आवास, संचार, कृषि, वानिकी, मत्स्य-पालन, पुनर्वास, प्रदूषण तथा पर्यावरण के क्षेत्र शामिल होंगे, तथा

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त समझे गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकास के किसी पहलू से संबंधित सामान्य नीति बनाने के लिए आयोग को सौंपे गए ऐसे अन्य कार्य।

8. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा समय-समय पर अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज तथा सहयोग प्रदान करेंगे। भारत सरकार को आशा है कि राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन तथा अन्य राष्ट्रीय आयोग को अपना पूरा सहयोग तथा सहायता प्रदान करेंगे।

9. अध्ययन समाप्त हो जाने पर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्टें परियोजना-आधारित होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों आदि को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./—
(बी.के. मिश्रा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

भारत का राजपत्र
असाधारण

भाग-II खण्ड-I

प्राधिकार से प्रकाशित

सं.31, नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 8, 1990/ज्येष्ठ 18,1912

विधि तथा न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 8 जून, 1990/ ज्येष्ठ 18, 1912 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 7 जून, 1990 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और एतद्वारा इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है:-

संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990

(7 जून, 1990)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 है।
 - (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
- अनुच्छेद 338 का संशोधन
- संविधान के अनुच्छेद 338 में,-
 - (क) पार्श्वशीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्वशीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-
"राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग"।
 - (ख) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्
"(1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा, जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाएगा।
(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।
(3) राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेंगे।
(4) आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।

- (5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात्:-
- (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित सुरक्षणों से संबंधित सब विषयों का अन्वेषण और अनुवीक्षण करना तथा ऐसे सुरक्षणों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना;
- (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना;
- (ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास में प्रगति का मूल्यांकन करना;
- (घ) उन सुरक्षणों के कार्यकरण के बारे में प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन पेश करना;
- (ङ.) ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन सुरक्षणों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करना; और
- (च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (6) राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे।
- (7) जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन, या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई को, और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएंगे।
- (8) खंड 5 के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत

- के बारे में जांच करते समय आयोग को दीवानी अदालत की वे सभी शक्तियां, जो वाद के विचारण में उसे हैं तथा विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियां होंगी, अर्थात:-
- (क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,
 - (ख) किसी दस्तावेज़ का प्रकटीकरण और पेश किया जाना,
 - (ग) शपथपत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,
 - (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना,
 - (ङ.) साक्षियों और दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना,
 - (च) कोई अन्य विषय, जिसे राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करें।
- (9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्त्वपूर्ण नीति के विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगी।”
- (ग) विद्यमान खंड (3) को खंड (10) के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा।

ह./—
(वी.एस. रमादेवी)
सचिव, भारत सरकार

भारत का राजपत्र
असाधारण

भाग-II खण्ड-I

प्राधिकार से प्रकाशित
सं.55, नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2003/अश्विन 8, 1925

इस भाग को अलग पृष्ठ दिया गया है ताकि इसका अलग रूप में संकलन किया जा सके।

विधि तथा न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2003/अश्विन 8, 1925 (शक)

संसद के निम्नलिखित अधिनियम को 28 सितम्बर, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और एतद्वारा इसे सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है:-

संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003

(28 सितम्बर, 2003)

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 है।	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
	(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।	
2	संविधान के अनुच्छेद 338 में- (क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:- "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग";	अनुच्छेद 338 का संशोधन
	(ख) खंड (1) और खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:- "(1) अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से होगा। (2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।";	
	(ग) खंड (5) और खंड (10) में, "और अनुसूचित जनजातियों" शब्दों का, जहां-जहां वे आते हैं, लोप किया जाएगा।	
3.	संविधान के अनुच्छेद 338 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, "338क. (1) अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग होगा, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा।"	नए अनुच्छेद 338क का अंतःस्थापन राष्ट्रीय

	अनुसूचित जनजाति आयोग
(2) संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।	
(3) राष्ट्रपति, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।	
(4) आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी।	
(5) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह:	
(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;	
(ख) अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षणों से वंचित करने के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे;	
(ग) अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;	
(घ) उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;	
(ड.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे; और	
(च) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।	
(6) राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।	
(7) जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है, तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है, तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।	
(8) आयोग को खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को हैं, अर्थात्:-	
(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाज़िर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;	
(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;	
(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;	
(घ) किसी न्यायालय और कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;	
(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;	
(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे।	

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।
--

ह./-
सुभाष सी. जैन
सचिव, भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

सां.आ. 1175(ई) – संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 5 के उप-खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य कृत्य विनिर्दिष्ट करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ: इन नियमों का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अन्य कृत्यों का विनिर्देशन) नियम, 2005 है।
2. आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में निम्नलिखित अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्
 - (i) वे उपाय, जो गौण वन उत्पादों के सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्रदान करने के लिए किए जाने आवश्यक हैं;
 - (ii) खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को विधि के अनुसार सुरक्षित रखने के लिए किए जाने वाले उपाय;
 - (iii) जनजातियों के विकास के लिए किए जाने वाले उपाय और आजीविका की और अधिक सक्षम कार्यनीतियों के लिए कार्य करना;
 - (iv) विकास परियोजनाओं से विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए राहत और पुनर्वास की उपादेयता को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय;
 - (v) जनजातीय लोगों से भूमि के अन्यसंक्रामण को रोकने के लिए और उन लोगों का प्रभवकारी रूप से पुनर्वास करने के लिए किए जाने वाले उपाय, जिनके मामले में अन्यसंक्रामण पहले से हो चुका हो;
 - (vi) वनों की रक्षा करने और सामाजिक वानिकीकरण को हाथ में लेने के लिए जनजातीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने और उन्हें शामिल करने के लिए किए जाने वाले उपाय;
 - (vii) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) का पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय;
 - (viii) जनजातियों के लोगों की झूम खेती की प्रथा को, जिसके परिणामस्वरूप निरन्तर निःशक्तीकरण होता है और भूमि तथा पर्यावरण का ह्रास होता है, कम करने और अन्ततोगत्वा पूरी तरह से समाप्त करने के लिए किए जाने वाले उपाय।

(फा.सं.17014 / 3 / 2004-सी ऐण्ड एल.एम.-II)

ह./-

एस. चटर्जी, संयुक्त सचिव

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान अध्यक्ष और सदस्यों के क्षेत्रीय दौरों का ब्योरा

क. अध्यक्ष (श्री कुंवर सिंह) के दौरे

दौरों की तारीखें	जिन स्थानों का दौरा किया गया	जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका संक्षिप्त विवरण
5-6 अगस्त, 2004	उड़ीसा के नवरंगपुर जिले में डुंगुरीगुडा गांव	यह सूचित किया गया था कि कम से कम 10 जनजातीय बच्चों की किसी अज्ञात रोग के कारण मृत्यु हो गई। दौरे के बाद, जिला प्रशासन और उड़ीसा की राज्य सरकार को तत्काल उपचारात्मक उपाय करने और प्रभावित बच्चों को आवश्यक चिकित्सीय सहायता/ इलाज मुहैया करने के अनुदेश जारी किए गए।
9-11 सितम्बर, 2004	गुजरात में पंचमहल और खेडा जिला	इस दौरे का प्रयोजन कदाना बांध के निर्माण के कारण विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्वास की समस्याओं के बारे में चर्चा करना था। अध्यक्ष जनजातीय गांवों से बेदखल हुए लोगों से मिले और उनको पेश आ रही समस्याओं और स्थानीय जनजातीय लोगों की समस्याओं को सुना। क्षेत्रीय दौरे के बाद राज्य सरकार के साथ एक समीक्षा बैठक हुई।
29 सितम्बर से 3 अक्टूबर, 2004	लेह, जम्मू और कश्मीर	अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, श्रद्धेय लामा लोबजंग और सचिव, श्री मनोज कुमार गए थे। दौरे के दौरान विभिन्न स्थानीय जनजातीय प्रतिनिधियों और 14 कार्पस के कार्पस कमांडर और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनजातीय लोगों और सेना के पदाधिकारियों के बीच असन्तोष से उत्पन्न विभिन्न मुद्दों को हल करने के तरीके निकालने के लिए बैठकें की गईं।
10-16 अक्टूबर, 2004	पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य	श्रद्धेय लामा लोबजंग के साथ लोअर बोम बस्ती कालिमपोंग और अन्य लेपचा बस्ती में विभिन्न जनजातीय स्कूल देखने गए, जो लेपचा जनजाति द्वारा चलाए जाते हैं। जनजातीय लोगों को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा करने के लिए गंगटोक में सिक्किम की राज्य सरकार के साथ एक समीक्षा बैठक की गई।
29 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2004 तक	झारखंड राज्य के खुन्ती गुमला और लोहारडागा जिले	राज्य सरकार द्वारा हाथ में लिए गए समूचे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन जिलों के जनजातीय क्षेत्रों को देखने गए। क्षेत्र के दौरे के बाद रांची में राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई।
(i) 5-11 दिसम्बर, 2004	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	इस दौरे में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य, श्रद्धेय लामा लोबजंग और सचिव उनके साथ गए थे; इसका उद्देश्य जारवास, ग्रेट अंडानामीज, निकोबारीज, सेंटीनीलीज, आदि की आबादी वाले क्षेत्रों में संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा हाथ में लिए गए विकास के कुल क्रियाकलापों की समीक्षा करना था।
(ii) 2-7 अप्रैल, 2005	-तदेव-	आयोग के सदस्यों, श्रद्धेय लामा लोबजंग और बुदुरु श्रीनिवासुलु के साथ सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों का, विशेष रूप से जारवास की आबादी वाले क्षेत्रों, ऑग्स और अन्य आदिम जनजातीय आबादियों और कार निकोबार द्वीपों, कटचल, तेरेसा और

		<p>अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के क्षेत्रों में गए, जिसका उद्देश्य प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा राहत, बचाव और पुनर्वास के लिए हाथ में लिए गए कार्यों की समीक्षा करना था। क्षेत्र के दौरे के बाद, उप-राज्यपाल और अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ पोर्ट ब्लेयर में एक समीक्षा बैठक की गई।</p>
2-7 अप्रैल, 2005		<p>आयोग के सदस्यों, श्रद्धेय लामा लोबजंग और श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु और कुछ अधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह गए। इसका प्रयोजन सम्बन्धित सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए हाथ में लिए गए विकास-कार्यों को देखना था और विशेष रूप से सुनामी विनाश के बाद, जिसके परिणामस्वरूप भारी संख्या में लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ा था, जिनमें से अधिकतर आदिम जनजाति समूहों के थे, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन द्वारा राहत और पुनर्वास के लिए किए गए कार्य को देखना था। पश्चिम बंगाल में, आयोग ने 24 परगना जिले के चयलभी, बंटाला, मलनचल, परसेमरी और सन्देशखली इलाकों का दौरा इन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दी गई नागरिक और अन्य सुविधाओं को देखना था। आयोग 3.4.2005 को पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। 3 अप्रैल को आयोग ने स्ट्रेटलैंग के लिए प्रस्थान किया, जहां आदिम जनजाति ग्रेट अंडमानीज़ रहती है। 4 अप्रैल को आयोग कार निकोबार द्वीप गया, जहां अधिकतर निकोबारीज़ जाति के लोग रहते हैं। दल को मुस, पेरका, मलसिया, चुकचुका गांवों में ले जाया गया, जो सुनामी के कारण बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। दल को सूचित किया गया कि सुनामी ने 613 जनजातीय लोगों की जान ले ली थी। दल उसी दिन तेरेसा और कामोर्टा/ नानकोवरीज़ द्वीपों में भी गया। 5 अप्रैल को दल कटछल, कैम्पबल बे, कार निकोबार और अन्य द्वीपों में गया, जहां आदिम जनजातियां बसती हैं। 6 अप्रैल को दल लिटल अंडमान पहुंचा और वह हट बे, हरबिंडर बे देखने गया, जहां निकोबारीज़ों का पुनर्वास किया जाना था। दल रामकृष्णपुर भी गया, जहां होंगी आदिम जनजाति के लोग वन के भीतर बोरा नाला के निकट रहते हैं। दल ने अंडमान प्रशासन से ओंगी लोगों के इलाज के लिए, जो त्वचा रोगों, कुपोषण और रक्ताल्पता, आदि से पीड़ित हैं, पर्याप्त प्रबन्ध करने का अनुरोध किया।</p> <p>7 अप्रैल, 2005 को, दल ने अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेवा सुरक्षणों और कल्याण के लिए हाथ में लिए गए कार्यों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए कोलकाता में बैंक के साथ एक समीक्षा बैठक की। अंत में, आयोग के अध्यक्ष ने अन्य सदस्यों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन समाचार-पत्रों और इलेक्ट्रानिक माध्यम के संवाददाताओं के साथ किया और उन्हें अनुसूचित जनजातियों को पेश आ रही समस्याओं की जानकारी दी।</p>

11-15 अप्रैल, 2005	इन्दौर, बदवानी धार, झाबुआ (मध्य प्रदेश), वडोदरा (गुजरात)	(i) विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्वास का मुद्दा (सरदार सरोवर बांध) (ii) बदवानी, धार और झाबुआ जिले में जनजातीय विकास कार्यक्रमों के बारे में डी.सी., डी.सी.पी. और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें। (iii) भिलखेडा पुनर्वास स्थल (बदवानी) और लुंडरा पुनर्वास स्थल (वडोदरा) का दौरा।
29 अप्रैल से 1 मई, 2005	इन्दौर, धार (मध्य प्रदेश)	(i) जनजातीय कल्याण सचिव और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के साथ विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्वास में हुई प्रगति के बारे में चर्चा। (ii) धार जिले में जनजातीय विकास कार्यक्रमों के बारे में धार के डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा।
11-23 मई, 2005	रेणुकूट, सोनभद्र (उत्तर प्रदेश), सिद्धि (मध्य प्रदेश)	जनजातीय क्षेत्रों को देखने गए और जिला कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
24-26 मई, 2005	दौसा, अलवर, जयपुर (राजस्थान)	(i) महुवा में स्थानीय जनजातीय क्षेत्र का दौरा। (ii) जनजातीय विकास कार्यक्रमों के बारे में जिला अधिकारियों के साथ चर्चा की।
12-17 सितम्बर, 2005	खुरदा, रायगड़ा, भुवनेश्वर, कोरापुट, कालाहांडी, केन्द्रपाड़ा, कटक, जाजपुर (उड़ीसा)	(i) नालको में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन के बारे में नालको के प्रबन्धक-वर्ग से चर्चा की। (ii) कुछीपादर और उत्कल एल्यूमिना इंडस्ट्रीज लिमिटेड से प्रभावित अन्य जनजातीय गांवों का दौरा किया। (iii) अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों और संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न जिलों में जिला कलेक्टरों, डी.एस.पी. और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की। (iv) मुख्य सचिव, गृह सचिव, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य विभिन्न विभागों के सचिवों, ट्राइफेड और एन.एस.टी.एफ. डी.सी. के क्षेत्रीय प्रबन्धक के साथ बैठकें की। (v) संवाददाता सम्मेलन
30 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 2005	बंगलौर, मैसूर (कर्नाटक)	(i) बंगलौर में अखिल भारतीय रक्षा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कर्मचारी सम्मेलन में भाग लिया। (ii) स्थानीय जनजातीय नेताओं/ जनजातीय सरपंचों, जिला परिषद सदस्यों के साथ चर्चा की। (iii) अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न विकास कार्यक्रमों और संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में मैसूर के कलेक्टर, जिला मेजिस्ट्रेट, डी.एस.पी. और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक।

6-10 अक्टूबर, 2005	विन्ध्य नगर, रीवा (मध्य प्रदेश)	विस्थापन के मुद्दों, एन.टी.पी.सी. द्वारा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए हाथ में लिए गए विभिन्न विकास कार्यक्रमों, अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में एन.टी.पी.सी. के प्रबन्धकों के साथ समीक्षा बैठक की गई।
17-19 नवम्बर, 2005	मिदनापुर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियमों/रोस्टर रखने/ बैकलॉग/ कल्याण उपायों और इन कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में कोल इंडिया के अध्यक्ष के साथ बैठक की गई।
9-10 दिसम्बर, 2005	जोधपुर (राजस्थान)	जनजातियों के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में जिला कलेक्टर, एस.पी. और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की।
15-17 दिसम्बर, 2005	गंगटोक (सिक्किम)	विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जनजातीय विकास कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की गई।
23-27 दिसम्बर, 2005	सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)	(i) एन.टी.पी.सी., रिहन्द नगर की एस.टी./एस.सी. कर्मचारी एसोसिएशन/ ट्रेड यूनियन के साथ बैठक की गई। (ii) एन.टी.पी.सी., रिहन्द नगर ताप विद्युत परियोजना और शक्ति नगर (एन.टी.पी.सी.) के प्रबन्धक-वर्ग के साथ चर्चा की गई।
11-13 जनवरी, 2006	कटक, खुरदा, जाजपुर, कलिंगनगर (उड़ीसा)	(i) पुलिस गोलीबारी के पीड़ितों को मिलने के लिए कलिंगनगर गांव गए और घायल जनजातीय लोगों को देखने के लिए कटक के अस्पताल में गए। (ii) गोली कांड के बारे में जिला कलेक्टर और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक। (iii) विभिन्न जनजातीय विकास मुद्दों, कलिंगनगर जनजातीय मुद्दों और राहत तथा पुनर्वास नीति के कार्यान्वयन, आदि के बारे में मुख्य सचिव, गृह सचिव, सचिव (राजस्व), अनु.ज.जा./ अनु.जा. विकास विभाग, डी.जी.पी. और एम.डी., आई.डी.सी.ओ. के साथ चर्चा की।
2-5 मार्च, 2006	रीवा, सिद्धि, सतना (मध्य प्रदेश)	(i) प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर, डी.एस.पी. और अन्य जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें। (ii) स्थानीय जनजातीय प्रतिनिधियों, निर्वाचित जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक।
7-10 मार्च, 2006	कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)	(i) जनजातीय विकास स्कीमों/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में डिवीजन के सभी जिलों के डिवीजनल कमिश्नर और डी.एम./एस.पी. और सम्बन्धित जिला-स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक। (ii) एन.पी.सी. और हैवी वाटर प्लांट, चित्तौड़गढ़ के प्रबन्धक-वर्ग के साथ बैठक।
25-26 मार्च, 2006	भोपाल (मध्य प्रदेश)	राष्ट्रीय जुडिशियल अकादमी, भोपाल में जनजातीय रिवाजों, रूढ़ियों, कानूनों और विवाद तय करने की जनजातीय प्रक्रिया

		के बारे में परिचित होने के कार्यक्रम: औपचारिक विधिक प्रणालियों की भूमिका में एक विशेषज्ञ/ संसाधन व्यक्ति के रूप में भाग लिया।
--	--	---

ख. सदस्य (श्रद्धेय लामा लोबजंग) के दौरे

दौरों की तारीखें	जिन स्थानों का दौरा किया गया	जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका संक्षिप्त विवरण
27-28 मार्च, 2004	कोलकाता	पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ परस्पर-सम्पर्क बनाने के लिए गए।
6-10 अप्रैल, 2004	लेह, लद्दाख	जनजातीय समस्याओं के बारे में जिला अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए गांवों और सब-डिवीजनल कार्यालयों में गए।
29-30 जून, 2004	दोहरादून, उत्तरांचल	उत्तरांचल के मुख्य मंत्री द्वारा आयोजित बैठक के सम्बन्ध में वहां गए।
5-11 अगस्त, 2004	गुवाहाटी, असम	चुने हुए गांवों में गए और विभिन्न जनजातीय समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए जनजातीय लोगों के प्रतिनिधियों और गुवाहाटी के जिला-स्तर के अधिकारियों के साथ बैठकें कीं।
9 मार्च, 2005	कुशीनगर, उत्तर प्रदेश	वे इस जिले से गोंड समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल से मिले। उन्होंने कुशीनगर के गोंड समुदाय की इस मांग के बारे में, डी. एम., कुशीनगर और अन्य जिला अधिकारियों के साथ एक बैठक की कि उन्हें सोनभद्र के गोंड समुदाय की तरह, जो सोनभद्र जिले से प्रव्रजन करके कुशीनगर आ गए थे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए।
29 सितम्बर-03 अक्टूबर, 2004, 10-16 अक्टूबर, 2004, 5-12 दिसम्बर, 2004 तथा 2-7 अप्रैल, 2005	अध्यक्ष के साथ दौरे पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार	वे लेह (29 सितम्बर, 2004 से 3 अक्टूबर, 2004), पश्चिम बंगाल और सिक्किम (10-16 अक्टूबर, 2004), और अंडमान और निकोबार (5-12 दिसम्बर, 2004 और 2-7 अप्रैल, 2005) में अध्यक्ष के दौरे में उनके साथ गए थे। अंडमान और निकोबार के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा यह देखने के लिए किया कि प्रभावित क्षेत्रों और विशेष रूप से आदिम जनजाति समूहों के बारे में संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा राहत और पुनर्वास के क्या प्रबन्ध किए गए हैं।
28-30 अप्रैल, 2005	हैदराबाद/ गुन्टूर	जनजातीय विकास की समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए जिला स्तर के अधिकारियों और स्थानीय जनजातीय प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
29.6.05 से 2.7.05	लेह-लद्दाख	अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए चिकित्सा शिविर के बारे में एस.एम.एस. अस्पताल के सी.एम.ओ., एम.एस. और विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की।
1-3 अक्टूबर, 2005	हैदराबाद/ गुन्टूर	आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा आयोजित की गई बैठक में भाग लिया और स्थानीय जनजातीय प्रतिनिधियों और गुन्टूर जिला और अमरावती में जिला अधिकारियों के साथ चर्चा की।

26-29 नवम्बर, 2005	लेह-लद्दाख	इस क्षेत्र और यहां के लोगों के विकास के बारे में नव-निर्वाचित कार्यकारी परिषद और एल.ए.एच.डी.सी., लेह के सदस्यों के साथ चर्चा की।
15-17 दिसम्बर, 2005	कोलकाता, गंगटोक	राष्ट्रीय अ.ज.जा. आयोग के साथ विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत जनजातीय विकास कार्यक्रमों के बारे में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक।
27.2.06 से 1.3.06	मुम्बई/ अहमदनगर	अनुसूचित जनजाति विकास के बारे में जमीनी सचाई देखने के लिए अहमदनगर के जनजातीय क्षेत्रों में गए।
25-31 मार्च, 2006	लेह-लद्दाख	इस क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आयोजित चिकित्सा शिविर को देखने गए।

ग. सदस्य (श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु) के दौरे

दौरों की तारीखें	जिन स्थानों का दौरा किया गया	जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका संक्षिप्त विवरण
8-20 जुलाई, 2004	आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर, प्रकासम और चित्तूर जिले	ट्राइफेड, ट्रिंकोर और गिरिजन सहकारी निगम के जनजातीय विकास क्रियाकलापों के बारे में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं। उन्होंने आई.टी.डी.ए. अधिकारियों और इन जिलों के जिला कल्याण अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठकें कीं।
13-18 सितम्बर, 2004	तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लूर और तिरुनन्नामलाई जिले	झूठे अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्रों के विषय पर और अन्य सम्बन्धित मुद्दों के बारे में तमिलनाडु सरकार के जनजातीय कल्याण विभाग के अपर सचिव और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ चेन्नई में चर्चा की। इसके बाद इन जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
18-25 नवम्बर, 2004	कर्नाटक के बंगलौर, बेल्लारी, कोप्पल, धारवाड़ और कोलार जिले	कर्नाटक सरकार के जनजातीय कार्य विभाग के सचिव और जनजातीय विकास कार्यक्रमों, जैसे टी.एस.पी., पी.ई.एस.ए. (अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायत विस्तार अधिनियम) के बारे में कार्य करने वाले अन्य सम्बन्धित राज्य-स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं। उन्होंने बेल्लारी, कोप्पल, धारवाड़ और कोलार जिलों के जिला कलेक्टरों, एस.पी. और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठकें कीं।
13-16 दिसम्बर, 2004	महाराष्ट्र के पुणे और नासिक जिले	पुणे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों और नासिक में महाराष्ट्र राज्य के जनजातीय आयुक्त के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
21-25 जनवरी, 2005	कर्नाटक के शिमोगा और चिकमगलूर जिले	माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए.एस. नागेन्द्र और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य की लेख्य याचिका (सिविल) में इस बारे में आयोग के विचार जानने चाहे थे कि क्या 'मालेरु' समुदाय वही 'मलेरु' समुदाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 (1) के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। माननीय सदस्य ने आयोग के अधिकारियों और कर्नाटक राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ शिमोगा और चिकमगलूर जिलों का दौरा मालेरु और मलेरु की स्थिति के

		बारे में मौके पर जाकर पूछताछ करने के आधार पर जमीनी सचाई का पता लगाने और उसके आधार पर आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया। माननीय सदस्य ने 1 मार्च, 2005 को आयोग को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की जाने वाली अन्तिम रिपोर्ट तैयार करने में बहुत सहायतापूर्ण पाया गया।
26-30 मार्च, 2005	आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर और कुड्डुप्पा जिले	इन दो जिलों के जिला कलेक्टरों और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ, जनजातीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विशेष संदर्भ में, समीक्षा बैठकें कीं।
2-7 अप्रैल, 2005	पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जिसका उद्देश्य प्रभावित हुई जनजातियों, विशेष रूप से आदिम जनजातीय समूहों के लिए संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए राहत और पुनर्वास प्रबन्धों को देखना था।
11-15 अप्रैल, 2005	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात	नर्मदा नदी की सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्य की समीक्षा की।
6-11 मई, 2005	कोजीकोडे, वेनाड, इडुक्की, तिरुवनन्तपुरम (केरल)	जनजातीय विकास के क्रियाकलापों की जिला स्तरीय समीक्षा की।
22-29 मई, 2005	औरंगाबाद, जलगांव, नन्दुरबर (महाराष्ट्र)	आई.टी.डी.पी. स्तर और जिला स्तर पर जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के बारे में समीक्षा बैठक की।
16-21 जून, 05	कोयम्बटूर, नीलगिरी, चित्तूर (आन्ध्र प्रदेश) (तमिलनाडु/ आन्ध्र प्रदेश)	जनजातीय क्षेत्रों में विकास के क्रियाकलापों के बारे में जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें कीं।
25-29 जुलाई, 2005	गोवा	जनजातियों के लिए विकास कार्यों के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक की।
8-13 अगस्त, 2005	विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश)	जनजातीय क्षेत्रों में ज्वर-प्रभावित गांवों का दौरा किया।
27.8.2005 से 1.9.2005	जामनगर, पोरबन्दर, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद, सबरकंठा (गुजरात)	गुजरात में पी.टी.जी. सिद्धि जनजाति के विशेष संदर्भ में विकास के क्रियाकलापों के बारे में समीक्षा बैठक की।
12-18 सितम्बर, 05	लक्षद्वीप	जनजातीय लोगों के संबंध में विकासात्मक क्रियाकलापों की समीक्षा की।
18-21 सितम्बर, 2005	चेन्नई, तंजावूर (तमिलनाडु)	(i) चावल कारखानों में बंधुआ बाल मजदूरों के मामलों की जांच की। (ii) निदेशक, ए.डी.ए.टी.डब्ल्यू.डी. के साथ झूठे जाति प्रमाणपत्रों के मामले पर चर्चा की।
18-25 अक्टूबर, 2005	हैदराबाद, महबूबनगर, कुरनूर, अनंतपुर (आन्ध्र प्रदेश)	जिला कलेक्टरों और आई.टी.डी.ए. अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।

13-17 नवम्बर, 2005	हैदराबाद, करीमनगर, आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश)	(i) जिला कलेक्टरों और आई.टी.डी.ए. अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं। (ii) प्रिंसीपल सचिव (सिंचाई) और सचिव (जनजाति कल्याण) और आयुक्त (जनजाति कल्याण) के साथ पोलावरम सिंचाई परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों पर परियोजना के प्रभाव के बारे में चर्चा की।
10-18 दिसम्बर, 05	नेल्लोर (आन्ध्र प्रदेश)	जिला कलेक्टर और आई.टी.डी.ए. अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
6-7 जनवरी, 2006	हैदराबाद	महात्मा गांधी राष्ट्रीय अनुसन्धान और समाज कार्य संस्थान (एम.जी.-एन.आई.आर.एस.ए.) द्वारा आयोजित गोष्ठी में भाग लिया और भाषण दिया।
29.1.06 से 4.2.06	आदिलाबाद, खम्मम, महबूबनगर (आन्ध्र प्रदेश)	जनजातीय क्षेत्रों में गए और जनजातियों से सम्बन्धित विकास के क्रियाकलापों के बारे में समीक्षा बैठक की।
17-19 फरवरी, 2006	पांडिचेरी	जनजातीय कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की।
8-17 मार्च, 2006	नागपुर, गढ़चिरोली, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	(i) गढ़चिरोली के जनजातीय क्षेत्रों को जा कर देखा और गढ़चिरोली के जिला कलेक्टर के साथ समीक्षा बैठक की। (ii) अतिरिक्त जनजातीय आयुक्त, नागपुर के साथ समीक्षा बैठक की।

घ. सदस्य (श्रीमती प्रेम बाई मंडावी) के दौरे

दौरों की तारीखें	जिन स्थानों का दौरा किया गया	जिन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनका संक्षिप्त विवरण
2-13 जून, 2004	छत्तीसगढ़ के रायपुर, कांकर, दुर्ग और राजनन्दगांव जिले	जनजातीय लोगों के सामने जो समस्याएं आ रही हैं, उन पर जनजातीय लोगों के साथ चर्चा करने के लिए इन जिलों का दौरा करने गईं। वे इन जिलों के जनजातीय गांवों में भी गईं और लोगों को पेश आ रही समस्याओं को सुना।
9-18 जुलाई, 2004	उड़ीसा के सम्भलपुर और खुरदा जिले	राज्य समीक्षा के सम्बन्ध में उड़ीसा गईं और बालजागृति एसोसिएशन द्वारा सम्भलपुर जिले में आयोजित हुई गोष्ठी में भाग लिया और एशियन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा खुरदा जिले में आयोजित एक अन्य गोष्ठी में भाग लिया। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए काम कर रहे विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को भी देखा।
3-14 अगस्त, 2004	मध्य प्रदेश का भोपाल जिला और छत्तीसगढ़	राज्य अतिथि गृह, भोपाल में जनजातीय कल्याण मंत्री, और जनजातीय कल्याण विभाग के सचिव और अन्य पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वे जनजातीय लोगों से भी मिलीं और उनकी समस्याओं को सुना।
15-26 सितम्बर, 2004	रायपुर, छत्तीसगढ़	उन्होंने जनजाति कल्याण मंत्री, सचिव, जनजाति कल्याण और निदेशक, एन.सी.एस.टी. (रायपुर में आयोग का राज्य कार्यालय) और जनजाति विकास विभाग के अन्य पदाधिकारियों के साथ

		समीक्षा बैठक की। वे जनजातियों के लोगों से मिलीं और उनकी समस्याएं सुनीं। वह गौण वन उत्पादों, अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों से सम्बन्धित समस्याओं और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री से भी मिलीं।
15-17 अक्टूबर, 2004	उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और वाराणसी जिले	उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचारों से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा करने के लिए इन जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
10-23 दिसम्बर, 2004	छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला और महाराष्ट्र का नागपुर जिला	गौण वन उत्पाद, अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार और अन्य मामलों के सम्बन्ध में जनजातियों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए राज्य अतिथि गृह, रायपुर में रायपुर जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं। वे जनजातियों के प्रतिनिधियों से भी मिलीं और जनजातियों की समस्याएं सुनने के लिए उनके गांवों में भी गईं। वे महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भी गईं, जहां उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के साथ बातचीत की।
3-12 फरवरी, 2005	छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनन्दगांव जिले	जनजातीय समस्याओं के बारे में इन जिलों के जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए इनके साथ समीक्षा बैठकें कीं। उन्होंने जनजातीय गांवों का भी दौरा किया और बिलासपुर में अखिल भारतीय आदिवासी गोष्ठी में भी भाग लिया।
5-18 मार्च, 2005	मध्य प्रदेश	कालन्दी समाज का उत्थान संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठी में भाग लेने के लिए, वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के साथ मध्य प्रदेश राज्य में गईं। वे जनजातीय गांवों में भी गए, जनजातीय लोगों से मिले और शिक्षा, पेय जल से सम्बन्धित उनकी समस्याएं सुनीं और जनजातियों से सम्बन्धित अन्य मामले भी सुने।
29-15 अप्रैल, 2005	इन्दौर और धार (मध्य प्रदेश)	नर्मदा नदी की सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित जनजातीय लोगों के पुनर्वास के बारे में जिला प्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं।
14-31 मई, 2005	भुवनेश्वर और रायपुर (उड़ीसा और छत्तीसगढ़)	जनजातीय विकास से सम्बन्धित विभिन्न प्राधिकारियों के साथ जिला स्तर की समीक्षा बैठकें कीं और आदिवासी कार्यक्रम में भाग लिया।
6-21 अगस्त, 2005	रायपुर और दुर्ग (छत्तीसगढ़)	जनजातीय विकास की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सचिव के साथ बैठक की।
30 सितम्बर से 13	राजनंदगांव और बस्तर (छत्तीसगढ़)	गौण वन उत्पादों की उपाप्ति और बिक्री के बारे में जनजातियों की समस्या के सम्बन्ध में जिला प्राधिकारियों के साथ चर्चा की।

अक्टूबर, 2005		इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को घटाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी चर्चा की।
3-26 फरवरी, 2006	बिलासपुर, कोरबा और सरगुजा (छत्तीसगढ़)	विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्वास और पुनःस्थापन के बारे में एच.पी.सी.एल. और एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों के साथ चर्चा की।
17-22 मार्च, 2006	अहमदाबाद और पालनपुर (गुजरात)	विभिन्न कार्यक्रमों/ स्कीमों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए इन दो जिलों के जिला कलेक्टरों और जनजातीय विकास से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

अध्याय-2

अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए संवैधानिक उपबन्ध

2.1 अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा

2.1.1 अनुच्छेद 366 (25) में "अनुसूचित जनजातियों" की परिभाषा ऐसी जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों अथवा ऐसी जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों के भाग अथवा उनके भीतर के समूहों के रूप में की गई है, जिन्हें अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत "अनुसूचित जनजातियां" होना माना गया है।

2.1.2 संविधान के अनुच्छेद 342 में यह परिभाषित किया गया है कि किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति कौन होगी। संगत उपबन्ध नीचे दिए गए हैं:

- (i) **अनुच्छेद 342(1):** राष्ट्रपति किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, और जहां वह कोई राज्य हो तो वहां के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद, लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजातीय समुदायों अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भागों या उनके भीतर के समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।
- (ii) **अनुच्छेद 342(2):** "संसद खंड (1) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में से किसी जनजाति अथवा जनजातीय समूह अथवा किसी जनजाति या जनजातीय समूह के किसी भाग अथवा उनके भीतर के किसी समूह को विधि द्वारा शामिल कर सकती है अथवा बाहर निकाल सकती है, लेकिन जैसाकि ऊपर कहा गया है, उसके सिवाय, उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना को किसी परिवर्ती अधिसूचना द्वारा बदला नहीं जाएगा।

2.1.3 अन्तर्राज्यीय, और कतिपय विनिर्दिष्ट समुदायों के मामले में, अन्तर्जिला, अन्तर्तालुका अथवा तहसील क्षेत्र प्रतिबन्ध लगाए गए हैं, ताकि किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले केवल किसी ऐसे विशिष्ट समुदाय के लोग, जिसके बारे में यह आंका गया है कि वह अनुसूचित जनजाति की हैसियत के लिए अर्हताप्राप्त हैं, उनके लिए उपबन्धित सुविधाओं से लाभ उठा सकते हैं। चूंकि यह जरूरी नहीं है कि उन्हीं जनजातियों से सम्बन्धित, किन्तु भिन्न राज्यों अथवा संघ राज्यक्षेत्रों में रहने वाले लोग उन्हीं निःशक्तताओं से ग्रस्त हों, इसलिए यह सम्भव है कि एक ही जनजाति से सम्बन्धित, किन्तु भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में रहने वाले दो व्यक्तियों को अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अथवा इसके विपरीत माना जाना जाए। अतः किसी व्यक्ति-विशेष का किसी क्षेत्र-विशेष में निवास एक विशेष महत्त्व धारण कर लेता है। इस निवास को शब्द के शाब्दिक अथवा साधारण अर्थ के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। यह उस राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख को, जिसमें उसके समुदाय को उस स्थान के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित किया गया था, उसके स्थाई निवास का द्योतक है।

2.2 विकास और सुरक्षा सम्बन्धी सुरक्षण

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए बहुत-से सुरक्षणों की व्यवस्था की गई है। ये सुरक्षण विधायी उपबन्धों अथवा कार्यकारी अनुदेशों द्वारा लागू किए जा रहे हैं। इन सुरक्षणों को संविधान की राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त में समावेश किया गया है। अनुच्छेद 46 विकास और विनियामक दोनों पहलुओं वाला एक व्यापक उपबन्ध है। यह इस प्रकार है:

“राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।”

2.2.1 सामाजिक सुरक्षण

देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सामाजिक सुरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक उपबन्ध किए गए हैं, ताकि वे सम्मान के साथ जीएं और जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति करें। संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास और उनकी सुरक्षा के लिए जो उपबन्ध किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं:

- (i) **अनुच्छेद 15(1)** में यह उपबन्ध किया गया है कि “राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।”
- (ii) **अनुच्छेद 15(2)** में यह उपबन्ध किया गया है कि “कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर—
 - (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश, या
 - (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य—निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान—घरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा”।
- (iii) **अनुच्छेद 17** में यह उपबन्ध किया गया है कि “अस्पृश्यता” का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। “अस्पृश्यता” से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद को मूर्त रूप देने के लिए संसद ने अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 नामक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के उपबन्धों को और कड़ा बनाने के लिए, इस अधिनियम को 1976 में संशोधित किया गया और इसका नाम बदल कर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1977 कर दिया गया। जैसाकि इस अधिनियम में उपबन्ध किया गया है, भारत सरकार ने इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण नियम, 1977 भी अधिसूचित किए। चूंकि अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के मामले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अन्तर्गत शामिल नहीं थे, इसलिए संसद ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए एक विशिष्ट उपाय करने के लिए, 1989 में एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम, जिसे “अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989” के रूप में जाना जाता है, 30 जनवरी, 1990 से प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, भारत सरकार ने “अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995” मार्च 31, 1995 को अधिसूचित किए। इस अधिनियम के कुछ विशेष उपबन्धों और राज्य सरकारों द्वारा इनके कार्यान्वयन पर इस रिपोर्ट के अध्याय VII “अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध और अत्याचार” में अलग से चर्चा की गई है।
- (iv) **अनुच्छेद 23** मानव के दुर्व्यापार और बेगार (बलात श्रम) और इसी प्रकार के अन्य बलात श्रम को प्रतिषिद्ध करता है और यह उपबन्ध करता है कि इस उपबन्ध का कोई उल्लंघन विधि द्वारा दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं

है, लेकिन चूंकि बंधुआ मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जनजाति के लोगों की होती है, इसलिए अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए इस अनुच्छेद का विशेष महत्त्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में, संसद ने बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बनाया है। श्रम मंत्रालय इस अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के उद्देश्य से, बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम चला रहा है। आयोग देश में अनुसूचित जनजाति के बंधुआ मजदूरों के मामलों को मानीटर करता है और उन्हें मुक्त कराने और सुनिश्चित काम अथवा नौकरी मुहैया करके उनका पुनर्वास करने के आवश्यक अर्थोपायों का सुझाव देता है।

(v) **अनुच्छेद 24** में प्रावधान है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बाल को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। बाल-श्रम को रोकने के लिए केन्द्रीय और राज्य कानून हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए यह अनुच्छेद भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि खतरनाक नियोजन में लगे बाल श्रमिकों का काफी बड़ा भाग अनुसूचित जनजातियों का है।

(vi) **अनुच्छेद 25(2)(ख)** में यह उपबन्ध किया गया है कि सार्वजनिक प्रकार की सभी हिन्दू धार्मिक संस्थाएं हिन्दुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेंगी। यह उपबन्ध सुसंगत है, क्योंकि हिन्दुओं के कुछ सम्प्रदाय दावा करते रहे हैं कि केवल सम्बन्धित सम्प्रदायों के सदस्यों को उनके मन्दिरों में प्रवेश करने का अधिकार है।

2.2.2 आर्थिक सुरक्षण

उपर्युक्त अनुच्छेद 46, 23 तथा 24 के उपबन्ध भी आर्थिक सुरक्षणों के भाग हैं। वे सुरक्षण, जो विशिष्ट रूप से अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक उन्नति के बारे में हैं, नीचे दिए जा रहे हैं:

(i) **अनुच्छेद 244 के खण्ड (1)** में उपबन्ध है कि पांचवीं अनुसूची के उपबन्ध असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे। खंड (2) के अनुसार, छठी अनुसूची के उपबन्ध असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे।

(ii) भारत के संविधान का **अनुच्छेद 275(1)** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष भारत की समेकित निधि में से अनुदान दिए जाने की गारंटी देता है। इस संवैधानिक दायित्व के अनुसरण में, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए "संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान" नामक केन्द्रीय योजना के माध्यम से धनराशियां मुहैया करता है।

(iii) **पांचवीं अनुसूची** में अनुसूचित क्षेत्रों और के प्रशासन और नियंत्रण अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान हैं। ऐसे नौ राज्य हैं, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन राज्यों के राज्यपालों को विशेष उत्तरदायित्व तथा शक्तियां प्रदत्त हैं। इन राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदें हैं (इनके अतिरिक्त तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में भी, जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, जनजाति सलाहकार परिषदें हैं)। अनुसूचित क्षेत्रों वाले इन नौ राज्यों के राज्यपालों के पास किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए, विशेषकर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, विनियम बनाने की शक्ति है—

(क) ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या आपस में ही भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बन्धन करना;

(ख) ऐसे क्षेत्र की जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन करना;

- (ग) ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो ऐसे क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, साहूकार के रूप में कारबार करने का विनियमन करना।
- (iv) भारत के संविधान के **अनुच्छेद 244(2) के अन्तर्गत छठी अनुसूची** में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला/ क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से प्रशासन के लिए व्यवस्था की गई है। जिन क्षेत्रों पर छठी अनुसूची के उपबन्ध लागू होते हैं, उन्हें जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में, स्वायत्त जिला/ क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक में 30 से अनधिक सदस्य होते हैं। ये परिषदें चुने हुए निकाय हैं और इन्हें कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियों के अलावा विधान और न्यायकरण की शक्तियां प्राप्त हैं। इन परिषदों को प्राथमिक स्कूलों, औषधालयों, मार्केटों, पशु तालों, नौ-घाटों, मीन क्षेत्रों, सड़कों और जल-मार्गों की स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध जैसे मामलों के सम्बन्ध में, राज्यपाल के अनुमोदन से, नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें विभिन्न विषयों के बारे में विधियां बनाने की शक्ति प्राप्त है, जैसे भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम और कस्बा प्रशासन, ग्राम अथवा कस्बा पुलिस सहित तथा लोक स्वास्थ्य और सफाई, सम्पत्ति की विरासत, विवाह और तलाक, और सामाजिक रीति-रिवाज। इन परिषदों को सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कतिपय वादों और अपराधों के विचारण के अधिकार भी दिए गए हैं और राजस्व तथा करों के संग्रहण के लिए अपने-अपने क्षेत्र हेतु राजस्व प्राधिकरण के अधिकार तथा प्राकृतिक संसाधनों के विनियमन और प्रबन्धन के अधिकार भी दिए गए हैं। जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्य ये हैं: (i) असम (उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी-आंगलांग जिला, और बोडोलैंड टेरिटोरियल क्षेत्र जिला), (ii) मेघालय (खासी पहाड़ी हिल्स जिला, खासी पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला), (iii) त्रिपुरा (त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला), और (iv) मिजोरम (चकमा जिला, मारा जिला और लई जिला)।

2.2.3 शैक्षिक और सांस्कृतिक सुरक्षण

- (i) **अनुच्छेद 15(4)** राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई विशेष उपबन्ध बनाने की शक्ति देता है। यह उपबन्ध संविधान में संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसके द्वारा कई अनुच्छेद संशोधित किए गए थे। इस उपबन्ध ने शासन को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए तकनीकी, अभियांत्रिकी तथा मेडिकल कॉलेजों सहित शैक्षिक संस्थाओं एक वैज्ञानिक तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों में स्थान सुरक्षित करने के अधिकार दिए।
- (ii) **अनुच्छेद 29 (1)** में प्रावधान किया गया है कि भारत के क्षेत्र या इसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इस अनुच्छेद में यह भी उपबन्ध है कि शासन द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्त्व रखता है। संस्थालों की अपनी अलग लिपि, ओलचिकी, है।
- (iii) **अनुच्छेद 350क:** प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबन्ध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझते हैं। अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी-अपनी भाषा अथवा बोली होती है, जो प्रायः राज्य की राजभाषा के भाषा परिवार की न हो कर भिन्न भाषा परिवार की होती है। किन्तु इस उपबन्ध का यह गलत अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि जनजातियों को केवल

उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और उससे उन्हें अलग-थलग और बेगाना बना दिया जाए। जनजातीय लोगों को राज्य की भाषा में और राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें बाहरी दुनिया से परिचित कराया जाए।

2.2.4 राजनैतिक सुरक्षण

अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को संविधान में जो राजनैतिक सुरक्षण उपलब्ध हैं, उनमें ये शामिल हैं:

- (i) **अनुच्छेद 164(1)** में प्रावधान है कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में जनजातियों के कल्याण का प्रभारी एक मंत्री होगा जिसे अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है। **आयोग सिफारिश करता है कि अनुच्छेद 164(1) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए, ताकि इस अनुच्छेद के उपबन्धों को झारखंड और छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित राज्यों पर और ऐसे सभी अन्य राज्यों पर लागू किया जा सके जिनमें पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र हों, और यह प्रावधान किया जा सके कि इनमें से प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय मंत्री होगा, जिसे, अतिरिक्त रूप से, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी ऐसे अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है।**
- (ii) **अनुच्छेद 330:** इसका सम्बन्ध लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबन्ध भी किया गया है कि लोक सभा में (क) अनुसूचित जातियों, (ख) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़ कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और (ग) असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे। इसमें यह उपबन्ध भी किया गया है कि:
 - (क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, लोक सभा में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को आबंटित स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति से उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या से है।
 - (ख) उपरोक्त स्थिति के होते हुए भी, लोक सभा में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस राज्य को आबंटित स्थानों की कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो उक्त स्वशासी जिलों की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।
- (iii) **अनुच्छेद 332:** इसमें राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबन्ध किया गया है। इस अनुच्छेद में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबन्ध किया गया है कि:
 - (क) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे।
 - (ख) असम राज्य की विधान सभा में स्वशासी जिलों के लिए भी स्थान आरक्षित रहेंगे।
 - (ग) किसी राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या

से यथाशक्य वही होगा जो, यथास्थिति, उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं, जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।

- (घ) असम राज्य की विधान सभा में किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस विधान सभा में स्थानों में कुल संख्या के उस अनुपात से कम नहीं होगा जो जिले की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है।
- (ङ.) असम के किसी स्वशासी जिले के लिए आरक्षित स्थानों के निर्वाचन-क्षेत्र में उस जिले के बाहर का कोई क्षेत्र समाविष्ट नहीं होगा।
- (च) कोई व्यक्ति जो असम राज्य के किसी स्वशासी जिले की अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, उस राज्य की विधान सभा के लिए उस जिले के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।
- (iv) **अनुच्छेद 334** में मूल रूप से यह व्यवस्था थी कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं की सीटों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान (और लोक सभा तथा कुछ राज्यों की विधान सभाओं में नामज़दगी द्वारा ऐंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान) संविधान के प्रारम्भ के दस वर्ष की अवधि के अंत पर समाप्त हो जाएगा। इस अनुच्छेद का संशोधन पांच बार किया जा चुका है और प्रत्येक अवसर पर उत अवधि को दस वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। अब यह प्रावधान जनवरी 2010 में समाप्त होगा।
- (v) **अनुच्छेद 243 घ** — यह अनुच्छेद, जो पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध करता है कि:
- (क) प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
- (ख) उपरोक्त उप-पैरा (क) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (ग) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
- (घ) ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करे-

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात, प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में से ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है:

परन्तु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे:

परन्तु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित की जाएगी।

(ड.) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

(vi) **अनुच्छेद 243 न** — यह अनुच्छेद नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध भी किए गए हैं कि:

- (1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम रूप से आबंटित किए जा सकेंगे।
- (2) उपर्युक्त (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।
- (4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे, जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा उपबंधित करे।
- (5) खण्ड (1) और (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण और खण्ड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।
- (6) इस भाग की कोई बात राज्य के विधान-मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।

कुछ न्यायिक उक्तियां/ निर्वचन

- (क) 'आरक्षित' और 'अनारक्षित' का स्पष्टीकरण किया गया। {अनुच्छेद 243-न (4) और (6)} – यह कहने का कोई आधार अथवा औचित्य नहीं है कि "अनारक्षित" भी उन लोगों से भिन्न व्यक्तियों के लिए, जिनके वास्ते विधि के तहत आरक्षण किया गया है, एक प्रकार का आरक्षण है। वास्तव में हर व्यक्ति, जिनमें आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्धित लोग अथवा आरक्षित श्रेणियों से निर्वाचित लोग भी शामिल हैं, महापौर के पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। जब यह किसी समुदाय, जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति के लिए किसी स्थान अथवा पद के आरक्षण के कारण अनारक्षित है, तो उस जाति, समुदाय या जनजाति का व्यक्ति का सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित होना समाप्त नहीं हो जाता [अशोक कौंडिबा येनपुर बनाम राज्य निर्वाचन आयोग, ए.आई. आर. 1998, मुम्बई, 180 (एफ.बी.)]।
- (ख) बिहार के मामले में, माननीय उच्च न्यायालय ने 1994 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3351 और सदृश मामलों में बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के कुछ उपबन्धों को विखण्डित कर दिया, जिनका सम्बन्ध पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण से था, और यह निर्णय भी दिया कि ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के पद का आरक्षण इस आधार पर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एकल पद हैं और ऐसे आरक्षण से 100 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा। बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में 1996 की एस.एल.पी. संख्या 9724-28, 9819-25 दायर की है, जिसमें भारत सरकार भी एक पक्ष है। यह मामला अभी लम्बित पड़ा है। इस बीच, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29.8.2000 और 5.1.2001 को यह स्पष्ट किया कि बिहार सरकार विधि के अनुसार, "जैसीकि वह आज है" राज्य में पंचायतों के चुनाव करा सकती है। इसका अर्थ, जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था, यह था कि चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन अध्यक्षों के पदों के स्थानों के आरक्षण के उपबन्धों के बिना। तदनुसार, बिहार सरकार ने अप्रैल, 2001 में पंचायतों के सभी तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के पदों के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान बिना पंचायतों के चुनाव कराए।
- (ग) मध्य प्रदेश में जब चुनाव होने ही वाले थे, पंचायतों के चुनाव के लिए सामान्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत से अधिक सीटों के आरक्षण और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के 100 प्रतिशत आरक्षण को जबलपुर के उच्च न्यायालय में 1999 में चुनौती दी गई थी। दायर की गई रिट के संदर्भ में उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.12.1999 के आदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए आरक्षण को सही ठहराया। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार और भारत संघ का प्रयास अब तक परिशिष्ट वर्गों, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों, अर्थात् पिछड़े वर्गों और स्त्रियों को, जो समाज के शिक्षित और धनाढ्य वर्गों, जिन्हें अग्रिम वर्ग कहा जाता है, के साथ चुनावों में प्रतियोगिता करने में अक्षम हैं, स्थानीय शासन में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करना है। पेसा (PESA) क्षेत्रों में भी सभी तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों के 100 प्रतिशत आरक्षण के मामले में भी, उच्च न्यायालय ने राज्य के आरक्षण के उपबन्धों को सही ठहराया। जबलपुर के उच्च न्यायालय के दिनांक 17.12.1999 के आदेश के बाद, मध्य प्रदेश में जनवरी, 2000 में पंचायतों के चुनाव कराए गए, जिनमें अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई।

- (vii) **अनुच्छेद 371क** – इस अनुच्छेद में नागालैंड राज्य के बारे में विशेष उपबन्ध हैं। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि भारत के संविधान में किसी बात के होते हुए भी, (i) नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, (ii) नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया, (iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होते हैं, और (iv) भूमि और सम्पत्ति स्रोतों के स्वामित्व और अन्तरण के बारे में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा, जब तक नागालैंड की विधान-सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चित नहीं करती है।
- (viii) **अनुच्छेद 371ख** – इस अनुच्छेद में असम राज्य के बारे में विशेष उपबन्ध हैं। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, असम राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति छठी अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के भाग 1 में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्यों से और उस विधान सभा के उतने अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जितने आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा ऐसी समिति के गठन और उसके उचित कार्यकरण के लिए उस विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए उपबंध कर सकेगा।
- (ix) **अनुच्छेद 371ग** – इस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में विशेष उपबंध हैं। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि:
- (i) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में किए गए आदेश द्वारा, उस राज्य की विधान सभा की एक समिति के गठन और कृत्यों के लिए, जो समिति उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित उस विधान सभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी, राज्य की सरकार के कामकाज के नियमों में और राज्य की विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों में किए जाने वाले उपांतरणों के लिए और ऐसी समिति का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यपाल के किसी विशेष उत्तरदायित्व के लिए उपबंध कर सकेगा।
- (ii) राज्यपाल प्रतिवर्ष या जब कभी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे, मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्य को निदेश देने तक होगा।
- स्पष्टीकरण** – इस अनुच्छेद में, “पहाड़ी क्षेत्रों” से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं, जिन्हें राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, पहाड़ी क्षेत्र घोषित करे।
- (x) **अनुच्छेद 371घ** – इस अनुच्छेद में मिजोरम राज्य सम्बन्धी विशेष उपबन्ध हैं। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि भारत के संविधान में किसी बात के होते हुए भी,
- (क) निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम मिजोरम राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक मिजोरम राज्य की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात्:— (i) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं; (ii) मिजो रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया; (iii) सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन, जहां विनिश्चय मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं; (iv) भूमि का स्वामित्व और अंतरण।
- परन्तु इस खण्ड की कोई बात, संविधान (तिरपनवां संशोधन) अधिनियम, 1986 के लागू होने से ठीक पहले मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त किसी केन्द्रीय अधिनियम को लागू नहीं होगी;
- (ख) मिजोरम राज्य की विधान सभा कम से कम चालीस सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(xi) **अनुच्छेद 339** – यह अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ के नियंत्रण के सम्बन्ध में है। अनुच्छेद में यह उपबन्ध किया गया है कि:

(क) राष्ट्रपति, राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति, आदेश द्वारा, किसी भी समय तथा इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर करेगा।

(ख) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है।

संवैधानिक उपबन्धों और तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा 1999–2000 और 2000–2001 की अवधि की अपनी छठी रिपोर्ट में दी गई विशिष्ट सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) ने वर्ष 2002 में दूसरा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई, 2004 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी।

2.2.5 सेवा सुरक्षण

सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों (और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों) के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य इन समुदायों के लोगों को केवल नौकरियां देना और उसके द्वारा सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि इन लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठा कर उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सशक्त बनाना है। संविधान के उन संगत अनुच्छेदों का उल्लेख नीचे किया गया है, जो आरक्षण के समूचे ढांचे का विनियमन करते हैं:

(i) **अनुच्छेद 16(4)**: इस अनुच्छेद में यह उपबन्ध है कि “इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।”

(ii) **अनुच्छेद 16(4क)**: यह अनुच्छेद 1995 में यह उपबन्ध करने के लिए जोड़ा गया था कि “इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी”। {संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1995}।

(iii) **संशोधित अनुच्छेद 16(4क)**: इस अनुच्छेद को वर्ष 2001 में “किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर प्रोन्नति के मामलों में” शब्दों के स्थान पर “किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में” शब्द रखने के लिए संविधान (पचासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा और आगे संशोधित किया गया था। अनुच्छेद 16(4क) में किए गए इस संशोधन को 17 जून, 1995 से अर्थात् इस अनुच्छेद के जोड़े जाने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त किया गया।

(iv) **अनुच्छेद 16 (4ख)**: संविधान में यह अनुच्छेद संविधान (इक्यासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें यह उपबन्ध किया गया है कि “इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, जो खण्ड (4) या खण्ड (4क) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबन्ध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों

के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।”

- (v) **अनुच्छेद 335:** इस अनुच्छेद में यह उपबन्ध किया गया है कि “संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।” संविधान (बयासीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के द्वारा इस अनुच्छेद के साथ निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया था:

“परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों में या पदों पर प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हक अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।”

2.2.6 लोक सेवा आयोग के साथ सलाह से छूट

2.2.6.1 संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबन्ध किया गया है कि सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से सम्बन्धित सभी विषयों पर और सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अन्तरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्तों पर और ऐसी नियुक्ति, प्रोन्नति या अन्तरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर यथास्थिति संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। परन्तु, इस अनुच्छेद के खंड (4) में यह उपबन्ध है कि लोक सेवा आयोग से उस रीति के सम्बन्ध में, जिससे अनुच्छेद 16 के खंड (4), (4क) और (4ख) में निर्दिष्ट कोई उपबन्ध किया जाता है या उस रीति के सम्बन्ध में, जिससे अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को प्रभावी किया जाता है, परामर्श किया जाना जरूरी नहीं है।

2.3 संस्थात्मक सुरक्षण

2.3.1 **अनुच्छेद 338क:** जैसाकि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने के लिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में विशेष उपबन्ध किए गए हैं। इन सुरक्षणों और विभिन्न अन्य सुरक्षात्मक उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए, संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबन्धित सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए स्वयं संविधान के अन्दर एक अन्तर्निर्मित तंत्र का उपबन्ध किया था और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की थी। इस विशेष अधिकारी को, जिसे सामान्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के रूप में जाना जाता था, विभिन्न संगठनों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षणों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण करने और सुरक्षणों के कार्यचालन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देने की ड्यूटी सौंपी गई थी। पहला आयुक्त 18 नवम्बर, 1950 को नियुक्त किया गया था। इस अनुच्छेद को पहले जुलाई, 1990 में संशोधित किया गया था और संविधान (पैंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 के पारित होने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 12 मार्च, 1992 से अस्तित्व में आया। इस अनुच्छेद को संविधान (नवासीवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा फिर संशोधित किया गया और अनुच्छेद 338 को यथासंशोधित करके और एक नया अनुच्छेद 338क जोड़ कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और (ii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस संगठन के ऐतिहासिक क्रम-विकास का ब्योरा पहले अध्याय “आयोग का संगठनात्मक ढांचा और कार्यकरण” के पैरा 1.1 से 1.6 तक में दिया गया है।

2.3.2 अनुच्छेद 338क के खंड (5)(घ) में यह उपबन्ध है कि आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यचालन के बारे में राष्ट्रपति को प्रति वर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, रिपोर्ट पेश करे। इस अनुच्छेद के खंड (5)(ड.) में यह उपबन्ध भी किया गया है कि आयोग ऐसी रिपोर्टों से उन उपायों के बारे में, जो उन सुरक्षाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिशें देगा। इस अनुच्छेद के खंड (6) में यह उपबन्ध है कि राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को और किन्हीं ऐसी सिफारिशों की अस्वीकृति के लिए, यदि कोई हों, कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे। यह देखा गया है कि भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों को सरकार द्वारा बहुत लम्बे समय तक संसद के समक्ष नहीं रखा जाता था। यह नोट किया गया कि इस विलम्ब का कारण मुख्य रूप से, आयोग की सिफारिशों/सुझावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार करने में सरकार द्वारा लिए गए लम्बे समय को ठहराया गया था। इस विलम्ब का परिणाम यह था कि आयोग की रिपोर्टें लम्बे समय तक न तो संसद को और न ही लोक संस्थाओं को उपलब्ध होती थीं और यह बात आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के मूल्य और महत्त्व को काफी घटा देती थी। आयोग की राय है कि इस स्थिति का इलाज 'की गई कार्रवाई' की आवश्यकता की मुख्य रिपोर्ट को संसद में रखे जाने की आवश्यकता से अलग किए जाने के जरिए किया जाना जरूरी है। इसलिए, आयोग का यह दृढ़ मत है कि ये रिपोर्टें, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने के बाद तीन महीनों के अन्दर संसद में रखी जानी चाहिए और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट छः महीनों के अन्दर तैयार की जानी चाहिए और सदन में रखी जानी चाहिए। रिपोर्ट के उन अंशों को, जिनका सम्बन्ध राज्य सरकारों से हो, राज्य विधान सभाओं में रखे जाने के लिए भी ऐसी ही समय-सीमा विहित की जाए। **आयोग अनुच्छेद 338 के खंड 6 और खंड 7 को (अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में अनुच्छेद 338क) को संशोधित करने के बारे में भूतपूर्व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की अपनी चौथी रिपोर्ट (1996-97) और (1997-98) की सिफारिश को फिर से दुहराना चाहेगा, जो नीचे की सारणी में दी गई है:**

क्रम सं.	संविधान के अनुच्छेद 338क में मौजूदा प्रावधान	अनुच्छेद 338क में प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
1.	खंड 6 – राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हो तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।	राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को उनके प्रस्तुत किए जाने के बाद तीन महीनों के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई तथा किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हो तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ऐसी प्रस्तुति के छः महीनों के अन्दर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।
2.	खंड 7 – जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग ऐसे विषय से सम्बन्धित है, जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध है तो ऐसे प्रतिवेदनों की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के	जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग ऐसे विषय से सम्बन्धित हो, जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध है, तो ऐसे प्रतिवेदनों की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे तीन

<p>विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।</p>	<p>महीनों के अन्दर राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ऐसी प्रस्तुति के छः महीनों के भीतर विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।</p>
--	---

अध्याय-3

अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 आदिम, भौगोलिक रूप से अलग-थलग, संकोची और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ापन वे विशेषताएं हैं, जो हमारे देश की अनुसूचित जनजातियों को अन्य समुदायों से अलग करती हैं। जनजातीय समुदाय मैदानों से वनों, पहाड़ियों, दुर्गम क्षेत्रों तक की विभिन्न पारिस्थितिकीय भू-जलवायु वाली स्थितियों में देश के लगभग 15 प्रतिशत क्षेत्र में रहते हैं। जनजातीय समूह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की विभिन्न स्थितियों में हैं। हालांकि इस श्रृंखला के एक छोर पर कुछ जनजातीय समुदायों ने समाज की मुख्य धारा की जीवन-शैली को अपना लिया है, लेकिन दूसरे छोर पर 75 आदिम जनजाति समूह (पी.टी.जी.) हैं, जिनके लक्षण ये हैं: (क) प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर, (ख) स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या, (ग) अत्यन्त कम साक्षरता, और (घ) अर्थव्यवस्था का निम्नतम गुजारे भर का स्तर।

3.1.2 जैसाकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में अधिसूचित किया गया है, देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 500 से अधिक जनजातियां हैं (एक से अधिक राज्यों में बहुत से परस्पर-व्यापी समुदाय); जिनमें उड़ीसा में जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है। जनजातीय लोगों का सबसे अधिक जमघट केन्द्रीय भारत में और उत्तर-पूर्वी राज्यों में है। लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पांडिचेरी और चंडीगढ़ के सिवाय उनकी उपस्थिति सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में है। देश के जनजातियों की जनसंख्या के बहुत अधिक बाहुल्य वाले राज्य (जहां जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है) ये हैं: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप। काफी अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले और जनजातीय बाहुल्य के क्षेत्रों वाले राज्य आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान हैं।

3.1.3 देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक रहने वाली जनजातियों के सर्वतोमुखी विकास को बढ़ावा देने को सरकार का प्राथमिक ध्यान प्राप्त हुआ है। जनजातियों का कल्याण और खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सरकार की बहुत सी नीतियां हैं। राज्यों और केन्द्र की सरकारों ने गरीबी के उन्मूलन, स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान द्वारा और उनकी आबादियों के अलगाव को दूर करने के लिए संचार सुविधाओं के विकास द्वारा इन जनजातियों को आर्थिक विकास के अवसर मुहैया करने के लिए निरन्तर प्रयास किए हैं। भारत के संविधान में अपने सभी नागरिकों के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, सामाजिक और आर्थिक न्याय, स्थिति और अवसर में समानता की व्यवस्था करने और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। संविधान में इसके अलावा, लोगों के सुविधावंचित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गारंटियां प्रदान की गई हैं। कुछ उपबन्ध विशिष्ट रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दोनों के लिए और विशिष्ट रूप से केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए है। वे ये हैं:

(क) सामाजिक

- (i) कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14);
- (ii) राज्य के लिए नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए विशेष व्यवस्थाएं करना जरूरी {अनुच्छेद 15(4)};
- (iii) राज्य के अन्तर्गत किसी पद पर नियोजन और नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता {अनुच्छेद 16};

- (iv) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति {अनुच्छेद 339(1)};
- (v) जनजातियों अथवा जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियां विनिर्दिष्ट करना {अनुच्छेद 342}।

(ख) आर्थिक

- (i) राज्य के लिए समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को विशेष ध्यानपूर्वक बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाना (अनुच्छेद 46);
- (ii) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान {अनुच्छेद 275(1)}।

(ग) राजनैतिक

- (i) अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नयन से सम्बन्धित मामलों के बारे में सलाह देने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करने के द्वारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़ कर किसी राज्य में, पांचवीं अनुसूची के जरिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण {अनुच्छेद 244(1)};
- (ii) कुछ जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने के जरिए और जिला परिषदों, स्वायत्त परिषदों और क्षेत्रों का गठन करने के भी जरिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए छठी अनुसूची के द्वारा विशेष उपबन्ध {अनुच्छेद 244(2)};
- (iii) लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण {अनुच्छेद 330};
- (iv) राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण {अनुच्छेद 332};
- (v) प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण {अनुच्छेद 243घ};
- (vi) योजना बनाने और फैसले करने की प्रक्रिया में जनजातीय लोगों की प्रभावकारी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के जरिए संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार।

3.2 जनांकिकीय प्रवृत्तियां और मौजूदा स्थिति

3.2.1 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 8.43 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत थी। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में 1961 से वृद्धि हो रही है। राज्य-वार कुल जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता और देश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या की तुलना में राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता की जानकारी **अनुलग्नक 3.1** में दी गई है। 1981 की जनगणना और 1991 की जनगणना के बीच की अवधि में जनजातियों की जनसंख्या के सम्बन्ध में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 31.64 प्रतिशत थी, जो कुल जनसंख्या की वृद्धि की प्रतिशतता से, जो 23.51 प्रतिशत थी, ऊंची थी। लेकिन, 1991 से 2001 तक के जनगणना वर्षों के दौरान जनजातीय जनसंख्या की वृद्धि की दर 24.45 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में समूची जनसंख्या की वृद्धि-दर 22.66 प्रतिशत थी। 2001 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की वृद्धि की दर सबसे अधिक अर्थात् 80.82 प्रतिशत थी, जिसके बाद नागालैंड का स्थान आता है, जहां वृद्धि की दर 67.23 प्रतिशत थी, और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि की दर (10.08 प्रतिशत) अंडमान और निकोबार में दर्ज की गई है, जिसके बाद का स्थान हिमाचल प्रदेश (12.02

प्रतिशत) का है। यह देखा गया है कि नागालैंड राज्य के मामले में 1991-2001 की अवधि में किसी नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए, नागालैंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि (67.23 प्रतिशत) होने के कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, कर्नाटक के सम्बन्ध में, किन्हीं नए समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, और इसलिए इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि होने के कारणों का पता लगाने के लिए गहराई से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि गृह मंत्रालय को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को सलाह देनी चाहिए कि 1991 से 2001 तक के दशक में कर्नाटक और नागालैंड राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष अध्ययन कराया जाए।

3.2.3 माननीय उच्चतम न्यायालय की एक तीन-सदस्यीय पीठ ने 11.2.2005 को एस. पुष्पा और अन्य बनाम शिवचनमुगवेलु और अन्य की 1998 की सिविल अपील संख्या 6-7 के मामले में यह निर्णय दिया था कि चूंकि पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र ने केन्द्रीय सरकार की नीति अपनाई हुई है, इसलिए उस संघ राज्यक्षेत्र में पदों में आरक्षण की नीति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई कानूनी अशक्तता आरोपित नहीं की जा सकती, चाहे उनके मूल का राज्य कोई भी हो। गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 1 जून, 2005 के पत्र द्वारा संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली की सरकार को सूचित किया कि विधि और न्याय मंत्रालय (विधिक कार्य विभाग) ने यह मत व्यक्त किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, वह दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र पर भी लागू होता है। गृह मंत्रालय की इस सूचना और विधिक कार्य मंत्रालय की सलाह के आधार पर, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ने अपने दिनांक 30.6.2005 के पत्र संख्या एफ-16(73)/97-एस.III/710 द्वारा सभी सम्बन्धितों को यह अनुदेश जारी किए हैं कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, चाहे उनका जन्म-स्थान कोई भी हो, दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन उन सिविल पदों में, जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, आरक्षण के लिए हकदार हैं। अब जब दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, चाहे उनका जन्म-स्थान कोई भी हो, अपने अधीन सिविल पदों में आरक्षण के लाभ बहाल करने का फैसला कर लिया है, आयोग सिफारिश करता है कि गृह मंत्रालय को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को यह सलाह देनी चाहिए कि 2011 की अगली जनगणना में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य संघ राज्यक्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के प्रवासी लोगों की गिनती की जाए।

3.2.4 2001 की जनगणना के अनुसार, कुल जनसंख्या के लिंग अनुपात (933 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष) की तुलना में, अनुसूचित जनजातियों का लिंग-अनुपात अधिक अनुकूल अर्थात् 977 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष है। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तरांचल राज्यों के सिवाय, सभी राज्यों में अनुसूचित जनजाति लिंग अनुपात अधिक महिला-अनुकूल है।

3.2.5 1991 से 2001 तक की अवधि में समूची जनसंख्या में साक्षरता की दर 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 65.38 प्रतिशत हो गई है। अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में, साक्षरता की दर 29.62 प्रतिशत से बढ़कर 47.10 प्रतिशत हो गई। जनजातियों में 1991 से 2001 तक की अवधि में महिला साक्षरता दर 18.19 प्रतिशत से बढ़कर 34.76 प्रतिशत हो गई, जो आम लोगों की महिला साक्षरता दर की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है। किन्तु, महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों की कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर दोनों में वृद्धि हुई है।

3.2.6 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के 42.02 प्रतिशत लोग मुख्य कर्मकार हैं, जिनमें से 54.50 प्रतिशत लोग कृषक और 32.69 प्रतिशत लोग कृषि मजदूर थे। इस प्रकार, इन समुदायों के मुख्य कर्मकारों में से लगभग 87 प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों में लगे हुए थे। औपचारिक शिक्षा बीच में छोड़ देने वालों की ऊंची दर के कारण ये असमानताएं और बढ़ जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व का अनुपात और घट जाता है। इसका कुल मिलाकर यह प्रभाव है कि गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित

जनजातियों के लोगों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक ऊंचा है। योजना आयोग द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, यह देखा गया है कि 1993-94 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में 51.94 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 41.14 प्रतिशत थी। वर्ष 1999-2000 में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के अनुमान के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों की प्रतिशतता घटकर ग्रामीण क्षेत्रों में 45.86 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 34.75 प्रतिशत हो गई थी। इस प्रकार, पिछले पांच वर्षों, अर्थात् 1993-94 से 1999-2000 तक के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में 6 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 4.5 प्रतिशत की कमी हुई है।

3.2.7 अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों के विपरीत सटे हुए क्षेत्रों में रहती हैं। इसलिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए विकास के क्रियाकलापों के लिए विनियामक व्यवस्थाओं के लिए भी क्षेत्र-सापेक्ष कार्य-पद्धति अपनाना बहुत अधिक आसान है। भूमि के अन्य-संक्रामण और अन्य सामाजिक कारकों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए, संविधान में "पांचवीं अनुसूची" और "छठी अनुसूची" के रूप में विशेष उपबन्ध किए गए हैं।

3.3 पांचवीं अनुसूची

3.3.1 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अन्तर्गत पांचवीं अनुसूची में "अनुसूचित क्षेत्रों" की परिभाषा ऐसे क्षेत्रों के रूप में दी गई है, जिन्हें राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करने के बाद आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अन्तर्गत छठी अनुसूची उत्तर-पूर्व में उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में है, जो "जनजातीय क्षेत्र" घोषित किए गए हैं, और ऐसे क्षेत्रों के लिए जिला अथवा क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों का उपबन्ध किया गया है। इन परिषदों को व्यापक विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्राप्त हैं।

3.3.2 पांचवीं अनुसूची में किसी क्षेत्र को "अनुसूचित क्षेत्र" घोषित करने की कसौटियां ये हैं:

- (i) जनजातीय लोगों का बाहुल्य,
- (ii) क्षेत्र की सघनता और उसका यथोचित आकार,
- (iii) एक सक्षम प्रशासनिक हस्ती, जैसे जिला, ब्लाक अथवा तालुका, और
- (iv) पड़ोसी क्षेत्रों की तुलना में उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन।

3.3.3 किसी राज्य के सम्बन्ध में "अनुसूचित क्षेत्रों" का विनिर्देशन, सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद, राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है। क्षेत्रों को बदलने, बढ़ाने, घटाने, नए क्षेत्रों को शामिल करने, अथवा "अनुसूचित क्षेत्रों" से सम्बन्धित आदेशों को निरस्त करने के लिए भी यह बात लागू होती है। इस समय निम्नलिखित आदेश अपने मूल अथवा संशोधित रूप में लागू हैं:

क्रम सं.	आदेश का नाम	अधिसूचना की तारीख	उस राज्य(यों) का नाम, जिसके लिए अब लागू है।
1.	अनुसूचित क्षेत्र (भाग क राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.9)	26.1.1950	आन्ध्र प्रदेश
2.	अनुसूचित क्षेत्र (भाग ख राज्य) आदेश, 1950 (सी.ओ.26)	7.12.1950	आन्ध्र प्रदेश
3.	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975 (सी.ओ.102)	21.11.1975	हिमाचल प्रदेश
4.	अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश, 1977 (सी.ओ.109)	31.12.1977	गुजरात और उड़ीसा
5.	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 (सी.ओ.114)	12.2.1981	राजस्थान
6.	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985 (सी.ओ.123)	2.12.1985	महाराष्ट्र

7.	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्य) आदेश, 2003 (सी.ओ.192)	20.2.2003	छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश
----	---	-----------	----------------------------------

3.3.4 किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाने के प्रयोजन और लाभ इस प्रकार हैं:

- (i) उस राज्य के राज्यपाल को, जहां अनुसूचित क्षेत्र हों, निम्नलिखित के सम्बन्ध में विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है:
 - (क) जनजातीय लोगों से भूमि के अन्तरण का निषेध करना अथवा उस पर प्रतिबन्ध लगाना;
 - (ख) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आबंटन का विनियमन करना;
 - (ग) उन लोगों द्वारा, जो ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देते हैं, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने के कारबार को विनियमित करना।
- (ii) ऐसा कोई विनियम बनाते समय, राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम का, जो सम्बन्धि क्षेत्र में लागू हो, निरसन कर सकता है अथवा उसे संशोधित कर सकता है।
- (iii) राज्यपाल, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकता है कि संसद अथवा राज्य विधान मंडल का अमुक अधिनियम अनुसूचित क्षेत्र अथवा राज्य के किसी भाग में लागू नहीं होगा, अथवा ऐसे क्षेत्र में उन अपवादों और उपान्तरणों के अधीन, जो वह निर्दिष्ट करे, लागू होगा।
- (iv) उस राज्य का राज्यपाल, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हों, वार्षिक रूप से, अथवा जब कभी राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाए, उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उक्त क्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य को निदेश देने तक होगा।
- (v) अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषद (टी.ए.सी.) की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति के निदेश पर किसी ऐसे राज्य में भी टी.ए.सी. की स्थापना की जा सकती है, जिसमें अनुसूचित जनजातियां हों, लेकिन कोई अनुसूचित क्षेत्र न हो। टी.ए.सी. में बीस से अनधिक सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से लगभग तीन-चौथाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों में से होते हैं। टी.ए.सी. का काम राज्य सरकार को उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी उन्नति से सम्बन्धित मामलों के बारे में, जो उसे राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देना है।
- (vi) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996, में, जिसके द्वारा संविधान के भाग IX में शामिल पंचायतों सम्बन्धी उपबन्ध अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किए गए थे, अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबन्ध भी शामिल हैं।

3.3.5 विभिन्न समितियों और आयोगों ने, जिनमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग (धेबर आयोग), 1961 भी शामिल है, यह देखा था कि राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपाल की रिपोर्टों के फार्मेट और विषय-वस्तु के बारे में संघ सरकार द्वारा कोई हिदायतें जारी नहीं की गई हैं और इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य सरकारों ने इन रिपोर्टों को विभागीय रिपोर्टें समझना शुरू कर दिया है। धेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्ततः यह स्वीकार कर लिया गया कि राज्यपाल की रिपोर्ट तैयार करना राज्य सचिवालय की जिम्मेदारी होगी और टी.ए.सी. के विचारों को भी राज्यपाल की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। यह अपेक्षा की जाती है कि राज्यपालों की रिपोर्टों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की गुणवत्ता और पर्याप्तता, संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यान्वयन, भूमि के अन्य-संक्रामण के निवारण से सम्बन्धित अधिनियमों और विनियमों, वनों और

व्यापार में जनजातीय हितों की रक्षा, बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन, आदि के बारे में वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होगा। यह अपेक्षा भी की जाती है कि जनजातीय लोगों को पेश आ रही उन समस्याओं का, जो जनजातीय लोगों के विस्थापित हो जाने से उत्पन्न हुई हैं, और उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का और अत्याचारों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और कानून तथा व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं तथा जनजातियों की बेचैनी, आदि का उल्लेख भी होगा। लेकिन यह देखा गया है कि राज्यपालों की ये रिपोर्टें रुढ़िबद्ध बन गई हैं और ये रिपोर्टें अनुसूचित जनजातियों के अति महत्वपूर्ण हितों को प्रभावित करने वाले मामलों को अपेक्षित स्थान नहीं देतीं। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि:

- (i) जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्यपालों द्वारा रिपोर्टों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए विषय-वस्तु के विशेष सन्दर्भ में एकरूपात्मक फार्मेट विहित करना चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुदेश जारी करने चाहिए:
 - (क) रिपोर्टें जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद छः महीनों के अन्दर पहुंच जानी चाहिए।
 - (ख) उन राज्यों को, जहां जनजाति सलाहकार परिषदें हों, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टी.ए.सी. का गठन/ पुनर्गठन समय पर किया जाए और उनकी बैठकें संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार नियमित रूप से की जाएं।
 - (ग) रिपोर्टों में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में एक विस्तृत नोट होना चाहिए। इन रिपोर्टों में कानून और व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों और जनजातीय असन्तोष से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में भी एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। रिपोर्टों में राज्य में रिपोर्ट की अवधि में लागू किए गए केन्द्रीय और राज्य कानूनों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए और पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों के विस्तार/अनुप्रयोज्यता के बारे में भी बताया जाना चाहिए। राज्य में पी.ई.एस.ए. अधिनियम का कार्यचालन भी राज्यपाल की रिपोर्ट का अभिन्न अंग होना चाहिए।
- (ii) यदि रिपोर्टों में टी.ए.सी. की टीका-टिप्पणियां शामिल न हों, तो वे राज्य सरकारों को यह सलाह देते हुए वापस भेज दी जाएं कि केन्द्रीय सरकार को टी.ए.सी. की टिप्पणियों से और टी.ए.सी. की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
- (iii) रिपोर्टों में शामिल सामग्री के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय में इन रिपोर्टों की विस्तारपूर्वक जांच की जानी चाहिए और राज्य सरकारों को इस मूल्यांकन से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि वे अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें।
- (iv) राज्यपाल की रिपोर्ट की एक प्रति रिपोर्ट के प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि आयोग उसकी जांच कर सके और उसके बारे में अपनी टिप्पणियां दे सके।

3.3.6 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि:

- (i) एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत कवर किए गए सभी क्षेत्रों, राज्यों की जनजातीय उप-योजना में शामिल संशोधित क्षेत्र विकास नीति (एम.ए.डी.ए.) पॉकेटों और समूहों को सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के साथ सह-लक्ष्य बनाया जाना चाहिए।
- (ii) आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ मामलों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना एक एकल जिले में कार्य कर रही थी और बाद में इस जिले में से एक और नया जिला बना दिया गया। यह सुनिश्चित किया जाए कि आई.टी.डी.पी. के क्षेत्र को, जिसमें ये

दो जिले शामिल हों, धनराशियां रिलीज किए जाने के मामले में किसी समस्या का सामना न करना पड़े।

- (iii) ऐसे सभी राजस्व गांवों को, जहां 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय लोगों की संख्या 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, लेकिन जो फिलहाल सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल न हों, यथास्थिति सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों अथवा एम. ए.डी.ए. अथवा क्लस्टर में शामिल किया जाए।

3.3.7 संविधान का अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ के नियंत्रण के सम्बन्ध में है। इस अनुच्छेद में यह उपबन्ध किया गया है कि:

- (1) राष्ट्रपति किसी भी समय और इस संविधान के शुरु होने के बाद 10 वर्षों के समाप्त होने पर, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त करेगा। यह आदेश आयोग का गठन, शक्तियां और कार्य-विधि निर्धारित कर सकता है और उसमें ऐसे प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक उपबन्ध हो सकते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक अथवा वांछनीय समझे।
- (2) संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राज्य को ऐसी स्कीमें तैयार करने और कार्यान्वित करने के निदेश देने तक होगा, जो निदेश के तहत राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट हों।

3.3.8 इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसरण में, पहला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग 1960 में श्री यू.एन. धेबर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। दूसरा ऐसा आयोग दिनांक 18 जुलाई, 2002 के आदेश द्वारा भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में (दस अन्य सदस्यों के साथ) (जो आमतौर पर भूरिया आयोग के नाम से जाना जाता है) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गठित किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई, 2004 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की।

3.4 छठी अनुसूची

3.4.1 अनुच्छेद 244(2) के अन्तर्गत भारत के संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों/क्षेत्रीय परिषदों के जरिए प्रशासन के लिए उपबन्ध किए गए हैं। उन क्षेत्रों को, जहां छठी अनुसूची के उपबन्ध लागू हो सकते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है।

3.4.2 जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में, 30 से अनधिक सदस्यों वाली स्वायत्त जिला परिषदें/ क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई हैं। ये परिषदें निर्वाचित निकाय हैं और इन्हें कार्यकारी विकासात्मक और वित्तीय जिम्मेदारियों के अलावा विधि-निर्माण, न्यायकरण की शक्तियां प्राप्त हैं। इन परिषदों को प्राथमिक स्कूलों की स्थापना, उनके निर्माण अथवा प्रबन्धन, औषधालयों, मार्केटों, पशु जलाशयों, नौघाटों, मीन-क्षेत्रों, सड़कों और जल-मार्गों, आदि जैसे मामलों के सम्बन्ध में, राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें बहुत से विभिन्न विषयों, जैसे भूमि, वन, झूम खेती, ग्राम और शहर प्रशासन, जिसमें ग्राम और नगर पुलिस शामिल है, और लोक स्वास्थ्य और सफाई, विरासत अथवा सम्पत्ति, विवाह और तलाक और सामाजिक रस्म-रिवाजों के बारे में कानून बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। इन परिषदों को कतिपय वादों और अपराधों के विचारण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत भी शक्तियां प्रदान की गई हैं और राजस्व और कर संग्रह करने के लिए अपने क्षेत्र के लिए राजस्व प्राधिकरण की शक्तियां और प्राकृतिक संसाधनों के विनियमन और प्रबन्धन के लिए अन्य शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। जनजातीय क्षेत्रों का राज्य-वार ब्योरा यह है: (i) **असम** (उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कर्बी-अंगलांग जिला, और बोडो लैंड क्षेत्रकीय क्षेत्र जिला), (ii) **मेघालय** (खासी पहाड़ी जिला, जेंतिया पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला), (iii) **त्रिपुरा** (त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला), और (iv) **मिजोरम** (चकमा जिला, मारा जिला, लाइ

जिला)। उत्तरी कछार पहाड़ी और कर्बी-अंगलांग की स्वायत्त परिषदों को अन्य विषयों, जैसे माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, लोक स्वास्थ्य और सफाई, लघु सिंचाई, आदि के बारे में कानून बनाने की अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

3.5 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

3.5.1 भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों से, जो संविधान के भाग IX में किए गए थे, पंचायतों और नगरपालिकाओं को न केवल संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई बल्कि उन्हें और अधिक शक्तियां भी प्रदान की गईं। पंचायतों की महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं:

- (i) ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों को चुना जाना है,
- (ii) राज्य वित्त आयोग को राज्य और पंचायतों के बीच राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों, शुल्कों, मार्ग-करों और फीसों की प्राप्त निवल राशियों के वितरण के बारे में सिफारिशें देनी हैं,
- (iii) पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को कराने हैं,
- (iv) पंचायतें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं,
- (v) राज्य का विधानमंडल पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है, जो स्वायत्त-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए जरूरी हों।

3.5.2 संविधान के अनुच्छेद 243ड में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध किया गया है कि संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243क से 243उ में पंचायतों से संबंधित उपखंड संविधान (भाग X) के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में {जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों से भिन्न किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के सम्बन्ध में पांचवीं अनुसूची के उपबन्ध शामिल हैं} निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और खंड (2) {जिसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची के उपबन्ध शामिल हैं} में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 243ड में यह उपबन्ध भी किया गया है कि संसद, विधि द्वारा, भाग IX के उपबन्धों को अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में, उन अपवादों और उपान्तरणों के साथ, जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट किए जाएं, लागू कर सकती है और यह उपबन्ध भी किया गया है कि ऐसी कोई विधि संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए (संविधान में संशोधन करने के बारे में संसद की शक्ति और उसकी क्रियाविधि के बारे में) संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी।

3.5.3 संविधान के अनुच्छेद 243ड में उल्लिखित समर्थकारी उपबन्धों के अनुसरण में, संसद ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996) पारित किया। इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) के यथा-निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान के भाग IX के पंचायतों से सम्बन्धित उपबन्धों को लागू करने का प्रयास किया गया है और राज्यों से कहा गया है कि वह उस भाग (अर्थात् संविधान के भाग IX) के अन्तर्गत ऐसा कोई कानून न बनाएं, जो अधिनियम की धारा 4 में दी गई विशेषताओं के अनुरूप न हो। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये हैं:

- (i) राज्य विधान रूढ़िगत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और सामुदायिक संसाधनों के पारम्परिक प्रबन्धन तरीकों के अनुरूप होना चाहिए।
- (ii) प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परम्पराओं और रस्मों-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवादों को सुलझाने के प्रथागत तरीकों का सुरक्षण और परिरक्षण करने में समर्थ होनी चाहिए।

- (iii) प्रत्येक ग्राम सभा को गरीबी उपशमन कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत लोगों को लाभभोगियों के रूप में निर्धारित करने अथवा उनका चयन करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
- (iv) ग्राम स्तर पर पंचायतों द्वारा सामाजिक और विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को हाथ में लिए जाने से पहले, प्रत्येक ग्राम को ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करने का प्राधिकार होना चाहिए।
- (v) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण उस पंचायत क्षेत्र में उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिए संविधान के भाग IX के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया हो।
परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा।
परन्तु यह भी कि सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।
- (vi) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नामांकित कर सकती है, जिनका मध्यवर्ती स्तर की पंचायत में अथवा जिला स्तर की पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व न हो:
किन्तु ऐसा नामांकन उस पंचायत में चुने जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।
- (vii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अभिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास से पहले उपयुक्त स्तर की ग्राम सभा अथवा पंचायत से परामर्श किया जाना चाहिए।
- (viii) अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वक्षणा लाइसेंस अथवा खनन पट्टे देने से पहले उपयुक्त स्तर की ग्राम सभा और पंचायतों की सिफारिशें आदेशात्मक होनी चाहिए।
- (ix) ग्राम सभा और पंचायतों को—
- (क) किसी मादक द्रव्य की बिक्री और उपभोग का निषेध करने अथवा उसे विनियमित अथवा प्रतिबन्धित करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।
- (ख) गौण वन उत्पादों का स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए।
- (ग) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रामण को रोकने और अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से अन्य-संक्रामित भूमि को वापस दिलाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।
- (घ) गांवों में मंडियों का प्रबन्ध करने और अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने के कार्य को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।
- (ङ) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।
- (च) स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के, जिनमें जनजातीय उप-योजना भी शामिल है, संसाधनों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

3.5.4 पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के विशिष्ट उपबन्धों से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम सभाओं और पंचायतों से यह अभिप्रेत है कि वे संविधान के अनुच्छेद 243छ में शामिल दो उद्देश्यों वाली योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी लें; वे दो उद्देश्य हैं:— (क) सामाजिक-आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना, और (ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की उन स्कीमों को कार्यान्वित करना, जो उन्हें सौंपी

जाएँ, जिनमें वे स्कीमें भी शामिल हैं, जिनका सम्बन्ध संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से है। परन्तु, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को दी गई लगभग परिपूर्ण भूमिका और पी.ई.एस.ए. अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 243छ और पी.ई.एस.ए. अधिनियम की धारा 4(ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के बावजूद, पंचायतें राज्य विधानमंडलों पर भरोसा करती हैं कि वे “पंचायतों को वह शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करें, जो उन्हें स्वायत्त-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों” और “ऐसे कानून में उपयुक्त स्तर की पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के अन्तरण के उपबन्ध शामिल हो सकते हैं।” इस प्रकार, व्यावहारिक रूप से, पंचायतों के सशक्तीकरण का काम, कुल मिलाकर, राज्य सरकारों का है। यद्यपि, पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 में राज्य सरकारों के लिए ऐसा कोई कानून बनाने का निषेध है, जो धारा 4 के उपबंधों के अनुरूप न हो, लेकिन यह देखा गया है कि राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं और पूरी तरह से पी.ई.एस.ए. अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों को यह सलाह देने के लिए अनुदेश जारी करने की आवश्यकता है कि वे पंचायतों को अपेक्षित शक्तियों और प्राधिकार से लैस करने के लिए, जिससे वे स्व-शासन के संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ हो सकें, पी.ई.एस.ए. अधिनियम की धारा 4(ढ) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

3.5.5.1 अनुच्छेद 243घ में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों, और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए उपबन्ध किया गया है और यह उपबन्ध भी किया गया है कि इस प्रकार आरक्षित की गई सीटों की संख्या उस पंचायत में सीधे निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या के उसी अनुपात में होगी, जितना अनुपात उस पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का है और ये सीटें पंचायत के विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को बारी-बारी से दी जाएँ। इस अनुच्छेद में इसके अलावा यह उपबन्ध भी किया गया है कि ग्राम स्तर की अथवा किसी अन्य स्तर की पंचायत में अध्यक्षों के पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए उस तरीके से किया जाएगा, जो किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, निर्धारित करे:

परन्तु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर की पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या, प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में ऐसे पदों की कुल संख्या के यथासम्भव लगभग उसी अनुपात में होगी, जितना अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का है:

परन्तु यह भी कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्तून पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे:

परन्तु यह और भी कि इस खंड के अन्तर्गत आरक्षित किए गए कुल पद प्रत्येक स्तर की विभिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जाएंगे।

3.5.5.2 संविधान के उपर्युक्त उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (छ) में यह उपबन्ध है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण उस पंचायत में उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिए संविधान के भाग (IX) के अन्तर्गत आरक्षण का प्रयास किया गया है। खंड के दूसरे परन्तुक में यह उपबन्ध है कि सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के सिवाय, सभी राज्यों ने राज्य पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं, और अन्य बातों के साथ-साथ, इन अधिनियमों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखने से सम्बन्धित उपबन्ध शामिल किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 243ड के अनुसार, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्यों को संविधान (तेहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के लागू किए जाने से छूट दी गई है। जम्मू और कश्मीर में, राज्य विधानमंडल ने संविधान (तेहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के उपबंधों को नहीं अपनाया है।

3.5.5.3 झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में कुछ याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से अधिकतर याचिकाओं में पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड(छ) के दूसरे परन्तुक की वैधता को और झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 21(ख), धारा 40(ख), धारा 55(ख) और धारा 17(ख) की उपधारा (2), धारा 36(ख) की उप-धारा (2) और धारा 51(ख), की उप-धारा 2 की वैधता को चुनौती दी गई थी। झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 2 सितम्बर, 2005 के निर्णय द्वारा यह फैसला किया था कि अध्यक्षों के पदों और स्थानों का सौ प्रतिशत आरक्षण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अत्यधिक, अ-युक्तिसंगत है और समानता के सिद्धान्तों के विरुद्ध है, अर्थात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उपर्युक्त उपबन्धों के जरिए, अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के स्थानों का आरक्षण किया जा चुका है, वह असंवैधानिक है और उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। तदनुसार, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 की धारा 4 की उप-धारा (छ) के दूसरे परन्तुक और झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 की धारा 21(ख), धारा 40(ख), और धारा 55(ख), को, जहां तक अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के स्थानों के सौ प्रतिशत आरक्षण का सम्बन्ध है, असंवैधानिक और शक्ति-बाह्य घोषित किया।

3.5.5.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों की पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए करने के सम्बन्ध में झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल फलितार्थों के बारे में गम्भीर रूप से चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता था। इस मामले पर आयोग द्वारा 12 सितम्बर, 2005 को हुई एक विशेष बैठक में विचार किया गया। यह महसूस किया गया कि आयोग को यह मामला पंचायती राज मंत्रालय के साथ, जो पी.ई. एस.ए. अधिनियम, 1996 को लागू करने से सम्बन्धित नोडल मंत्रालय है, तुरन्त उठाना चाहिए और उन्हें अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील/विशेष अनुमति याचिका दायर करने की सलाह देनी चाहिए। आयोग ने, तदनुसार, अपने दिनांक 20 सितम्बर, 2005 के पत्र के जरिए यह मामला पंचायती राज मंत्रालय के साथ उठाया और उनसे अनुरोध किया कि वे आयोग को इस बात से अवगत कराएं कि झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, जहां तक उसका सम्बन्ध झारखंड पंचायती राज अधिनियम, 2001 से है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है। पंचायती राज मंत्रालय ने अपने 5 जनवरी, 2006 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में डायरी संख्या 24969/2005 द्वारा एस.एल.पी. दायर की गई है। झारखंड सरकार ने अपने दिनांक 31.12.2005 के पत्र द्वारा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से मार्गनिर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि वे अपने द्वारा की जाने वाली भावी कार्रवाई का फैसला कर सकें और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 22.9.2005 के पत्र द्वारा राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि वे इस बारे में कानूनी सलाह लेने के बाद और पंचायती राज मंत्रालय के साथ सलाह करके, राज्य की अनुसूचित जनजातियों के हित में अपील दायर करें।

3.5.5.5 पंचायती राज मंत्रालय ने आयोग को अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी स्तरों की पंचायतों के अध्यक्षों के स्थानों के आरक्षण के मुद्दे पर माननीय पटना उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) के निर्णयों से अवगत कराया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना से यह प्रकट होता है कि:

- (i) बिहार के मामले में, माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 1994 के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3351 और ऐसे ही अन्य मामलों में ग्राम पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण से सम्बन्धित बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के कतिपय उपबन्धों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि ये एकल पद हैं और ऐसा आरक्षण 100 प्रतिशत आरक्षण होगा। बिहार सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती देते हुए 1996 की एस.एल.पी. संख्या 9724-28, 9819-25 दायर की है। भारत सरकार भी इस वाद का एक पक्ष है। यह वाद अभी लम्बित पड़ा है। इस बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने 29.8.2000 और 5.1.2001 को यह स्पष्ट किया था

कि बिहार सरकार राज्य में कानून के अनुसार, "जैसाकि वह आज है", पंचायतों के चुनाव करा सकती है। इसका अर्थ—निर्णय, जैसाकि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था, यह था कि अध्यक्षों के स्थानों के आरक्षण के किसी उपबन्ध के बिना चुनाव कराए जा सकते हैं। तदनुसार, बिहार सरकार ने पंचायतों के तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के पदों के लिए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबन्ध किए बिना, अप्रैल 2001 में पंचायतों के चुनाव कराए।

- (ii) मध्य प्रदेश के मामले में, सामान्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए पंचायतों के चुनाव में 50 प्रतिशत से अधिक सीटों के आरक्षण और अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों में अध्यक्षों की सीटों में 100 प्रतिशत आरक्षण को 1999 में जबलपुर के उच्च न्यायालय में उस समय चुनौती दी गई, जब चुनाव होने वाले थे। उच्च न्यायालय ने लेख्य याचिकाओं के बारे में अपने दिनांक 17.12.1999 के आदेश में राज्य द्वारा किए गए आरक्षण को सही ठहराया। न्यायालय ने यह कहा कि राज्य और भारत संघ का प्रयास स्थानीय शासन में अब तक दबे हुए वर्गों, अर्थात् अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों, अर्थात् अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देना है, जो निर्वाचन में समाज के शिक्षित और धनी वर्गों के साथ, जिन्हें अग्रिम वर्ग कहा जाता है, प्रतियोगिता करने में सक्षम नहीं हैं। पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में सभी तीनों स्तरों पर अध्यक्षों के पदों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण के मामले में भी, न्यायालय ने राज्य के आरक्षण के उपबन्धों को सही ठहराया। जबलपुर के उच्च न्यायालय के दिनांक 17.12.1999 के आदेश के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करके, जनवरी, 2000 में कराए गए।

3.5.6 अनुच्छेद 243ज राज्य के विधान मंडल को ऐसा कानून बनाने के लिए समर्थ बनाता है, जो पंचायतों को कर लगाने और संग्रह कराने का प्राधिकार दे, पंचायतों के लिए उन करों और शुल्कों, आदि का हिस्सा निर्धारित करे, जो राज्य सरकार द्वारा लगाए और वसूल किए जाते हैं, राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान दिए जाने का उपबन्ध करे। संविधान के अनुच्छेद 243झ में राज्यों और पंचायतों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किए जाने का उपबन्ध भी है। किन्तु, यह देखा गया है कि अपेक्षित वित्त की उपलब्धता सबसे अधिक विषम समस्या है, जिसका सामना पंचायतों को करना पड़ रहा है। आयोग ने देखा है कि चूंकि राज्य सरकारों के पास संसाधनों की बहुत तंगी है, इसलिए उनमें धनराशियों का उपयोग विकास-क्षेत्रों से मोड़ कर गैर-विकास क्षेत्रों में करने की अप्रतिरोध्य प्रवृत्ति है। यह देखा गया है कि केन्द्र द्वारा मुहैया की गई धनराशियां भी, जैसे जनजातीय उप-योजना को विशेष सहायता, अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत सहायता-अनुदान की राशियां राज्य स्तर पर अधिकतर वितरित न किए बिना अथवा उपयोग में लाए बिना पड़ी रहती हैं अथवा उनका उपयोग कम होता है अथवा, कुछ हद तक उनका उपयोग अनुसूचित जनजातियों के विकास की स्कीमों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कर लिया जाता है। इनसे, निस्सन्देह रूप से, माइक्रो स्तर पर जनजातीय विकास के लिए धन की उपलब्धता में कमी आई है। **इसलिए, आयोग का मत है कि एक ऐसा तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत फील्ड संगठनों पर धनराशियों के उपयुक्त उपयोग की उत्तरदायिता की प्रणाली लागू की जाए, जिससे वे धनराशियां सीधे प्राप्त कर सकें, बजाए इसके कि धनराशियां राज्य मुख्यालय के माध्यम से प्रवाहित की जाएं।**

3.5.7 पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुसार, यह जरूरी है कि भूमि का अभिग्रहण करने से पहले और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के कोई प्रबन्ध करने से पहले उपयुक्त स्तर की ग्राम सभा अथवा पंचायतों के साथ सलाह की जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में, जो एक औपनिवेशिक रूढ़ि है, ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। यह ऐसा उपबन्ध है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन करना जरूरी हो गया है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 में भी इसी प्रकार के उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इसे पी.ई.एस.ए.

अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जाए। उदाहरण के लिए, पी.ई.एस.ए. अधिनियम में गौण वन उत्पादों का स्वामित्व ग्राम सभा और पंचायतों को प्रदान किया गया है। इसके विपरीत, भारतीय वन अधिनियम, 1927 प्रमुख और गौण वन उत्पादों में कोई भेद नहीं करता और वन उत्पादों की समूची श्रृंखला का स्वामित्व राज्य, अर्थात् वन विभाग को प्रदान करता है। इसे देखते हुए, आयोग सिफारिश करता है कि:

- (i) जनजातीय कार्य मंत्रालय को भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी जाए ताकि उसे उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभा को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए भूमि का कोई अभिग्रहण करने की आवश्यक शक्तियों प्रदान करने के सम्बन्ध में पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जाए।
- (ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय को भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी जाए ताकि उसके उपबन्धों को गौण वन उत्पादों का स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभा को आवश्यक शक्तियों से सम्पन्न बनाने के सम्बन्ध में पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जाए।

3.5.8 पी.ई.एस. अधिनियम, 1996 की धारा 4(घ) में यह उपबन्ध है कि किसी राज्य का विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के सम्बन्ध में कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, जो सामुदायिक संसाधनों की पारम्परिक प्रबन्ध पद्धतियों के अनुरूप न हो। इसका अभिप्राय यह है कि प्राकृतिक और भौतिक संसाधन समुदाय के हैं और इसलिए इनका प्रबन्ध उसके द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार किया जाना चाहिए। राज्यों ने जल, वन, आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विनियमन अपने विनियामक प्राधिकरणों के माध्यम से करने के लिए कानूनी ढांचों का सृजन किया है, जो पी.ई.एस.ए. अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां पारम्परिक रूप से ग्रामीण लोग भूमि की खेती करते रहे हैं, जिसे बाद में संयुक्त वानिकी प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत ले आया गया है, जिसका परिणाम वस्तुतः यह हुआ कि उसका रूपान्तरण वन विभाग की पुस्तकों में संयुक्त वानिकी के रूप में हो गया और उसके परिणामस्वरूप 'पट्टों' की मांग की आवश्यकता हो गई। कुछ अनुसूचित क्षेत्रों में इसका यह प्रभाव भी पड़ा कि परम्परागत वन ग्राम प्रणाली का उन्मूलन हो गया। आयोग का विचार है कि कानून और नीति के रूप में इस स्थिति के गम्भीर फलितार्थ हैं और जब तक इस प्रकार के मुद्दे सुलझाए नहीं जाएंगे, वनों में बसने वाले जनजातीय लोगों का निष्कासन बेरोकटोक होता रहेगा। **आयोग सिफारिश करता है कि:**

- (i) राज्य सरकारों को यह सलाह देने की जरूरत है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य के पंचायतों सम्बन्धी कानून रूढ़िगत कानून, सामाजिक और धार्मिक रीतियों और सामुदायिक संसाधनों की पारम्परिक प्रबन्ध पद्धतियों के अनुरूप हों और जहां राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बना लिए हैं, जो रूढ़िगत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और पारम्परिक प्रबन्ध पद्धतियों से मेल नहीं खाते, वहां उन्हें राज्य के कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।
- (ii) जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 को शीघ्र पारित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करने चाहिए, जो संसद में पहले से प्रस्तुत किया जा चुका है तथा और आगे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ उस वन भूमि के बारे में, जिस पर वह पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं/ रहते आ रहे हैं, पट्टे पर दिए जाने सम्बन्धी जनजातीय समस्या की ओर ध्यान दिया गया है।

3.5.9 आयोग ने देखा है कि जनजातीय विरासत, विशेष रूप से उनकी कला और कौशलों, पूजा-स्थलों, ऐतिहासिक संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्मारकों, आदि के परिरक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि:

- (i) जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक विरासत का, विशेष रूप से (i) पूजा-स्थलों, (ii) ऐतिहासिक संग्रहालयों, (iii) ऐतिहासिक स्मारकों, और (iv) जनजातीय कला और कौशलों के सन्दर्भ में परिरक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
- (ii) मद संख्या (i) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को मानीटर करने और जनजातीय संस्कृति और विरासत को बरकरार रखने और उसके परिरक्षण के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त उपायों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग में एक जनजातीय प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए।

3.5.10 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन (भारत सरकार) और राज्यों में उसके प्रतिरूप संगठनों को भी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत का परिरक्षण करने की ओर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जानी चाहिए।

3.6 जनजातीय विकास कार्यनीति और कार्यक्रम

3.6.1 जनजातीय उप-योजना

3.6.1.1 जनजातीय उप-योजना, एक तरह से, जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की जीवन-रेखा है। जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति की शुरुआत जनजातीय लोगों के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहली बार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। यह कार्यनीति तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर 1972 में तैयार की गई थी। इसकी मुख्य विशेषताएं ये हैं:

- (i) यह जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए बनाई गई किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की योजना के दायरे में आती है। ऐसी योजना किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की समूची योजना का भाग होती है, और इसलिए इसे उप-योजना कहा जाता है। किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के जनजातीय लोगों और जनजातीय क्षेत्रों को जनजातीय उप-योजना से जो लाभ मिलते हैं, वे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की समूची योजना से मिलने वाले लाभों के अलावा होते हैं।
- (ii) जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति 21 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों में प्रचालित है। ये राज्य और संघ राज्यक्षेत्र हैं: आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमन और दीव। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जनजातीय उप-योजना की धारणा लागू नहीं होती, क्योंकि इन राज्यों में कुल जनसंख्या में जनजातीय लोगों का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है।
- (iii) जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति के लिए (i) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए संसाधनों का पता लगाना; (ii) विकास के लिए स्थूल नीतिगत ढांचा तैयार करना; और (iii) उसके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त प्रशासनिक कार्यनीति निर्धारित करना जरूरी है।
- (iv) इस कार्यनीति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए कम से कम उतनी धनराशि प्राप्त हो, जो प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या के अनुपात के बराबर हो।
- (v) राज्यों के विभिन्न विभागों/क्षेत्रों के टी.एस.पी. संघटकों के सम्बन्ध में राज्य योजना की टी.एस.पी. राशियों को राज्य के जनजातीय विकास के बजट के विभिन्न मांग शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- (vi) अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत किए गए कुल आबंटन के 10 प्रतिशत के बराबर राशि टी.एस.पी. के लिए अलग निर्धारित की जाती है, टी.एस.पी. द्वारा अपनाए जाने वाले संस्थात्मक ढांचे में परिवर्तन करने के साधन के रूप में उपयोग की जाती है और उसका आबंटन केन्द्रीय

सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) द्वारा केवल उन राज्यों के बीच किया जाता है, जिन्होंने टी.एस.पी. (जनजातीय उप-योजना) के लिए अनुमोदित राशि की 75 प्रतिशत से अधिक राशि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को वास्तव में रिलीज़ की हो। जनजातीय लोगों की बहुसंख्या वाले राज्यों के मामले में, मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमों के अन्तर्गत रिलीज़ किए गए अनुदानों की 75 प्रतिशत राशि का उपयोग भी इस प्रोत्साहन के लिए विचार किए जाने का पात्र होता है।

3.6.2 जनजातीय विकास कार्यक्रमों का निधिपोषण

3.6.2.1 जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निधियों के स्रोत ये हैं:

- (i) राज्य योजना का जनजातीय उप-योजना संघटक;
- (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान और जनजातीय कार्य मंत्रालय की अन्य स्कीमों के अन्तर्गत निधियां;
- (iii) केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के क्षेत्रकीय कार्यक्रम (जनजातीय उप-योजना संघटक के अन्तर्गत); और
- (iv) संस्थात्मक वित्त।

3.6.2.2 राज्य सरकारों से अपेक्षित है कि वे जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों के विकास के लिए राज्य योजनाओं से धनराशि का निर्धारण राज्यों में जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में करें। इसी प्रकार, केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए भी यह जरूरी है कि जनजातीय विकास के लिए अपनी वार्षिक योजनाओं से उतनी धनराशि निर्धारित करें, जो देश में जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में हो। इन धनराशियों का उपयोग जनजातीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागबानी, लघु उद्योग, दस्तकारी और आय-सृजन के अन्य क्रियाकलापों के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए किया जाना होता है।

3.6.3 जनजातीय उप-योजना को राज्य योजना से निधियों का प्रवाह

3.6.3.1 मार्गनिर्देशों के अनुसार, यह जरूरी है कि राज्य योजना परिव्ययों में से जनजातीय उप-योजना के लिए निधियों का प्रवाह सम्बन्धित राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात से कम न हो। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से इस नीति के अपनाए जाने के बाद, टी.एस.पी. क्षेत्रों में निधियों के प्रवाह में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। जनजातीय उप-योजना कार्यनीति अपनाए जाने से पहले, चौथी पंच वर्षीय योजना में जनजातीय विकास के लिए व्यय केवल 0.51 प्रतिशत था; वह पांचवीं योजना से टी.एस.पी. कार्यनीति के अपनाए जाने के कारण, बढ़कर आठवीं योजना में 9.47 प्रतिशत हो गया था और नौवीं योजना में लगभग 8 प्रतिशत था।

3.6.3.2 योजना आयोग द्वारा जून, 2005 में दी गई सूचना के अनुसार, 21 राज्य सरकारों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों के योजना परिव्ययों से हुए निधियों के प्रवाह की जानकारी इस अध्याय के **अनुलग्नक 3.II** में दी गई है। (i) राज्य योजना परिव्यय, (ii) जनजातीय उप-योजना परिव्यय, (iii) राज्य के वार्षिक योजना परिव्यय की तुलना में जनजातीय उप-योजना के परिव्यय की प्रतिशतता, (iv) राज्य योजना के वास्तविक व्यय, (v) जनजातीय उप-योजना के वास्तविक व्यय, और (vi) राज्य की वार्षिक योजना के अन्तर्गत व्यय की तुलना में टी.एस.पी. के वास्तविक व्यय की प्रतिशतता की जानकारी इस अध्याय के **अनुलग्नक 3.III** में दी गई है।

3.6.4 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों का जनजातीय उप-योजना संघटक

3.6.4.1 चूंकि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में, केन्द्रीय सरकार की विशेष संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, इसलिए केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। योजना मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय समय-समय पर केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को अनुदेश जारी करते रहे हैं कि वे जनजातीय लोगों और जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करें, ताकि वे उनसे सम्बन्धित क्षेत्रकों के बारे में विशिष्ट कार्यक्रम तैयार कर सकें

और, जहां कहीं आवश्यक हो, वहां राज्य सरकारों से सलाह करके कार्यक्रमों को अपना सकें। जनजातीय विकास की ओर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 1980 में केन्द्रीय मंत्रालयों से निम्नलिखित कदम उठाने का आह्वान किया था:

- (i) केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए धन की मात्रा तय करना और अलग निर्धारित करना
- (ii) जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त आवश्यकता-आधारित कार्यक्रम बनाना
- (iii) अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे कार्यक्रमों का अनुकूलन
- (iv) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करने के लिए मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी निर्धारित करना।

3.6.4.2 इन मार्गनिर्देशों को तत्कालीन कल्याण मंत्रालय और अब जनजातीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा समय-समय पर दोहराया जाता रहा है, विशेष रूप से इस बात को कि सम्बन्धित मंत्रालय/ विभाग द्वारा टी.एस.पी. के अन्तर्गत कम से कम देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के बराबर राशि अलग निर्धारित की जानी चाहिए। उद्देश्य यह है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए, जिनमें केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग विशिष्ट भूमिका निभा सकते हैं और परिव्यय की मात्रा तय की जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय और विभाग अपने द्वारा हाथ में लिए गए विकास के कार्यक्रमों के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएं, और उसके साथ-साथ जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की विशेष आवश्यकताओं को समझें, ताकि वे ऐसी स्कीमों की पहचान कर सकें, जो जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों के लिए उपयुक्त हों।

3.6.4.3 केन्द्रीय मंत्रालयों का योगदान समय-समय पर प्राप्त होता रहा है और कुल मिलाकर यह औसत से कम पाया गया है। नीचे की सारणी में विभिन्न अभिलेखों से प्राप्त स्थिति दर्शाई गई है:

(करोड़ रुपए)

पंच वर्षीय योजना का नाम	कुल परिव्यय	जनजातीय उप-योजना को प्राप्ति	कुल परिव्यय की तुलना में जनजातीय उप-योजना के लिए आबंटित राशि की प्रतिशतता	स्रोत
छठी योजना	7,5.08	912	12.10	सातवीं योजना का कार्य दल
सातवीं योजना				उपलब्ध नहीं
आठवीं योजना (1992-1997)	68,924	5517	8.00	योजना आयोग का नौवीं योजना का दस्तावेज़
नौवीं योजना (1997-2002)	1,10,454	6462	5.85	योजना आयोग का दसवीं योजना का दस्तावेज़

3.6.4.4 योजना आयोग के दसवीं योजना के दस्तावेज़ के अनुसार, जनजातीय उप-योजना के लिए धनराशियां अलग से निर्धारित करने का काम केन्द्रीय सरकार के 25 मंत्रालयों/ विभागों द्वारा और 20 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी संसदीय समिति ने सामान्यतः लाभों की मात्रा निर्धारित करने के बारे में टिप्पणियां की थीं और सिफारिशें की थीं और इसे सन्तोषजनक नहीं पाया था। समिति ने कई मौकों पर मंत्रालयों के कार्य-निष्पादन के बारे में अप्रसन्नता व्यक्त की है और उनसे तथा योजना आयोग से यह सुनिश्चित

करने का अनुरोध किया है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अभिप्रेत निधियां और लाभ सामान्य क्षेत्रों से वास्तव में प्राप्त किए जाएं। समिति ने, इसके अलावा, यह सुझाव दिया था कि यह आंकने के लिए कि निधियां और लाभ कितनी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए, ताकि कमियों को दूर किया जा सके और व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा सके।

3.6.4.5 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में 36 केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों के वर्ष 2005-06 के योजना बजट आबंटनों का, और जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के लिए अपेक्षित 8 प्रतिशत आबंटन का ब्योरा दिया है, जो **अनुलग्नक 3.IV** में दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय उप-योजना के लिए अलग से निर्धारित योजना बजट की विशिष्ट प्रतिशतता की जानकारी नहीं दी है। उनके द्वारा दी गई सारणी, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, टी.एस.पी. के लिए निर्धारित किए जाने वाले योजना बजट की अपेक्षित 8 प्रतिशत राशि का संकेत दिया गया है, कोई सूचना नहीं देती। तथ्य यह है कि अधिकतर मंत्रालय, किसी न किसी आधार पर, टी.एस.पी. के लिए अपेक्षित प्रतिशतता के अनुसार आबंटन नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, डाक विभाग ने इस आयोग को सूचित किया है कि उन्होंने योजना आयोग से टी.एस.पी. के लिए अपने योजना बजट की 8 प्रतिशत राशि आबंटित करने की आवश्यकता से छूट इस आधार पर प्राप्त कर ली है कि उत्पन्न की गई/ उत्पन्न की जा रही सुविधाएं सभी लोगों के लिए हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लोग भी शामिल हैं और उन क्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या बहुत अधिक है, डाकघर खोलना उनकी योजना का भाग है। कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग ने भी इसी तरह से सूचित किया है कि अनुसन्धान के सम्बन्ध में उनके कार्य के स्वरूप को देखते हुए, वे अपने बजट की विशिष्ट प्रतिशत राशि टी.एस.पी. के लिए अलग से निर्धारित करने की स्थिति में नहीं हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि बहुत से मंत्रालयों ने अपने विशेषज्ञीय क्रियाकलापों के कारण, टी.एस.पी. के लिए धनराशियों के प्रवाह के लिए निर्धारित प्राचलों के अन्तर्गत टी.एस.पी. के लिए अपने योजना परिव्यय के अपेक्षित संघटक को अलग करने की कठिनाइयों की सूचना दी है। आयोग का मत है कि अधिकतर मंत्रालयों द्वारा टी.एस.पी. के लिए बजट की 8 प्रतिशत राशि निर्धारित करने के बारे में योजना आयोग के अनुदेशों को कार्यान्वित न करने की मौजूदा प्रवृत्ति से अभिप्रेत प्रयोजन पूरा नहीं होगा और जनजातीय लोगों के विकास की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के लिए सरकार के उद्देश्यपूर्ण और गम्भीर प्रयासों को धक्का लगेगा। चूंकि टी.एस.पी. एक एकीकृत क्षेत्र विकास योजना है, और विकास मंत्रालयों के ऐसे बहुत से विशिष्ट कार्यक्रम और स्कीमें हैं, जिनसे जनजातीय लोगों, जनजातीय भूमियों और जनजातीय क्षेत्रों को समूचे रूप से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है, इसलिए आयोग यह सुझाव/ सिफारिश देना चाहेगा कि कमियों को दूर करने और टी.एस.पी. को निधियों के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य से, निधियों और लाभों की मात्रा आंकने के लिए आवधिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। तदनुसार, आयोग सिफारिश करता है कि:

- (i) योजना आयोग को केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को योजना निधियां रिलीज करने को देश की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में (जो कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है) टी.एस.पी. के लिए इन निधियों की अपेक्षित 8.2 प्रतिशत राशि अलग निर्धारित करने की शर्त के साथ जोड़ देना चाहिए। विकल्प के रूप में स्वयं, योजना आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के योजना परिव्यय को अनुमोदित करते समय इन परिव्ययों का 8.2 प्रतिशत टी.एस.पी. के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित कर देना चाहिए।
- (ii) योजना आयोग को जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सलाह करते हुए अपने इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कुछ मंत्रालयों/ विभागों को अपने योजना परिव्यय का 8.2 प्रतिशत भाग उनके द्वारा संभाले जा रहे विषयों के सम्बन्ध में, जनजातीय विकास से सम्बन्धित क्रियाकलापों पर खर्च किए जाने के लिए निर्धारित किए जाने से छूट दी जा सकती है, जैसाकि उनमें से कुछ द्वारा अपने विशेषज्ञीय क्रियाकलापों को देखते हुए कहा गया है।

- (iii) जनजातीय कार्य मंत्रालय को विकास कार्यक्रमों के बारे में कार्रवाई करने वाले सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी करने चाहिए कि उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा अपने योजना बजट में से जनजातीय उप-योजना के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रतिशतता और देश में जनजातीय विकास के लिए टी.एस.पी. बजट के अन्तर्गत उनके द्वारा हाथ में लिए गए क्रियाकलापों की जानकारी अवश्य देनी चाहिए।
- (iv) टी.एस.पी. के अन्तर्गत आबंटित निधियां, जो राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अथवा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वित्त वर्ष के अंत तक खर्च नहीं की जातीं, व्यपगत न होने वाली निधियां बना दी जानी चाहिए, जैसाकि राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों और टी.एस.पी. तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के मामले में है।

3.6.5 जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

3.6.5.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उन क्षेत्रों में राज्य योजना के लिए एक योगज (अतिरिक्त राशि) के रूप में दी जाती है, जहां राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय लोगों और अधिक त्वरित आर्थिक विकास के लिए राज्य योजना की व्यवस्थाएं सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं होतीं। यह स्कीम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, टी.एस.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता टी.एस.पी. के परिवार-आधारित आय-सृजनकारी क्रियाकलापों के लिए अभिप्रेत थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि से, टी.एस.पी. के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य और दायरे का विस्तार कर दिया गया है ताकि उसमें रोजगार-व-आय सृजन के न केवल परिवार-आधारित बल्कि स्व-सहायता समूहों/ समुदाय द्वारा संचालित क्रियाकलापों, और उनके अनुषंगी बुनियादी ढांचे के क्रियाकलापों को कवर किया जाए। टी. एस.पी. को विशेष केन्द्रीय सहायता देने का अन्तिम उद्देश्य मांग-आधारित आय-सृजन करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और जनजातीय लोगों के आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना है।

3.6.5.2 विशेष केन्द्रीय सहायता उत्तर-पूर्व के असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों सहित 21 जनजातीय उप-योजना राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों को दी जाती है। लेकिन, 2003-04 से, संघ राज्यक्षेत्रों के लिए अभिप्रेत निधियों की व्यवस्था गृह मंत्रालय के बजट में की जाती है। विशेष केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित के सम्बन्ध में जनजातीय लोगों के आर्थिक विकास के लिए दी जाती है:

- (i) एकीकृत जनजाति विकास परियोजना क्षेत्र (संख्या 195): ये सामान्यतः तहसील अथवा ब्लाक के आकार अथवा उससे बड़े आकार के परस्पर-सटे हुए क्षेत्र हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत के बराबर अथवा उससे अधिक है।
- (ii) उपान्तरित क्षेत्र विकास पद्धति (एम.ए.डी.ए.) पॉकेट (संख्या 259): ये 10,000 अथवा उससे अधिक की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाली निर्धारित पाकेट हैं।
- (iii) क्लस्टर (संख्या 82): ये गांवों के निर्धारित समूह (क्लस्टर) हैं, जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल मिलाकर 5,000 अथवा उससे अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है।
- (iv) आदिम जनजाति समूह (संख्या 75): इनकी विशेषताएं जनसंख्या में वृद्धि की कम दर, प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर और साक्षरता का अत्यन्त निम्न स्तर हैं।
- (v) उपर्युक्त क्रम संख्या (i) से (iv) में उल्लिखित श्रेणियों से भिन्न बिखरे हुए जनजातीय लोग।

3.6.5.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय उप-योजनाओं वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत अनुदानों के रूप में रिलीज़ की जाती है। जनजातीय उप-योजना को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता की विशेषताएं ये हैं:

- (i) गरीबी की रेखा से नीचे के जनजातीय लोगों को सहायता।
- (ii) यह जरूरी है कि 70 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग कृषि/ बागबानी, भूमि सुधार, वाटरशेड विकास, पशु पालन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, वनों और वन-गांवों का विकास, छोटे पैमाने के उद्योगों में उद्यमशीलता विकास, आदि जैसे क्षेत्रों में परिवार/स्व-सहायता समूह/ समुदाय आधारित रोजगार और आय सृजन को सहायता देने वाली प्राथमिक स्कीमों के लिए किया जाए। शेष 30 प्रतिशत का उपयोग अनुषंगी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाना होता है।
- (iii) वन-गांवों में रहने वाले उपेक्षित जनजातीय लोगों को और संयुक्त वन प्रबन्धन के कार्यक्रमों के साथ तुल्यकालन को प्राथमिकता दी जानी अपेक्षित है।
- (iv) 'महिलाओं के संघटक' को उच्च प्राथमिकता दी जानी जरूरी है।
- (v) यह जरूरी है कि विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य की वार्षिक योजना का अभिन्न भाग हो।
- (vi) नियत की गई राशि का 10 प्रतिशत भाग जनजातीय उप-योजना के शब्द और अर्थ दोनों दृष्टियों से, कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने के वास्ते अलग निर्धारित किया जाता है।
- (vii) निधियों को आई.टी.डी.पी.-वार निर्धारित किया जाना जरूरी है।

3.6.5.4 जनजातीय उप-योजना वाले राज्यों को निधियां आबंटित करते समय निम्नलिखित कसौटियों को ध्यान में रखा जाता है:

- (क) टी.एस.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के कुल आबंटन में से 10 प्रतिशत राशि राज्यों को निम्नलिखित भारत कसौटियों की प्रणाली के आधार पर रिलीज़ की जाती है:
 - (i) यह सुनिश्चित करने के जरिए कि टी.एस.पी. की समूची राशि, जो कम से कम राज्य में जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात के बराबर हो, अधिक एकीकृत और संकेन्द्रित योजनाएं बनाने और परियोजनाओं/ स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के जनजातीय विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक ही बजट शीर्ष के अन्तर्गत रखी जाए, टी.एस.पी. की कार्य-पद्धति को, शब्द और अर्थ दोनों रूपों में, अपनाना।
 - (ii) उसके बाद, जनजातीय उप-योजना की अनुमोदित निधियों की 75 प्रतिशत औसत राशि, जो पिछले तीन वर्षों में वास्तव में उपयोग की गई हो/ राज्य के जनजातीय विकास विभाग के बजट शीर्ष के माध्यम से कार्यान्वयन अधिकारियों को रिलीज़ की गई हो;
 - (iii) राज्य को प्रोत्साहन के रूप में दी गई धनराशियों का उपयोग केवल रोजगार और आय सृजन के उन क्रियाकलापों के लिए किया जाता है, जिनसे जनजातीय लोगों को लाभ होता है।
- (ख) तब, विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत आबंटित कुल राशि का शेष 90 प्रतिशत भाग राज्यों के बीच जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति के अन्तर्गत कार्यक्रमों, अर्थात् एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं, उपान्तरित क्षेत्र विकास पद्धति पाकेट, क्लस्टर और आदिम जनजाति समूह के हिस्से के आधार पर और आगे आबंटित किया जाता है, और उसका हिसाब प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में लगाया जाता है।

3.6.5.5 आई.टी.डी.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन के प्रयोजन से, राज्यों को दो श्रेणियों में समूहबद्ध किया गया है। 'क' श्रेणी में ऐसे काफी बड़े क्षेत्रों वाले राज्य हैं, जहां जनजातीय लोग बहु-संख्या में रहते हैं। ये हैं: आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान और सिक्किम। श्रेणी 'ख' में बिखरी हुई जनसंख्या वाले राज्य हैं, जहां कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जहां जनजातियों का संकेन्द्रण है, जैसे असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल और संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और दमन और दीव। इन राज्यों को आई.टी.डी.पी. के लिए कुल आबंटन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की जनजातीय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

3.6.5.6 जहां तक एम.ए.डी.ए. पाकेटों, क्लस्टरों और बिखरे हुए जनजातीय समूहों का सम्बन्ध है, विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 100 प्रतिशत आबंटन/ इन श्रेणियों में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जहां तक आदिम जनजाति समूहों का सम्बन्ध है, 70 प्रतिशत राशि का आबंटन आदिम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या के आधार पर और शेष 30 प्रतिशत का आबंटन राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र में आदिम जनजातीय समूहों की संख्या के आधार पर किया जाता है। मानदण्डों के आधार पर प्रत्येक राज्य की हकदारी की गणना करने के बाद, एम.ए.डी.ए., पी.टी.जी., क्लस्टरों और बिखरे हुए जनजातीय समूहों में अनुसूचित जनजातियों के लिए इस प्रकार परिकल्पित राशि प्रत्येक राज्य के लिए अलग निर्धारित की जाती है और राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे एम.ए.डी.ए., पी.टी.जी., क्लस्टरों और पी.टी.जी. की अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए परियोजनाओं/ स्कीमों को संकेन्द्रित तरीके से और सुनिर्धारित लक्ष्यों के साथ कार्यान्वित करें।

3.6.5.7 वर्ष 2004-05 के लिए जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि 497 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। यह समूची राशि उस वर्ष राज्यों को रिलीज़ कर दी गई थी। वर्ष 2005-06 में 230 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिनमें से 181.08 करोड़ रुपए असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को पहले दौर में रिलीज़ कर दिए गए थे। दसवीं योजना के पहले दौर में रिलीज़ की गई, खर्च की गई राशि, और खर्च किए बिना शेष पड़ी राशि का विवरण **अनुलग्नक 3.V** में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राशियां रिलीज़ किए जाने की प्रवृत्ति नीचे की सारणी में दर्शाई गई है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	रिलीज़ की गई राशि (करोड़ रुपए)
(i)	2000-01	400.00
(ii)	2001-02	500.00
(iii)	2002-03	500.00
(iv)	2003-04	461.30
(v)	2004-05	497.00
(vi)	2005-06	230.00

स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय की 2004-05 और 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट

3.6.6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान

3.6.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के पहले परन्तुक में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत की समेकित निधि से हर वर्ष अनुदान दिए जाने की गारंटी दी गई है और इस संवैधानिक दायित्व के अनुसरण में जनजातीय कार्य मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीम "संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान" के जरिए धनराशियां मुहैया करता है। इस स्कीम का उद्देश्य जनजातीय विकास की ऐसी परियोजनाओं की लागत को पूरा करना है, जो राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भाग के प्रशासन के स्तर तक ऊंचा उठाने के लिए हाथ में ली जाएं। इस स्कीम में जनजातीय उप-योजना वाले सभी 21 राज्यों और देश की जनजातियों की बहुसंख्या वाले 4 अन्य राज्यों को कवर किया गया है। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुदान रिलीज़ करने के लिए कुछ मार्गनिर्देश ये हैं:

- (i) इन अनुदानों का उपयोग मूल रूप से ऐसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के सृजन और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जाना है, जो जनजातीय क्षेत्रों को देश के अन्य भागों के बराबर लाने के लिए जरूरी है। बुनियादी उद्देश्य यह है कि आय और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न किए जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, आय सृजन, आदि जैसे मानव विकास के सूचकांकों को ऊंचा उठाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे पर उपयुक्त रूप से बल दिया जाता है।
- (ii) यह जरूरी है कि भौतिक और वित्तीय परियोजनाओं सहित इस अनुच्छेद के अन्तर्गत निधिपोषण के लिए क्रियाकलापों की क्षेत्रक-वार और वर्ष-वार चरणबद्धता दर्शाने वाली विशिष्ट परियोजनाएं/ स्कीमें समूची जनजातीय उप-योजना का अभिन्न अंग हों और इसलिए उन्हें राज्य की वार्षिक योजना के साथ तैयार किया जाना चाहिए।
- (iii) लोगों की भागीदारिता वह केन्द्रीय सूत्र है, जिससे जनजातीय विकास का कपड़ा बुना जाना है। इसलिए, जनजातीय विकास की कार्यनीति को स्कीमों को तैयार करने में और अनुदानों से उन्हें कार्यान्वित करने में लोगों की भागीदारिता सुनिश्चित करनी चाहिए। पंचायत अधिनियम, 1992 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना जरूरी है।
- (iv) प्रत्येक राज्य, क्षेत्र, आई.टी.डी.ए., एम.ए.डी.ए. और क्लस्टर के लिए एक विशिष्ट योजना अपेक्षित है, जो निम्न साक्षरता, घटिया स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई, सड़कों, पुलों, बिजली, तकनीकी/ व्यावसायिक संस्थानों, वनों, खेलों का संवर्धन, आदि जैसे क्षेत्रों में विशेष कमियों के बारे में स्थानीय रूप से महसूस की जा रही आवश्यकताओं पर आधारित हो। इसलिए प्रत्येक आई.टी.डी.ए., एम.ए.डी.ए. और क्लस्टर के लिए, और उसके आधार पर पूरे क्षेत्र अथवा पूरे राज्य के लिए जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।
- (v) उपलब्ध संसाधनों को आपस में जोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि संसाधनों को क्षेत्रकीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत एक विखण्डित रूप से बहुत पतला फैलाने के तरीके की बजाए जनजातीय क्षेत्रों में दिखाई दे सकने वाले परिवर्तन सुनिश्चित किए जा सकें।
- (vi) अनुदान की अधिकतम 2 प्रतिशत तक की राशि परियोजना प्रबन्ध, प्रशिक्षण, एम.आई.एस., प्रशासनिक व्यय और मानीटरन तथा मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।
- (vii) परियोजनाओं/ स्कीमों को तैयार करते समय महिलाओं को प्रभावित करने वाले सरोकार/ मुद्दे ध्यान का केन्द्र-बिन्दु होने चाहिए, जिसमें योजना तैयार करने से लेकर क्रियान्वयन के दौर तक महिलाओं का भाग लेना शामिल है। परियोजनाएं इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए कि उनके काफी अधिक लाभ, और कम से कम 30 प्रतिशत लाभ महिलाओं को प्राप्त हों।
- (viii) माइक्रो योजना-निर्माण के तरीके से तैयार आई.टी.डी.ए.-वार एकीकृत योजनाओं के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, लघु उद्योगों, वनों, वनों वाले गांवों, पेयजल, विद्युतीकरण, संचार, ग्रामीण विपणन, कृषि, पशुपालन, खेल संवर्द्धन, खाद्य प्रसंस्करण, गौण वन उत्पादों के प्रसंस्करण, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, जल संचयन, विस्थापित व्यक्तियों का पुनःस्थापन, जनजातीय भूमि प्रबन्ध, आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमियों को पूरा करने के लिए परियोजनाएं हाथ में ली जा सकती हैं।
- (ix) अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत किए गए कुल आबंटन के 10 प्रतिशत के बराबर राशि जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अपने पास रख ली जाती है, जो नवाचारी परियोजनाओं के लिए उन राज्यों के बीच आबंटित की जाती है, जो टी.एस.पी. की अनुमोदित निधियों की कम से कम 75 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य के जनजातीय विभाग के बजट शीर्ष के माध्यम से कार्यान्वयन अभिकरणों को वास्तव में रिलीज़ करने के लिए जनजातीय उप-योजना की पद्धति को सारभूत रूप से अपना लेते हैं।

3.6.6.2 राज्यों को अनुदान राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर दिए जाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, जो पहले वर्षों में परियोजनाओं का पता लगाए बिना निधियां रिलीज़ कर दिया करता था, अब वर्ष 2000-01 से राज्य सरकारों को बुनियादी ढांचे के विकास और कल्याण की विशिष्ट परियोजनाओं के आधार पर धनराशियां रिलीज़ करने का फैसला किया है। लेकिन, इस कार्य पद्धति में राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का यह देखने के लिए संवीक्षण करने की परिकल्पना नहीं की गई है कि क्या ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत धनराशियां रिलीज़ करने के सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार हैं या नहीं, और इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ऐसे बहुत से क्रियाकलापों के लिए अनुदान दे दिए जाते हैं, जो इस स्कीम के दायरे में नहीं आते। इसलिए, आयोग का यह मत है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक समिति, जिसमें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और वन, शिक्षा, जल संसाधन आदि जैसे विकास कार्यों से सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधि और योजना आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि शामिल हों, जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान देने की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित करनी चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह देनी चाहिए कि जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम और अनुच्छेद 275(1) के पहले परन्तुक के तहत अनुदानों की स्कीम के अन्तर्गत जनजातीय विकास के प्रस्ताव उसे (अर्थात् जनजातीय कार्य मंत्रालय को) सम्बन्धित जिले की जिला पंचायत से विधिवत रूप से अनुमोदित कराए जाने के बाद भेजे जाने चाहिए।

3.6.6.3 जनजातीय छात्रों को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, 1997-98 में यह फैसला किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत राशियों के कुछ भाग का उपयोग विभिन्न राज्यों में कक्षा 6 से कक्षा 12 वाले 100 माडल रिहायशी स्कूल स्थापित करने के लिए किया जाए, ताकि जनजातीय छात्र उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में और सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च स्तर की नौकरियों में आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकें। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में 84 माडल रिहायशी स्कूल स्थापित करने के लिए, जो देश के 22 राज्यों में फैले हुए हैं, धनराशियां रिलीज़ की गई थीं। इन स्कूलों का संचालन प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजन से गठित एक स्वायत्त समिति द्वारा किया जाना है। इन स्कूलों में शिक्षा की एकरूपात्मक पद्धति की व्यवस्था करने और इनके छात्रों को उच्च शिक्षा कार्यक्रमों (मेडिकल, तकनीकी, आदि) के लिए प्रभावकारी रूप से प्रतियोगिता करने के लिए समर्थ बनाने के लिए इन स्कूलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या लागू करने और इन स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ सम्बद्ध करने के लिए पहल की गई है। इन स्कूलों को एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल का नाम दिया गया है। अब तक ऐसे 90 स्कूलों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें 68 स्कूल 13 राज्यों में चल रहे हैं।

3.6.6.4 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत 2000-01 से राज्य सरकारों को किए गए वार्षिक आबंटनों और रिलीज़ की गई राशियों की जानकारी नीचे की सारणी में दी गई है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटन	सहायता अनुदान (रिलीज़ किए गए)
2000-01	200.00	191.29
2001-02	300.00	300.00
2002-03	300.00	300.00
2003-04	300.00	252.70
2004-05	330.00	330.00

3.6.6.5 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, वर्ष 2000-01 से, धनराशियां राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित विशिष्ट विकास कार्यों/ परियोजनाओं के आधार पर रिलीज़ की जानी हैं। एक प्रमुख बाधा

यह है कि राज्य सरकारें कार्यान्वयन अभिकरणों को धनराशियां प्रायः समय पर रिलीज नहीं करतीं। दसवीं योजना के शुरू में अथशेष, वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के वर्षों में रिलीज की गई राशियों और किए गए व्यय और वर्ष 2004-05 के अन्त में खर्च न की गई शेष राशि की जानकारी देने वाला विवरण **अनुलग्नक 3.VI** में दिया गया है। यह देखा जाएगा कि खर्च न की गई कुल शेष राशि वर्ष 2004-05 के अन्त में 480 करोड़ रुपए से अधिक थी। यह बहुत निरुत्साहित करने वाली प्रवृत्ति है। टी.एस.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को रिलीज किए गए अनुदानों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति बनी हुई है। इस सम्बन्ध में ध्यान जनजातीय उप-योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की खर्च न की गई राशि, जो तीन वर्षों (अर्थात् 2002-03, 2003-04 और 2004-05) के अन्त में शेष थी, की ओर दिलाया जाता है, जिसकी जानकारी **अनुलग्नक 3.V** में दी गई है। यह राशि 259.46 करोड़ रुपए की थी। यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में, जनजातीय उप-योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दिए गए सहायता अनुदानों का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कर लिया जाता है, जिनके लिए वे राशियां दी गई थीं। सहायता अनुदानों का उपयोग न किए जाने और उसके साथ-साथ धनराशियों का व्यपवर्तन किए जाने से जनजातीय विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता में कमी हो जाती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग को राज्य सरकारों के पास इतनी भारी धनराशियों के जमा हो जाने की समस्या पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित करने के प्रभावकारी तरीकों का पता लगाया जा सके कि केन्द्रीय सरकार द्वारा रिलीज की गई राशियों का उपयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निर्धारित परियोजनाओं के लिए किया जाए। **आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय और योजना आयोग को यह सलाह देना चाहेगा कि राज्य सरकारों को टी.एस.पी. के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दिए गए सहायता अनुदानों का समय पर उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए ये अनुदेश जारी किए जाएं:**

- (i) राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे इन अनुदानों का 100 प्रतिशत उपयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष (अर्थात् वह वर्ष, जिसके लिए अनुदान दिए गए हों) के अन्त तक कर लें और यदि राज्य सरकारों द्वारा भरसक प्रयत्न किए जाने के बावजूद अनुदानों की राशि का कुछ भाग खर्च किए बिना बाकी रह जाए, तो उसका (अर्थात् खर्च न हुई शेष राशि) का उपयोग जनजातीय कल्याण से सम्बन्धित अन्य परियोजनाओं पर अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक हर हालत में कर लिया जाना चाहिए। यदि इन अनुदानों का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक भी नहीं किया जाता, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुदानों का उपयोग न किए जाने की जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए और सम्बन्धित राज्य सरकार को यह सलाह देनी चाहिए कि जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदानों का पूरा उपयोग अगले वित्तीय वर्ष में कर लिया जाए।
- (ii) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि जनजातीय उप-योजना के लिए केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों का उपयोग किसी भी हालत में किसी ऐसे क्षेत्र में न किया जाए, जिसका सम्बन्ध जनजातीय विकास से न हो। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी जाए कि वे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद तीन महीनों के अन्दर जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करें, जिनमें विभिन्न जनजातीय कार्यक्रमों पर इन अनुदानों के वास्तविक व्यय का ब्योरा दिया गया हो, ताकि यह जांच की जा सके कि धन का उपयोग जनजातीय कल्याण की स्कीमों पर समय पर किया गया है और इन अनुदानों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में नहीं किया गया।
- (iii) जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च का ब्योरा राज्यपाल की उस

रिपोर्ट का भाग होना चाहिए, जो भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।

3.6.6.6 आयोग का यह भी विचार है कि ऐसी प्रक्रिया तैयार किए जाने की आवश्यकता है जिससे फील्ड संगठनों पर इन धनराशियों का उपयोग किए जाने का दायित्व डाला जा सके और वे धनराशियां सीधे प्राप्त कर सकें। आयोग सिफारिश करता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, जो सीधे डी.आर.डी.ए. को धनराशियां रिलीज़ करता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों को भी जिला स्तर के कार्यान्वयन अभिकरणों तक सीधे चैनल खोलने पर और आई.टी.डी.पी. अथवा जिला पंचायतों को धनराशियों का सीधा प्रवाह सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए।

3.7 आदिम जनजाति समूहों का विकास

3.7.1 कुछ ऐसे जनजातीय समूह हैं, जिनकी साक्षरता दर बहुत नीची है, जनसंख्या कम हो रही है अथवा स्थिर है, प्रौद्योगिकी कृषि-पूर्व स्तर की है और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। 16 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में ऐसे 75 समूहों का पता लगाया गया है और उन्हें आदिम जनजाति समूहों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार आदिम जनजाति समूहों की जनसंख्या लगभग 24.12 लाख थी। इनमें से अधिकतर समूह छोटे-छोटे हैं, और वे सामाजिक और आर्थिक प्रगति के विभिन्न स्तरों पर पहुंच गए हैं और आम तौर पर दूरस्थ स्थलों पर रहते हैं, जहां का प्रशासनिक और बुनियादी ढांचा निम्न स्तर का है। उनकी समस्याएं और जरूरतें अन्य अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं और जरूरतों से बिल्कुल भिन्न हैं। चूंकि आदिम जनजाति समूह सर्वाधिक कमजोर वर्ग है, इसलिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए यह जरूरी है कि वे उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक/ केन्द्र-प्रायोजित और राज्य योजना स्कीमों से पर्याप्त धनराशियां आबंटित करें। लेकिन सरकार द्वारा यह देखा गया था कि उनके पास पर्याप्त राशियां नहीं पहुंच रही हैं, और इसलिए इस समस्या पर काबू पाने के लिए, वर्ष 1998-99 में अनन्य रूप से आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा 100 प्रतिशत निधिपोषित एक अलग स्कीम शुरू की गई थी (जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है)। यह एक बहुत अधिक लचीली स्कीम है। इसके क्रियाकलापों में कृषि विकास, पशु विकास, आय सृजन कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधाओं, बुनियादी ढांचा विकास, आदि को शामिल किया जा सकता है।

3.7.2 यह स्कीम एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रमों/ एकीकृत जनजाति विकास अभिकरणों, जनजाति अनुसन्धान संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। स्कीमों के उपयुक्त कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और उनमें समन्वय स्थापित करने तथा गैर-सरकारी संगठनों का चयन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की है। कार्यान्वयन अभिकरण को सहायता अनुदान देने की इष्टतम अवधि तीन वर्ष है।

3.7.3 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आई.टी.डी.पी./आई.टी.डी.ए./ टी.आर.आई. और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की संवीक्षा करने और अनुमोदित करने के लिए एक चयन समिति गठित की है। यह समिति हर वर्ष इस स्कीम के अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं/ क्रियाकलापों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा भी करती है। पहली बार वर्ष 2003-04 के दौरान आदिम जनजाति समूहों वाले प्रत्येक राज्य के लिए आबंटन किया गया था और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों से ऐसे क्रियाकलाप हाथ में लेने के लिए, जो आदिम जनजाति समूहों के सतत विकास और कल्याण के लिए अत्यावश्यक हैं, परियोजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2003-04 के दौरान राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो 62 आदिम जनजाति समूहों के सम्बन्ध में थे। वर्ष 2005-06 में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों के 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी और 21.63 करोड़ रुपए के अनुदान दिए, जिनमें बीमा संघटक के अन्तर्गत 10.00 करोड़ रुपए शामिल थे। मुख्यतः, आदिम जनजाति समूहों को बुनियादी न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, खाद्य सुरक्षा, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने से सम्बन्धित क्रियाकलापों वाले प्रस्तावों को

अनुमोदित किया गया था और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को धनराशियां रिलीज की गई थीं। आयोग का मत है कि इस स्कीम के अन्तर्गत, जिसे सात वर्ष पहले शुरू किया गया था, आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए हाथ में ली गई परियोजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इससे सरकार को यह पता लगाने का अवसर मिलेगा कि क्या आदिम जनजाति समूहों के विकास के मामले में गैर-सरकारी संगठनों ने सरकारी अभिकरणों की अपेक्षा बेहतर परिणाम दिए हैं, और यदि ऐसा हो, तो इस स्कीम के अन्तर्गत आदिम जनजाति समूहों के सम्बन्ध में ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को परियोजनाएं सौंप कर उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि आदिम जनजाति समूहों से सम्बन्धित परियोजनाएं/ स्कीमें, अन्यो के अलावा, केवल ऐसे गैर-सरकारी संगठनों को दी जानी चाहिए, जिन्हें आदिम जनजाति समूहों के लिए 15-20 वर्षों से अधिक समय से पूरी भागीदारिता और प्रतिबद्धता की उच्च भावना के साथ काम करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है।

3.7.4 वर्ष 2004-05 के दौरान, भारत सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) ने दसवीं योजना के बाकी 3 वर्षों में समूचे देश भर में आदिम जनजाति समूहों के प्रत्येक परिवार के धनोपार्जन करने वाले सदस्य को भारतीय जीवन बीमा निगम की 'जनश्री बीमा योजना' के अन्तर्गत, जो आदिम जनजाति समूहों के सभी परिवारों के लिए है, बीमा कवच प्रदान करने का फैसला भी किया। वर्ष 2004-05 में आदिम जनजाति समूहों के परिवारों के धनोपार्जन करने वाले 1 लाख सदस्यों को कवर करने के लिए 16 राज्यों को 5.00 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई और वर्ष 2005-06 के दौरान 15 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को आदिम जनजाति समूहों के धनोपार्जन करने वाले 2 लाख सदस्यों को कवर करने के लिए 10.00 करोड़ रुपए रिलीज किए गए। उन परिवारों को, जिनके जीवन का बीमा उनसे कोई प्रीमियम लिए बिना किया गया है, निम्नलिखित लाभ उपलब्ध हैं:

- (i) दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने अथवा स्थाई रूप से निःशक्त हो जाने पर बीमाशुदा व्यक्ति के निकटतम परिजन को 50,000 रुपए की अदायगी;
- (ii) प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाने पर निकटतम परिजन को 20,000 रुपए की अदायगी;
- (iii) आंशिक निःशक्तता के मामले में 20,000 रुपए की अदायगी; और
- (iv) बीमाशुदा व्यक्ति के कक्षा IX और उससे ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाले 2 बच्चों को 300/- रुपए प्रति तिमाही का शिक्षा अनुदान।

3.7.5 इस स्कीम के 1998-99 में शुरू होने के समय से इस स्कीम के अन्तर्गत किए गए आबंटन और आबंटनों के आधार पर रिलीज की गई राशियां इस प्रकार हैं:

वर्ष	आबंटन	रिलीज की गई राशि (लाख रुपए)
1998-99	400	494
1999-2000	1000	663
2000-01	1250	1071
2001-02	1450	1418
2002-03	2000	1375
2003-04	2000	1613
2004-05	2150	2116
2005-06	2475	2154*

स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2004-05 और 2005-06

* 20.2.2006 तक

3.7.6 वर्ष 2005-06 की 24.75 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की तुलना में, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को 21.54 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जिन परियोजनाओं के लिए धन रिलीज किया गया था, वे अधिकांशतः भूमि विकास कार्यक्रमों, लघु सिंचाई, बागबानी, वाटरशेड विकास, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के बारे में थीं। इस स्कीम के अन्तर्गत अनुदान रिलीज करने के लिए आदिम जनजाति

समूहों की अधिकतम संख्या के लक्ष्यवाले परियोजना मोड को अपनाए जाने के बाद, इस स्कीम के तहत आदिम जनजातियों के अपेक्षाकृत अधिक समूहों को शामिल किया गया है। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान रिलीज़ की गई राशियों (आदिम जनजाति समूह-वार) और आदिम जनजाति समूहों के नामों (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) का विवरण **अनुलग्नक 3.VII** में दिया गया है। वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान रिलीज़ की गई राशियों का ब्योरा और केन्द्रीय क्षेत्रक की विकास स्कीमों के अन्तर्गत जितना व्यय होने की सूचना दी गई है, उसका ब्योरा और खर्च न की गई कुल राशियों का ब्योरा **अनुलग्नक 3.VIII** में दिया गया है।

3.7.7 **अनुलग्नक 3.VIII** में दिए गए विवरण को देखने से आदिम जनजाति समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के वास्तविक व्यय के बारे में बहुत निराशाजनक स्थिति प्रकट होती है। यह देखने को मिला है कि वर्ष 2001-2002, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान 17 राज्य सरकारों को रिलीज़ किए गए लगभग 4628 लाख रुपए में से, आदिम जनजाति समूहों के विकास की स्कीमों पर 2601 लाख रुपए का वास्तविक व्यय हुआ, जिससे वर्ष 2004-05 के अन्त में 2027 लाख रुपए की खर्च न की गई राशि शेष बच गई। इन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र राज्य को 526.36 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई थी, जिसमें से कोई खर्च न होने की सूचना दी गई है। अत्यन्त पिछड़े हुए आदिम जनजाति समूहों के विकास की स्कीम का सारा प्रयोजन आदिम जनजाति समूहों के आर्थिक स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुदानों का उपयोग करने में राज्य सरकारों की स्पष्ट न की जा सकने वाली अकर्मण्यता के कारण विफल हो रहा है। राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का उपयोग वांछनीय प्रयोजन के लिए न किए जाने का अर्थ है उन संसाधनों को रोक लेना, जिनका उपयोग अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था। **आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्बन्धित राज्यों को (जहां आदिम जनजाति समूह हों) अनुदान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रिलीज़ कर दिए जाएं, ताकि उन्हें आदिम जनजाति समूहों के विकास पर धन खर्च करने के लिए अधिकतम समय मिल जाए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई धनराशियों का उपयोग न किए जाने के कारणों का जायज़ा भी लेना चाहिए और इन अनुदानों का उपयोग न किए जाने की उत्तरदायिता भी निश्चित करनी चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे—**

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा रिलीज़ किए गए अनुदानों को आदिम जनजाति समूहों के विकास के कार्यक्रमों पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च कर लिया जाए।
- (ii) सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद दो महीनों के भीतर जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें, जिसमें विभिन्न जनजातीय विकास कार्यक्रमों के बारे में अनुदानों के उपयोग का ब्योरा दिया गया हो।
- (iii) आदिम जनजाति समूहों के विकास के कार्यक्रमों/ स्कीमों के लाभ पी.टी.जी. परियोजना क्षेत्रों के बाहर रहने वाले आदिम जनजाति समूहों को भी उसी तरह उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

3.8 कर्नाटक में मलेरु जनजाति को आदिम जनजाति समूह के रूप में मान्यता देना

3.8.1 भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने ए.एस. नागेन्द्र और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य की 2003 की लेख्य याचिका (सिविल) संख्या 76 के मामले में आयोग की राय मांगी थी कि क्या मलेरु समुदाय वही मलेरु समुदाय है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत जारी किए गए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति स्वीकार किया गया है। आयोग ने यह बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत से कदम उठाए कि मलेरु और मलेरु दो भिन्न समुदाय हैं अथवा एक ही समुदाय है। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सूचना से यह प्रकट हुआ कि मलेरु और मलेरु दो भिन्न समुदाय हैं, जिनकी विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक

विशेषताएं हैं, और यद्यपि मालेरु गांवों और कस्बों में रहते हैं और उनका पारम्परिक व्यवसाय 'मन्दिर सेवकों' का है और उनमें ऐसी कोई विशेषता नहीं है, जिसे किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित किए जाने के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन मलेरु [जिन्हें संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है] वनों और पहाड़ियों में रहते हैं और उनका व्यवसाय शिकार करना और वन उत्पाद एकत्र करना है। आयोग के अधिकारियों के एक दल द्वारा, जिसके अध्यक्ष आयोग के एक सदस्य थे, पता लगाई गई बातों से यह भी प्रकट हुआ था कि:

- (i) 1991 की जनगणना के अनुसार, मलेरुओं की कुल जनसंख्या दो हजार से कम थी।
- (ii) मलेरु शाकाहारी नहीं हैं और वे पहाड़ियों से पकड़े गए भुने हुए कीड़ों से बनी हुई चटनी भी खाते हैं।
- (iii) मलेरु शिकारी हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कमी वाले मौसम में उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और वे जड़ें और पत्ते खाने के लिए विवश हो जाते हैं।

3.8.2 आयोग सिफारिश करता है कि निम्न साक्षरता स्तर, अत्यन्त आर्थिक पिछड़ेपन, प्रौद्योगिकी के कृषि-पूर्व स्तर, स्थिर और घटती हुई जनसंख्या और आदिमकालीन विशेषताओं वाले मलेरु समुदाय के लोगों को (जिन्हें पहले से ही अनुसूचित जनजाति स्वीकार किया गया है), उनके शिकारी होने और वनों और पहाड़ियों में रहने और जड़ों तथा पत्तों सहित वन उत्पादों पर जीवन बिताने के कारण, कर्नाटक के मलेरु समुदाय को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया जाए।

3.9 भूमि आबंटन और वितरण

3.9.1 हमारे देश के अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। अनुसूचित जनजातियों में भी, 90 प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। कृषि ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी अर्थव्यवस्था है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका कृषकों अथवा कृषि मजदूरों के रूप में कृषि पर निर्भर होती है। 2001 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के 50 प्रतिशत से अधिक लोग कृषकों के रूप में और लगभग 29 प्रतिशत लोग कृषि मजदूरों के रूप में काम करते हैं। 1961 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच की अवधि में अनुसूचित जनजातियों के लोगों और कुल सामान्य लोगों के मुख्य कर्मकारों के व्यावसायिक वितरण की बदलती हुई प्रवृत्तियों की जानकारी नीचे की सारणी में दी गई है:

क्रम सं.	कर्मकारों की श्रेणी	सामान्य					अनुसूचित जनजातियां				
		1961	1971	1981	1991	2001	1961	1971	1981	1991	2001
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	कृषक	52.78	43.38	41.53	39.74	33.10	68.18	57.56	54.43	54.50	50.90
2.	कृषि मजदूर	16.71	26.32	25.16	19.66	20.30	19.71	33.04	32.67	32.69	28.40
3.	पारिवारिक उद्योग	06.38	3.55	3.99	02.56	3.90	02.47	01.03	01.42	01.04	1.80
4.	अन्य कर्मकार	24.13	26.75	29.32	38.04	42.70	09.64	08.37	11.84	11.76	18.90

स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2003-04

3.9.2 यह याद किया जाए कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के तुरन्त बाद, भूमि सुधार बड़े पैमाने पर लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य बिचौलियों को समाप्त करना, जोत भूमि की उच्चतम सीमा लागू करना, उच्चतम सीमा-अधिशेष भूमि का वितरण, अधिशेष भूमि मुजारों को देना, उच्चतम सीमा-अधिशेष भूमि

के स्वामित्व के अधिकार मुजारों को देना, चकबन्दी करना, भू-अभिलेखों का संकलन करना और उन्हें अद्यतन बनाना था। धेबर आयोग (1961) ने यह कहा था कि भूमि सुधारों की स्कीम जमींदार-मुजारा प्रणाली पर आधारित थी और जनजातीय क्षेत्र में किसी बड़े पैमाने पर पारम्परिक रूप से ऐसी प्रथा नहीं थी। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में, जहां जनजातियों के लोग बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन अथवा सीमान्तिक किसान थे, भूमि सुधारों से काश्तकारी के अधिकारों की प्राप्ति के मामले में सहायता मिलने की अपेक्षा थी। लेकिन, बड़े और कारगर कार्यान्वयन में परिवर्तनों के कारण, बहुत अधिक प्रभाव समाप्त हो गया। परिणाम यह था कि कुछ जनजातीय क्षेत्रों में मुजारों की लगभग 15 से 30 प्रतिशत भूमि उनके हाथों से निकल गई। जनजातीय क्षेत्रों में भूमि सुधारों की विफलता के अन्य कारण ये थे कि जनजातियों के लोगों को कानून और उसके द्वारा उनको प्रदत्त अधिकारों की जानकारी नहीं थी। चूंकि जनजातीय लोगों के पास काश्तकारी-अधिकार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे जमींदारों के अंगूठे के नीचे थे। उच्चतम सीमा-अधिशेष भूमि के वितरण का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक 3.IX** में दिया गया है।

3.9.3 आम धारणा यह है कि चूंकि जनजातीय क्षेत्रों में बहुत अधिक भूमि है, इसलिए जनजातियों में प्रति-परिवार औसत जोत-भूमि काफी अधिक है। शुरू के समय में यह सच हो सकता था, जब जनजातियों की जनसंख्या कम थी और मनुष्य-भूमि अनुपात अनुकूल था। जुलाई 1988-जून 1989 के दौरान किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 44वें चक्र में विभिन्न राज्यों में जनजातीय लोगों में इस बारे में बहुत अधिक भिन्नता देखी गई। इससे प्रकट हुआ कि केन्द्रीय जनजातीय पट्टी में एक परिवार के पास औसत रूप से 1.09 हेक्टेयर भूमि थी, जबकि इसकी तुलना में केन्द्रीय पट्टी का औसत 1.58 हेक्टेयर था, जो सबसे अधिक था और पश्चिम बंगाल का औसत सबसे कम, अर्थात् 0.46 हेक्टेयर था। ये आंकड़े उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औसत जोत-भूमि से कम हैं, जहां क्षेत्रीय औसत 1.32 हेक्टेयर थी, सबसे अधिक अर्थात् 4.02 हेक्टेयर की औसत अरुणाचल प्रदेश में थी और 0.59 हेक्टेयर की सबसे कम औसत त्रिपुरा में थी। जनजातियों में भूमिहीन परिवारों की प्रतिशतता गैर-जनजातीय लोगों की प्रतिशतता की तुलना में कुछ अधिक थी; सम्बन्धित आंकड़े क्रमशः 20.5 प्रतिशत और 16.3 प्रतिशत हैं। जनजातीय सीमान्तिक परिवारों की प्रतिशतता गैर-जनजातीय सीमान्तिक परिवारों की तुलना में कम थी, जो क्रमशः 40.6 प्रतिशत और 51.7 प्रतिशत है।

3.9.4 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के परिणामों से अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न समुदायों के बीच तुलना की जा सकती है। भीलों में, गुजरात में 52.4 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 45.5 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 62.4 प्रतिशत को केन्द्रीय जनजातीय पट्टी में भूमिहीनों के बीच पहली स्थिति प्राप्त थी। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में 45 प्रतिशत गाँडों के पास 2.03 हेक्टेयर से अधिक की जोत-भूमियां थीं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में, त्रिपुरी (13.8 प्रतिशत) सर्वोच्च भूमिहीन श्रेणी में आते थे। 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले लोगों की संख्या अधिक नहीं थी; अधिकतर लोग 1-4 हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व वाले लोगों की श्रेणी में थे।

3.9.5 उच्चतम सीमा के कानून मूलतः 38-48 वर्ष पहले बनाए गए थे और कुछ मामलों में ये कानून 28-33 वर्ष पहले संशोधित किए गए थे। लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इन कानूनों के कार्यान्वयन को उपयुक्त महत्त्व नहीं दिया गया है। शुरू से लेकर मार्च, 2004 तक समूचे देश में अधिशेष घोषित की गई कुल भूमि 73.36 लाख एकड़ थी, जिसमें से 64.97 लाख एकड़ भूमि सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है और 54.03 लाख एकड़ भूमि 57.46 लाभभोगियों के बीच बांट दी गई है, जिनमें से 36 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों के, 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के हैं; अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों की संख्या 8.30 लाख है। 8.69 लाख एकड़ का क्षेत्र मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। आयोग सिफारिश करता है कि उच्चतम सीमा-अधिशेष भूमि को, अन्य लोगों के साथ, भूमिहीन जनजातीय लोगों के बीच बांटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं:

- (i) राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि उच्चतम सीमा-अधिशेष भूमि भूमिहीन जनजातीय लोगों को शीघ्र बांट दी जाए और जिला स्तर पर तुरन्त कार्रवाई वाले न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्ट्स) और तहसील स्तर तक चल न्यायालयों की स्थापना करके मुकदमेबाजी में फंसी भूमियों की शीघ्र बहाली भी की जाए।

- (ii) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी जानी चाहिए कि जनजातीय लोगों की उच्चतम सीमा-अधिशेष भूमियों के लिए किए गए आबंटनों के बारे में प्रविष्टियां भू-अभिलेखों में की जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनजातीय आबंटितियों को वास्तविक कब्जा दिया जाए।

3.9.6 आयोग ने देखा है कि जनजातियों के भूमिहीन लोगों को उच्चतम सीमा-अधिशेष भूमि के आबंटन के बहुत-से मामलों में, उन्हें आबंटित की गई भूमि के पट्टे उन्हें अभी तक नहीं दिए गए हैं और जहां पट्टे दिए गए हैं, वहां भूमि का वास्तविक कब्जा आबंटितियों को नहीं दिया गया है। इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप भूमि सम्बन्धी विवादों में बहुत वृद्धि हो गई है, जो अन्ततः न्यायालयों में ले जाए गए हैं। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह देने की आवश्यकता है कि:

- (i) उन जनजातीय लोगों को जिन्हें भूमि समनुदेशित की गई है अथवा जो लगातार कई वर्षों से, अर्थात् 10 वर्षों से भी अधिक समय से भूमि की खेती कर रहे हैं, भूमि के पट्टे दिए जाएं।
- (ii) मांग किए जाने पर, जोत-भूमि के नक्शे सहित खसरा खतौनी की प्रतिलिपि प्रत्येक जनजातीय परिवार को कोई शुल्क वसूल किए बिना उपलब्ध की जानी चाहिए।
- (iii) जोत-भूमि के राजस्व रिकार्ड, अर्थात् खसरा खतौनी और नक्शे आदि, स्वामियों के नाम और संख्या और क्षेत्र के ब्योरे सहित, ग्राम पंचायतों की अभिरक्षा में रखे जाने चाहिए, ताकि पटवारियों द्वारा जनजातीय लोगों को सही सूचना न दिए जाने के जरिए उन्हें शोषण किए जाने से बचाया जाए।
- (iv) पटवारी द्वारा भूमि-अभिलेखों के परिवर्तन के जरिए खसरा खतौनी में कोई प्रविष्टि ग्राम पंचायत के अनुमोदन से की जानी चाहिए, जैसाकि मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है।

3.9.7 कृषि जोत भूमि के खण्डित टुकड़ों की चकबन्दी भूमि सुधार नीति का एक अभिन्न भाग है। तदनुसार, उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाएं ग्रामों के योजनाबद्ध विकास और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए खण्डित जोत भूमियों की चकबन्दी किए जाने पर जोर देती रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, बहुत से राज्यों ने कानून बनाए हैं और जोत भूमियों की चकबन्दी से सम्बन्धित कार्य हाथ में लिया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों ने इस बारे में सराहनीय सफलता प्राप्त की है। अन्य राज्यों में, चकबन्दी का काम कुछ वर्ष जारी रखा गया था, लेकिन उसके बाद उसकी गति मंद हो गई है। अब तक, समूचे देश में 1633.47 लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी की जा चुकी है। आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय लोगों की छोटी जोत भूमियों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर एक स्थान पर लाया जाए ताकि विभिन्न निविष्टियों के जोरदार अनुप्रयोग द्वारा उन्हें खेती के लिए सक्षम और मितव्ययी बनाया जा सके।

3.10 भूमि का अन्य-संक्रामण

3.10.1 भूमि के अन्य-संक्रामण रोधी कानूनों के कई दशकों से लागू होने के बावजूद, विभिन्न राज्यों में जनजातीय भूमि का कानूनी और गैर-कानूनी अन्तरण हो रहा है। मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण और उसकी बहाली के मामलों की संख्या की राज्य-वार जानकारी अनुलग्नक 3.X के विवरण में दी गई है। इस विवरण में यह देखा जा सकता है कि न्यायालयों में दायर किए गए कुल 3,75,164 मामलों में से (जिनका सम्बन्ध 8,55,282 एकड़ क्षेत्र से है) – न्यायालयों द्वारा मार्च, 2005 के अन्त तक 3,17,643 (अर्थात् 84.67 प्रतिशत) मामले निपटा दिए गए थे। न्यायालयों द्वारा निपटाए गए कुल मामले (अर्थात् 3,17,643) में से 1,54,993 मामले (48.79 प्रतिशत) अस्वीकार कर दिए गए थे और 1,62,650 (अर्थात् 51.20 प्रतिशत) मामलों का फैसला जनजातीय लोगों के पक्ष में किया गया था। उन 1,62,650 मामलों में से, जिनका फैसला जनजातीय लोगों के पक्ष में किया गया था, 1,58,297 (97.32 प्रतिशत) मामलों में जमीन जनजातीय लोगों को बहाल कर दी गई थी। मार्च, 2005 के अन्त में 57,521 मामले (अर्थात् 15.33 प्रतिशत) न्यायालयों में लम्बित पड़े थे। उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रकट होता है कि जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण के

मामलों का निपटान काफी ऊंचा है, क्योंकि कुल 375000 मामलों में से केवल लगभग 57500 मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित थे। लेकिन, आयोग के पास यह विश्वास करने का पूरा कारण है कि सम्भव है कि वे सभी जनजातीय लोग, जिन्हें अपनी भूमि के कब्जे से महरूम कर दिया गया था, नाजानकारी, सामान्य चेतना के अभाव, और निःसन्देह कम संसाधनों के कारण, अपनी भूमि की बहाली के लिए न्यायालयों में न गए हों। इसलिए, उपर्युक्त आंकड़े भूमि के अन्य-संक्रामण के मामलों की पूरी संख्या के द्योतक नहीं हैं। भूमि के गैर-कानूनी और दबाव-वश अन्तरणों ने भी, जो न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की संख्या में शामिल नहीं हैं, जनजातीय लोगों की काफी अधिक भूमि को हथिया लिया होगा।

3.10.2 भूमि और अन्य संसाधनों के सम्बन्ध में अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों और केन्द्र के स्तर पर बहुत से कदम उठाए गए हैं। पांचवीं अनुसूची में शामिल सभी राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जिनमें जनजातीय भूमि का अन्तरण गैर-जनजातीय लोगों को किए जाने का निषेध किया गया है और अनधिकृत अन्तरणों के मामले में जनजातीय लोगों को भूमि की बहाली का उपबन्ध भी किया गया है। विभिन्न राज्यों के इन विधानों का ब्योरा **अनुलग्नक 3.XI** में दिया गया है।

3.10.3 धेबर आयोग (1961) ने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया था, जिनके कारण जनजातियों के लोगों की भूमि का अन्य-संक्रामण हुआ। भूमि के अन्य-संक्रामण के कारणों के बारे में उनके विचार ये थे:

- (i) जनजातीय लोगों की अज्ञानता;
- (ii) कानूनों की त्रुटियां (उन्होंने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की जांच की थी और बचाव के बहुत से रास्ते पाए थे, जिनसे चतुर व्यापारी और ऋणदाता अपने पक्ष में अन्तरण करा सकते थे);
- (iii) न्यायालयों के तंत्र का उपयोग, जिसके सामने एक जनजातीय व्यक्ति न्यूनाधिक रूप से असहाय है;
- (iv) जनजातीय लोगों की अज्ञानता का लाभ उठा कर जमींदारों द्वारा स्वैच्छिक समर्पण कराना;
- (v) प्राधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों की स्थितियों का पर्याप्त ज्ञान न होना;
- (vi) पेचीदा विधान;
- (vii) ऋणदाताओं की सूदखोरी के विकल्प के रूप में ऋण के स्रोतों का अभाव।

3.10.4 धेबर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह विचार व्यक्त किया था कि बचाव के रास्तों को बन्द करने के उद्देश्य से, जनजातीय भूमियों के अन्तरण सम्बन्धी कानूनों की संवीक्षा करने की अविलम्ब आवश्यकता है। आयोग ने कहा था कि:

- (i) उप-आयुक्त अथवा कलेक्टर की अनुमति के बिना, किसी भी प्रकार के करार अथवा संविदा के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्तियों द्वारा गैर-जनजातीय लोगों के पक्ष में, बिक्री, बन्धक, उपहार अथवा पट्टे द्वारा अन्तरण किए जाने का आम निषेध होना चाहिए।
- (ii) डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर द्वारा दिए गए किसी आदेश के खिलाफ वाद दायर करने अथवा आवेदन देने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए और न्यायालय बिक्री, बन्धक, उपहार अथवा किसी अन्य करार अथवा संविदा द्वारा, जब तक कि ऐसा प्रबन्ध डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर की पूर्वानुमति से न किया गया हो, किए गए ऐसे अन्तरण का संज्ञान नहीं करेंगे।
- (iii) डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर को स्वयमेव अथवा 12 वर्षों की अवधि के अन्दर अपकृत जनजातीय भूमि-धारकों के कहने पर, जांच शुरू करने और अन्तरिती को मुआवजा देकर अथवा कोई मुआवजा दिए बिना भूमि का कब्जा बहाल करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
- (iv) भूमियों का समर्पण केवल राज्य को किया जाना चाहिए और समर्पित की गई भूमि राज्य द्वारा एक न्यासी के रूप में अपने पास रखी जाएगी।
- (v) जनजातीय लोगों को उनके लाभ के लिए बनाए गए कानूनों और विनियमों के बारे में जानकारी देने के लिए एक अभियान, तरजीही रूप से गैर-सरकारी अभिकरणों के जरिए, चलाया जाना चाहिए।

(vi) जनजातीय लोगों को सम्बन्धित कानूनों से लाभ उठाने के लिए अपेक्षित वित्तीय और कानूनी सहायता दी जानी चाहिए।

3.10.5 धेबर आयोग की ऊपर उल्लिखित बहुत-सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं और राज्यों के अन्य-संक्रामणरोधी कानूनों में शामिल कर ली गई थीं। कानूनों में किए गए सभी संशोधनों के बावजूद, जनजातीय लोगों की भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को अन्य-संक्रामण बे-रोकटोक जारी है। यह देखा गया है कि बहुत से मामलों में, डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर अन्तरण की अनुमति देने में पर्याप्त ध्यान नहीं देते और सतर्कता नहीं बरतते। गृह मंत्रालय के एक अध्ययन दल द्वारा 1974 में किए गए एक मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया था कि भूमि का अन्य-संक्रामण मुख्य रूप से इन बातों के कारण हो रहा है (i) प्राधिकारियों द्वारा मामूली और नेमी तरीका अपनाए जाने से कानूनी अन्तरण में आसानी होती है, (ii) नौकरों के नाम पर बेनामी लेनदेन, (iii) कपटपूर्ण सिविल कार्रवाइयों के जरिए अन्तरण, (iv) गैर-जनजातीय लोगों द्वारा पत्नियों के रूप में अथवा रखैलों के रूप में जनजातीय महिलाओं के नाम पर अनौपचारिक अन्तरण, (v) अनौपचारिक लेनदेन, जिसमें भूमि मूल भू-स्वामी के नाम में रहती है, लेकिन उसे बटाईदार की स्थिति में ला दिया जाता है।

3.10.6 आयोग को श्री हरि सिंह राठौड़, संसद सदस्य, का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके साथ श्री राम भरोसे (अनुसूचित जनजाति) सुपुत्र श्री बद्री सिंह, ग्राम भूर महोलिया, तहसील-खातिमा, जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तरांचल की एक शिकायत थी, जिसमें यह कहा गया था कि उसकी भूमि को गैर-कानूनी तरीके से श्री उमेश चन्द्र गुप्ता को अन्तरित और राज्य सरकार (तब उत्तर प्रदेश सरकार) के राजस्व-रिकार्ड में 14.3.1978 को पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता ने आयोग से उसकी भूमि उसे बहाल कराए जाने का अनुरोध किया था। आयोग द्वारा यह मामला ऊधम सिंह नगर के जिला कलेक्टर के साथ उठाया गया, जिन्होंने उक्तूबर, 2005 में यह सूचित किया कि उत्तरांचल सरकार द्वारा किए गए सामान्य सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया था कि केवल खातिमा तहसील के 77 गांवों में ही अनुसूचित जनजातियों की जमीन गैर-कानूनी तरीके से गैर-जनजातीय लोगों को अन्तरित की गई है और 13173 गैर-जनजातीय लोग जनजातियों की जमीन पर गैर-कानूनी रूप से काबिज हैं। यह बताया गया था कि विभाजन के बाद सिख और सिंधी समुदायों के लोग बहुत बड़ी संख्या में उत्तरांचल में आकर बस गए थे, जिन्होंने 5/- रुपए और 10/- रुपए के स्टाम्प पेपरों पर बिक्री करारों के जरिए जनजातीय भूमि खरीदी थी और वे लगातार इन भूमियों पर काबिज थे। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि सहायक कलेक्टर को उत्तर प्रदेश भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1982 (जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भू-सुधार अधिनियम, 1950 को संशोधित करने के लिए बनाया गया था) की धारा 211 के अन्तर्गत स्वयमेव अथवा काश्तकार द्वारा आवेदन दिए जाने पर जनजातियों की भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के लोगों से भिन्न लोगों के इस प्रकार के गैर-कानूनी कब्जे को बलपूर्वक हटाने के लिए कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन, जिला कलेक्टर द्वारा अपने उत्तर में यह जोड़ा गया था कि जनजातियों के लोगों को जमीन बहाल करने के लिए इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई किए जाने से राज्य में कानून और शान्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और इसलिए अनुसूचित जनजातियों और उनसे भिन्न लोगों के बीच भूमि-विवादों को तय करने के लिए एक व्यापक नीति अथवा कार्य योजना बनाए जाने की आवश्यकता है। आयोग को जनजातीय लोगों की जमीन पर गैर-जनजातीय लोगों के गैर-कानूनी कब्जे के बारे में उत्तरांचल से दस और मामलों की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। उत्तरांचल में ऐसे बहुत से मामले, विशेष रूप से थारु जनजाति के हैं, जिनकी जमीन अनुसूचित जनजातियों के लोगों से भिन्न लोगों के गैर-कानूनी कब्जे में है।

3.10.7 आयोग के अध्यक्ष के निदेशानुसार, उत्तर प्रदेश भूमि संशोधन अधिनियम, 1982 की धारा 211 के अन्तर्गत इस मामले में अविलम्ब आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव, उत्तरांचल सरकार, देहरादून को 27.2.2006 को एक पत्र लिखा गया था। चूंकि राज्य सरकार से इस मामले में दो महीने तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उत्तरांचल सरकार के मुख्य सचिव को दिनांक 24.4.2006 को संयुक्त सचिव के स्तर पर एक अर्ध-सरकारी अनुस्मारक भेजा गया। इसके बाद भी, उत्तरांचल सरकार से डेढ़ महीने तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और देहरादून में 12.6.2006

को हुई राज्य समीक्षा बैठक में अध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मुख्य सचिव और सचिव (राजस्व) ने आयोग को आश्वासन दिया कि उत्तरांचल की राज्य सरकार ने इस समस्या को अपने ध्यान में ले लिया है और वह समान रूप से चिन्तित है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्दबाजी में की गई किसी कार्रवाई से राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है और इस संकट ने निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सुविचारित और बहुत योजनाबद्ध कार्य-नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने ऊधमसिंह जिले में और राज्य के अन्य स्थानों पर अनुसूचित जनजातियों की भूमियों के न्यायसम्मत स्वामित्व/ कब्जे को बहाल करने का वचन दिया। लेकिन, इस बात पर विचार करते हुए कि उक्त तहसील के बहुत से गांवों में जनजातीय भूमियों का अन्य-संक्रामण गैर-जनजातीय लोगों द्वारा किया गया था, आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तरांचल की राज्य सरकार को सलाह दे कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1982 (जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को संशोधित करने के लिए बनाया गया था) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसमें जनजातीय भूमि के प्रतिकूल कब्जे के कारण काश्तकारी के अधिकारों के उत्पन्न न होने की वजह से सहायक कलेक्टर द्वारा बलपूर्वक निष्कासन के वास्ते स्वयमेव कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है, गैर-जनजातीय लोगों को गैर-कानूनी रूप से अन्तर्गत की गई भूमियों को, जनजातीय लोगों को बहाल करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे।

3.10.8 आयोग की यह भी राय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तरांचल की राज्य सरकार को यह सलाह दे कि वह उन गैर-जनजातीय लोगों के खिलाफ, जिनका जनजातीय भूमि पर गैर-कानूनी कब्जा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(iv) और (v) के अन्तर्गत स्वयमेव मामले दर्ज करे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) में उल्लिखित अनुसूची में दिए गए पैमाने के अनुसार जनजातीय लोगों को मुआवजा/ राहत दे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(iv) और (v) में यह उपबन्ध है कि कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है, (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लाएगा या उस पर खेती करेगा या उसे आबंटित भूमि को अंतरित करा लेगा, और (ii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपयोग में हस्तक्षेप करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्षों तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

3.10.9 आयोग की राय में, जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण के मुख्य कारक ये हैं:

- (i) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा अपनी अन्य-संक्रामित भूमि की बहाली के लिए दायर किए गए आवेदनों के बारे में प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा नेमी रूप से कार्रवाई की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप विचारण न्यायालयों द्वारा उनके दावे अस्वीकार कर दिए जाते हैं।
- (ii) कुछ मामलों में, गैर-जनजातीय लोगों द्वारा जनजातीय भूमि पर जोर-जबरदस्ती कब्जा जमा लिया जाता है, जिसके कारण जनजातीय लोगों को कानूनी उपचार प्राप्त करने के लिए विवश होना पड़ता है, जिससे उन्हें या तो कोई राहत नहीं मिलती अथवा यदि कोई राहत मिलती भी है, तो वह भी बहुत वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद।
- (iii) इस तथ्य का कि बहुत से मामलों में जनजातियों के लोगों के पास पट्टा अथवा कोई अन्य संगत दस्तावेज नहीं होता, गैर-जनजातीय लोगों द्वारा बहुत लाभ उठाया जाता है।
- (iv) कुछ ग्राम अधिकारी भूमि अभिलेखों का निपटारा करते समय अथवा किन्हीं अन्य समयों पर, मूल जनजातीय स्वामी की जानकारी के बिना, भूमि रिकार्डों में हेरफेर करने की शरारतपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- (v) कुछ मामलों में, गैर-जनजातीय लोग अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं से शादी कर लेते हैं और उसके जरिए जनजातीय भूमि तक पहुंच और उसका स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि इस स्थिति में, सरकारी अनुदेशों के अनुसार, किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त नहीं होती।

3.10.10 आयोग जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण की समस्या का यदि उन्मूलन करने के लिए नहीं, तो उसे कम करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें देना चाहेगा:

- (i) इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य सरकारों ने गैर-जनजातीय लोगों को जनजातीय भूमि के अन्तरण को विनियमित करने के लिए कानून बनाए हैं। लेकिन, इनमें से अधिकतर कानूनों में बचाव के रास्ते हैं, जिनसे बेईमान और चालाक गैर-जनजातीय व्यक्तियों को इन कानूनों की भावना के खिलाफ जनजातीय भूमि अपने नाम अन्तरित कराने में सहायता मिलती है। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि सभी राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे बचाव के उन रास्तों को बन्द करने के उद्देश्य से, जिनका दुरुपयोग बेईमान गैर-जनजातीय लोगों द्वारा जनजातीय भूमि अपने नाम अन्तरित कराने के लिए किया जा रहा है, इन कानूनों की समीक्षा करें।
- (ii) पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 की धारा 4(ड)(iii) उस चालू प्राचल से मूल रूप से अलग हो जाती है, जिसमें जनजातीय लोग राहत के लिए राज्य पर निर्भर होते हैं और वे राहत पाने में सफल नहीं होते, क्योंकि अधिकारियों की निहित स्वार्थों के साथ मिली-भगत होती है। इस धारा के उपबंधों के अनुसार, जिम्मेदारी अब बिल्कुल स्पष्ट रूप से ग्राम सभाओं में निहित है, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य-संक्रामण को रोकने और किसी अनुसूचित जनजाति की गैर-कानूनी रूप से अन्य-संक्रामित भूमि को बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। इस अधिनियम के अनुसार, किसी राज्य के विधानमंडल पर कोई ऐसा कानून बनाने की रोक है, जो इस अधिनियम की धारा 4 और धारा 4(ड)(iii) के, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, अन्तर्गत दी गई विशेषताओं के अनुरूप न हो। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि राज्यों को यह सलाह दिए जाने की जरूरत है कि वे राज्यों के कानूनों के उपबन्धों की संगति पी.ई.एस.ए. अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के साथ, जिनमें जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण को रोकने के सम्बन्ध में ऊपर निर्दिष्ट किया उपबन्ध भी शामिल है, बिठाएं।
- (iii) गैर-जनजातीय लोगों को जनजातीय भूमि के गैर-कानूनी अन्तरण को रोकने के लिए कानूनों को और अधिक कड़ा बनाने की आवश्यकता है। जनजातीय भूमि के किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को अन्तरण की मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी साधारण रूप से जिला कलेक्टर होता है। यह देखा गया है कि जिला अधिकारियों द्वारा यह शक्ति एस.डी.ओ. को प्रत्यायोजित कर दी जाती है, जिन्हें साधारण रूप से जनजातीय लोगों की भूमि के अन्तरण से जनजातीय लोगों पर पड़ने वाले अप्रत्यक्ष प्रभाव की जानकारी नहीं होती। हिमाचल प्रदेश (भूमि का अन्तरण विनियमन) अधिनियम, 1968 में शुरू में यह उपबन्ध किया गया था कि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति किसी भूमि में अपने हित का अन्तरण सम्बन्धित जिले के डिप्टी कमिश्नर की पूर्वानुमति लिए बिना बिक्री, रेहन, पट्टे, उपहार द्वारा अथवा अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता, जिसका सम्बन्ध उस जनजाति से न हो। 4 जनवरी, 2003 से संशोधित इस अधिनियम में अब यह उपबन्ध है कि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति राज्य सरकार से लिखित रूप से पूर्वानुमति लिए बिना किसी भूमि में, जिसमें निर्मित परिसर भी शामिल है, अपने हित का अन्तरण बिक्री, रेहन, पट्टे, उपहार द्वारा अथवा अन्यथा किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकता, जो ऐसी जाति का न हो। इस संशोधित अधिनियम में यह उपबन्ध भी किया गया है कि राज्य सरकार ऐसी अनुमति देने से पहले उपयुक्त स्तर की ग्राम सभा और/ अथवा पंचायत से सलाह करेगी। आयोग सिफारिश करता है कि उन राज्यों को, जिन्होंने जनजातीय भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में अन्य संक्रामण-रोधी कानून बनाए हैं, यह सलाह दी जाए कि वे अपने कानूनों/

अधिनियमों में हिमाचल प्रदेश (भूमि का अन्तरण विनियमन) अधिनियम, 1968 में जनवरी, 2003 में किए गए संशोधनों की तरह से संशोधन करें, जिनमें जनजातीय भूमि का अन्तरण किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है (जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है)। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि सम्बन्धित अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन होने तक, राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे जिला कलेक्टरों/ डिप्टी कमिश्नरों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश दें कि किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को जनजातीय भूमि के अन्तरण की अनुमति प्रदान करने की शक्ति (यदि यह उनमें निहित की गई हो) उनके द्वारा (अर्थात् जिला कलेक्टरों/ डिप्टी कमिश्नरों द्वारा) किसी भी स्थिति में जिले के किसी नीचे के पदधारी को प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए।

- (iv) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के काफी अधिक लोग अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहते हैं। उनका भी शोषण किए जाने की सम्भावना होती है और, इसलिए, उन्हें भी अनुसूचित क्षेत्रों के अन्दर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों के समान सुरक्षा की आवश्यकता होती है। **आयोग, इसलिए सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को यह सलाह देने की भी आवश्यकता है कि वे अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को वे विशेष रियायतें देने पर विचार करें, जो पी.ई.एस.ए. अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दी गई हैं।**
- (v) यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजाति स्वामियों को भूमि की वास्तविक बहाली करने और कब्जा देने में बहुत लम्बा समय लगता है, चाहे न्यायालय का निर्णय अनुसूचित जनजाति के पक्ष में हो। इससे भूमि के गैर-कानूनी मालिक को मामले को लटकाने और अपील करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। **आयोग का यह मत है कि राज्य सरकारों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कोई युक्तिसंगत समय-सीमा निर्धारित करें, जिसके अन्दर भूमि अनुसूचित जनजाति के भू-स्वामी को सौंप दी जानी चाहिए।**
- (vi) धेबर आयोग (1961) के साथ सहमत होते हुए, आयोग भी यह सिफारिश करता है कि किसी डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पक्ष में दिए गए किसी आदेश के खिलाफ कोई वाद दायर करने या आवेदन देने पर रोक होनी चाहिए। उड़ीसा सरकार द्वारा बनाए गए कानून में केवल एक राजस्व न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध है। यदि अन्य राज्यों के कानूनों में पहले से ऐसे कोई उपबन्ध मौजूद न हों, तो उनमें भी इसी प्रकार के उपबन्ध किए जाने की आवश्यकता है।
- (vii) राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि वे उन व्यक्तियों के खिलाफ, जो गैर-कानूनी/ कपटपूर्ण तरीके से जनजातीय भूमि का अन्तरण अपने नाम कराने के दोषी पाए जाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(iv) के उपबन्धों के अनुसार स्वयमेव मामले पंजीकृत करें और, उसके बाद, जनजातीय लोगों को (जिनकी भूमि का अन्य-संक्रामण किया गया हो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अनुसार समुचित राहत नकदी के रूप में प्रदान करें।

3.10.11 जनजातीय भूमि का अन्य-संक्रामण केवल कृषीय और आवासीय भूमि तक सीमित नहीं है। उन्हें उनकी वन भूमि के स्वामित्व से भी वंचित किया जाता रहा है। एक अनुमान के अनुसार, 187 जनजातीय जिलों में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.6 प्रतिशत भाग आता है और उनका कुल वन आच्छादन देश के कुल वन आच्छादन के 60 प्रतिशत के बराबर है। दूसरे शब्दों में, जनजातीय क्षेत्र वन आच्छादन की अधिकांश मात्रा प्रदान करता है और, इसलिए, वानिकी के अगले प्रचालनों के नाम पर जनजातीय लोगों को वनों से बाहर धकेलना मानवीय रूप से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी किसी तरह से उचित और न्यायसंगत नहीं होगा। धेबर आयोग (1961) ने जनजातीय लोगों और वनों के बीच सम्बन्धों का विस्तारपूर्वक निरूपण किया था। उसने कहा था कि जनजातीय लोगों ने अति

प्राचीनकाल से वनों का उपयोग करने की स्वतंत्रता का उपभोग किया है और इससे उनकी यह धारणा बन गई है, जो उनके मन में घर कर गई है, कि वन उनके हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य में, इन क्षेत्रों में सरकार के प्राधिकार के विस्तार से और वन उत्पादों पर कड़े नियंत्रण किए जाने से जनजातीय अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है और मानसिक द्वन्द्व का सूत्रपात हो गया है।

3.10.12 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज़ के अनुसार "5000 वन ग्रामों और उनमें रहने वाले 2.5 लाख जनजातीय परिवारों का विकास जनजातीय विकास की समूची प्रक्रिया की एक सबसे अधिक कमजोर कड़ी बना रहा है। इसलिए, दसवीं योजना वन ग्रामों के विकास के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लेगी और राजस्व गांवों की तरह वहां भी लाभ/सेवाएं प्रदान करना और खाद्य, सुरक्षित पेय जल, स्वास्थ्य देखरेख, प्राथमिक शिक्षा, पहुंच मार्ग और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं की बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के व्यापक पैकेज की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेगी।"

3.10.13 सरकार वनों के अन्दर और उनके इर्द-गिर्द रहने वाले जनजातीय लोगों को वनों के प्रबन्ध के प्रत्येक पहलू से एकीकृत करने की केन्द्रीय विषय-वस्तु के बारे में निरन्तर सुसंगत दृष्टिकोण अपनाती रही है। नीति सम्बन्धी सभी वक्तव्यों में, जिनमें वन नीति, 1988 भी शामिल है, जनजातीय समुदायों के हितों का प्रतिपादन किया जाता रहा है और इस बात पर बल दिया जाता रहा है कि संरक्षण के किन्हीं भी उपायों में इन समुदायों को केन्द्र में रखा जाए और इसके साथ-साथ इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए: (i) ठेकेदारों को जनजातीय समितियों द्वारा प्रतिस्थापित करना, (ii) गौण वन उत्पादों के विपणन के संस्थात्मक प्रबन्ध करने के साथ-साथ इन उत्पादों की रक्षा, पुर्जनन और इष्टतम एकत्रण, (iii) वन ग्रामों का राजस्व गांवों के बराबर विकास, (iv) जनजातीय लाभभागियों की स्थिति में सुधार करने के लिए परिवार-उन्मुख स्कीम, और (v) वन क्षेत्रों के भीतर और उनके इर्द-गिर्द जनजातीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकीकृत क्षेत्र विकास के कार्य को हाथ में लेना। किन्तु, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सारे वैधानिक/ नीतिगत ढांचों के बावजूद, वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों के ऐतिहासिक अधिकारों को स्वीकृति नहीं दी गई है। इसलिए, जनजातीय लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और वन भूमि पर उनके कानूनी अधिकारों पर स्पष्ट रूप से बल देने के लिए, सरकार ने एक व्यापक विधान बनाने का फैसला किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसद में इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश किया गया है। विधेयक में वनों में रहने वाली जनजातियों के वन अधिकारों और वन भूमियों के अधिभोग को मान्यता देने और उनमें वे अधिकार निहित करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक की बुनियादी विशेषताओं का उल्लेख इस अध्याय के पैरा 3.12 में किया गया है।

3.11 अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005

3.11.1 वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों और वनों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एक, दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता। वनों में रहने वाले जनजातीय समुदायों द्वारा पारिस्थितिकीय संसाधनों का संरक्षण किए जाने का उल्लेख प्राचीन पाण्डुलिपियों और धर्म-ग्रन्थों में किया गया है। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने बेहतर आर्थिक लाभों के लिए और सम्भवतः उस समय विद्यमान अच्छे कारणों से किसी तरह इस वास्तविकता की उपेक्षा की। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के अपने उत्साह में, हमने औपनिवेशिक विधान को जारी रखा और अपने देश की उन समृद्ध परम्पराओं से कुछ सीखने की बजाए, जो जनजातीय जीवन के लोकाचार में गड़ी हुई हैं, संरक्षण की अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत अधिक धारणाओं को अपना लिया। वीरानगी और वन क्षेत्रों का सृजन करने की आरक्षण की प्रक्रिया ने उन क्षेत्रों में, जहां मूल रूप से जनजातीय समुदाय रहते हैं, वैधानिक ढांचे के सम्बन्ध में जनजातीय समुदाय के प्रामाणिक और वास्तविक हितों की एक तरह से उपेक्षा की। जनजातीय लोगों की सरलता और आधुनिक विनियामक ढांचे के बारे में सामान्य रूप से उनके अज्ञान के कारण वे उन क्षेत्रों के संसाधनों पर, जिन पर वे निर्भर होते हैं, अपने वास्तविक दावों पर जोर डालने से वंचित रह गए। संरक्षण की आधुनिक कार्य-पद्धतियों में भी एकीकरण की बजाय बहिष्करण की वकालत की जाती है। यह केवल हाल में हुआ है कि वन प्रबन्धन व्यवस्थाओं ने अपनी नीतिगत प्रक्रियाओं में यह समझा है कि वनों के जीवित रहने का

अवसर इस बात में निहित है कि वनों में रहने वाले जनजातीय समुदाय संरक्षण और पुनरुज्जीवन के उपायों में भाग लें।

3.11.2 यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां अति प्राचीनकाल से अपने पूर्वजों की भूमि पर रह रही हैं और भारत में वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और भारत के जैव-संसाधनों के बीच एक सहजीवी सम्बन्ध है। वे वनों की पारिस्थितिकीय प्रणालियों की, जिनमें वन्य प्राणी भी शामिल हैं, उत्तरजीविता और संधारणीयता के अभिन्न भाग हैं। वनों की उस भूमि पर, जहां वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियां युगों से रह रही हैं, उनके अधिकारों को स्वीकार न किए जाने की ओर लोगों का ध्यान स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय से जाना शुरू हो गया है। उन अधिकारों की अस्वीकृति को भूलवश वन भूमियों के अधिक्रमण के रूप में देखा जाने लगा है और उस भूमि से अपने निष्कासन का खतरा उनके मन में भूत की तरह से मंडराने लगा है। काश्तकारी की अवधि की असुरक्षा और इन भूमियों से निष्कासन का डर, जिस पर वे पीढ़ियों से रहते रहे हैं और फलते-फूलते रहे हैं, शायद वे सबसे बड़े कारण हैं, जिनसे जनजातीय समुदाय अपने आपको वनों और वन भूमियों से भावनात्मक और भौतिक रूप से बिछड़ा हुआ अनुभव करते हैं। इन सभी कारकों से उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है।

3.11.3 प्राकृतिक संसाधनों, जिनमें गौण वन उत्पाद भी शामिल हैं, के नियंत्रण/ स्वामित्व का अन्तरण स्थानीय समुदायों को न किए जाने और पी.ई.सी.ए. अधिनियम का विस्तार वन क्षेत्रों सहित समूचे अनुसूचित क्षेत्रों पर न किए जाने से, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अपर्याप्त कार्यान्वयन के कारण उन कष्टों में और बढ़ोतरी हो गई है। यद्यपि पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्ध सम्बन्धित स्थानीय समुदायों को गौण वन उत्पादों के स्वामित्व के अधिकार देते हैं, लेकिन उच्च मूल्य वाले गौण वन उत्पादों के संग्रह और व्यापार का एकाधिकार अधिकांशतः राज्यों के वन विभागों के निगमों के पास है और वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के गरीब लोगों को ठेकेदारों द्वारा केवल मजदूरी कमाने वालों के रूप में नियोजित किया जाता है।

3.11.4 इस बात के बावजूद, कि सरकार वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, जो वनों के अन्दर और वनों के इर्द-गिर्द बसते हैं, वनों के प्रबन्ध के सभी पहलुओं के साथ एकीकृत करने की केन्द्रीय विषय-वस्तु पर सुसंगत मत रखती रही है और नीति सम्बन्धी सभी वक्तव्यों में, जिनमें वन नीति, 1988, परिपत्र, मार्ग-निर्देश और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सरकारी आदेश शामिल हैं, जनजातीय समुदायों के पक्ष का समर्थन किया जाता रहा है और इन समुदायों को संरक्षण के किन्हीं भी उपायों के केन्द्र में रखने की जरूरत पर बल दिया जाता रहा है, उस भूमि पर, जिस पर वे पीढ़ियों से रह रहे हैं, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को स्वीकार न किए जाने के सम्बन्ध में ऊपर उल्लिखित स्थिति बनी हुई है। इस पृष्ठभूमि में, कि पर्यावरण और वन मंत्रालय के सभी वैधानिक/ नीतिगत ढांचों के बावजूद वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों के ऐतिहासिक अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है, सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) ने जनजातीय समुदायों के साथ किए गए ऐतिहासिक अन्याय का निराकरण करने और भूमि पर उनके वैध अधिकारों पर स्पष्ट रूप से जोर देने के लिए एक व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने का फैसला किया है। तदनुसार, अनुसूचित जनजाति और वनवासी (अधिकारों की स्वीकृति) विधेयक तैयार करने के लिए सचिव (जनजाति कार्य) की अध्यक्षता में एक तकनीकी सहायता दल गठित किया गया था, जिसमें सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि और प्रचुर अनुभव वाले और पर्यावरण सुरक्षा और जनजातीय लोगों के कल्याण के उद्देश्य से जुड़े प्रतिष्ठित विशेषज्ञ भी शामिल थे। पर्यावरण और वन मंत्रालय के महा निदेशक (वन) भी इस दल के एक सदस्य थे। तकनीकी सहायता दल की बैठकों की शृंखला के बाद, जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 का प्रारूप तैयार किया गया। प्रस्तावित विधेयक की एक प्रतिलिपि जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी रखी गई और लोगों, जनजातीय एसोसिएशनों, जनजातीय विकास के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों, आदि से सुझाव आमंत्रित किए गए। इस बीच विधेयक संसद

में पेश किया जा चुका है और संसद की संयुक्त प्रवर समिति के पास जांच के लिए भेज दिया गया है।

3.11.5 विधेयक की धारा 2 में विधेयक की विभिन्न धाराओं में आने वाले मूल शब्दों जैसे 'वन भूमि', 'वन ग्राम', 'अनुसूचित क्षेत्र', आदि की परिभाषाएं दी गई हैं। विधेयक की धारा 2(ज) में 'गौण वन उत्पाद' की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है कि 'गौण वन उत्पादों' में पौधा मूल के इमारती लकड़ी से भिन्न सभी वन उत्पाद शामिल हैं, जिनमें बांस, ब्रश लकड़ी, टूठ, बैत, टस्सर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदु और केंदु पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें, कन्द और ऐसे अन्य उत्पाद शामिल हैं।

3.11.6 अपने मौजूदा रूप में विधेयक की धारा 4 में वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के, जहां वे अनुसूचित हैं, वन अधिकारों को मान्यता देने और वे अधिकार उनमें निहित करने का प्रयास किया गया है। धारा 3 में यथापरिभाषित ये वन अधिकार, वन भूमियों पर और उनके आवास पर, जहां वे पीढ़ियों से रह रहे हों, वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के अधिभोग को मान्यता देने के सम्बन्ध में है और उनमें ये शामिल हैं:

- (i) वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति के सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा वास के लिए अथवा स्व-खेती के लिए वैयक्तिक अथवा साझे अधिभोग के अन्तर्गत वन भूमि को धारण करने और उसमें रहने का अधिकार;
- (ii) निस्तर अधिकार अथवा भूतपूर्व राजसी राज्यों, जमींदारी अथवा ऐसी बिचौलिया व्यवस्थाओं में किसी भी नाम से पुकारे जाने और उपयोग किए जाने वाले अधिकार;
- (iii) गौण वन उत्पादों तक पहुंच, अथवा उनके उपयोग और निपटान के अधिकार;
- (iv) खानाबदोश और पशुचारी समुदायों के उपयोग के अन्य अधिकार अथवा हकदारियां जैसे चराना (आवासी और ऋतु-प्रवासी) और संसाधनों तक पारम्परिक मौसमी पहुंच;
- (v) आदिम जनजाति समूहों और कृषि-पूर्व समुदायों के लिए वास और वास-स्थान का अधिकार;
- (vi) किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा वन भूमियों पर जारी किए गए पट्टों अथवा लीजों अथवा अनुदानों को टाइटलों में रूपान्तरण का अधिकार;
- (vii) किसी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा करने, उसे पुनरुज्जीवित करने अथवा उसका संरक्षण करने का अधिकार, जिसकी वे पारम्परिक रूप से रक्षा और संरक्षण करते रहे हैं;
- (viii) वे अधिकार, जो किसी राज्य विधि अथवा किसी स्वायत्त जिला परिषद अथवा क्षेत्रीय परिषदों की विधियों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं अथवा जिन्हें किसी राज्य के पारम्परिक अथवा रूढ़िगत कानून के अन्तर्गत जनजातियों के अधिकारों के रूप में स्वीकार किया जाता है;
- (ix) ऐसा अन्य पारम्परिक अधिकार, जिसका उपभोग वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों द्वारा किया जाता है, और जिनका उल्लेख विधेयक की धारा 3 के खण्ड (क) से (ठ) में नहीं किया गया है, लेकिन शिकार करने का अधिकार शामिल नहीं है।

3.11.7 विधेयक की धारा 4(2) में यह उपबन्ध किया गया है कि वन भूमि और उनके वास-स्थान के बारे में किसी राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में वन में रहने वाली अनुसूचित जाति को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों की मान्यता और उनका निहित किया जाना इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी जनजातियों अथवा जनजातीय समूहों ने वन भूमि पर 25 अक्टूबर, 1980 से पहले अथवा किसी ऐसी अन्य तारीख से पहले, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे, अधिकार कर लिया हो। इस धारा के कुछ अन्य उपबन्ध ये हैं:

- (i) धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार वंशागत होगा, लेकिन अन्य-संक्राम्य अथवा अन्तरणीय नहीं होगा (उप-धारा 3)।
- (ii) अन्यथा किए गए उपबन्ध के सिवाय, वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसके अधिभोग के अन्तर्गत वन से निष्कासित नहीं किया जाएगा अथवा हटाया नहीं जाएगा, जब तक कि मान्यता देने और सत्यापन करने की प्रक्रिया यथाविहित तरीके से पूरी नहीं हो जाती {उप-धारा (4)}।

- (iii) जहां धारा 4(1) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त और निहित किए अधिकार भूमि के सम्बन्ध में होंगे, वहां वह भूमि किसी भी हालत में वनवासी अनुसूचित जनजातियों के प्रति न्यूक्लीयर परिवार 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक की नहीं होगी [उप-धारा 5(1)]।
- (iv) वनवासी अनुसूचित जनजाति को उप-धारा (1) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त और निहित अधिकारों का (1) प्रयोग केवल प्रामाणिक आजीविका प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, और अनन्य रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए नहीं, और (2) उनमें वनों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनरुज्जीवन की जिम्मेदारी शामिल होगी [उप-धारा (6)]।

3.11.8 वन अधिकारों के धारकों की ड्यूटियों को विधेयक की धारा 5 में परिभाषित किया गया है, जिनमें कोई ऐसा कार्य न करने की जिम्मेदारी शामिल है, जिससे उस क्षेत्र में वन्य जीवन, वनों और जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और उसमें गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए, जिनमें पुनःवृक्षारोपण भी शामिल है, वन भूमि और पेड़ों की सफाई करना भी शामिल है, जो उस भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगे हों। वन अधिकारों के धारकों के लिए यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि:

- (i) जल ग्रहण क्षेत्र, जल संसाधन और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अन्य क्षेत्र पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखे जाएं;
- (ii) वनवासी अनुसूचित जाति के वास-स्थान की किसी प्रकार की विध्वंसकारी पद्धतियों से रक्षा की जाए, जो उनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रभावित करती है;
- (iii) ऐसे किसी भी क्रियाकलाप की सूचना ग्राम सभा और वन प्राधिकारियों को दी जाए, जिसका वन्य जीवन, वन और जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो;
- (iv) सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने और ऐसे किसी क्रियाकलाप को रोकने के लिए, जिसका वन्य जीवन, वन और जैव-विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ग्राम सभा में किए गए उपयुक्त उपायों का पालन किया जाए;

3.11.9 इस विधेयक की धारा 6 में प्राधिकरणों और उनके कृत्यों को परिभाषित किया गया है। इस धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबन्ध किया गया है कि:

- (i) ग्राम सभा वह प्राधिकरण होगा, जो यह निर्धारित करने के लिए कार्य करेगा कि इस अधिनियम में उसके अधिकार-क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर वनवासी अनुसूचित जनजातियों को किस सीमा तक वन अधिकार दिए जा सकते हैं।
- (ii) एक सब-डिवीज़न स्तर की समिति ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णयों की जांच करेगी।
- (iii) अगर किसी व्यक्ति को ग्राम सभा के निर्णय से शिकायत हो, तो वह सब-डिवीज़न स्तर की समिति को यथाविहित तरीके से अपील कर सकता है और सब-डिवीज़न स्तर की समिति अपील पर विचार करेगी और उसे निपटाएगी।

परन्तु ऐसी किसी अपील का निपटान दुखी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने के लिए यथोचित अवसर नहीं दिया जाएगा।

- (iv) सब-डिवीज़न स्तर की समिति द्वारा तैयार किए गए वन अधिकारों के रिकार्ड को अपने अन्तिम अनुमोदन के लिए उस पर विचार करने के लिए एक जिला स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसकी संरचना और कृत्य वे होंगे, जो विहित किए जाएं।
- (v) यदि कोई व्यक्ति सब-डिवीज़न स्तर की समिति के निर्णय से दुखी हो, तो वह जिला स्तरीय समिति को यथाविहित तरीके से अपील कर सकता है और जिला स्तरीय समिति अपील पर विचार करेगी और उसका निपटान करेगी, लेकिन ऐसी किसी अपील का निपटान दुखी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे अपना पक्ष रखने के लिए यथोचित अवसर नहीं दिया जाएगा।

3.11.10 इस विधेयक की धारा 8 में इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने और इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकारी प्राधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड का उपबन्ध किया गया है। इसमें एक हजार रुपए तक के जुर्माने का उपबन्ध है, यदि प्रस्तावित अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत प्रदत्त किसी वन अधिकार का कोई धारक अथवा कोई अन्य व्यक्ति (i) इसके किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, अथवा (ii) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किए गए अथवा मान्यताप्राप्त वन अधिकार की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, अथवा (iii) वन अथवा उत्पादन का गैर-संधारणीय उपयोग करता है, अथवा (iv) वन्य जीवन, वनों और जैव-विविधता के किसी अन्य पहलू को नष्ट करता है, अथवा (v) किसी वाणिज्यिक प्रयोजन से वृक्षों को काटता है। विधेयक में एक से अधिक बार अपराध किए जाने के मामले में वन अधिकारों की मान्यता रद्द करने का भी उपबन्ध है। विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि यदि कोई प्राधिकरण अथवा ऐसे प्राधिकरण का कोई सदस्य इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का अथवा इसके अन्तर्गत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी और उसे कारावास, जो तीस दिनों तक का हो सकता है, और जुर्माने का, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकता है, अथवा दोनों का दंड दिया जा सकता है। अन्य विधानों के अन्तर्गत, जिनमें भारतीय वन अधिनियम, 1927, और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 भी शामिल हैं, जिन दंडों का उपबन्ध है, उन पर अधिनियम द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है।

3.11.11 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा निवास के लिए या स्व-कृषि के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि को धारित करने और उसमें रहने के अधिकार और उससे सम्बन्धित अन्य अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए विधान बनाने के सरकार के प्रस्ताव का स्वागत करता है। आयोग का विचार है कि प्रस्तावित विधेयक सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि यह उन समुदायों को, जिनके जीने का अधिकार वनों पर अधिकार पर निर्भर करता है, सुरक्षित और असंक्राम्य अधिकार प्रदान करने की बहुत पुरानी और वास्तविक रूप से महसूस की जा रही मांग की ओर ध्यान देता है। यह पता लगा है कि इस बीच यह विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया है और संयुक्त संसदीय समिति के पास और आगे जांच के लिए भेज दिया गया है। किन्तु, आयोग को यह देखकर दुख होता है कि अनुसूचित जनजातियों के हितों को प्रभावित करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 9 के उपबन्ध के अनुसार आयोग के साथ कोई औपचारिक परामर्श नहीं किया गया था।

3.12 गौण वन उत्पाद

3.12.1 सार्वभौम रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि जनजातियों के लोग अपनी आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए कई पीढ़ियों से वनों पर निर्भर रहे हैं। अध्ययनों में यह देखा गया है कि कतिपय जनजातीय समुदायों की खाद्य आवश्यकताओं में गौण वन उत्पादों का हिस्सा 50 से 70 प्रतिशत तक होता है। पारम्परिक रूप से, जनजातीय लोगों को अपने गौण वन उत्पाद गैर-सरकारी व्यापारियों को बहुत सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस समस्या पर काबू पाने के लिए, जनजातीय लोगों को शोषण से बचाने के उद्देश्य से सहकारी समितियों और निगमों की स्थापना की गई थी। इन निगमों/सहकारी समितियों का उद्देश्य जनजातियों के लोगों को बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाना था। लेकिन अपर्याप्त कार्यचालन पूंजी, घटिया संगठन, घटिया प्रबन्ध और अनुसूचित जनजातियों द्वारा भाग न लिए जाने से उत्पन्न बहुत से कारकों के कारण, इन कदमों को केवल सीमित सफलता प्राप्त हुई है। जनजातीय निगम जनजातीय लोगों से वन उत्पाद उचित दामों पर खरीदते हैं और उन्हें रागी, चावल, नमक, मिट्टी का तेल, कपड़ा आदि जैसी जरूरतें उचित दामों पर मुहैया करते हैं। लैम्प्स (बड़े आकार वाली बहु-प्रयोजनी समितियों) की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गौण वन उत्पाद और अधिशेष कृषि उत्पाद खरीदने, आवश्यक वस्तुएं, कृषि निविष्टियां सप्लाई करने, उत्पादन और उपभोग के लिए ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए, सहकारी कृषि समितियों का रूपान्तरण करके अथवा ब्लाक

स्तरों पर नई लैम्पस का गठन करके की गई थी, ताकि कम से कम 10,000 एकड़ की कृषि भूमि की कवरेज और 51.00 लाख रुपए की वार्षिक अल्पकालिक ऋण क्षमता के साथ ग्रामीणों के सुगठित समूह में कम से कम 10,000 लोगों को कवर किया जाए। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जो ऋण आगे जनजातीय लोगों के बीच संवितरण के लिए दिया गया था, उसकी कम वसूली होने से लैम्पस को घाटा होने के कारण, इस प्रयोग को भी बहुत सीमित सफलता मिली।

3.12.2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय लोगों को उनके द्वारा उठाए गए/ संग्रह किए गए उत्पादों की उचित आर्थिक कीमत प्राप्त हो और उन्हें निहित स्वार्थों के शोषण से बचाया जाए, भारत सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) द्वारा जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन (ट्राइफेड) की स्थापना, सहकारी समितियों के एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई थी। ट्राइफेड के पास जनजातीय लोगों के वन उत्पादों और कृषि जिनसों का संग्रह, प्रसंस्करण और विपणन करने के लिए अपना नेटवर्क है। ट्राइफेड के प्रबन्धक-वर्ग ने अपना ध्यान खरीद और बिक्री के क्रियाकलापों से हटा कर जनजातीय उत्पादों के विपणन और विकास पर केन्द्रित करने के रूप में निकट अतीत (अर्थात् 2002-2003) में कुछ नई पहलें की हैं। लेकिन, ट्राइफेड गौण वन उत्पादों की खरीद और बिक्री से सम्बन्धित अपनी पहली भूमिका में जनजातीय लोगों को प्रभावकारी सहायता देने के लिए जनजातीय उत्पादों के मार्केट-विकासकर्ताओं की अपनी नई भूमिका दोनों में सरकार की आशाओं पर पूरी नहीं उतरी है। इस संगठन की सीमित सफलता के बहुत से विविध कारण हैं, जिनमें घटिया प्रबन्ध भी एक कारक है। ट्राइफेड द्वारा जनवरी, 2002 में कराए गए एक नैदानिक अध्ययन में फेडरेशन के असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन के कारणों का ब्योरा दिया गया है, जो इस प्रकार हैं:

- (i) उपाप्ति पर सीमित ध्यान दिए जाने, मार्केट जानकारी के अभाव, परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में तदर्थ कार्य-पद्धति और घटिया कार्य-संस्कृति से उत्पन्न संगठनात्मक त्रुटियां।
- (ii) योजना-निर्माण ढांचे के अभाव, मानीटरन कार्य-विधि और खरीद तथा बिक्री के कार्यों के तदर्थ स्वरूप से होने वाली तंत्रगत विफलता।
- (iii) प्रचालन सम्बन्धी कमजोरियां, जो भंडारण की घटिया सुविधाओं, ऊंची सामान-सूची लागत, भारी निश्चित खर्चों और खरीद के अलाभकारी क्रियाकलापों से पैदा हुई हैं।

3.12.3 अध्ययन में, उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया गया था कि ट्राइफेड का समूचे कार्याकल्प किए जाने की आवश्यकता है। ट्राइफेड के कार्य-निष्पादन पर आयोग की एक बैठक में भी विचार किया गया था और यह कहा गया था कि ट्राइफेड के कम प्रभावकारी कार्य-निष्पादन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि उनके द्वारा गौण वन उत्पादों की खरीद सीधे जनजातीय लोगों से नहीं की जाती, जैसीकि सरकार द्वारा इस संगठन की स्थापना करते समय परिकल्पना की गई थी, बल्कि ठेकेदारों/ बिचौलियों से की जाती है। **आयोग सिफारिश करता है कि ट्राइफेड में फिर से नए जीवन का संचार करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:**

- (i) ट्राइफेड को गौण वन उत्पाद सहकारी गौण वन उत्पाद समितियों के माध्यम से खरीदने चाहिए और, किसी भी हालत में, ठेकेदारों/ बिचौलियों से नहीं खरीदने चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय लोगों को उचित और युक्तिसंगत कीमत मिले।
- (ii) ट्राइफेड को अपने क्रियाकलापों का ध्यान गौण वन उत्पादों और कृषि उत्पादों को सीधे जनजातीय लोगों से खरीदने की ओर केन्द्रित करना जारी रखना चाहिए और उनकी बिक्री करने और जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास का काम इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य अभिकरणों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए।
- (iii) ट्राइफेड के भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के कार्य-निष्पादन की नियतकालिक समीक्षा करने के द्वारा ट्राइफेड की कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उसे अपने उन कर्तव्यों को निभाने के लिए, जो उसे सौंपे गए हैं, सशक्त बनाया जाए।

3.12.4 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि उन राज्यों को, जहां अनुसूचित जनजातीय लोगों की संख्या काफी अधिक हो, यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातीय लोगों को गौण वन उत्पादों के उचित दाम मिलें और उन्हें बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाया जा सके, सभी गौण वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करें। यदि ट्राइफेड को गौण वन उत्पादों के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के कारण इन उत्पादों की उपाप्ति में नुकसान हो, तो केन्द्रीय सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) को जनजातीय लोगों के हित में इन नुकसानों की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए।

3.12.5 अनुसूचित जनजातियों को गौण वन उत्पादों के सम्बन्ध में स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने का पहला औपचारिक प्रस्ताव जनजातीय और वन मंत्रियों के 1976 में हुए सम्मेलन में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई जनजातीय उप-योजना के भाग के रूप में पारित किया गया था। केवल मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था, जिसने इस सिफारिश का अनुसरण किया और औपचारिक रूप से यह घोषित किया कि जनजातीय लोग गौण वन उत्पादों के 'स्वामी' हैं। लेकिन, यह फैसला केवल तेन्दु पत्ता के मामले में अमल में लाया गया, जो एक सरकारी संकल्प द्वारा राष्ट्रीयकृत मद है। राज्य द्वारा अन्य गौण वन उत्पादों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जैसे- (i) अन्नतो बीज, (ii) बहेड़ा, (iii) बन कुल्थी, (iv) क्लीयरिंग नट, (v) कोया (कटा हुआ), (vi) कोया (पूरा), (vii) सूखा आंवला, (viii) हरा आंवला, (ix) गोंद कराया, (x) हिल ब्रूम, (xi) हिल ग्रास, (xii) शहद (xiii) जे.सी. घास, (xiv) लाहम छाल, (xv) मार्किंग नट, (xvi) महुआ फूल, (xvii) माइरोबालन (पीला), (xviii) माइरोबालन (काला), (xix) बीज लाख, (xx) शिकाकाई, (xxi) स्टिक लाख, (xxii) सियाली पत्ते, (xxiii) सियाली पत्ता प्लेट, (xxiv) सोयानट, (xxv) इमली बीजयुक्त, (xxvi) इमली - बीजरहित, (xxvii) इमली के बीज। अन्य किसी राज्य सरकार ने भारत सरकार की 1976 की सिफारिशों के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की। अगला कदम 1996 में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के बनाने के रूप में लिया गया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 4(3)(ii) के अन्तर्गत स्वामित्व प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

“अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करते समय, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, राज्य विधान-मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायतों और ग्राम सभा को उपयुक्त स्तर पर विनिर्दिष्ट रूप से गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान किया जाए।”

3.12.6 अधिकतर राज्यों ने गौण वन उत्पादों को केवल भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अनुसार परिभाषित किया है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे केवल कुछ राज्यों ने पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसरण में गौण वन उत्पादों के स्वामित्व के सम्बन्ध में कानूनी उपबन्ध किए हैं। गुजरात ने ग्राम सभा की पूरी तरह से अवलेहना करते हुए, जो अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के समूचे समूह का प्रतिनिधित्व करती है, स्वामित्व के अधिकार जिला पंचायतों को देने को तरजीह दी है। महाराष्ट्र में, गौण वन उत्पादों का स्वामित्व ग्राम सभा और राज्य पंचायतों को दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों में राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों को छोड़कर गौण वन उत्पादों का स्वामित्व पंचायतों में निहित किया गया है। **आयोग सिफारिश करता है कि पांचवीं अनुसूची के राज्यों को यह सलाह दी जाए कि वे पंचायतों से सम्बन्धित अपने राज्य अधिनियमों में जनजातियों को गौण वन उत्पादों का स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में कानूनी उपबन्ध करें, जो शब्दों और भावना दोनों प्रकार से, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप हों।**

3.12.7 गौण वन उपज की परिभाषा के मुद्दे को तब सुलझाया जाएगा, जब प्रस्तावित अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 (जिसका उल्लेख पिछले पैरा में अधिक विस्तार से किया गया है) संसद द्वारा पारित कर दिया जाएगा। उस विधेयक में गौण वन उत्पादों की परिभाषा में तेन्दु पत्ता और बांस भी शामिल है।

3.12.8 आज की स्थिति के अनुसार, जनजातीय लोगों को सुरक्षित वनों से अथवा वन्य जीवों के अभयारण्यों के अन्तर्गत आने वाले वनों से गौण वन उत्पादों के अन्तर्गत विभिन्न मदों को एकत्र करने का हक नहीं है। **आयोग सिफारिश करता है कि:**

- (i) **जनजातीय लोगों को ऐसे वनों से भी गौण वन उत्पादों को एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिन्हें 'सुरक्षित' घोषित किया गया है।**
- (ii) **जनजातीय लोगों को सुरक्षित वनों/ वन्यजीव अभयारण्यों से ईंधन की लकड़ी (अर्थात् सूखी लकड़ी) इकट्ठी करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए, जैसीकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है।**

3.13 खनिज संसाधनों, जल संसाधनों, आदि पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों का सुरक्षण

(क) खनिज संसाधन

3.13.1 जनजातीय लोगों और खनन के क्रियाकलापों के बीच के सम्बन्धों पर 1974 में जनजातीय उप-योजना की कार्य-नीति में विचार किया गया था। भारत सरकार (गृह मंत्रालय) और योजना आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों में यह स्वीकार किया गया था कि इन परियोजनाओं से जनजातीय लोगों को पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं। इन मार्गनिर्देशों में मौजूदा उद्योगों और उन उद्योगों के, जिनके स्थापित किए जाने की संभावना है, प्रभाव के अंचलों की पहचान किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया था। यह परिकल्पना भी की गई थी कि भावी नीति इस प्रकार तैयार की जाए कि स्थानीय समुदाय क्षेत्र में खनन और औद्योगिक क्रियाकलापों के लाभों में हिस्सेदार बन सकें। इस नीति के अनुसरण में, संघ सरकार ने 1976 में मध्य प्रदेश में मलंजखंड तांबा परियोजना को स्वीकृति देते समय यह पूर्व-शर्त लगा दी कि प्रभाव वाले क्षेत्र के लिए एक योजना परियोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी और कार्यान्वित की जाएगी। लेकिन, इस नीति का सुनियोजित रूप से अनुसरण नहीं किया गया।

3.13.2 इस मुद्दे पर, राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 को तैयार करते समय फिर विचार किया गया, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि खनिजों वाले क्षेत्रों में जनजातीय लोग भी रहते हैं और खनिज संसाधनों के उपयोग ने उनके आर्थिक विकास में हमेशा पर्याप्त योगदान नहीं दिया है। यह भी स्वीकार किया गया कि खनिज विकास, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय लोगों की, जिनमें जनजातीय लोग भी शामिल हैं, सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक एकीकृत कार्य-पद्धति का अनुसरण करते हुए खनिजों वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास पर भारी जोर दिए जाने की आवश्यकता है। हालांकि 1993 की इस नीति में यह मान लिया गया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे निक्षेपों के लिए खनिज रियायतें प्रदान करते समय अनुसूचित जनजातियों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन भारत सरकार द्वारा कोई स्पष्ट मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं और न ही खनिज रियायत नियमों में इस सम्बन्ध में कोई सामान्य उपबन्ध हैं। **आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन रियायतें देने में अनुसूचित जनजातियों को तरजीह देने के लिए स्पष्ट मार्गनिर्देश जारी करने की आवश्यकता है।**

3.13.3 इस मुद्दे से निपटने का अगला प्रमुख प्रयास भूरिया समिति (1995) का था, जो संविधान के भाग IX के नगरपालिकाओं सम्बन्धी उपबन्धों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करते समय उपयुक्त 'अपवादों और उपान्तरो' के सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243य ग के खंड 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत नियुक्त की गई थी। समिति ने सिफारिश की थी कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले सभी औद्योगिक उद्यमों में (छोटे उद्यमों को छोड़ कर) समुदाय को 50 प्रतिशत का स्वामी इस आधार पर मान लिया जाए कि वह उद्योग को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और स्थापित होने की अनुमति दे रहा है। समिति ने प्रभाव वाले अंचल (ज़ोन) के लिए बृहद योजना तैयार करने का भी अनुरोध किया, जिसमें उन सब लोगों के लिए, जिनकी जमीनें ले ली गई हैं और जो नए आर्थिक क्रियाकलाप से अप्रयक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं, सम्मानजनक स्थान

सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपबन्ध – वित्तीय, संस्थात्मक और कानूनी – किए जाएं; और उद्योग के प्रभाव के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अर्थव्यवस्था को कोर (मूल) अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाए और इसके बाद ऐसी बृहद योजना के बिना कोई परियोजना स्वीकृत न की जाए। ऐसा प्रतीत होता है कि भूरिया समिति की उपर्युक्त महत्वपूर्ण सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि संविधान के भाग IXक के उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में गठित अधिकतर खनन संस्थापनाओं सहित सभी शहरी निकाय पिछले एक दशक से भी अधिक समय से केवल इस बात के कारण किसी कानूनी प्राधिकार के बिना काम कर रहे हैं कि भाग IXक के उपबन्धों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों पर नहीं किया गया है। **आयोग सिफारिश करता है कि खान मंत्रालय को भूरिया समिति, 1995 की इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले सभी औद्योगिक उद्यमों में (छोटे उद्यमों को छोड़ कर) समुदाय को 50 प्रतिशत का स्वामी इस आधार पर मान लिया जाए कि उसने उद्योग को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और स्थापित होने की अनुमति दी है।**

3.13.4 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(घ) 'सामुदायिक संसाधनों के..... का संरक्षण और परिरक्षण' के लिए ग्राम सभा की सक्षमता स्वीकार करती है। इसके अलावा, इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (ट) और (ठ) में विशिष्ट उपबन्ध किए गए हैं, जो अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के पूर्वक्षण के लिए लाइसेंस देने अथवा खनन पट्टा देने से पहले ग्राम सभा से सलाह करना आज्ञापक बनाते हैं। खान मंत्रालय (अब कोयला और खान मंत्रालय के अन्तर्गत खान विभाग) ने 1997 में इस सम्बन्ध में मार्गनिर्देश जारी किए थे, जिनमें ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करना आज्ञापक था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन मार्गनिर्देशों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, सिवाय मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के, जिसने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम में इन मार्गनिर्देशों के सन्दर्भ में आवश्यक नियम बनाए हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खनन नियमों को संशोधित किया है और एक सुस्पष्ट उपबन्ध किया है कि इस अधिनियम में शामिल किसी बात के बावजूद, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो, अनुसूचित क्षेत्रों में इस उपबन्ध के अधीन कोई पूर्वक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, परन्तु यह बात उस उपक्रम पर, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन हो अथवा किसी ऐसी सोसाइटी पर लागू नहीं होगी, जिसका गठन केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से हुआ हो। समता मामले में अपने ऐतिहासिक निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि "अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी भूमि को किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को पट्टे के रूप में अथवा कानून में ज्ञात रूप में अन्तरित करना राज्य सरकार के लिए भी निषिद्ध है"। हालांकि आन्ध्र प्रदेश में खनन पट्टे रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन अन्य राज्यों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और न ही भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्देश अथवा मार्गनिर्देश जारी किए हैं। आयोग सिफारिश करता है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य की सरकार के सिवाय बाकी सभी राज्यों को ये अनुदेश जारी करने की आवश्यकता है:

- (i) समता बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले (सी.ए. संख्या 4601-02/1996) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.07.1997 के इस निर्णय का पालन करें कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी भूमि पट्टे, आदि के रूप में किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को अन्तरित न की जाए और ऐसे सभी खनन पट्टे केवल जनजातीय लोगों को दिए जाएं।
- (ii) जनजातीय लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, ताकि वे खनन के कार्य करने के योग्य बन सकें।
- (iii) खानों और खनिजों से सम्बन्धित अपने अधिनियमों में विशिष्ट कानूनी उपबन्ध करें और गौण खनिजों के बारे में कोई पट्टा देने से पहले ग्राम सभा से सलाह करना उनके लिए आज्ञापक बना दिया जाए।

ख. जल संसाधन

3.13.5 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(घ) के अन्तर्गत सामुदायिक संसाधनों सम्बन्धी साधारण उपबन्धों के अलावा, धारा 4(ज) में परिकल्पना की गई है कि "जल निकायों का आयोजन और प्रबन्ध उपयुक्त स्तर की पंचायतों को सौंपा जाएगा।" मध्य प्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में दस 'सामुदायिक संसाधनों' का उल्लेख प्राकृतिक संसाधनों के रूप में किया गया है, जिनमें गांव के क्षेत्र के अन्दर भूमि, जल और वन शामिल हैं। झारखंड पंचायत अधिनियम में भी ऐसे ही उपबन्ध किए गए हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभा के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अधीन, जल संसाधनों के प्रबन्धन के सम्बन्ध में भी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

129(घ):

- (iii) क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक लघु जल निकायों की योजना बनाना, उनके स्वामी बनना और उनका प्रबन्ध करना।
- (iv) मछली पकड़ने के प्रयोजन और अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक किसी जल निकाय को पट्टे पर देना।
- (v) सिंचाई के लिए नदियों, सरिताओं, लघु जल निकायों के जल के उपयोग को विनियमित करना।

3.13.6 ग्राम सभाओं को अपने रीति-रिवाजों और परम्पराओं के अनुसार काम करने के बारे में कोई मार्गनिर्देश न होने के कारण, कानून का समुदाय को सशक्त बनाने का इरादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जल और अन्य संसाधनों पर जनजातीय लोगों के अधिकारों का सुरक्षण करने के बारे में राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

3.14 स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं

3.14.1 यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है कि जनजातियों के लोग व्यापक रूप से कुपोषण से ग्रस्त हैं, जिसके लिए अधिकतर घोर निरक्षरता, पर्यावरणिक स्थितियां, दुर्गम भू-भाग, पारम्परिक विश्वासों और रीति-रिवाजों और सबसे अधिक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कुपोषित जनजातीय लोग ऐसे पर्यावरण में रहते हैं, जो भ्रष्ट कर दिया गया है, और इसके परिणामस्वरूप मलेरिया, फीलपांव, तपेदिक और गलगंड जैसे रोग अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में स्थानिक मारी हैं। लेकिन, जनजातीय लोगों ने अपने बिल्कुल अलग-थलग अस्तित्व के दौरान, औषधियों की वैकल्पिक प्रणालियां विकसित कर ली हैं। उनके पास चिकित्सीय गुणों वाली जड़ी-बूटियों, पौधों, कीड़ों और पशुओं के बारे में ज्ञान का विपुल भंडार है। इन औषधियों और पद्धतियों ने जनजातीय समुदायों को पीढ़ियों तक जीवित रखा है। अब चिकित्सा पद्धति में परिवर्तन हो जाने से, आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने भी जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश कर लिया है। लेकिन, चूंकि जनजातीय लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे सामान्यतः अपनी चिकित्सा पद्धति को तरजीह देते हैं और केवल तभी ऐलोपैथिक औषधियों को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, जब उन्हें अपनी दवाइयों का असर होता दिखाई नहीं देता। जब जनजातीय लोग ऐलोपैथिक औषधियों को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं, तो उनके सामने एक और समस्या आ जाती है, जिसका सम्बन्ध डाक्टरों और परा-चिकित्सा कार्मिकों की अनुपलब्धता से है। आम तौर पर सब जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में डाक्टरों और अन्य परा-चिकित्सीय कार्मिकों की तैनाती को दण्डस्वरूप की गई तैनाती माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रों और उप-केन्द्रों में अधिकतर पद सामान्यतः खाली पड़े रहते हैं। इन क्षेत्रों में गैर-सरकारी डाक्टर भी नहीं होते, क्योंकि भीतरी जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसाय की अव्यवहार्यता के कारण यह लाभकारी नहीं है।

3.14.2 जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था का अभाव है, जिसके कारण जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं और, इसलिए, जनजातीय लोगों का स्वास्थ्य-स्तर, कुल

मिला कर, निम्न है, जैसाकि बच्चे का जन्म के समय कम वजन, जन्म के समय जीने की कम सम्भावना, मातृत्व मृत्यु-दर, शिशु-मृत्यु दर और विभिन्न संक्रामक रोगों, आनुवंशिक विकार, सुरापान और ड्रग (स्वापक) लेने की लत जैसे विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांकों से पता चलता है।

3.14.3 यह स्वीकार किया जाना जरूरी है कि जड़ी-बूटियों वाली औषधियों का इस्तेमाल करने वाली पारम्परिक पद्धति और जनजातीय चिकित्सा करने वाला व्यक्ति जनजातीय लोगों की सभी स्वास्थ्य समस्याओं की देखरेख करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उन्हें आधुनिक चिकित्सा पद्धति को अपनाना होगा। यह भी सच है कि अधिक से अधिक जनजातीय लोग ऐलोपैथी और अन्य चिकित्सा पद्धतियों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन बहुत सी बातों के कारण स्वास्थ्य और चिकित्सीय देखरेख सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं और उनका खर्च उठाना आसान नहीं है और जहां वे उपलब्ध हैं, वहां जनजातीय लोग निरक्षरता, अज्ञान और अपने स्वाभाविक संकोच के कारण इन स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं। स्थिति में सुधार करने के लिए, सुपुर्दगी प्रणाली और स्वास्थ्य-देखरेख संस्थाओं के कार्यकरण को इस प्रकार बनाना होगा, जो जनजातीय क्षेत्रों की अनूठी स्थितियों के अनुरूप हो।

3.14.4 स्वास्थ्य की देखरेख के मानदंडों में भू-भाग और अवस्थिति के अनुसार 3000-5000 की आबादी के लिए एक उप-केन्द्र की स्थापना करने; 20,000-30,000 के बीच की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रत्येक चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना चाहिए। दूर-दराज के क्षेत्रों, वन भूमि, पहाड़ियों और दूरस्थ गांवों को ध्यान में रखते हुए, जहां अधिकांश जनजातीय बस्तियां हैं, जनसंख्या कवरेज के मानदंडों में निम्न प्रकार से ढील दी गई है:

केन्द्र	जनसंख्या मानदंड	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी / जनजातीय क्षेत्र
उप-केन्द्र	5,000	3,000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,20,000	80,000
बहु-प्रयोजनी कार्यकर्ता	5,000	3,000

स्रोत: स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2004-05

3.14.5 आयोग सिफारिश करता है कि उपर्युक्त जनसंख्या मानदंडों को पहाड़ी / जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप से ढीला बनाया जा सकता है:

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	मौजूदा जनसंख्या मानदंड		मैदानी जनजातीय क्षेत्रों के लिए ढीले बनाए गए मानदंड	पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के लिए ढीले बनाए गए मानदंड
		पहाड़ी क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र		
1.	उप-केन्द्र / बहु-प्रयोजनी कार्यकर्ता	3,000	5,000	3,000	1,000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20,000	30,000	20,000	10,000
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80,000	1,20,000	80,000	25,000

3.14.6 राज्यों को अपने कम से कम 7.5 प्रतिशत वार्षिक लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों में रखने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गई है कि वे उन जनजातीय खेड़ों के मामले में,

जो मौजूदा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सुपुर्दगी स्थल से 5 किलोमीटर दूर हैं, उप-केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए और ढील दें। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की (और अनुसूचित जातियों की भी) अनिवार्य वार्षिक मेडिकल जांच की स्कीम शुरू करें। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, 31.03.2003 की स्थिति के अनुसार, जनजातीय क्षेत्रों में 21,513 उप-केन्द्र, 3610 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 604 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं

3.14.7 उन क्षेत्रों में, जहां कमजोर वर्गों के लोग, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं, निम्नलिखित केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें और केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं:

(क) केन्द्र-प्रायोजित स्कीमें

- (i) राष्ट्रीय वेक्टर-उत्पन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम को, जिसे 2003-04 में अनुमोदित किया गया था, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा मलेरिया, फिलेरिया, काला-आजार के चालू कार्यक्रमों के अभिसरण द्वारा और जापानी मस्तिष्क-शोथ और डेंगू/ डी.एच.एफ. को शामिल करके कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए टी.एस.पी. के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों के लिए कीटनाशक औषधियों के छिड़काव, मलेरिया-रोधी दवाइयों की आपूर्ति, आदि के लिए 50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिलती है। जनजातीय लोगों की बहुलता वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है, जबकि इसकी तुलना में अन्य राज्यों को 50 प्रतिशत सहायता दी जाती है। विश्व बैंक की सहायता से बड़ी बनाई गई मलेरिया नियंत्रण परियोजना पांचवीं अनुसूची के नौ राज्यों में से आठ राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के सभी जिलों में 1045 जनजातीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर करती है।
- (ii) राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम देश के सभी जिलों में निदान और इलाज की निःशुल्क सुविधाएं मुहैया करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। कुष्ठरोग सेवाएं सप्ताह के सभी कार्य-दिवसों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-स्वास्थ्य केन्द्रों सहित सभी सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों में उपलब्ध होती हैं। ये सेवाएं अनुसूचित जनजातियों सहित सभी लोगों को उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है।
- (iii) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम टी.एस.पी. के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में क्षयरोग-रोधी औषधियों, उपस्करों, आदि की आपूर्ति करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में मानदंडों को ढीला बना दिया गया है और सेवा-सुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:
 - (क) 5 लाख जनसंख्या के स्थापित मानदंडों की तुलना में 2.5 लाख की जनसंख्या के लिए एस.टी. और एस.टी.एल. मुहैया करना;
 - (ख) 1 लाख की जनसंख्या के निर्धारित मानदंड की तुलना में 50,000 की जनसंख्या के लिए माइक्रोस्कोपिक केन्द्र खोलना;
 - (ग) और अधिक डी.ओ.टी. केन्द्र खोलना; और
 - (घ) डी.ओ.टी. केन्द्रों में उपचार के लिए आने वाले रोगियों और परिचर्यों के यात्रा दावों का भुगतान करने की व्यवस्था करना।
- (iv) राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम टी.एस.पी. और एस.सी.पी. के अन्तर्गत आंखों की बीमारियों के इलाज और अंधेपन के नियंत्रण के लिए जनजातीय और अनुसूचित जातीय क्षेत्रों में नेत्र-चिकित्सा के ढांचे को मजबूत बनाने और कार्मिकों के प्रशिक्षण, आदि के लिए 100 प्रतिशत सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जनजातीय-दूरस्थ क्षेत्रों में आंखों की देखभाल के यूनितों की स्थापना अथवा उनका विस्तार करने के लिए

गैर-सरकारी संगठनों को अनावर्ती सहायता अनुदान देने की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है, ताकि ऐसे क्षेत्रों में आंखों की परिचर्या की अवसंरचना विकसित की जाए।

- (v) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 100 प्रतिशत सहायता सहित जनजातीय और अनुसूचित जाति क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें

- (i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी, माता-पिता की आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के कारण, पाठ्यपुस्तकों को खरीदने में बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं। इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए पी.जी.आई.एम.ई.आर., चंडीगढ़; जे.आई.पी.एम.ई.आर., पांडिचेरी; ए.आई.आई.एम.एस., नई दिल्ली, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली, आदि जैसी केन्द्रीय संस्थाओं में पूर्णतया केन्द्रीय सहायताप्राप्त स्कीमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पुस्तक बैंकों की स्थापना की गई है।

- (ii) केन्द्रीय मनोरोग-चिकित्सा संस्थान, रांची अपने पड़ोसी क्षेत्रों अर्थात् झारखंड की छोटा नागपुर पट्टी के जनजातीय लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं मुहैया कर रहा है। दसवीं योजना की अवधि में, इस संस्थान को 50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। वर्ष 2004-05 के दौरान, चिकित्सा सेवाओं के खर्च को पूरा करने और संस्थान को सुदृढ़ बनाने के लिए 8.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी।

- (iii) जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में धीमी गति से सुधार होने का एक कारण यह बताया गया है कि उन लोगों को सामान्य और कतिपय जनजातियों की विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कम और अधूरी जानकारी है। इस अन्तर को पूरा करने के लिए, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने अपने रोग-उन्मुख राष्ट्रीय संस्थानों और क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए बहुत से सर्वेक्षण और अध्ययन कराए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद ने जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य रुग्णता, आनुवंशिक रोगों और वाइरल मार्करों के बारे में विभिन्न केन्द्रित अध्ययन किए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के अध्ययन से पता चलता है कि उत्तरी त्रिपुरा के 7 जिलों और त्रिपुरा में धलाई जिलों, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले, छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले, झारखंड में पलामू और साहिबगंज जिले और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ग्रेट अंडमान और ऑंगस जिले में आदिम जनजातियों में सिकल सैल अनीमिया, थालासीमिया और जी-6-पी.डी. कमी के रोग व्याप्त हैं। नौवीं योजना में (i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को आम तौर पर होने वाले रोगों के बारे में अनुसन्धान, और (ii) दूरस्थ और सीमान्त जनजातियों और यायावर समुदायों के लिए स्वास्थ्य-देखभाल की योजनागत स्कीमें कार्यान्वित की जा रही थीं और दसवीं योजना के दौरान भी चल रही हैं। आधुनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए और स्थानीय प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके स्वास्थ्य-देखभाल की पहुंच का विस्तार जनजातीय लोगों तक बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

3.14.8 आयोग सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों में उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी जाए:

- (i) प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य गाइड उपलब्ध कराया जाए ताकि वह जनजातियों को ऐसी बीमारियों के उपचार हेतु दवाइयों की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का लाभ उठाने की शिक्षा दे सके जिनके लिए जड़ी-बूटियों पर आधारित दवाइयों की अपनी परम्परागत प्रणाली पर्याप्त अर्थात् कारगर नहीं है।

- (ii) प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रसव परिचारी (अर्थात् दायी) होनी चाहिए और उसके पास डिलिवरी किट, सेप्टिक लिक्विड और नाल काटने वाली कैंची होनी चाहिए। उसके द्वारा कराई गई प्रत्येक डिलिवरी के लिए एक निर्धारित मेहनताना अर्थात् 250 रुपए और डिलिवरी के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली उपभोज्य सामग्री की लागत के लिए 100 रुपए दिए जाने चाहिए।
- (iii) डॉक्टरों और पराचिकित्सा कर्मचारियों को अच्छा आवास, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं, बिना बारी के प्रोन्नति आदि जैसे प्रोत्साहन देने की बहुत ही विश्वसनीय और प्रभावी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है ताकि उनकी जनजातीय इलाकों में कार्य करने की अनिच्छा पर काबू पाया जा सके।
- (iv) परिवार नियोजन के लाभों तथा विभिन्न संक्रामक रोगों और आनुवंशिक रोगों की जानकारी देने वाले जागरूकता कार्यक्रम वृत्त-चित्र, विज्ञापनों, पोस्टरों और व्याख्यानों के माध्यम से नियमित अन्तराल पर शुरू किए जाएं।
- (v) सभी उप-केन्द्र महिला/ पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था से युक्त सरकारी भवनों में होने चाहिए। इन भवनों में पेशाब, एल्बूमिन और शूगर की जांच हेतु प्रयोगशाला की सुविधा भी होनी चाहिए।
- (vi) अनुसूचित जनजाति की स्थानीय लड़कियों और लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा उन्हें बहु-प्रयोजनी पुरुष/ महिला स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में नियुक्त किए जाने में प्राथमिकता दी जाए।
- (vii) सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अपेक्षित सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थियेटर होने चाहिए।
- (viii) प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एम्बुलेंस वाहन की भी व्यवस्था की जाए।
- (ix) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आपातकालीन मामलों में अनिवार्य दवाओं को खरीदने के लिए वित्तीय अधिकार दिए जाएं।
- (x) अंध-विश्वासों, अज्ञानता और निरक्षरता के कारण जनजातियां सरकार द्वारा समय-समय पर छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने तथा चेचक के टीके लगाने हेतु शुरू किए गए अभियान का फायदा नहीं उठातीं। अतः, आदिवासी नेताओं की मदद से ब्लॉक और जिला स्तर के प्राधिकारियों के जरिए कार्यक्रमों की अत्यावश्यक उपयोगिताओं के बारे में जनजातियों को शिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- (xi) जनजातीय इलाकों में और अधिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरी जाएं।
- (xii) जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक डाक्टर के लिए (पाठ्यक्रम के पूरा होने पर) शुरू में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए देश के जनजातीय क्षेत्रों में काम करना आज्ञापक बना दिया जाए।
- (xiii) ऐसे डाक्टरों और पराचिकित्सा कर्मचारियों को, जो जनजातीय इलाकों में कम से कम तीन वर्ष सेवा कर चुके हों, प्रोन्नति के मामले में रियायत/ महत्त्व/ प्रोत्साहन दिया जाए। इन डाक्टरों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाए।

3.15 ग्रामीण आवास

3.15.1 2001 की जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए अनन्तिम अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण इलाकों में लगभग 149 लाख मकानों की कमी है, जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार 137 लाख मकानों की कमी थी। इंदिरा आवास योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान औसत रूप से प्रत्येक वर्ष करीब 14-15 लाख मकानों का निर्माण किया गया, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार

आवश्यकता करीब 30 लाख मकान प्रतिवर्ष की थी। इसके अतिरिक्त, अनुमान है कि हर वर्ष करीब 10 लाख निराश्रय परिवार बढ़ जाते हैं। इस प्रकार, करीब 40 लाख मकानों की कुल आवश्यकता की तुलना में केवल 14-15 लाख मकानों का ही निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक वर्ष करीब 25 लाख मकानों का अन्तर रह जाता है।

3.15.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे गरीब ग्रामीणों को आश्रय हेतु वित्तीय सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना को कार्यान्वित कर रहा है। यह स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बंधुआ मजदूरों के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबी-रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क मकान मुहैया कराने के उद्देश्य से 1985-86 से कार्यान्वित की जा रही है। 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान निर्मित आवासीय एककों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों की संख्या तथा इस स्कीम के अन्तर्गत कुल लाभभोगियों की तुलना में उनकी प्रतिशतता निम्न प्रकार है:

वर्ष	निर्मित की गई आवासीय इकाइयों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों की संख्या	प्रतिशतता
2002-03	1,548,308	195,032	12.60%
2003-04	1,361,334	2,55,014	18.73%
2004-05	1,516,187	276,998	18.27%
2005-06			

3.15.3 यह 100% राजसहायता-प्राप्त केन्द्र-प्रायोजित कार्यक्रम है, संसाधनों का बंटवारा केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार के बीच 75:25 की औसत से किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित निधि का वितरण जिलों को राज्य की कुल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आबादी की तुलना में जिले की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आबादी के अनुपात में किया जाता है। इंदिरा आवास योजना के तहत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा दिनांक 01.04.2004 से मैदानी इलाकों में 20,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति इकाई तथा पहाड़ी/ दुर्गम क्षेत्रों में 22,000 रुपए से बढ़ाकर 27,500 रुपए प्रति इकाई कर दी गई है। मरम्मत न किए जाने योग्य कच्चे मकान के पक्के अथवा अर्ध-पक्के मकान के रूप में उन्नयन पर खर्च की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा को उसी तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 2004 से सभी क्षेत्रों के लिए 10,000 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया है। चूंकि ग्रामीण इलाकों में मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों के स्तरोन्नयन की जरूरत बहुत अधिक महसूस की जाती है, इसलिए दिनांक 01.04.2004 से मरम्मत के अयोग्य कच्चे मकानों के रूपान्तरण हेतु ग्रामीण मकान व्यवस्था की क्रेडिट एवं सब्सिडी स्कीम के तहत ऋण प्राप्त करने वाले लाभानुभोगी को सब्सिडी मुहैया कराने हेतु कुल धनराशि की 20 प्रतिशत राशि का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से अपेक्षित है कि आवासीय इकाई निरपवाद रूप से लाभानुभोगी परिवार की महिला सदस्य के नाम में आबंटित की जाए। वैकल्पिक रूप से, यह पति और पत्नी दोनों के नाम आबंटित की जा सकती है।

3.15.4 इंदिरा आवास योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) (ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु देश के प्रत्येक जिले में विशेष तौर पर स्थापित) अथवा जिला परिषदों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। किए गए आबंटन और निर्धारित लक्ष्य के आधार पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/ जिला परिषदें इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानों की पंचायत-वार संख्या के बारे में निर्णय लेती हैं तथा संबंधित ग्राम पंचायत को उसकी सूचना देती हैं। उसके बाद, ग्राम सभा पात्र परिवारों की सूची से लाभानुभोगियों का चयन, इसकी संख्या को आबंटित लक्ष्य तक सीमित करते हुए, करती हैं। तथापि, पंचायत समितियों/ जिला परिषदों/ डी. आर.डी.ए. को चयनित लाभानुभोगियों की सूची उनके सूचनार्थ मुहैया कराई जाती है। फील्ड स्तर पर

ब्लॉक डवलपमेंट मशीनरी को ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सफाई व्यवस्था वाले शौचालयों का निर्माण एवं कम ईंधन का इस्तेमाल करने वाले चूल्हे इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित मकानों का अभिन्न अंग हैं।

3.15.5 इंदिरा आवास योजना के तहत मुहैया कराई गई सहायता के अतिरिक्त, आई.ए.वाई., मकानों के निर्माण अथवा मरम्मत न किए जा सकने वाले कच्चे मकानों के स्तरान्वयन हेतु बैंकों/ अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा तभी किया जा सकता है जब संबंधित राज्य सरकारें/ डी.आर.डी.ए. इच्छुक लाभानुभोगियों को क्रेडिट सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी लें। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा ग्रामीण इलाकों में मकान वित्तव्यवस्था संबंधी कार्यकलापों में सुधार लाने के उद्देश्य से हुडको को इक्विटी सहायता दी जा रही है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हुडको को दी गई इक्विटी सहायता निम्न प्रकार थी:

वर्ष	हुडको को इक्विटी सहायता (करोड़ रुपए में)
2002-03	50.00
2003-04	10.00
2004-05	5.00

3.15.6 वर्ष 1993-94 से इस स्कीम, अर्थात् इंदिरा आवास योजना, का कार्यक्षेत्र इस शर्त पर गरीबी रेखा से नीचे के गैर-अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जनजाति के गरीब ग्रामीणों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया था कि गैर-अनुसूचित जाति/ गैर-अनुसूचित जनजाति लोगों को सकल आई.ए.वाई. आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं दिया जाएगा। इस स्कीम के लाभ सशस्त्र और अर्द्ध-सैनिक बलों के, कार्रवाई के दौरान मारे गए, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को भी दिए गए हैं। 3 प्रतिशत मकान अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से विकलांग गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीणों के लिए आरक्षित हैं। विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, करीब 10578 मकान वर्ष 2005-2006 में इस स्कीम के तहत शारीरिक एवं मानसिक दृष्टिकोण से विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं।

3.15.7 ऋण एवं राजसहायता स्कीम के तहत 32,000/- रुपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को 10,000/- रुपए तक की आर्थिक सहायता और अधिकतम 40,000/-रुपए का ऋण मुहैया कराया जाता है। डी.आर.डी.ए. लाभानुभोगियों के लिए वाणिज्यिक बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आवासीय वित्तीय संस्थानों आदि से ऋणों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। वर्ष 2002-2003 से इंदिरा विकास योजना और सी.पी.एस.एस. के तहत केन्द्रीय आबंटन को मिला दिया गया है। इस स्कीम के तहत, सम्पूर्ण निधियों की 80 प्रतिशत निधियों का आबंटन नए निर्माणों के लिए और शेष 20 प्रतिशत निधियों का आबंटन इस स्कीम के तहत मौजूदा कच्चे मकानों के स्तरान्वयन हेतु किया जाता है।

3.15.8 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निविष्टियों के समावेश को सतत् रूप से सरल एवं कारगर बनाने तथा ग्रामीण इलाकों में समुदाय की भागीदारी के जरिए एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा में सभी ग्रामीण इलाकों के लिए वहनीय आश्रय-स्थल मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी, आवास एवं ऊर्जा संबंधी मुद्दों के अभिसरण हेतु एक राष्ट्रीय ग्रामीण आवास एवं हेबिटेट मिशन की स्थापना की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद तथा सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में एक शक्तिप्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस मिशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को विनिर्दिष्ट करने, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट समय-सीमा तय करने, ग्रामीण इलाकों में आवास-विकास में निजी पूंजी लगाने को सरल और सुसाध्य बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने, ग्रामीण नियोजन हेतु

तकनीकी-कानूनी प्रणाली तैयार करने का काम हाथ में ले सकने वाली एजेन्सियों को छांटने के लिए इस शक्तिप्राप्त समिति द्वारा एक कार्य-दल भी गठित किया गया है।

3.15.9 अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट सन्दर्भ में 22 फरवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2005-2006 के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत राज्य-वार वित्तीय एवं भौतिक कार्य-निष्पादन का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक 3.XII** और **अनुलग्नक 3.XIII** में दिया गया है।

3.15.10 सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के लिए इंदिरा आवास योजना स्कीम के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों की मासिक एवं वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी अपेक्षित है। इन रिपोर्टों का प्रपत्र ऐसा है कि इनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति घटक, महिला लाभानुभोगियों की संख्या, धुआं रहित चूल्हों एवं स्वच्छ शौचालयों का प्रावधान, शारीरिक तौर पर विकलांग लाभानुभोगियों की संख्या आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण ब्योरे दिए जाते हैं। वित्तीय मॉनीटरिंग एक स्वतः होने वाली समवर्ती प्रक्रिया है, जो उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्रों, लेखा-परीक्षा रिपोर्टों आदि की जांच के जरिए की जाती है और जो निधियों के विमोचन का आधार बनाती हैं।

3.15.11 इस स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक इंदिरा आवास योजना के तहत 25518.71 करोड़ रुपए की लागत से करीब 139 लाख मकानों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय परिव्यय 2750.00 करोड़ रुपए का था और 14.41 लाख मकान बनाने का लक्ष्य था। 2005-06 में निर्धारित परिव्यय में से 2732.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है, जिसमें से अब तक 2298.68 करोड़ रुपए रिलीज़ किए जा चुके हैं। 22.2.2006 की स्थिति के अनुसार, कुल उपलब्ध धनराशि की तुलना में अखिल भारतीय आधार पर समग्र उपलब्धि 56.67 प्रतिशत है। वर्ष 2005-06 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के तहत देश में कुल 14.41 लाख मकान बनाए जाने थे, जबकि 10.14 लाख मकान ही बनाए गए, जो 31.01.2006 की स्थिति के अनुसार इस वर्ष के लिए निर्धारित कुल लक्ष्य के करीब 70 प्रतिशत के बराबर हैं। 2005-06 के दौरान इस स्कीम के तहत निर्मित 14.41 लाख मकानों में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति लाभानुभोगियों को 5.6 लाख मकान आबंटित किए गए थे, जो 22.02.2006 की स्थिति के अनुसार निर्मित किए गए कुल मकानों का 60.95 प्रतिशत हैं।

3.15.12 आयोग, इन्दिरा आवास योजना के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह देना चाहता है:-

- (i) कई राज्यों में इस स्कीम के तहत निधियों का उपयोग पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। उन राज्यों को इस स्कीम के तहत संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु प्रभावकारी अर्थोपाय करने की सलाह देने की जरूरत है।
- (ii) निर्माण सहायता की प्रतिवास-स्थान राशि मैदानी इलाकों में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकक तथा पहाड़ी/ कठिनाई वाले इलाकों में 30,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति एकक कर दी जाए ताकि विगत दो वर्षों में निर्माण-सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि के प्रभाव को प्रति-संतुलित किया जा सके।

3.16 ग्रामीण सड़कें

3.16.1 ग्रामीण इलाकों में रहने वाले समाज के किसी भी वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जनजाति के उन सदस्यों, जो दूरस्थ क्षेत्रों, अधिकांशतः जंगलों में रहते हैं, की सामाजिक-आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के किसी भी कार्यक्रम के विकास हेतु अच्छी सड़कों के नेटवर्क की उपलब्धता पहली आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी सामाजिक सेवाओं के अभाव तथा जनजातीय क्षेत्रों का कस्बों और शहरों के साथ आर्थिक एकीकरण न होने का एक प्रमुख कारण दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों का अभाव रहा है। दसवीं योजना में सड़क क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण नेटवर्क का संतुलित विकास करना है। इस कार्य में सड़कों को चौड़ा करना, सवारी गुणवत्ता में सुधार लाना और सड़क सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना तथा सड़क सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के

लिए रास्तों के किनारों पर सुविधाएं मुहैया करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, गांवों को शत-प्रतिशत रूप से सभी मौसमों वाली सड़कों के साथ जोड़ना एक राष्ट्रीय प्राथमिकताप्राप्त उद्देश्य है।

3.16.2 ग्रामीण संयोजनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक ग्रामीण सड़क कार्यक्रम अर्थात् प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) अक्टूबर 2000 में शत-प्रतिशत केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। पी.एम.जी.एस.वाई. का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की सड़क से न जुड़ी बस्तियों को बारहमासी सड़कों के द्वारा जोड़ना है ताकि 1000 और इससे अधिक आबादी वाली बस्तियां तीन वर्षों (2000-03) में कवर हो जाएं। 500 व्यक्तियों और इससे अधिक आबादी वाली सड़क से न जुड़ी सभी बस्तियों को दसवीं योजना अवधि के अन्त (2007) तक सड़कों से जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल) और रेगिस्तानी इलाकों के सम्बन्ध में 250 व्यक्तियों और इससे अधिक की आबादी वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम का एक सम्बन्धित उद्देश्य विभिन्न राज्यों/ जिलों में ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क का समान विकास करना है ताकि ग्रामीण वृद्धि के लिए अन्तर्निहित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग किया जा सके।

3.16.3 राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न राज्यों में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों से असम्बद्ध करीब 1.72 लाख बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। देश में ग्रामीण बस्तियों की कुल संख्या, असम्बद्ध ग्रामीण बस्तियों की कुल संख्या तथा इस स्कीम के तहत कवर किए जाने योग्य ग्रामीण बस्तियों की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	मद	कुल संख्या	असम्बद्ध	पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत पात्र			
				1000+	500-999	250-499	कुल संख्या
1.	ग्रामीण बस्तियां	8,49,341	3,30,647	59,855	81,466	31,451	1,72,772
2.	ग्रामीण सड़कों की लम्बाई (कि.मी.)	30,00,000 (लगभग)	.	1,33,951	1,61,952	69,899	3,69,386

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट

3.16.4 दिसम्बर, 2005 तक स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बस्तियों की संख्या, बनाई जाने वाली सड़कों की लम्बाई तथा असम्बद्ध बस्तियों की कवरेज का राज्य-वार ब्योरा अनुलग्नक 3.XIV (क) और 3.XIV (ख) में दिया गया है।

3.16.5 इस स्कीम के प्रारम्भ होने के बाद कराए गए सर्वेक्षण तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण पर पहले तीन वर्षों में आई औसत लागत के अनुभव के आधार पर कार्यक्रम की लागत संशोधित करके 1,32,000 करोड़ रुपए कर दी गई है, जबकि प्रारम्भ में 60,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। 9 चुनिन्दा राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) में लागतों के विस्तृत विश्लेषण से पता चलता है कि लागत में वृद्धि के मुख्य कारण हैं: सभी मामलों में क्रॉस ड्रेनेज एवं संरक्षण निर्माण कार्यों की व्यवस्था और उच्च तटबंध तथा कुछ राज्यों में सड़क की अधिक चौड़ाई।

3.16.6 अब तक स्वीकृत की गई 25410.84 करोड़ रुपए की राज्य परियोजनाओं के लिए मंत्रालय ने 31 दिसम्बर, 2005 तक 14641.44 करोड़ रुपए विमोचित किए तथा राज्यों ने 11674.30 करोड़ रुपए के व्यय की सूचना दी है। 46213 अनुमोदित सड़क निर्माण कार्यों में से 28915 सड़क निर्माण-कार्य पूरे कर लिए गए हैं। 147343 कि.मी. लम्बाई वाले अनुमोदित निर्माण कार्यों में से अब तक 80558 कि.मी. लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 17 राज्यों द्वारा प्रस्तावित 7994.49 करोड़

रुपए की लागत वाली परियोजनाएं वर्ष 2005-06 के दौरान (दिसम्बर तक) स्वीकृत की गई हैं, जबकि 2004-05 के दौरान 2204.55 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं। राज्य-वार ब्योरा अनुलग्नक 3.XIV (ग) में दिया गया है।

3.16.7 दसवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों और वर्ष 2004-2005 की ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में जनजातीय इलाकों में सड़क नेटवर्क के विकास की मात्रा के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः, आयोग सिफारिश करता है कि:

- (i) ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी जनजातीय बस्तियों का, जिन्हें अभी तक सड़कों से जोड़ा नहीं गया है, राज्य-वार विस्तृत ब्योरा तैयार करे तथा शहरी क्षेत्र समितियों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, गैर-सरकारी संगठनों आदि को शामिल करके दसवीं योजना की अवधि की समाप्ति अर्थात् 2007 तक सभी जनजातीय इलाकों को सड़क से जोड़ने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करे।
- (ii) यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी इलाकों की सभी सम्पर्क सड़कों को पक्की सड़कों में तथा भीतरी कच्ची सड़कों को सी.सी. सड़कों में तब्दील कर दिया जाएगा तथा उन्हें दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात् 2007 तक पक्की सम्पर्क सड़कों के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि वर्षा ऋतु के दौरान भी इन क्षेत्रों में आना-जाना सरल व सुसाध्य हो सके।

3.17 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)

3.17.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में गरीबों को रियायती (सब्सिडी-प्राप्त) दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करने में मदद देती है। गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कार्यक्रम प्रारम्भ में 60 के दशक में खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को रखने के लिए शुरू किया गया था ताकि कम उत्पादन वाली अवधि में मांग को पूरा किया जा सके। अभी हाल तक यह स्कीम बगैर किन्हीं लक्ष्यगत समूहों के सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध थी। अब यह बात मान ली गई है कि केवल खाद्यान्नों की उपलब्धता ही गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की पर्याप्त शर्त नहीं है। यह भी आवश्यक है कि खाद्य-सामग्री खरीदने के लिए गरीबों के पास पर्याप्त साधन भी हों। खाद्य-सामग्री खरीदने के लिए गरीब की क्षमता दो तरह से अर्थात् आय को बढ़ाकर अथवा रियायती कीमत पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करके सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि, रोजगार सृजन कार्यक्रमों में पहले हल का प्रयास किया जाता है, पर पी.डी.एस. दूसरे विकल्प की कार्य-विधि है।

3.17.2 भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली संभवतः विश्व में अपने किस्म की सबसे बड़ी वितरण प्रणाली है। यह विशाल नेटवर्क तभी कोई सार्थक भूमिका निभा सकता है जब यह गरीब परिवारों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करे। इस प्रणाली को बनाए रखने के लिए अपेक्षित वार्षिक खाद्य सब्सिडी की मात्रा अत्यधिक है। 2002-03 के खाद्य सब्सिडी बिल के लिए 21,200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है, जो केन्द्र सरकार के कुल व्यय का 5.2 प्रतिशत बैठता है। सरकार के कुल व्यय के अनुपात के रूप में खाद्य सब्सिडी का स्तर 1990 के दशक की शुरुआत में 2.5 प्रतिशत अथवा इससे कम था, जो बढ़कर आज 5 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। 2002-03 में सरकार का प्रति व्यक्ति खाद्य सब्सिडी व्यय करीब 200 रुपए अथवा 17 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह होने का अनुमान लगाया गया है।

3.17.3 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के, अपने मूल रूप में, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सेवा करने में असफल रहने, इसके शहरी पूर्वाग्रह, ग्रामीण लोगों के उच्चतम संकेद्रण वाले राज्यों में नगण्य कवरेज, डिलिवरी के पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रबन्ध व्यवस्था के अभाव के कारण इसकी व्यापक आलोचना हुई थी। पिछले कई वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप, पी.डी.एस. में उपभोक्ता मूल्यों में तदनु रूप वृद्धि हुई, जिसका पी.डी.एस. खाद्यान्नों तक गरीबों की आर्थिक पहुंच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह देखा गया कि सभी तक अर्थात् अमीर एवं गरीब लोगों तक समान रूप से पहुंच वाली प्रणाली में पी.डी.एस. सब्सिडी अमीरों तक पहुंची, जबकि गरीबों को खाद्यान्नों की अपर्याप्त मात्रा से ही सन्तुष्ट होना पड़ा। इन कमियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बी.पी.एल.

परिवारों को विशेष कार्ड जारी करके तथा उनको 1 जून, 1997 से विशेष रियायती मूल्यों पर पी.डी.एस. के तहत खाद्यान्न बेचने की व्यवस्था करके इस प्रणाली को सरल और कारगर बनाया।

3.17.4 इस लक्ष्यगत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) के तहत प्रत्येक गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की संख्या के आधार पर प्रत्येक माह 10 किलो ग्राम खाद्यान्न, विशेष तौर पर सब्सिडी-प्राप्त मूल्यों पर प्राप्त करने का हकदार है। गैर-पी.बी.एल. परिवार उसी पैटर्न पर खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं, जैसा कि मौजूदा पी.डी.एस. प्रणाली में है। आशा है कि टी.पी.डी.एस. से करीब 60 मिलियन गरीब लोग लाभान्वित होंगे। गरीबों की पहचान राज्यों द्वारा की जाती है। जोर इस बात पर था कि इसमें केवल उन्हीं लोगों को शामिल किया जाए जो वास्तव में गरीब हैं, ग्रामीण इलाकों में समाज के कमजोर वर्गों के लोग, गंदी बस्ती के निवासियों और अनौपचारिक क्षेत्र के दैनिक मजदूर (पल्लेदार, रिक्शाचालक और ठेला खींचने वाले आदि) हों। 1 अप्रैल, 2000 से सरकार ने बी.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्नों की मात्रा 50 प्रतिशत आर्थिक लागत पर 10 किलो ग्राम से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दी। गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए खाद्यान्नों की मात्रा वही रखी गई है, जो जून 1997 में थी, लेकिन केन्द्रीय निर्गम मूल्य (सी.आई.पी.) उस तारीख से 100 प्रतिशत आर्थिक लागत पर निर्धारित किया गया था ताकि सम्पूर्ण उपभोक्ता सब्सिडी सीधे बी.पी.एल. लोगों को प्राप्त हो सकें।

3.17.5 बी.पी.एल. परिवारों की संख्या में 1 दिसंबर, 2000 से वृद्धि हो गई है, क्योंकि आधार, जो 1995 के जनसंख्या अनुमान थे, बदलकर अब भारत के महापंजीयक के 1 मार्च 2000 के जनसंख्या अनुमान हो गए हैं। इस परिवर्तन के फलस्वरूप, बी.पी.एल. परिवारों की संख्या, जो टी.पी.डी.एस. शुरू करते समय 59.6 मिलियन थी, बढ़कर 65.2 मिलियन हो गई है। बी.पी.एल. श्रेणी के लिए खाद्यान्नों का आबंटन इस प्रकार बढ़कर 147 लाख टन प्रतिवर्ष हो गया है।

3.17.6 भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न के अतिरिक्त भण्डार को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने 12 जुलाई, 2001 से टी.पी.डी.एस. के तहत निम्नलिखित उपाय किए:

- (i) खाद्यान्नों का बी.पी.एल. आबंटन 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 कि.ग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया। गेहूं के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्राम और चावल के लिए 5.65 रुपए प्रति कि.ग्राम दर, बी.पी.एल. परिवारों के लिए सी.आई.पी. आर्थिक लागत के 48 प्रतिशत के बराबर है।
- (ii) ए.पी.एल. परिवारों को खाद्यान्नों का आबंटन आर्थिक लागत की 70 प्रतिशत की बढ़ागत दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया था। गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 830 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 610 रुपए और चावल का सी.आई.पी. 1130 रुपए प्रति क्विंटल से कम करके 830 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, 25 कि.ग्राम खाद्यान्न अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत निर्धनतम परिवार को अत्यन्त आर्थिक सहायता-प्राप्त दर अर्थात् गेहूं की 2 रुपए प्रति कि.ग्राम और चावल की 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर मुहैया कराया जाना था।

3.17.7 अप्रैल और जून, 2002 के बीच टी.पी.डी.एस. के तहत संचयी तौर पर कुल 23.54 लाख टन चावल और 16.09 लाख टन गेहूं की खरीद हुई, जबकि 2001 की इसी अवधि में क्रमशः 18.46 लाख टन चावल और 9.87 लाख टन गेहूं खरीदा गया था। इस प्रकार, स्पष्ट है कि टी.पी.डी.एस. के तहत की गई कुल खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर सुधार आया है। तथापि, राज्यों में स्थिति एकसमान नहीं है तथा ऐसे कई राज्य हैं, जहां स्थिति में सुधार लाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2001 और मार्च 2002 के बीच बिहार में चावल की कुल खरीद, कुल आबंटन के केवल 13.8 प्रतिशत के बराबर थी तथा गेहूं के मामले में यह केवल 27.9 प्रतिशत थी।

3.17.8 देखने में आया है कि भारी संख्या में राशन कार्ड सही नहीं हैं और आपूर्तियों की भारी मात्रा को, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए थी, विशेषकर मिट्टी के तेल को काले बाजार में पहुंचा दिया गया। जब तक ये कमियां रहेंगी, तब तक गरीब ग्रामीण विशेषतः अनुसूचित जनजातियों के लोग कष्ट भोगते रहेंगे। प्रैस रिपोर्टों में राशन की दुकानों पर सप्लाई किए जा रहे खाद्यान्नों की

घटिया क्वालिटी और खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के बारे में लिखा जाता है। अतः, आयोग का विचार है कि गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत आने वाले खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इनकी कालाबाजारी रोकने हेतु प्रभावी अर्थोपाय किए जाएं। उचित होगा कि उचित दर दुकानों के पर्यवेक्षण में तथा राजसहायता प्राप्त अनाजों की हकदारी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान करने में भी पंचायती राज संस्थानों को शामिल किया जाए।

3.18 पेय जल आपूर्ति

3.18.1 मानव संसाधन विकास की एक प्रमुख आवश्यकता यह है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों को, जो सामान्यतः वनों अथवा अलग-थलग बस्तियों में रहते हैं, मूलभूत नागरिक सेवाएं समान रूप से मिलें। समाज के सभी वर्गों के लोगों को मूलभूत सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) शुरू किया गया था। प्रारम्भ में, इस कार्यक्रम के आठ घटक थे—(i) प्राथमिक शिक्षा, (ii) ग्रामीण स्वास्थ्य, (iii) ग्रामीण जल आपूर्ति, (iv) ग्रामीण विद्युतीकरण, (v) ग्रामीण सड़कें, (vi) ग्रामीण आवास, (viii) शहरी गंदी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार, और (viii) पोषण। बाद में, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण घरेलू ऊर्जा, ग्रामीण सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शामिल करके इस कार्यक्रम को और अधिक व्यापक बनाया गया। इस पैरा में हम गरीब ग्रामीणों, विशेषकर अनुसूचित जनजातियों को साफ पेयजल मुहैया कराने की मूलभूत जरूरत को पूरा करने में हुई प्रगति को देखेंगे।

3.18.2 पेय जल आपूर्ति राज्य विषय है और राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र अपने निजी संसाधनों से सुरक्षित पेय जल मुहैया करने की परियोजनाएं और स्कीमें हाथ में लेते रहे हैं। भारत सरकार केन्द्र-प्रायोजित स्कीम अर्थात् 'त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.)' के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया करके राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों की अनुपूर्ति करती है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को गांवों में पेय जल आपूर्ति स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए शत-प्रतिशत सहायता अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम की कवरेज के प्रतिमानों में (i) प्रति 250 व्यक्तियों के लिए एक हैंड पम्प अथवा स्टेण्ड पोस्ट; और (ii) मैदानी इलाकों में 1.6 कि. मी. तक तथा पहाड़ी इलाकों में, 100 मीटर उत्थापन तक बस्तियों में जल स्रोत की उपलब्धता शामिल है।

3.18.3 त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ उपबन्ध है कि राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को केवल अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए स्कीमें शुरू करने हेतु उनके लिए कम से कम 10 प्रतिशत राशि अलग निर्धारित करनी होगी। निधियों को दूसरे क्षेत्रों में अपवर्तित करने की अनुमति नहीं है। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, पेय जल का प्रथम स्रोत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति इलाकों में मुहैया कराया जाना जरूरी है तथा स्कीमों को कार्यान्वित करते समय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बस्तियों की कवरेज को प्रथम तरजीह और उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें जल की आपूर्ति संबंधी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं। इस स्कीम में राशियों का अलग निर्धारण इसलिए किया गया है ताकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बस्तियों का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित हो सके।

3.18.4 दसवीं योजना 'कवर न की गई' (एन.सी.) बस्तियों को पेय जल की सतत एवं निर्धारित आपूर्ति करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसमें उन बस्तियों सहित, जो नौवीं योजना के अन्त तक पीछे फिसल कर एन.सी./पी.सी. श्रेणी तक पहुंच गई हों, सभी ग्रामीण बस्तियों को कवर करने की परिकल्पना की गई है। दसवीं योजना में भागीदारी के दृष्टिकोण पर बल दिया गया है, जहां पी. आर.आई. पेय जल आपूर्ति कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर अभिसरण के प्रमुख संस्थान होने चाहिए। ग्रामीण आबादी की पेय जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में पर्याप्त सफलता हासिल कर ली गई है तथा 95.34 प्रतिशत ग्रामीण बस्तियों में निर्धारित स्तर तक पेय जल की सुविधाएं हैं। आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियां 4.28 प्रतिशत हैं। कवर न की गई बस्तियां लगभग 0.38 प्रतिशत हैं।

राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 01.11.2004 को व्यापक कार्य योजना (सी.ए.पी.) पर आधारित कवरेज की स्थिति इस प्रकार थी:

कवरेज के प्रकार	बस्तियों की संख्या	कुल बस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
पूरी तरह कवर (एफ.सी.)	1367216	96
आंशिक रूप से कवर (पी.सी.)	50479	3.5
कवर न की गई (एन.सी.)	4588	0.32
गैर-आबाद / शहरीकृत	381	
जोड़	1422664	

3.18.5 2005-06 (23.01.2006 तक) के दौरान कवरेज की स्थिति निम्न प्रकार थी:

कवरेज के प्रकार	बस्तियों की संख्या	कुल बस्तियों की तुलना में प्रतिशतता
पूरी तरह कवर (एफ.सी.)	1373827	96.6
आंशिक रूप से कवर (पी.सी.)	44521	3.12
कवर न की गई (एन.सी.)	3935	0.27
गैर-आबाद / शहरीकृत	381	
जोड़	1422664	

दिनांक 01.11.2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण जलापूर्ति की स्थिति के संबंध में बस्तियों की राज्य-वार कवरेज को दर्शाने वाली तालिका **अनुलग्नक 3.XV** में दी गई है।

3.18.6 दसवीं योजना के उद्देश्यों को हासिल करने की कार्य-नीति के उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

- कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई बस्तियों, जिनमें वे बस्तियां भी शामिल हैं जो पूरी तरह से कवर थीं, लेकिन पीछे खिसक कर आंशिक रूप से कवर की गई तथा कवर न की गई बस्तियों की श्रेणी में पहुंच गई, को सुरक्षित जल प्रणाली से कवर करने की गति को बढ़ाना।
- प्रभावित बस्तियों में पानी की गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं से निपटना तथा पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग और निगरानी प्रणालियां स्थापित करना।
- कवर की गई बस्तियों में स्वच्छ पेय जल की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और स्रोतों दोनों की संधारणीयता बढ़ाना।

3.18.7 पेय जल की सुलभता के बावजूद, पानी की आपूर्ति की स्कीमों का उचित अनुरक्षण समस्या बना हुआ है। स्रोतों का सूख जाना, गुणवत्ता में सुधार लाने की समस्या, घटिया देखरेख के कारण प्रणालियों द्वारा कार्य करना बन्द कर देना, कृषि, उद्योग, आदि जैसे अन्य प्रतिस्पर्द्धी क्षेत्रों में पानी की मांग पेय जल आपूर्ति की स्कीमों की संधारणीयता के सामने खतरे खड़े करने वाले कई कारक हैं। एक प्रभावी प्रचालन एवं रख-रखाव प्रणाली लाने के लिए भारी निवेश की जरूरत है। अब तक सृजित जल आपूर्ति तंत्र के प्रचालन और रखरखाव की कुल अनुमानित वार्षिक लागत 6750 करोड़ रुपए आंकी गई है, जबकि ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत प्रचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही कुल निधि लगभग केवल 450 करोड़ रुपए थी। ये सुधार कार्य 1999 में रणनीति के एक हिस्से के रूप में शुरू किए गए थे ताकि प्रणालियों की संधारणीयता सुनिश्चित हो सके, जिसका अर्थ है प्राचल का परिवर्तन, अर्थात् निधिपोषण के केन्द्रीयकृत रूप पर आधारित आपूर्ति-संचालित प्रतिमानों के स्थान पर मांग-संचालित 'अनुक्रियाशीलता', सामुदायिक नेतृत्व और प्रबन्धन के विकेन्द्रीकृत तरीके पर आधारित प्रतिमानों को अपनाना।

3.18.8 प्रारम्भ में, ये सुधार क्षेत्रक सुधार (सेक्टर रिफॉर्म) परियोजनाओं के रूप में 67 प्रायोगिक जिलों में शुरू किए गए थे। प्राप्त अनुभव के आधार पर, ये सुधार कार्य दिसम्बर, 2002 में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा **स्वजलधारा** नामक स्कीम शुरू करके सम्पूर्ण देश में शुरू किए गए थे। देश के सभी राज्य अब स्वजलधारा स्कीमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। क्षेत्रक सुधार और स्वजलधारा के तहत अलग-अलग जल आपूर्ति स्कीमों में ग्रामीण स्तर की समितियों के जरिए समुदाय द्वारा नियोजित, रूपांकित, कार्यान्वित, संचालित की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा उनका रख-रखाव किया जाता है। इसमें कम से कम 10 प्रतिशत पूंजी लागत समुदाय वहन करता है तथा स्कीमों की पूर्ति के बाद प्रचालन और रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी समुदाय की होती है। 90 प्रतिशत पूंजी लागत भारत सरकार वहन करती है। ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में सुधार कार्यों की पहल का मुख्य बल न केवल पेय जल स्कीमों के प्रचालन और रख-रखाव, बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए भी पंचायती राज प्रणाली को शक्तिसम्पन्न बनाने पर है।

3.18.9 जून, 2003 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वजलधारा की दो धाराएं होंगी। पहली धारा (स्वजलधारा-I) एक ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के एक समूह अथवा मध्यवर्ती पंचायत (ब्लॉक/ तहसील स्तर पर) के लिए होगी तथा दूसरी (स्वजलधारा-II) में परियोजना क्षेत्र के रूप में एक जिला होगा। स्वजलधारा के तहत निधियों का आबंटन अब राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को किया जाता है तथा आबंटित राशि की सूचना राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को दे दी जाती है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जिला-वार आबंटन करते हैं तथा उसका ब्योरा पेय जल आपूर्ति विभाग को भेज देते हैं। वर्ष 2005-2006 के लिए स्वजलधारा के अन्तर्गत किए गए राज्य-वार आबंटन और रिलीज़ की गई राशियों की जानकारी **अनुलग्नक 3.XVI** में दी गई है।

3.18.10 माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2002 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में तीन कार्यक्रमों, अर्थात् एक लाख हैंड पम्प लगाने, एक लाख प्राइमरी स्कूलों को पेय जल की सुविधाएं मुहैया कराने तथा पानी के एक लाख परम्परागत स्रोतों का पुनरुद्धार करने की घोषणा भी की। इस बीच, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देश तैयार कर लिए गए थे तथा वे सभी राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। ये कार्यक्रम दो वर्षों, अर्थात् 2003-04 और 2004-05 में पूरे किए जाने थे। इनमें कुल 800 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, जिसमें से 800.00 करोड़ रुपए (10 प्रतिशत) समुदाय का अंशदान था। **आयोग सिफारिश करता है कि पेय जल आपूर्ति विभाग जनजातीय लोगों द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों के विशिष्ट संदर्भ में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाए तथा आयोग को स्थिति से अवगत कराए।**

3.18.11 पेय जल आपूर्ति विभाग को अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों और अन्य राज्यों, जहां जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा है और जिन्हें अभी तक पेय जल मुहैया नहीं कराया गया है, की जनजाति बस्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा एक सर्वेक्षण कराने तथा तदनुसार इन सभी इलाकों में दसवीं योजना की अवधि के अन्त तक सुरक्षित पेय जल मुहैया कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी जाती है।

3.18.12 **आयोग आगे सिफारिश करता है कि** पेय जल आपूर्ति विभाग, राज्य सरकारों को वर्ष 2007 के अंत तक जनजातीय बस्तियों में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध करने की सलाह दे:

- (i) मैदानी इलाकों की जनजाति आबादी को हैंड पम्पों की सुविधा मुहैया कराई जाए।
- (ii) जहां किसी भी कारण से हैंड पम्प लगाना सम्भव न हो, वहां पेय जल के कूओं की व्यवस्था करके उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के लोगों को सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए।
- (iii) जहां हैंड पम्प लगाना अथवा कूएं खोदना संभव न हो और जहां सरिता (स्ट्रीम) जैसे पानी के प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हों, वहां पानी के उन स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जाए।

3.19 ग्रामीण विद्युतीकरण

3.19.1 ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पेय जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, पोषण, प्राथमिक शिक्षा, आश्रय और ग्रामीण संयोजकता। ग्रामीण इलाकों में बिजली की उपलब्धता से आर्थिक विकास होगा और इससे खाद्य सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, साक्षरता, आदि जैसे सम्बन्धित लाभ प्राप्त होंगे। इसको देखते हुए, सरकार योजना प्रक्रिया की शुरुआत से ही गांवों के विद्युतीकरण पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। हालांकि इसके फलस्वरूप देश के करीब 86 प्रतिशत गांवों में बिजली आ गई है, फिर भी गांवों में उत्पादी और जीवन-यापन की जरूरतों के लिए बिजली का इस्तेमाल बहुत ही सीमित है। गांवों के करीब 70 प्रतिशत घरों को अभी बिजली के कनेक्शन लगाने हैं, इसीलिए विद्युतीकृत गांवों में ऊर्जा-आधरित आर्थिक कार्यकलाप बहुत ही कम हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में किए गए निवेश के वास्तविक लाभ तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब लोग बिजली का उपयोग अपने दैनिक कार्यों तथा कुटीर एवं ग्राम उद्योग तथा वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए करने की स्थिति में हों। अतः, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण का प्रयास करने के अलावा ग्रामीणों को सयमबद्ध रूप से विद्युत का और अधिक व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। विद्युतीकृत गांव की मौजूदा परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि यह ग्रामीणों की जरूरतों को पूरा नहीं करती। मौजूदा परिभाषा में कहा गया है कि "उसी गांव को पूरी तरह से विद्युतीकृत माना जाएगा, जहां बिजली का उपयोग गांव की राजस्व सीमा के भीतर किसी भी प्रयोजन हेतु बस्ती वाले इलाके में किया जाता हो"। इस परिभाषा में परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। केवल उसी गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाए, जब उस गांव के कम से कम 50 प्रतिशत घरों ने बिजली के कनेक्शन ले लिए हों।

3.19.2 ग्राम विद्युतीकरण की मौजूदा परिभाषा के आधार पर भी देश के करीब 80,000 गांवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना है। तेरह राज्यों ने अपने गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण घोषित कर दिया है। अभी विद्युतीकृत किए जाने वाले अधिकांश गांव असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में हैं। इन 80,000 गांवों में से करीब 62,000 गांवों में ही परम्परागत ग्रिड विस्तार से बिजली लाना व्यवहार्य है। शेष 18,000 गांव दूरस्थ क्षेत्रों, पहाड़ी भू-भागों, द्वीपों, रेगिस्तानों आदि में स्थित हैं और उनकी आबादी भी बहुत कम है। ऐसे गांवों का सोलर विंड, स्माल हाइड्रो और बायोमास जैसे विकेन्द्रीकृत एवं गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युतीकरण करना अधिक मितव्ययी हो सकता है।

3.19.3 भारत सरकार (विद्युत मंत्रालय) आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के गरीब ग्रामीण परिवारों के घरों के विद्युतीकरण हेतु कई स्कीमों में कार्यान्वित कर रही है। इन स्कीमों का ब्योरा अगले पैराग्राफों में दिया गया है।

कुटीर ज्योति कार्यक्रम

3.19.4 यह कार्यक्रम 1988-89 में आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के गरीब ग्रामीण परिवारों के घरों में बिजली का एक प्वाइंट देने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को "मई, 2004 में एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण" के कार्यक्रम में मिला दिया गया था इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, राज्यों को घरों के अन्दर एक बार तार डालने की लागत तथा सेवा प्रभार हेतु शत-प्रतिशत अनुदान दिया गया था। प्रति कनेक्शन अनुदान के प्रतिमान समय-समय पर निम्न प्रकार परिवर्तित किए गए:

1988-90	180 रुपए
1992-94	400 रुपए
1996-1998	800 रुपए मीटर रहित कनेक्शन हेतु और 1000 रुपए मीटर वाले कनेक्शन हेतु
मार्च, 2002	1500 रुपए। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 1800 रुपए।

त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (ए.आर.ई.पी.)

3.19.5 यह स्कीम वर्ष 2003-04 में शुरू की गई थी। इसके तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.), विद्युत वित्त निगम (पी.एफ.सी.), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकारों/ विद्युत सेवाओं द्वारा लिए गए ऋणों के ब्याज पर 4 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। यह सहायता गैर-विद्युतीय गांवों, हेमलेट्स/ दलित बस्तियों/ जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण और परम्परागत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से गांवों के घरों के विद्युतीकरण तक सीमित है।

एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण

3.19.6 यह स्कीम फरवरी, 2004 में ब्याज सब्सिडी स्कीम ए.आर.ई.पी. (त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) और कुटीर ज्योति कार्यक्रम का विलय करके शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत, ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 40 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार से तथा शेष राशि आर. ई.सी. से सरल शर्तों पर ऋण सहायता के माध्यम से मुहैया कराने की व्यवस्था है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.)

3.19.7 यह स्कीम अप्रैल, 2005 में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों सहित बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन देने के लिए शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य सभी गांवों और बस्तियों में बिजली पहुंचाना और चार वर्षों की अवधि में सभी घरों में बिजली पहुंचाना है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) इस स्कीम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। अब तक आर.ई.सी. को 24 राज्यों से, अ-विद्युतीकृत और विद्युतीकृत (जहां के ग्रामीण घरों में बिजली नहीं पहुंची है) को कवर करने के बारे में 417 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 191 परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं। आज की स्थिति के अनुसार (अर्थात् जनवरी, 2006 के अन्त तक) इस स्कीम के तहत कुल 186 परियोजनाएं हैं, जो आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करती हैं। 191 परियोजनाएं 69.29 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करती हैं, जिनमें से 45.15 लाख बी.पी.एल. परिवार हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्ग के परिवार शामिल हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के तहत कवर किए जा रहे बी.पी.एल. परिवारों का विस्तृत ब्यौरा **अनुलग्नक 3.XVII** में दिया गया है। करीब 7.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। परीक्षाधीन प्रस्तावों अथवा प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के स्वीकृत हो जाने के बाद और बी.पी.एल. परिवार कवर किए जाएंगे।

3.20 ग्रामीण सफाई

3.20.1 केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) 1986 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाना और महिलाओं को एकांत और गरिमा प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूमिहीन श्रमिकों के लिए स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत सब्सिडी तथा आम जनता के लिए राज्यों में प्रचलित दरों पर सब्सिडी दी जाती है। मार्ग-निर्देशों में यह निर्धारित है कि कुल निधि की कम से कम 20 प्रतिशत राशि गरीबी रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों के व्यक्तिगत घरों के लिए सब्सिडी देने के लिए निर्धारित की जाए। जहां गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कुल आबादी की 20 प्रतिशत से अधिक है, वहां निर्धारित राशि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आबादी की प्रतिशतता के अनुरूप बढ़ाई जाए। यह कार्यक्रम आपूर्ति-संचालित, अत्यधिक आर्थिक सहायता-प्राप्त था और इसमें एकल निर्माण मॉडल पर बल दिया गया था। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मार्च, 1991 में इस कार्यक्रम को संशोधित किया गया था ताकि सब्सिडी पैटर्न में कुछ परिवर्तन किए जा सकें तथा गांवों की सफाई को भी एक घटक के रूप में शामिल किया जा सके। ग्रामीण इलाकों में सफाई के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने की दृष्टि से सितम्बर, 1992 में इसमें पुनः संशोधन किया गया। इस स्कीम के

शुरू होने से लेकर और नौवीं योजना के अन्त तक इस स्कीम के अन्तर्गत और तदनु रूप राज्य एम. एन.पी. के तहत ग्रामीणों के लिए 94.5 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया था। सी.आर.एस.पी. के तहत कुल 61 करोड़ रुपए तथा स्टेट सेक्टर एम.एन.पी. के तहत 1045 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इसमें ग्रामीण सफाई कवरेज में मामूली सी ही वृद्धि (केवल 1 प्रतिशत) हुई है। सी.आर.एस.पी. का 1999 में पुनर्गठन किया गया था तथा इसे समग्र सफाई अभियान (टी.एस.सी.) से प्रतिस्थापित किया गया था। पुनर्गठित स्कीम अर्थात् टी.एस.पी. मुख्यतः गरीबी के मापदण्ड पर आधारित, राज्य-वार आबंटन के सिद्धान्त से हटकर "मांग-संचालित कार्य-पद्धति" की ओर मुड़ गई। यह छोटी उम्र से ही लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए स्कूल सफाई एवं स्वच्छता शिक्षा पर भी बल देती है। यह कार्यक्रम देश के 451 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक स्वीकृत 451 टी.एस.सी. परियोजनाओं के लिए परियोजना परिव्यय 4413.19 करोड़ रुपए है। केन्द्रीय, राज्यीय और लाभानुभोगी अंशदान क्रमशः 2620.89 करोड़ रुपए, 979.90 करोड़ रुपए और 812.40 करोड़ रुपए का है। वर्ष 2004-05 के दौरान 50 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था।

3.20.2 आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि ग्रामीण छोटी बस्तियों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है तथा अधिकांश मामलों में ये शौचालय पानी, मल-प्रणाल कनेक्शन, दरवाजे आदि जैसी न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उपयोग करने लायक नहीं हैं। अतः, आयोग सिफारिश करता है कि ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ शौचालय बनाने संबंधी कार्यक्रम को अर्थपूर्ण ढंग से कार्यान्वित किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शौचालय मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं से युक्त हैं। गैर-सरकारी संगठनों अथवा अन्य निकायों को, जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है, अनुदान जारी करने से पहले, कड़ी निरीक्षण प्रणाली के जरिए राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा। इन शौचालयों की अपेक्षित गुणवत्ता के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सन्तुष्टि मिलने पर ही अनुदान जारी किए जाने चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाए तथा अलग-थलग पड़ी जनजाति बेल्टों/ पॉकेटों में इन स्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों को शामिल करके इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने की भी जरूरत है।

3.21 ग्रामीण रोजगार

3.21.1 चूंकि अधिकांश जनजातीय लोग घोर गरीबी का जीवन जी रहे हैं, इसलिए सरकार उनकी स्थिति को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए कई स्कीमों कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उन्हें स्वरोजगार और आय-सृजन के कार्यकलापों को हाथ में लेने के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता मुहैया कराना है। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के अतिरिक्त, उन्हें मकान, पेय जल आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई अन्य स्कीमों भी हैं। **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.)** के एकीकृत कार्यक्रम के तहत, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 प्रतिशत लाभ निर्धारित किए जाते हैं। एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत, नौवीं योजना के दौरान 7.49 लाख अनुसूचित जनजातीय स्वरोजगारियों को लाभ हुआ था, जो स्वरोजगारियों की कुल संख्या के 13.2 प्रतिशत के बराबर हैं।

3.21.2 **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.)**, जो मजदूरी रोजगार मुहैया कराती है, के तहत 22.5 प्रतिशत योजना आबंटन अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग निर्धारित किए जाते हैं। नौवीं योजना के दौरान, अनुसूचित जनजातियों के लिए 220 मिलियन श्रम दिवस मुहैया कराए गए थे, जो इस योजना के अन्तर्गत कुल रोजगार के 15.9 प्रतिशत के बराबर है। रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.), जो अनुसूचित जनजाति सहित सभी गरीब ग्रामीणों के लिए खुली है, के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए 308 मिलियन श्रम दिवस मुहैया कराए गए थे, जो नौवीं योजना के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत कुल रोजगार का 20.8 प्रतिशत बैठते हैं। सितम्बर, 2001 में वृहद् स्कीम "सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.)" के अधिकार क्षेत्र में जे.जी.एस.वाई. और ई.ए.एस. की दोनों योजनाएं लाई गई थीं। एस.जी.आर.वाई. में अतिरिक्त और अनुपूरक

मजदूरी रोजगार दिलाने की परिकल्पना की गई है तथा उससे देश के ग्रामीण इलाकों में खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने, स्थायी सामुदायिक, सामाजिक-आर्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन और अवसंरचना विकास द्वारा पोषण के स्तरों में सुधार की परिकल्पना की गई है। यह कार्यक्रम पंचायती राज संस्थाओं के तीन स्तरों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। जिला पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत के वार्षिक आबंटन की 22.50 प्रतिशत राशि तथा ग्राम पंचायतों को किए गए आबंटनों की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बस्तियों में गांव की आवश्यकता आधारित अवसंरचना के सृजन हेतु खर्च की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत दूसरी किस्त जारी करते समय ये उपबंध लागू किए जा रहे हैं। इन दो उपबन्धों के तहत यदि धनराशि का कम उपयोग किया जाता है तो दूसरी किस्त जारी करते समय आनुपातिक रूप में कमी कर दी जाती है। पिछले चार वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए सृजित श्रम-दिवसों के रूप में हुई वास्तविक प्रगति इस प्रकार है:

वर्ष	सृजित कुल श्रम-दिवस	अनुसूचित जनजाति हेतु सृजित श्रम-दिवस	समग्र रोजगार/ सृजित श्रम-दिवसों में अनुसूचित जनजाति श्रम-दिवसों की प्रतिशतता

3.21.3.1 **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.)** 7 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। यह एक वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारन्टी देता है, जिसके सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए राजी हों। यह अधिनियम प्रारम्भ में विभिन्न राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया था। इस अधिनियम को 2 फरवरी, 2006 को प्रथम चरण में कार्यान्वयन हेतु चयनित 200 जिलों में अधिसूचित किया गया है (इन जिलों की राज्यवार सूची **अनुलग्नक 3.XVIII** के रूप में संलग्न है)। 2 फरवरी, 2006 से इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचना 183 जिलों के बारे में जारी कर दी गई है। शेष 17 जिलों में जम्मू व कश्मीर के 3 जिले, मेघालय के 2 जिले और महाराष्ट्र के 12 जिले शामिल हैं। यह अधिनियम, धारा 1(2) के निबंधन के अनुसार जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता। राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य में अधिनियम को लागू करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी है। मेघालय में 16 फरवरी, 2006 को हुए तूरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से मेघालय में यह अधिनियम 01.04.2006 से लागू किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में अपना रोजगार गारन्टी अधिनियम है, जो 1972 से सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया है। राज्य सरकार ने अपने अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि केन्द्रीय अधिनियम के तहत कामगारों की हकदारी राज्य की स्कीम में सुनिश्चित हो सके। केन्द्र सरकार एन.आर.ई.जी. अधिनियम के अनुसार महाराष्ट्र के 12 अभिज्ञात जिलों में खर्च में हिस्सा बंटाएगी। यह अधिनियम पांच वर्ष की अवधि में सम्पूर्ण देश को कवर कर लेगा।

3.21.3.2 इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य सरकार से **ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (आर.ई.जी.एस.)** इस अधिनियम की शुरुआत से छह माह के भीतर तैयार करने के लिए कहा गया है। इस अधिनियम की धारा 4 में व्यवस्था है कि जब तक इस स्कीम को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं कर दिया जाता, तब तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) अथवा काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी.), जो भी उस क्षेत्र में लागू हो, को इस स्कीम के प्रयोजनार्थ कार्य योजना माना जाएगा। यह स्कीम, केन्द्र और राज्यों के बीच लागत बांटने के आधार पर केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्र सरकार (i) शारीरिक रूप से कार्य करने वाले अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की सम्पूर्ण लागत (ii) कुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के लिए सामग्री और मजदूरी की 75 प्रतिशत लागत और (iii) प्रशासनिक खर्च, जो भी केन्द्र सरकार द्वारा तय किए जाएं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम अधिकारियों और उनके सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा कार्यक्रम स्थल की सुविधाएं शामिल हैं तथा (iv) केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद के

प्रशासनिक खर्चों को वहन करेगी। राज्य सरकार (i) कुशल एवं अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की सामग्री और मजदूरी की 25 प्रतिशत लागत (ii) यदि राज्य सरकार आवेदन के 15 दिन के भीतर मजदूरी रोजगार मुहैया नहीं करा पाती है तो देय बेरोजगारी भत्ता, तथा (iii) राज्य सरकार गारन्टी परिषद् के प्रशासनिक खर्चों को वहन करेगी।

3.21.3.3 इस स्कीम के कार्यान्वयन में लगी प्रमुख एजेन्सियां और उनकी सम्बन्धित भूमिकाओं की जानकारी नीचे दी गई है:

ग्राम स्तर

- (i) ग्राम सभा: यह अधिनियम, ग्राम सभा को इस स्कीम के तहत शुरू किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश करने, इन कार्यों की मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण करने और इसके कार्यान्वयन की सामाजिक लेखा-परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत करता है।
- (ii) ग्राम पंचायत: यह कार्यों की योजना बनाने, परिवारों को पंजीकृत करने, जॉब कार्ड्स जारी करने, रोजगार आबंटित करने, 50 प्रतिशत निर्माण कार्यों को निष्पादित करने तथा ग्राम स्तर पर निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन को मानीटर करने के लिए जिम्मेदार होगी। जॉब कार्ड एक कानूनी दस्तावेज है, जो व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत कार्य की मांग करने तथा कार्य की मांग के 15 दिन के भीतर कार्य प्राप्त करने का हक प्रदान करता है।

ब्लॉक स्तर

- (i) मध्यवर्ती पंचायत: मध्यवर्ती पंचायत ब्लॉक स्तर पर योजना बनाने के लिए उत्तरदायी होगी। इसे उन 50 प्रतिशत निर्माण कार्यों को निष्पादित करने की भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित नहीं किए जाते।
- (ii) कार्यक्रम अधिकारी: कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक सहायक कर्मचारियों के साथ ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

जिला स्तर

- (i) जिला पंचायतें: जिला पंचायतें जिले की योजनाओं को अन्तिम रूप देने तथा जिले में रोजगार गारन्टी स्कीम को मॉनिटर करने एवं उसका पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगी।
- (ii) जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता (डी.पी.सी.): जिला कार्यक्रम समन्वयकर्ता जिले में स्कीम के सम्पूर्ण समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (iii) कार्यान्वयन एजेन्सियां: पंचायतों के अतिरिक्त, लाइन विभागों, गैर-सरकारी संगठनों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के उपक्रमों, स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को कार्यान्वयन एजेन्सियों के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

राज्य स्तर

- (i) राज्य रोजगार गारन्टी परिषद् (एस.ई.जी.सी.): एन.आर.ई.जी.ए. की धारा 12 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक राज्य गारन्टी परिषद् (अथवा संक्षिप्त में "राज्य परिषद्") का गठन किया जाएगा। एस.ई.जी.सी., स्कीम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देगी और उसका मूल्यांकन तथा मानीटरन करेगी।
- (ii) रोजगार गारन्टी आयुक्त (ई.जी.सी.): स्कीम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित सभी कार्यकलापों को सुनिश्चित करने के लिए एक अधिकारी, जो आयुक्त रैंक से कम स्तर का न हो, ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त के रूप में पदनामित किया जाएगा।

केन्द्रीय स्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होगा और यह केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद् (अथवा संक्षिप्त में "केन्द्रीय परिषद्") का गठन करेगा, जो राज्यों और केन्द्रीय परिषद् को समय पर और पर्याप्त संसाधन सहायता सुनिश्चित करने के

लिए उत्तरदायी होगा। यह स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा एवं उन्हें संद में प्रस्तुत करेगा।

3.21.3.4 आयोग सिफारिश करता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (आर.ई.जी.एस.) के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु नोडल मंत्रालय है, राज्य सरकारों को सलाह दे कि वे स्कीम के अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध लाभानुभोगियों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े प्रस्तुत करें तथा मंत्रालय इस स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अन्य लाभानुभोगियों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभानुभोगियों के (राज्यवार) आंकड़ों का भी निम्नलिखित रूप में उल्लेख करें:

क्रम सं.	राज्य का नाम	स्कीम के तहत कवर किए गए जिलों की संख्या	इन जिलों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी	राज्य में स्कीम के तहत लाभानुभोगियों की कुल संख्या	स्कीम के तहत अनुसूचित जनजाति लाभानुभोगियों की संख्या व प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति लाभानुभोगियों द्वारा लगाए कार्य दिवसों की कुल संख्या

3.22 ग्रामीण अनुसूचित जनजातियों के लिए अन्य कल्याण योजनाएं

3.22.1 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत, नौवीं योजना के दौरान, अनुसूचित जनजातियों के 2.4 मिलियन लोग कवर किए गए थे, जिनकी संख्या कुल लाभानुभोगियों की संख्या की 7.4 प्रतिशत बैठती है। इसी प्रकार, नौवीं योजना के दौरान, हालांकि राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम के तहत एक लाख अनुसूचित जनजाति परिवार अर्थात् 10.2 प्रतिशत परिवार लाभान्वित थे, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ स्कीम (एन.एम.बी.एस.) के तहत 4 लाख अनुसूचित जनजाति महिलाएं लाभान्वित हुई थीं, जो कुल लाभानुभोगियों की 7.4 प्रतिशत बैठती हैं (एन.एम.बी.एस. अब 2001-2002 से परिवार कल्याण विभाग में अन्तर्गत मानी जाएगी)।

3.22.2 कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन माता-पिताओं को, जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है, अपनी बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए स्कीम तैयार की हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार 1985-86 से अनुसूचित जनजाति माता-पिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक ऐसी ही स्कीम क्रियान्वित कर रही है ताकि कम से कम ऐसे 5 जोड़ों, जो शादी के लिए सहमत हों, की सामूहिक शादियां आयोजित की जा सकें। इस स्कीम में सामूहिक शादी के समय अनुसूचित जनजाति दुल्हन के माता-पिता को प्रत्येक मामले में 1000 रुपए की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता केवल अनुसूचित जनजाति माता-पिताओं की बेटियों की केवल पहली शादी के लिए ही दी जाती है। अनुसूचित जनजाति माता-पिता की इस स्कीम के तहत आय-सीमा 12 रुपए प्रति हजार प्रतिवर्ष है। "सौभाग्यवती" नामक एक ऐसी ही स्कीम भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जो अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखने वाले माता-पिताओं की बेटियों की शादियां कराने के लिए है, जिनमें सामूहिक शादियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जैसा कि अनुसूचित जनजातियों के मामले में है तथा प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता की राशि 5,000 रुपए होगी। आयोग की समझ में नहीं आता कि माता-पिताओं को उनकी बेटियों की शादियों के लिए सहायता देने के प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में भेदभाव करने का निर्णय लेने के पीछे क्या तर्काधार है। यह भी समझ से परे है कि अनुसूचित जनजातियों के मामले में सामूहिक शादियों पर प्रतिबन्ध क्यों है, जबकि अनुसूचित जातियों के मामले में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आयोग ने यह भी देखा कि अनुसूचित जनजाति माता-पिता निम्नलिखित कारणों से स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं:

- सामूहिक शादियों का आयोजन करने के लिए कम से कम 5 जोड़ों का समूह बनाना उनके लिए कठिन होता है;

- (ii) वित्तीय सहायता की राशि बहुत कम है; और
- (iii) अनुसूचित जनजाति लड़कियों के माता-पिताओं की आय-सीमा 12,000 रुपए वार्षिक है, जो बहुत ही कम है।

3.22.3 आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दे कि:

- (i) केवल एक स्कीम हो जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के माता-पिताओं को समान वित्तीय सहायता राशि मुहैया कराए। मौजूदा सहायता की मात्रा अनुसूचित जनजाति माता-पिताओं के लिए 1,000/- रुपए और अनुसूचित जाति माता-पिताओं के लिए 5,000/- रुपए है। अतः मौजूदा जीवनयापन लागत को देखते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों के लिए इसे बढ़ाकर कम से कम 10,000/- रुपए करना चाहिए।
- (ii) अनुसूचित जनजाति के मामले में सामूहिक विवाहों की मौजूदा शर्त को समाप्त कर देना चाहिए तथा वित्तीय सहायता मामला-दर-मामला के आधार पर दी जाए न कि सामूहिक विवाहों के आधार पर, जैसे कि अनुसूचित जातियों के मामले में दी जाती है।
- (iii) इस स्कीम के तहत आय सीमा को 12,000/- रुपए वार्षिक से बढ़ाकर बी.पी.एल. परिवार के तहत वार्षिक आय राशि के दुगुने के बराबर कर दिया जाए।

3.22.4 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ऐसे राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों (जहां ऐसी कोई स्कीम नहीं है) को अनुसूचित जनजाति दुल्हनों के माता-पिता, जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की वार्षिक आय से दुगुनी है, को प्रत्येक वैयक्तिक मामले में कम से कम 10,000/- रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए एक स्कीम बनानी चाहिए। जिन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में पहले से ऐसी स्कीम हों, उन्हें यह संशोधन करने की सलाह दी जाए कि वे वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर अनुसूचित जनजाति दुल्हनों के माता-पिता को प्रत्येक मामले में कम से कम 10,000/- रुपए (यदि मौजूदा राशि 10,000/- रुपए से कम हो) तथा इसी प्रकार, आय सीमा को बढ़ाकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वार्षिक आय से दुगुनी (यदि मौजूदा आय सीमा उस राशि से कम हो) कर दिया जाए।

3.23 राज्य के सहकारी जनजाति विकास निगमों (एस.टी.डी.सी.) और ऐसे अन्य संगठनों को सहायता अनुदान

3.23.1 गौण वन उत्पाद (एम.एफ.पी.) जनजातियों की आय का प्रमुख स्रोत है। एम.एफ.पी. की अधिप्राप्ति और बिक्री हेतु अधिकांश राज्यों ने जनजाति विकास निगमों (टी.डी.सी.सी.), वन विकास निगमों (एफ.डी.सी.) और गौण वन उत्पाद (व्यापार एवं विकास) फंडरेशन (एम.एफ.पी.टी.डी.एफ.) की स्थापना की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय 1992-93 से एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत एम.एफ.पी. मदों को एकत्रित करने के लिए इन एजेन्सियों को शत-प्रतिशत सहायता-अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए इन निगमों को निधियां उपलब्ध हैं:

- (i) प्रचालनगत हानियों को प्रतिसन्तुलित करके, संभाले जाने वाले गौण वन उत्पादों की मात्रा में वृद्धि करना, यदि जरूरी हो;
- (ii) एम.एफ.पी. कार्यों को करने के लिए निगम के शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ करना, और उसके द्वारा इस समय संभाली गई एम.एफ.पी. की मात्रा में वृद्धि करना;
- (iii) जहां कहीं आवश्यक हो, वैज्ञानिक भांडागारण की सुविधाएं स्थापित करना;
- (iv) जनजातियों के लिए एम.एफ.पी. पर अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मूल्य-वर्धन हेतु प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना;
- (v) जनजातीय लोगों को उपभोक्ता ऋण देना आदि; और
- (vi) अनुसंधान और विकास (आर.एंड डी.) प्रयासों को बढ़ाना।

3.23.2 यह स्कीम उन सभी राज्यों को कवर करती है, जहां एम.एफ.पी. का संग्रहण टी.डी.सी.सी., एफ.डी.सी., एम.एफ.पी.टी.डी.एफ.सी. अथवा ऐसे ही अन्य निकायों द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत, सहायता-अनुदान उनके उन प्रस्तावों के लिए दिया जाता है, जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरते हैं।

3.23.3 दसवीं योजना के लिए इस स्कीम के तहत 78.31 करोड़ रुपए का आबंटन निर्धारित किया गया है, जो पहले के योजना आबंटनों की तुलना में काफी अधिक है। इस स्कीम के तहत, वर्ष 2005-06 के लिए 10.80 करोड़ रुपए की राशि बजट अनुमानों में आबंटित की गई थी, जबकि उस वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को 12.84 करोड़ रुपए की राशि विमोचित की गई थी, जो उनके द्वारा अभिज्ञात टी.डी.सी. को दी जानी अपेक्षित थी।

3.23.4 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु ने 12 अगस्त, 2005 को विशाखापट्टनम में आन्ध्र प्रदेश राज्य में गिरिजन सहकारी निगम के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इस निगम की स्थापना वर्ष 1956 में राज्य के जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु हुई थी तथा जो लगभग 4.2 मिलियन जनजातियों की सेवा करता है, जबकि राज्य में जनजातीय लोगों की कुल आबादी 5.3 मिलियन है। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह आयोग राज्य जनजाति विकास सहकारी निगमों के कार्यचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें करता है:

- (i) जनजातीय लोगों के लिए भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिरिजन सहकारी निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष जनजातियों को गौण वन उत्पादों के लिए कृषकों के समान न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था ताकि निगम बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान भी जनजातियों को बेहतर मूल्य दे सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विशेषकर गिरिजन सहकारी निगम तथा सामान्यतः अन्य एस.टी.डी.सी. के सम्बन्ध में अनुकूल दृष्टि से विचार कर सकता है।
- (ii) कई जनजातियों की आय का स्रोत केवल गौण वन उत्पाद हैं तथा वे अपनी जीविका के लिए केवल इस कार्यकलाप पर निर्भर करते हैं। तथापि, गौण वन उत्पादों की अधिप्राप्ति कोई सतत क्रियाकलाप नहीं है, क्योंकि जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि कम पैदावार वाली (लीन) अवधि होती है, जिसमें अपर्याप्त गौण वन उत्पादों की ही फसल कटाई की जा सकती है। आयोग सिफारिश करता है कि कम पैदावार वाली अवधि में गौण वन उत्पादों के मूल्य-वर्धन कार्य जनजातियों के लिए कुछ रोजगार दिला सकता है और इसके लिए उन सभी डिवीजनल क्षेत्रों में, जहां कहीं गौण वन उत्पाद रूपान्तरण के लिए आसानी से उपलब्ध हों, स्व-स्थाने प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाएं।
- (iii) डी.आर. आपूर्ति केन्द्रों की स्थापना और अधिक स्थानों पर महत्वपूर्ण जनजाति आवासों से कम से कम 5 से 6 कि.मी. के दायरे में की जा सकती है। आयोग ने देखा कि डी.आर. डिपुओं में पर्याप्त रूप से सामान नहीं होता। कुछ डिपुओं के भवन बगैर बिजली के छप्पों में हैं। इन डिपुओं को पक्की इमारतें बनाकर चरणबद्ध ढंग से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

3.24 राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता की स्कीम (एस.टी.एफ.डी.सी.)

3.24.1 राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगमों को सहायता की स्कीम वर्ष 1978-79 में एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू की गई थी। ये निगम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों की जरूरतों को पूरा कर रहे थे, फिर भी अक्टूबर, 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के बनने के बाद, अप्रैल, 2000 से इस स्कीम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से लेकर विभाजित कर दिया गया है। सम्प्रति, अनुसूचित जनजाति वित्त और

विकास निगम अनुसूचित जनजाति की काफी आबादी वाले राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।

3.24.2 ये निगम लक्षित समूहों को मार्जिन धनराशि ऋण और सब्सिडी मुहैया कराने के लिए गारंटीदाताओं और प्रवर्तकों के रूप में कार्य करते हैं। ये गरीबी रेखा से नीचे की अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु वित्त की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य निगम मुख्यतः (i) कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (ii) लघु सिंचाई (iii) व्यापार एवं सेवाएं (iv) परिवहन और (v) स्वरोजगार स्कीम के क्षेत्रों में रोजगार-उन्मुख स्कीमें हाथ में लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य निगमों को वित्तीय सहायता 49 प्रतिशत शेयर पूंजी निवेश के रूप में मुहैया करता है तथा शेष 51 प्रतिशत की पूर्ति राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। ये निगम बहुत ही नरम शर्तों पर लाभानुभोगियों को वित्त प्रदान करते हैं। ये निगम कृषि, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के कौशल के स्तरोन्नयन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आयोजित करते हैं।

3.24.3 गरीबी रेखा से नीचे की आय से दुगुनी आय तक वाला अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान इस स्कीम के तहत किया गया आबंटन और व्यय इस प्रकार है:

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	वर्ष	आबंटन	किया गया व्यय
1.	2002-2003	200.00	220.00
2.	2003-2004	379.00	379.00
3.	2004-2005	450.00	475.00
4.	2005-2006	0.00	0.00

3.25 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.)

3.25.1 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) की स्थापना अप्रैल, 2001 में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत एक सरकारी कम्पनी (एक लाभ-निरपेक्ष कम्पनी) के रूप में तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) का द्विविभाजन करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में हुई थी। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व वाला उपक्रम है तथा अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की स्कीमों/ परियोजनाओं को सहायता मुहैया कराने वाला एक शीर्ष संगठन है। यह इंदिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002 में स्थित है। इसके निम्नलिखित पांच आंचलिक कार्यालय हैं:

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, 103/79, मीरा मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, आर.सी.सी. बिल्डिंग, प्रथम तल (पुल के निकट) हेंगराबाड़ी रोड, दिसपुर।
3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, चतुर्थ तल, तेलुगू संक्षेप भवन, मसब टैंक, हैदराबाद-500028
4. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, द्वितीय तल, राजीव गांधी भवन परिसर-II, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल।
5. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, प्लॉट सं.396, प्रथम तल, गैराज छाक, राजरानी नगर, ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर।

3.25.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम के व्यापक उद्देश्यों में (i) अनुसूचित जनजातियों के महत्व के आर्थिक कार्यकलापों की पहचान करना, ताकि रोजगार का सृजन किया जाए और उनकी आय के स्तर को उठाया जा सके, (ii) संस्थागत और कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण,

दोनों प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कौशलों और प्रक्रियाओं का स्तरोन्नयन, और (iii) केन्द्र/ राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेन्सियों और ट्राइफेड जैसे राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशन की कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराना ताकि अनुसूचित जनजातियों द्वारा एकत्रित/ उत्पादित लघु वन उत्पादों/ कृषि उत्पादों और/ अथवा सम्बन्धित उत्पादों/ सेवाओं की खरीद तथा/ अथवा विपणन किया जा सके।

3.25.3 निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु स्टेट चैनलाइजिंग एजेन्सियों (एस.सी. ए.) के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजन स्कीमों/ परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करता है तथा (एस. सी.ए. के माध्यम से ही) उनके कौशल और उद्यमीय विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुदान भी देता है। पात्रता मानदण्डों के अनुसार, लाभानुभोगी की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा की आय सीमा की दुगुनी आय से अधिक नहीं होनी चाहिए (इस समय, यह ग्रामीण इलाकों के लिए 39,500 रुपए वार्षिक और शहरी क्षेत्रों के लिए 54,500 रुपए वार्षिक है)। एन.एस.टी. एफ.डी.सी. की स्टेट चैनलाइजिंग एजेन्सियों (एस.सी.ए.) की सूची **अनुलग्नक 3.XIX** में दी गई है।

3.25.4 यह निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु वित्तीय कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित ऋण मुहैया करता है:-

- (i) **आवधिक ऋण:** यह ऋण 10 लाख रुपए प्रति यूनिट/ लाभ केन्द्र तक की स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए है तथा यह 90 प्रतिशत लागत को इस शर्त पर कवर करता है कि एस.सी.ए. स्कीम के अनुसार सहायता के अपने हिस्से का अंशदान करेगी तथा अपेक्षित सब्सिडी देगी। एक लाख रुपए तक की लागत वाले प्रत्येक यूनिट/ लाभ केन्द्र की सम्पूर्ण कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकता को परियोजना लागत का एक भाग माना जाएगा। एक लाख रुपए से अधिक की लागत वाले यूनिट/ लाभ केन्द्र के लिए स्कीमों/ परियोजनाओं की 30 प्रतिशत लागत तक की कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकता को, 3.00 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक, परियोजना की लागत माना जाएगा। 1 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीम/ परियोजना प्रवर्तक के योगदान के लिए आग्रह नहीं करेगी। एक लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीमों के लिए प्रवर्तक का केवल 2 प्रतिशत (परियोजना लागत की प्रतिशतता के रूप में), 2.5 लाख रुपए से 5.00 लाख रुपए तक की लागत वाली स्कीमों के लिए 3 प्रतिशत तथा 5.00 लाख रुपए से अधिक भी लागत वाली स्कीमों के लिए 5 प्रतिशत योगदान अपेक्षित है। एस.सी.ए. से 5.00 लाख रुपए और 5.00 लाख रुपए से अधिक के इस ऋण की ब्याज दर क्रमशः 6 प्रतिशत और 8 प्रतिशत है। यह ऋण उपयुक्त ऋण-स्थगन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्षों में, यथा-स्थिति, तिमाही/ छमाही किस्तों में चुकाया जाना होता है।
- (ii) **पूरक (ब्रिज) ऋण:** पूरक ऋण स्कीमों/ परियोजनाओं के लिए उपलब्ध सब्सिडी और पूंजी प्रोत्साहनों के बदले उनकी निधि सम्बन्धी जरूरतों के अन्तर को पूरा करने के लिए एस. सी.ए. के माध्यम से मुहैया कराया जाता है। इसकी ब्याज दर आवधिक ऋण की ब्याज दर के समान ही है।
- (iii) **आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना:** यह अनुसूचित जनजाति महिला लाभानुभोगियों के आर्थिक विकास की एकमात्र बहुत अधिक रियायती स्कीम है। एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए किए गए निधियों के समग्र नोशनल आबंटन के भीतर इस स्कीम के लिए निधियों के आबंटन की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। इस स्कीम के तहत, एन.एस.टी.एफ.डी.सी. अधिकतम 50,000/- रुपए तक की प्रति यूनिट/ लाभ केन्द्र वाली स्कीमों/ परियोजनाओं की लागत के 90 प्रतिशत तक की राशि के आवधिक ऋण मुहैया करता है, लेकिन शर्त यह है कि एस.सी.ए. इस स्कीम के अनुसार सहायता के अपने हिस्से का अंशदान करेगी तथा अपेक्षित सब्सिडी मुहैया कराएंगी। एस.सी.ए. से 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाएगा। एस.सी.ए. अन्तिम महिला लाभानुभोगियों से अधिक से अधिक 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ले सकती हैं। यह ऋण उपयुक्त ऋण-स्थगन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्षों में तिमाही/ छमाही किस्तों में चुकाया जाना होता है।

- (iv) **कार्यचालन पूंजी सहायता:** केन्द्र/ राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली एजेन्सियों और ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इण्डिया (ट्राइफेड) जैसे राष्ट्रीय स्तर के फेडरेशनों को अनुसूचित जनजातियों द्वारा एकत्रित/ उत्पादित गौण वन उत्पादों/ कृषि उत्पादों तथा/ अथवा सम्बन्धित उत्पादों/ सेवाओं की अधिप्राप्ति और/ अथवा विपणन कार्य करने हेतु कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता एस.सी.ए. के माध्यम से दी जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम एस.सी.ए. से 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लेती है तथा एस.सी.ए. बदले में कार्यान्वयन एजेन्सियों/ अल्टीमेट लाभानुभोगियों से 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ले सकती है। केन्द्रीय/ राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के स्वामित्व वाले संगठनों को सीधे ही मुहैया की जा रही वित्तीय सहायता के मामले में ब्याज-दर 7 प्रतिशत होगी। इसकी अदायगी उपयुक्त ऋण-स्थगन अवधि सहित अधिकतम 10 वर्षों में तिमाही/ छमाही किस्तों में की जानी अपेक्षित है।

3.25.5 निगम द्वारा वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान किए गए बजटीय आबंटन और उनके आधार पर दी गई वास्तविक स्वीकृतियों की जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

वित्तीय वर्ष	बजटीय आबंटन	वास्तविक स्वीकृतियां (एन.एस.टी.एफ.डी.सी. का हिस्सा) करोड़ रुपए में		
		आयसृजन कार्यकलाप	कार्यचालन पूंजी (विपणन सहायता)/ नकद ऋण सहायता	जोड़
2001-02	60.00	60.25	3.00	63.25
2002-03	80.00	93.98	5.00	98.98
2003-04	100.00	66.15	13.00	79.15
2004-05	100.00	68.06	5.00	73.06
2005-06	100.00	67.52	12.50	80.02
कुल जोड़	440.00	355.96	38.500	394.46

जनजातीय विकास के कार्य में लगी विभिन्न एजेन्सियों को ऊपर दर्शाई गई वास्तविक स्वीकृतियों के संदर्भ में वितरित सकल निधियों का राज्य-वार ब्योरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

वित्तीय वर्ष	आयसृजन कार्यकलाप	कार्यचालन पूंजी (विपणन सहायता)/ नकद ऋण सहायता	जोड़
2001-02	27.51	.	27.51
2002-03	34.16	8.00	42.16
2003-04	22.73	13.00	35.73
2004-05	48.47	5.00	53.47
2005-06	51.06	8.50	59.56
कुल जोड़	183.93	34.5 0	218.43

3.25.6 उपर्युक्त दोनों तालिकाओं से पता चलता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान ऋणों की वास्तविक मंजूरी बजटीय आबंटन की 80 प्रतिशत राशि से कम रही है। इस निगम की शुरुआत से (अर्थात् 2001-02 से) 2001-02 से 2005-06 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान निधियों का वास्तविक संवितरण कुल संस्वीकृत राशि से काफी कम तथा बजटीय आबंटन से कम रहा है। चूंकि प्रस्तावों की प्रोसेसिंग और जांच में समय लगता है, इसलिए कम राशि मंजूर किए जाने का कारण समझ में आता है, लेकिन संस्वीकृत ऋण राशि के संवितरण में विलम्ब अथवा असंवितरण के कारण

लाभानुभोगी ऋण-ग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसे मार्जिन धनराशि तथा परियोजना, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है, से सम्बन्धित अन्य विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से वैयक्तिक ऋण लेना पड़ता है।

3.25.7 भूतपूर्व एन.एस.सी. ऐण्ड एस.टी.एफ.डी.सी. के द्विभाजन से पूर्व और एन.एस.टी.एफ.डी.सी. की स्थापना के बाद स्वीकृत ऋणों की वास्तविक वसूली से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है। आयोग एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को सलाह देता है कि वह यह वर्ष-वार सूचना आयोग को दे तथा अगली वार्षिक रिपोर्ट में भी दे। आयोग ने अप्रैल, 2006 में निगम के सी.एम.डी. और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की थी तथा इस बात पर बल दिया था कि केवल अनन्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक वित्त एवं विकास निगम बनाए जाने से उनको लाभ देने तथा उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने पर विशिष्ट प्रभाव पड़ेगा। आयोग ने यह भी कहा था कि निगम के लिए इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि लाभानुभोगियों से ऋण की वसूली समय पर हो। अतः, आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दे कि उनके नियन्त्रणाधीन राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सियों को स्कीमों की प्रामाणिकता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ऋण प्रस्तावों की जांच एक उचित समयावधि में कर लेनी चाहिए तथा ऋण की समय पर निर्मुक्ति हेतु उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) को भेज देना चाहिए। राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सियों को यह पता लगाने के अर्थापय करने चाहिए कि क्या स्वीकृत एवं विमोचित किया गया ऋण लाभानुभोगियों द्वारा उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया है अथवा नहीं, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था।

3.25.8 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अनुरोध पर, एन.एस.टी.एफ.डी.सी. ने 4 फरवरी, 2005 को इस आयोग के सदस्यों और अधिकारियों के समक्ष जानकारी प्रस्तुत की ताकि निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों से उन्हें अवगत कराया जा सके। निगम के अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत के दौरान आयोग ने सुझाव दिया कि एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को ऋणों की मंजूरी देते समय, पात्रता की ढीली बनाई गई कसौटी को अपना कर, रियायत देने पर विचार करना चाहिए। आयोग ने महसूस किया कि इससे अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों और उनके परिवारों को अपना पुनर्वास करने में मदद मिलेगी। आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, एन.एस.टी.एफ.डी.सी. ने 18 मार्च, 2005 को सभी एस.सी.ए. को सलाह दी कि वे अनुसूचित जनजातियों के अत्याचार पीड़ितों को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. से सहायता-प्राप्त स्कीमों के तहत प्राथमिकता दें।

3.25.9 आयोग ने यह देखा है कि सम्पूर्ण देश में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों की कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए वे इन स्कीमों का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। यह भी देखा है कि राज्य चैनलाइजिंग एजेन्सियों के माध्यम से एन.एस.टी.एफ.डी.सी. से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है तथा अधिकांश जनजातियां ऋण पर बट्टे (डिकाउंट) का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं। अतः, आयोग सिफारिश करता है कि:

- (i) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. अपने द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों तथा इन स्कीमों के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जनजाति राज्यों में पर्याप्त प्रचार करने के लिए उपयुक्त अर्थापय तैयार करे।
- (ii) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को चाहिए कि वह जनजातियों को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा वसूल की जा रही ब्याज दर पर सीधे बैंकों से ऋण लेने के लिए जनजातियों को अनुमति देने की भी जांच करे तथा एन.एस.टी.एफ.डी.सी. और बैंकों की ब्याज की दरों के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सम्बन्धित बैंकों को ब्याज सब्सिडी मुहैया करने की संभावनाओं की भी जांच करे। यदि एन.एस.टी.एफ.डी.सी. के पास उक्त ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने के लिए निधियां न हों तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को आवश्यक निधियां मुहैया करानी चाहिए।

3.25.10 आयोग सिफारिश करता है कि लाभानुभोगी परिवार के सम्बन्ध में विभिन्न स्कीमों के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आय पात्रता मापदंडों में वृद्धि की जाए अर्थात् शहरी क्षेत्रों में 54,500/- रुपए की मौजूदा आय सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 39,500/- रुपए की मौजूदा आय सीमा को बढ़ाकर 1.00 लाख रुपए वार्षिक किया जाए।

3.25.11 आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि जनजातियों की अज्ञानता का लाभ उठाकर गैर-जनजातियों के लोगों ने बेनामी ऋण ले लिए हैं। गैर-जनजातियों के लोग निगम से प्राप्त ऋण-राशि लेकर चम्पत हो जाते हैं और परिणामस्वरूप, गरीब और निर्दोष जनजातीय व्यक्ति को ऋण की अदायगी न करने से उत्पन्न समस्या के आघात को झेलना पड़ता है, जो उसने कभी लिया ही नहीं था। अतः, आयोग सिफारिश करता है कि एन.एस.टी.एफ.डी.सी. और सम्बन्धित एस.सी.ए. को ऋण स्वीकृत और विमोचित करने से पहले ऋण लेने वाले व्यक्ति की जनजाति सम्बन्धी स्थिति की वास्तविकता का सावधानीपूर्वक सत्यापन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कीम के लाभ केवल वास्तविक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही मिल रहे हैं तथा इस स्कीम का वास्तविक प्रयोक्ता केवल जनजाति का ही है।

3.26 भारतीय सहकारी जनजातीय विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड (ट्राइफेड)

3.26.1 भारतीय सहकारी जनजातीय विपणन विकास परिसंघ लिमिटेड का, जिसे ट्राइफेड के नाम से जाना जाता है, गठन वर्ष 1987 में भारत सरकार द्वारा एक शीर्ष स्तर के सहकारी फेडरेशन के रूप में निम्नलिखित व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया था:

- (i) जनजातियों द्वारा एकत्रित प्राकृतिक उत्पादों की वृद्धि एवं विकास को संगठित करना एवं उसकी योजना बनाना;
- (ii) जनजातीय लोगों के लिए उच्च आय और रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करना;
- (iii) प्राकृतिक उत्पादों की विक्रेयता में सुधार लाकर उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना;
- (iv) टी.डी.सी.सी., एफ.डी.सी. और राज्य स्तर की अन्य एजेन्सियों की आर्थिक और वाणिज्यिक सक्षमता को बढ़ाया;
- (v) उसके कार्यकलापों के लिए वित्त की व्यवस्था करना;
- (vi) विभिन्न राज्यों में गौण वन उत्पादों की मदों को अभिज्ञात करना एवं उनके विपणन को बढ़ाना।

3.26.2 ट्राइफेड का मुख्यालय एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, द्वितीय तल, 3 सिरी इन्स्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। यह अपने 12 शाखा कार्यालयों/ फील्ड कार्यालयों के नेटवर्क के जरिए सम्पूर्ण देश में कार्य करता है। उसका अपना अनुसन्धान और विकास केन्द्र है, जो उत्पाद विकास और अनुसन्धान तथा विकास कार्यकलापों को देखता है। यह अपने निजी "ट्राइब्स इंडिया" नामक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से जनजातीय हस्तकला/ हथकरघा एवं आर्गेनिक खाद्य पदार्थों की बिक्री को भी बढ़ावा देता है। इसने विभिन्न राज्यों के स्टेट एम्पोरियमों के साथ समझौते भी किए हैं। इस प्रकार, ट्राइफेड इस समय दोनों प्रकार के बिक्री केन्द्रों अर्थात् अपने निजी बिक्री केन्द्रों और परेषित माल के आधार पर चलाए जा रहे बिक्री केन्द्रों सहित, 9, महादेव रोड (संसद मार्ग, नई दिल्ली के पीछे) की ट्राइब्स शॉप और इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली स्थित ड्यूटी फ्री शॉप शामिल हैं, 31 बिक्री केन्द्रों का संचालन कर रहा है।

3.26.3 ट्राइफेड को मूलतः यह आदेश दिया गया था कि वह जनजातीय लोगों द्वारा उठाए गए/ एकत्र किए गए प्राकृतिक उत्पादों के व्यापार को संस्थागत बनाए तथा जनजातीय लोगों से ऐसे उत्पादों की अधिप्राप्ति में लगे राज्य जनजाति विकास सहकारी निगमों (एस.टी.डी.सी.) और राज्य स्तर की अन्य एजेन्सियों को विपणन सहायता मुहैया कराए ताकि उन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके और बिचौलियों/ बेइमान व्यापारियों द्वारा उनका जो शोषण किया जाता है, उसे रोका जाए और इस प्रकार देश के जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

3.26.4 गौण वन उत्पादों और अधिशेष कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव आता रहता है। मूल्यों में ऐसे उतार-चढ़ावों के कारण होने वाली अप्रत्याशित आकस्मिक हानियों को पूरा करने तथा जनजातीय कृषकों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय ट्राइफेड को वित्तीय सहायता दे रहा है ताकि ऐसी हानियों के कुछ भाग की पूर्ति की जा सके। ट्राइफेड ने अपनी स्थापना के समय से ही मुख्यतः गौण वन उत्पादों और अधिशेष कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है ताकि जनजातीय लोगों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मुहैया कराया जा सके तथा जनजातीय लोगों से अधिप्राप्त माल को बेचने में सदस्य समितियों की मदद ली जा सके। गौण वन उत्पादों की खरीद और बिक्री के कारण ट्राइफेड को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति "ट्राइफेड को मूल्य समर्थन" नामक स्कीम के तहत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके की जाती है। यह स्कीम प्रारम्भ में 1990-91 के दौरान 1.00 करोड़ रुपए के आबंटन से शुरू की गई थी। इस स्कीम का दसवीं योजना परिव्यय 33.58 करोड़ रुपए है। वर्ष 2004-05 के दौरान 6.00 करोड़ रुपए के पूरे अनुमोदित परिव्यय को खर्च कर लिया गया था। इस स्कीम के तहत, शुरुआत से लेकर अब तक विमोचित की गई वर्ष-वार राशि की जानकारी नीचे दी गई है:

(लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटन	व्यय
1997-98	50.00	50.00
1998-99	100.00	100.00
1999-2000	500.00	297.00
2000-2001	400.00	400.00
2001-2002	400.00	400.00
2002-03	600.00	595.00
2003-04	600.00	600.00
2004-05	600.00	600.00
2005-06	400.00	400.00

3.26.5 वर्ष 2002-03 में, ट्राइफेड ने अपने कार्यकलापों को नई दिशा दी और गौण वन उत्पादों और कृषि उत्पादों की सीधी अधिप्राप्ति और बिक्री से अपना ध्यान हटाकर जनजातीय उत्पादों के विपणन-विकास के अपने मूल आदेश की ओर मोड़ दिया। इस नई भूमिका के तहत, ट्राइफेड को बुनियादी रूप से, जनजातीय उत्पादों के सेवा प्रदाता और बाजार विकासकर्ता की भूमिका अदा करनी है। इस नई भूमिका के तहत, प्रबन्धन ने अधिप्राप्ति और बिक्री सम्बन्धी व्यापार के कार्यकलाप करने के बजाए जनजातीय उत्पादों के बाजार विकासकर्ता की भूमिका को अपनाने की ओर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कई उपाय शुरू किए। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु फेडरेशन ने कौशल, मानव एवं वित्तीय संसाधनों के रूप में उपलब्ध विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, सीमित पैमाने पर निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू कीं:

- (i) बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.) का कार्यान्वयन।
- (ii) साल/सियाली पत्तों के दोना पत्तल (मोल्लिड प्लेटें और कटोरे) बनाकर मूल्य वृद्धि।
- (iii) सफेद मूसली और आंवला की खेती सम्बन्धी प्रदर्शन परियोजना।
- (iv) एगमार्क गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करने के लिए कर्नाटक राज्य के जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण (लेम्पस)।
- (v) जगदलपुर (बस्तर) में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की परियोजना।
- (vi) कर्नाटक, झारखण्ड, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्यों में प्रशिक्षण और खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना सम्बन्धी पोषण परियोजना।
- (vii) सम्पूर्ण देश में स्व-सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप्स) को संघटित करना तथा उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण हेतु जीविका माइक्रो-वित्त की व्यवस्था करना।

3.26.6 वर्ष 2005-2006 के दौरान, ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप/ परियोजनाएं शुरू कीं तथा उनमें जनजातीय लोगों को शामिल किया:

- (i) आय सृजन (दोना, पत्तल, पहाड़ी झाड़ू),
- (ii) कौशल उन्नयन [बाबा साहेब हस्तशिल्प विकास योजना (ए.एच.वी.वाई.) परियोजनाएं, दोनों पत्तल और हिल ब्रूम बनाना],
- (iii) वैज्ञानिक कृषि एवं कटाई प्रशिक्षण (वाइल्ड शहद एकत्र करना और छत्ता तोड़ना, गोंद कराया की वैज्ञानिक ढंग से टैपिंग, सफेद भूसली और स्टीविया की खेती)।
- (iv) एगमार्क गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करने के लिए कर्नाटक राज्य के जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण (लेम्पस)।

3.26.7 हस्तकला क्षेत्र और विपणन विकास क्षेत्र में ट्राइब्स इंडिया केन्द्रों का विस्तार किया गया है, जिसके फलस्वरूप मौजूदा वर्ष के दौरान फरवरी, 2006 तक जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई प्रदर्शनियों/ मेलों आदि में भाग लेने के दौरान बिक्री 44.55 लाख रुपए से बढ़कर 134 लाख रुपए तक पहुंच गई। यह जनजातीय शिल्पकार मेलों का भी आयोजन करता है, जिसमें जनजातीय शिल्पी भाग लेते हैं और अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। ट्राइफेड ने जनवरी, 2006 में दिल्ली हाट में "आदि शिल्प" नामक प्रथम नेशनल ट्राइबल क्रॉफ्ट एक्सपो का आयोजन किया, जिसमें करीब 56 शिल्पकारों/ समूहों/ और सरकारी संगठनों/ राज्य सरकारों के संगठनों ने भाग लिया।

3.26.8 मौजूदा प्रणाली के तहत, वित्तीय सहायता राशि सीधे राज्य जनजाति विकास सहकारी निगमों को दी जाती है तथा उसके बाद जनजातीय किसानों को अपने उत्पादों के लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करने के लिए निधियों के वास्तविक उपयोग के बारे में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कोई मॉनीटरिंग नहीं की जाती। **अतः, आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक मॉनीटरिंग मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए ताकि अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक प्रगति हेतु राज्यों के विभिन्न जनजाति विकास सहकारी निगमों को दी गई धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।**

3.27 संसदीय/ विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

3.27.1 15 जून, 2005 को हुई बैठक में आयोग ने नोट किया कि परिसीमन आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर संसदीय और विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु कार्य आरम्भ किया है। समाचार पत्रों (प्रिन्ट मीडिया) में प्रकाशित रिपोर्टों के माध्यम से आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई कि असम राज्य में कुछ जनजातीय निकाय राज्य विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कम करने के परिसीमन आयोग के निर्णय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आयोग ने याद किया कि बहुत सारे जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा विभिन्न राज्यों (असम राज्य सहित) की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा जिन 17 राज्यों के नए समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई थी, वे हैं - आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, झारखण्ड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस मामले को परिसीमन आयोग के साथ उठाया गया। परिसीमन आयोग से अनुरोध किया गया था कि संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजनार्थ उन जनजातीय समुदायों को ध्यान में रखा जाए, जिन्हें वर्ष 2002 में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था और जिन्हें जनगणना रिपोर्ट 2001 में गैर-जनजातीय श्रेणी के रूप में दर्शाया गया था।

3.27.2 परिसीमन आयोग ने इस आयोग को सूचित किया कि उन्हें भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित जनगणना, 2001 के आधार पर देश के संसदीय और विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना था। उस आयोग ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित समुदायों को संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षण का लाभ देने के लिए संसद द्वारा एक समर्थकारी उपबन्ध किया जाना अपेक्षित होगा, तथा परिसीमन आयोग परिसीमन के प्रयोजन से स्वयं अपने आप किन्हीं अन्य अप्रकाशित आंकड़ों को हिसाब में नहीं ले सकता। परिसीमन आयोग द्वारा व्यक्त की गई बातों को आयोग के दिनांक 28 जुलाई, 2005 के पत्र द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के ध्यान में लाया गया। परिसीमन अधिनियम, 2002 में ऐसे समर्थकारी उपबन्ध करने के लिए परिसीमन आयोग की सलाह पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया है ताकि 2001 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों में शामिल समुदायों का भी संसदीय एवं विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु ध्यान रखा जा सके। आयोग के पत्र में कहा गया था कि अगली जनगणना वर्ष 2011 में होगी और यदि संसदीय और राज्य विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन केवल 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही होता है तो 2001 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए गए समुदायों को अगले 6-7 वर्षों तक किसी भी संसदीय चुनाव, उप-चुनाव अथवा राज्य विधान-सभा चुनाव आदि में परिसीमन के प्रयोजन हेतु नहीं गिना जाएगा तथा वे परिसीमन के मामले में अपनी आबादी के आधार पर आरक्षण के लाभों से वंचित रहेंगे। आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय लोक सभा, राज्य विधान-सभा और पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजनार्थ ऐसे समुदायों, जिन्हें 2001 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई थी तथा ऐसी अन्य जनजातियों को, जिन्हें भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भविष्य में मान्यता मिल सकती है, ध्यान में रखने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 में समर्थकारी उपबन्ध करने हेतु उपयुक्त विधेयक तैयार करने की कार्रवाई यथाशीघ्र शुरू करे ताकि उसे संसद में प्रस्तुत किया जा सके।

3.27.3 लोक सभा और विधानसभाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक 3.XX** में दी गई है। ग्राम पंचायत (जी. पी.), मध्यवर्ती पंचायत (आई.पी.) और जिला पंचायत (जैड.पी.) स्तरों पर सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण **अनुलग्नक 3.XXI** में दिया गया है।

3.28 आयोग द्वारा निपटाए गए कुछ सफल मामले:

अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित कुछ वे महत्वपूर्ण एवं सफल मामले, जिनमें याचिकादाताओं को आयोग के हस्तक्षेप के कारण समय पर राहत मिली, इस प्रकार हैं:

- (1) दिनांक 18.7.2005 को श्री दान सिंह मीणा, पुत्र श्री घमण्डी सिंह मीणा, निवासी गांव कचरौधा, तहसील सपोतरा, जिला करौली (राजस्थान) से एक शिकायत प्राप्त हुई। उसने बताया कि यद्यपि उसे बैचलर ऑफ रिहेबिलिटेशन थेरेपी (बी.आर.टी.) कोर्स में दाखिले हेतु राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) हेतु 14.7.2005 को बुलाया गया था, लेकिन उसे सामान्य प्रतीक्षा-सूची में डाल दिया गया और उक्त पाठ्यक्रम में दाखिला देने से मना कर दिया गया जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट आरक्षित थी। आयोग ने यह मामला तत्काल एन.आई.एम.एच.रीजनल सेन्टर, लाजपत नगर, नई दिल्ली के साथ उठाया। संस्थान ने अपने दिनांक 27.7.2005 के पत्र द्वारा उत्तर दिया कि श्री दान सिंह मीणा राजस्थान का निवासी था और उसने XIवीं और XIIवीं की कक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान से उत्तीर्ण की थी। गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस पाठ्यक्रम में दिल्ली से बाहर के किसी राज्य के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए कोई आरक्षण नहीं है तथा इसका विवरण-पत्रिका में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस उत्तर के आधार पर रजिस्ट्रार, गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्हें इस आयोग के अध्यक्ष के कक्ष में दिनांक 5.8.05 को तय की गई सुनवाई में आने के लिए कहा गया था।

लेकिन, बैठक से पूर्व विश्वविद्यालय से दिनांक 4.8.2005 का एक पत्र प्राप्त हुआ कि निदेशक, एन.आई.एम.एच., लाजपत नगर को निदेश दिया गया है कि श्री दान सिंह को इस पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाए तथा कुलपति ने दिल्ली – सामान्य की अनुसूचित जनजाति सीट का हारिजेन्टल रूपान्तरण दिल्ली – बाहर की अनुसूचित जनजाति सीट में कर दिया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और संस्थान के निदेशक ने 5.8.05 को बैठक में भाग लिया, जिन्होंने श्री मीणा के अपने संस्थान में दाखिले के तथ्य की पुष्टि की। लेकिन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि श्री दान सिंह मीणा के मामले की तर्ज पर, गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली श्रेणी के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की रिक्त सीटें विश्वविद्यालय के अधीन अकादमिक/तकनीकी और व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में दिल्ली से बाहर के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को ऑफर करने हेतु व्यवस्था करने पर विचार करे। यदि दिल्ली अनुसूचित जनजाति श्रेणी की रिक्त सीटों की पेशकश दिल्ली से बाहर की अनुसूचित जनजाति श्रेणी को करने के बाद भी कोई सीट रिक्त रहती है तो वह अनुसूचित जाति अथवा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को ऑफर की जा सकती है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा गया था। इस सुझाव को दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्वीकार नहीं किया।

- (2) सुश्री टिप्पल सुजी से दिनांक 9.2.05 की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आई.आई.टी., मद्रास द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है तथा उसे बी.टेक में निचले ग्रेड देकर विश्वविद्यालय द्वारा जानबूझकर फेल कर दिया गया है। इसके बाद उसे 13.2.05 से पूर्व संस्थान का हॉस्टल खाली करने के लिए बाध्य किया गया। उसने पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रेशन हेतु अनुरोध किया ताकि वह बगैर किसी अवरोध के शिक्षा जारी रख सके तथा उसे शिक्षा पूरी होने तक हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जाए। इस शिकायत पर 09.02.2005 को ही रजिस्ट्रार, आई.आई.टी. से बातचीत की गई। आई.आई.टी., मद्रास ने अपने दिनांक 25.2.2005 के पत्र द्वारा उत्तर दिया कि सुश्री टी. सुजी को संस्थान में पुनः प्रवेश दे दिया गया है तथा उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दोहरी उपाधि (बी.टेक एवं एम.टेक) कार्यक्रम में शिक्षा जारी रखने की अनुमति तथा साथ ही उसे शिक्षा पूरी होने तक हॉस्टल में रहने की अनुमति भी दे दी गई थी। इस आयोग के हस्तक्षेप से जनजातीय लड़की को न केवल परेशानी से बचाया गया, बल्कि उसे दोनों पाठ्यक्रमों में दाखिला भी दिलाया गया तथा उसे हॉस्टल में रहने की भी अनुमति दी गई।
- (3) श्री भाई हेलन कुजर, भूतपूर्व एम.एल.सी., बिहार, झारखंड, रांची से दिनांक 2.11.05 की एक शिकायत प्राप्त हुई कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह निवासी श्री राहुल दीप कुजर, पुत्र श्री अगपित कुजर ने इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार में डिप्लोमा/डिग्री तकनीकी पाठ्यक्रमों में आरम्भ की स्कीम के तहत बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची (झारखंड) में प्रवेश हेतु आवेदन किया था। उसने बताया कि चूंकि वह इस संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठा था, इसलिए उसे प्रवेश नहीं दिया गया। आगे यह भी उल्लेख किया गया कि अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी के कारण इन द्वीपों के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, 2005 से छूट दे दी गई थी, इसीलिए उसे भी प्रवेश-परीक्षा को पास करने पर जोर न देते हुए, उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दे दिया जाना चाहिए था। इस मामले को तत्काल बी.आई.टी., मेसरा, रांची (झारखण्ड) के साथ उठाया गया, जिसने अपने दिनांक 24.11.05 के पत्र द्वारा उत्तर दिया कि उनका संस्थान विभिन्न इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए ए.आई.ई.ई. परीक्षा स्कीम का सदस्य है और इसलिए संस्थान ने केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दाखिला दिया, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामजद विद्यार्थियों को छोड़कर, ए.आई.ई.ई. परीक्षा में अर्हताप्राप्त उम्मीदवार थे तथा नामजद छात्रों की सूचना सम्बन्धित राज्यों के तकनीकी शिक्षा निदेशालय से प्राप्त हुई थी। जहां तक अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के निवासी श्री राहुल दीप कुजर के मामले का सवाल है, उसे दाखिला इसलिए नहीं दिया गया था कि उप-शैक्षणिक सलाहकार (एन.आई.टी.) द्वारा भेजा गया दिनांक 25.10.05 का पत्र, जिसमें

सुनामी के कारण अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के उम्मीदवारों को ए.आई.ई.ई. परीक्षाओं में बैठने से छूट दे दी गई थी, 7.11.05 को मिला था। इसके तत्काल बाद ही श्री राहुल दीप कुजर को दाखिले के कागजातों के साथ 11.11.05 को रिपोर्ट करने की सलाह दी गई थी और उसे उसी दिन दाखिला दे दिया गया था। अतः, आयोग के समय पर किए गए हस्तक्षेप के कारण अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के जनजातीय छात्र को बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा (रांची) में दाखिला दे दिया गया।

- (4) फरवरी, 2006 में सुश्री सेरिंग चोदेन, पुत्री श्री टी.टी. वांगडी, निवासी डी-637, सरोजनी नगर, नई दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई कि उसने एल.सी.-1 में एल.एल.बी. के सभी चारों पूर्व सिमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए थे तथा जुलाई, 2005 में उसे 5वें सिमेस्टर में प्रवेश दे दिया गया था। पांचवां सिमेस्टर पूरा होने के बाद उसे परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी किया गया और वह माह दिसम्बर, 2005 में परीक्षा में बैठी। पाठ्यक्रम का अंतिम सत्र (छठा सिमेस्टर) 1.1.06 से शुरू हुआ और उसने कक्षाओं में उपस्थित होना शुरू कर दिया। लेकिन उसे अत्यंत आश्चर्य हुआ और आघात पहुंचा जब उसका सिमेस्टर की नामावली से अचानक नाम काट दिया गया। पी.आई.सी. ने उससे कहा कि वह भविष्य में कक्षाओं में उपस्थित न हो, क्योंकि 5वें सिमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उसकी उपस्थितियां कम थीं और प्रवेश पत्र उसे गलती से जारी कर दिया गया था तथा उसे 5वें सिमेस्टर की परीक्षा में पुनः बैठना था।

आयोग ने महसूस किया कि यदि शिकायतकर्ता की उपस्थितियां कम थीं तो दिल्ली विश्वविद्यालय को एल.सी.-1 की 5वें सिमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उसे प्रवेश पत्र जारी नहीं करना चाहिए था। चूंकि पी.आई.सी. (एल.सी.-1) का निर्णय सोचे-विचारे बिना लिया गया प्रतीता होता था, इसलिए आयोग ने इस मामले को तत्काल विश्वविद्यालय के साथ उठाया तथा एल.सी.-1 के पी.आई.सी. को 20.02.2006 को अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा करने के लिए बुलाया।

बैठक में एल.सी.-1 के पी.आई.सी., उप-रजिस्ट्रार, सम्पर्क अधिकारी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) और सहायक रजिस्ट्रार आदि ने भाग लिया तथा चर्चा के आधार पर मालूम हुआ कि कुछ उपस्थित पंजिकाओं, जिनमें शिकायतकर्ता का नाम था, में अनुपस्थिति पेंसिल से नोट की गई थी, जबकि उपस्थिति पेन से मार्क की गई थी जिससे यह सन्देह उत्पन्न हुआ कि क्या उपस्थिति उसी दिन लगाई गई थी जिस दिन वह वास्तव में उपस्थित थी। पेंसिल से लगाई गई अनुपस्थिति को मिटाकर उसकी जगह पेन से उपस्थिति मार्क कर देने से किसी भी विद्यार्थी को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसका यह परिणाम निकाला गया कि एल.सी.-1 द्वारा अपनाई जा रही उपस्थिति प्रणाली ऐसी नहीं है, जिसमें गलती नहीं हो सकती। आयोग ने महसूस किया कि 5वें सिमेस्टर के विभिन्न विषयों में शिकायतकर्ता की उपस्थिति के रिकार्डों का सही ढंग से रखरखाव नहीं किया गया था। जहां तक पी.आई.सी. के तर्क का सम्बन्ध है, कुछ विद्यार्थी 5वें सिमेस्टर में कम उपस्थिति के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय चले गए थे और उन्होंने सुश्री चोदेन का भी नाम उजागर किया था। आयोग ने पी.आई.सी. से इच्छा व्यक्त की कि विद्यार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका की प्रति और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अंतरिम आदेश, जिसमें शिकायतकर्ता के परिणाम की घोषणा करने तथा छठे सिमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रतिबंध लगाया हो, की प्रति आयोग को भेजी जाए।

आयोग को जब लगभग एक माह तक एल.सी.-1 से कोई सूचना नहीं मिली तो इस मामले को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से आयोग ने 17.3.2006 को एक बैठक निर्धारित की, जिसमें पी.आई.सी., कुलपति और रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय को चर्चा के लिए बुलाया ताकि अनुसूचित जनजाति छात्रा का कैरियर बर्बाद न हो। अध्यक्ष के कक्ष में पी.आई.सी., एल.सी.-1 और सहायक रजिस्ट्रार के साथ इस मामले पर चर्चा की गई और काफी विचार-विमर्श के बाद पी.आई.सी. से कहा गया कि शिकायतकर्ता को एल.सी.-1 ने

प्रवेश-पत्र भली-भांति विचार करके तब जारी किया गया था जब उसने पहली सूची, जिसमें उसका नाम रोके गए विद्यार्थियों की सूची में शामिल था, लगने के बाद आवेदन दिया था। एल.सी.-I का यह तर्क, कि उसका नाम रोके गए विद्यार्थियों की सूची में से कम्प्यूटर द्वारा निकाल दिया गया था, न तो मान्य है और न ही तर्कसंगत। चूंकि एल.सी.-I द्वारा शिकायतकर्ता को प्रवेश-पत्र जारी करना एक बहुत सोच-समझकर लिया गया निर्णय था, और गलती से लिया गया निर्णय नहीं था, इसलिए पी.आई.सी. और सहायक रजिस्ट्रार को यह बताया गया कि एल.सी.-I का शिकायतकर्ता से छठे सिमेस्टर की कक्षाओं में उपस्थित न होने के लिए कहना पूर्णतः एक बाद में सोची गई बात थी और वे 5वें सिमेस्टर की परीक्षाओं में बैठने के लिए उसे अनुमति देने संबंधी अपने पूर्व निर्णय से वापिस नहीं जा सकते। इसके अतिरिक्त, यह भी उल्लेख किया गया कि एल.सी.-I द्वारा अपनाया गया उपस्थिति का तरीका सुस्पष्ट (फूल-प्रूफ) नहीं था और इसमें हेर-फेर की जा सकती थी। इन परिस्थितियों में, आयोग ने पी.आई.सी. से कहा कि शपथ-पत्र पर उत्तर दें, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि शिकायतकर्ता को छठे सिमेस्टर में दाखिला दिया जा सकता है अथवा नहीं। उसे यह भी बताया गया था कि जब पांच विद्यार्थियों अर्थात् सुनीता सिंह, अजय प्रताप, सुधीर अग्रवाल, मेरी जे. गुरनुमावी और विनोद गुप्ता को, जिनकी उपस्थिति 55 प्रतिशत से कम थी, पांचवें सिमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और उन्हें छठे सिमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया गया था तो सुश्री चोदेन को छठे सिमेस्टर में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई थी। पी.आई.सी., एल.सी.-I से अनुरोध किया गया था कि वे 15 दिन के भीतर उपर्युक्त बिन्दुओं पर हलफनामों में जवाब प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय के कक्ष में दिनांक 20.2.06 और 17.3.06 को हुई बैठक की कार्यवाही के आधार पर पी.आई.सी., एल.सी.-I ने यह मामला एल.सी.-I की उपस्थिति समिति को भेज दिया तथा सभी तथ्यों और सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद समिति ने उसे एल. एल.बी. पाठ्यक्रम के छठे सिमेस्टर में जाने की अनुमति दे दी। पी.आई.सी. द्वारा इसकी सूचना अपने दिनांक 25.04.06 के पत्र द्वारा भेजी गई थी, जिसकी पुष्टि शिकायतकर्ता द्वारा भी कर दी गई थी। इस प्रकार, आयोग द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने और विस्तृत जांच करने से अनुसूचित जनजाति छात्रा का, जो अपने एल.एल.बी. पाठ्यक्रम को पूरा करने के आखिरी चरण में थी, कैरियर बर्बाद होने से बच गया।

- (5) श्री विनय कुमार, स्वामी, मैसर्स हरिओम इन्डेन वितरक, भीनमल, जिला जालौर (राजस्थान) से दिनांक 11.08.06 की एक शिकायत मिली कि उसे भीनमल शहर में विपणन योजना 1985-86 के तहत अनुसूचित जनजाति कोटा में भारतीय तेल निगम द्वारा गैस एजेंसी आबंटित की गई थी, जिसने 18.04.05 से कार्य करना आरम्भ कर दिया था। चूंकि उसके पास 275 ग्राहक थे और उसका रीफिल भार केवल 300 सिलेंडर था, इसलिए उसकी एजेंसी लगतार घाटे में चल रही थी। अतः, उसने अनुरोध किया कि इसी शहर में कार्य कर रहे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के आर.एम.वी. से ग्राहक अंतरित कर दिए जाएं। इस मामले पर बी.पी.सी.एल. के डी.जी.एम. (एल.पी.जी. - बिक्री) और आर.एल.एम. (एन.आर.) के साथ 10.01.06 को अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। शिकायतकर्ता को पेश आ रही वित्तीय कठिनाइयों तथा उस भावना को ध्यान में रखते हुए, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कोटा के तहत कमजोर वर्गों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गैस एजेंसी आबंटित की जाती है, यह निर्णय लिया गया तथा बी.पी.सी.एल. के अधिकारियों द्वारा इस बात पर सहमति हुई कि भीनमल में बी.पी.सी.एल. की सूची के सभी ग्राहकों को भारतीय तेल निगम में अंतरण का विकल्प दिया जाएगा तथा ग्राहकों की सूची की एक प्रति याचिकादाता को भी दी जाएगी। श्री विनय कुमार से कोई अनुस्मारक न मिलने पर आयोग के पास यह अनुमान लगाने का पर्याप्त कारण था कि बी.पी.सी.एल. द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है तथा अब उसके पास पर्याप्त संख्या में ग्राहक हैं और उसकी गैस एजेंसी लाभ में चल रही है।

- (6) श्री एफ.बी. सिंह मरकम, अध्यक्ष, अजाब्स, जिला सिधी, मध्य प्रदेश, की दिनांक 22.02.05 की शिकायत प्राप्त हुई कि अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए ग्राम पंचायत, नोडिया, जिला सिधी में एक मैट्रिकोत्तर होस्टल बनाया गया था, जो शहर/जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर था, जिसके फलस्वरूप, विद्यार्थियों को न केवल यात्रा के मामले में बल्कि इस तथ्य के कारण भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था कि उस होस्टल में स्वास्थ्य, पेय जल आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थीं। अनुरोध किया गया था कि इस होस्टल को शहर के नजदीक स्थापित किया जाए ताकि अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस मामले को सिधी के कलेक्टर के साथ उठाया गया, जिसने अपने दिनांक 14.11.05 के पत्र द्वारा सूचित किया कि मैट्रिकोत्तर जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 25 कमरों की वैकल्पिक व्यवस्था सिधी के लिए डाइट होस्टल भवन में कर दी गई है।
- (7)(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष ने 19.11.2005 को पश्चिम मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल का दौरा किया ताकि इन स्थानों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए चल रहे विकासात्मक निर्माण कार्यों की समीक्षा की जा सके। 19.11.05 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोग में 20.12.05 को जिला मेजिस्ट्रेट के साथ एक अन्य समीक्षा बैठक की गई। जिला मेजिस्ट्रेट के साथ हुई चर्चा का मद-वार सारांश नीचे दिया गया है:

स्वास्थ्य

- (i) बेलपहाड़ी का कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। बेलपहाड़ी और अम्लासोल के बीच कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। हालांकि इन दोनों स्थानों के बीच का फासला 40 किलोमीटर से अधिक है, फिर भी महिलाओं की प्रसूति के लिए कोई सुविधा नहीं है। सरकारी मार्गनिर्देशों के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 3000 व्यक्तियों की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होना चाहिए। इस समय इस क्षेत्र में केवल तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जो अपेक्षित चिकित्सा सुविधाओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। बेलपहाड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगियों की भारी भीड़ होने के कारण क्षेत्र में कम से कम दो और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की जरूरत है। बेलपहाड़ी के ब्लॉक स्वास्थ्य केन्द्र की बिस्तरों की मौजूदा संख्या 50 से बढ़ाकर 60 कर देने का प्रस्ताव है। आयोग ने कहा कि इस अस्पताल के स्तरोन्नयन के प्रस्ताव को यथाशीघ्र स्वीकृति दी जाए और इसी प्रकार ओडलचुआ में 10 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना करने के प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यथाशीघ्र स्वीकृत किया जाए। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि इस बात को देखते हुए कि जनजातीय क्षेत्र शहरों और कस्बों से बहुत दूर होते हैं और आपात स्थिति में रोगियों को शहरों में ले जाने के लिए पक्की सड़कें उपलब्ध नहीं हैं, जनजातीय इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मौजूदा मानदंडों में ढील दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय के दौरे के दौरान यह पाया गया कि जनजातीय लोगों में कुष्ठरोग के मामले प्रचुर संख्या में हैं। जनजातियों में इस बीमारी को और फैलने से रोकने के उद्देश्य से तथा इसके उपचार और उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाए। डॉ. एम.जी. मण्डल द्वारा कुछ कुष्ठ रोगों के मामलों में अंगों को बदलने के लिए चलाए गए अपने स्वयं के कार्यक्रम के संबंध में किए गए प्रयास प्रशंसनीय हैं तथा सरकार को भी स्थायी आधार पर ऐसे ही प्रबंध करने चाहिए। इसी प्रकार, जनजातीय इलाकों में मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक है और इस रोग को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न उपचारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। मलेरिया से प्रभावित लोगों के खून की जांच की जाए, पीने के पानी में क्लोरीन डाली जाए तथा समय-समय पर क्षेत्र में धूम्रिकरण के साथ-साथ पानी पर भी लावा तेल का छिड़काव किया जाए।

भूमि

- (ii) 7.12.2005 को 15 पट्टाधारकों को अम्लासोल में भूमि का कब्जा दिया गया तथा दो अन्य व्यक्तियों को भूमि के कब्जे नहीं दिए जा सके, क्योंकि उन्होंने अपना आवास झारखंड में स्थानान्तरित कर दिया था। तथापि अध्यक्ष महोदय ने पाया कि बेलपहाड़ी ब्लॉक में अधिकांश जनजातीय लोग भूमिहीन हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए तथा उन्हें भूमि आबंटित की जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इसी प्रकार जनजातीय लोगों की भूमि भी पर्याप्त रूप से सिंचित नहीं होती। जिला मेजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि खेदराहे सिंचाई योजना के बारे में वन विभाग को कुछ आपत्तियां हैं। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि जनजातीय भूमि की सिंचाई के लिए बगैर किसी विलम्ब के इस स्कीम को कार्यान्वित किया जाए तथा इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त स्थानों पर सिंचाई के अन्य स्रोतों का पता लगाया जाए।

शिक्षा

- (iii) कंकराझोर में सहायकों को अब 16 माह का मानदेय दिया गया है, क्योंकि उनकी आयु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु से कम है। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा जाहिर की कि बेरोजगारी की समस्या को, जो गरीबी से पीड़ित जनजातीय इलाकों में अधिक गम्भीर है, ध्यान में रखते हुए न्यूनतम आयु सीमा कम की जाए। ऐसे सैंकड़ों जनजातीय युवक हैं, जो पर्याप्त रूप से शिक्षित भी हैं तथा इसीलिए सहायक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु तर्कसंगत नहीं है और यह जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा कम की जानी चाहिए। बेलपहाड़ी में 171 प्राथमिक विद्यालय और 19 अपर प्राथमिक विद्यालय हैं। ग्राम पंचायतों के कुल क्षेत्रफल की तुलना में इस क्षेत्र में स्कूलों की संख्या अपर्याप्त है। इसलिए नए स्कूल खोले जाने चाहिए। इसी प्रकार, जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार जनजातीय विद्यार्थियों को दिसम्बर/ जनवरी माह में छात्रवृत्ति वितरित की जाती है, जो प्रक्रिया के खिलाफ है तथा इससे छात्रवृत्ति देने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। गरीब जनजातीय विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता समय पर मुहैया कराने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति राशि जुलाई में दाखिले के समय ही वितरित की जानी चाहिए ताकि वे बगैर किसी वित्तीय अड़चन के अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

पेय जल

- (iv) मेदिनीपुर जिले में 7991 नलकूप और बेलपहाड़ी में 229 नलकूप हैं। इसी प्रकार, मेदिनीपुर में 9776 और बेलपहाड़ी में 220 खुदे कुएं हैं। बताया गया था कि बेलपहाड़ी ब्लॉक के 17 गांवों में एक ही स्रोत से पेय जल प्राप्त होता है और इन जनजातीय गांवों में अलग से सुरक्षित पेय जल मुहैया कराने का कोई प्रबन्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा जाहिर की कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार इन सभी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करे और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.)

- (v) टी.एस.पी. में शामिल सभी स्कीमों के तहत उचित मॉनिटरिंग और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा प्रेरक अभियान चलाया जाए।

विद्युतीकरण

- (vi) जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा सूचित किया गया कि जिले के 188 गांवों में विद्युतीकरण किया गया है तथा शेष गांवों में 1966 में विद्युतीकरण किया जाएगा। बेलपहाड़ी के 167 गांवों में बिजली नहीं लाई गई है। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा व्यक्त की कि शेष गांवों का विद्युतीकरण राज्य सरकार द्वारा समयबद्ध ढंग से किया जाएगा तथा यह कार्य सौर ऊर्जा द्वारा केवल एक

प्वाइंट कनेक्शन द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। इसी प्रकार, जनजातीय इलाकों में होस्टलों में सौर ऊर्जा से प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है।

छात्रावास

- (vii) बिनपुर-II (बेलपहाड़ी) ब्लॉक में चार आश्रम छात्रावास हैं, जिनमें से तीन आदिम जनजाति विद्यार्थियों के लिए और एक अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए हैं। चार आश्रम छात्रावासों के अतिरिक्त, 13 ऐसे विद्यालय हैं, जिनमें विद्युतीकरण, पेय जल, सफाई व्यवस्था और मच्छरदानी आदि की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बिनपुर-II में 876 विद्यार्थी छात्रावास की सुविधाएं ले रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास कोटा 635 छात्रों के लिए है। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा जाहिर की कि छात्राओं के लिए और अधिक छात्रावास बनाए जाएं।

इंदिरा आवास योजना

- (viii) जिला मेजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि इस स्कीम के तहत 222 मकानों का निर्माण किया गया था। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि अभी भी बहुत सी जनजातियां बेघर हैं। अतः सर्वेक्षण कराया जाए तथा उन्हें यथाशीघ्र मकानों का आबंटन किया जाए।

खाद्य आपूर्ति

- (ix) जिला मेजिस्ट्रेट ने सूचित किया कि अन्त्योदय और अन्नपूर्णा योजनाएं प्रचलन में हैं। अन्त्योदय कार्यक्रम के तहत 3706 परिवार और अन्नपूर्णा योजना के तहत 153 परिवार कवर किए गए थे। यह कहा गया कि क्षेत्र के आकार को देखते हुए, इस स्कीम के तहत कवर किए गए जनजातीय लोगों की संख्या बहुत कम है और सर्वेक्षण के बाद इस संख्या को बढ़ाने की बहुत जरूरत है ताकि इस स्कीम का लाभ गरीब जरूरतमंद जनजातीय लोगों को दिया जा सके। ग्रेन गोला/ ग्रेन बैंक स्कीम के अन्तर्गत, सरकार गरीब जरूरतमंद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोगों को ऐसी स्थिति में खाद्यान्न मुहैया कराती है जब उनके पास खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं होता और लाभानुभोगी कुछ समय बाद धन लौटा देता है। अध्यक्ष महोदय ने इच्छा जाहिर की कि नियमित मॉनिटरिंग करके जनजातियों के लिए नियमित खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जनजातीय समुदाय के एम.आर. डीलरों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जाएं।

अत्याचार

- (x) जिला मेजिस्ट्रेट ने बताया कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अत्याचारों के पांच मामलों का पता लगाया गया था और वे सभी न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने कहा कि वे सूचित करेंगे कि उनके कितने मामले अनुसूचित जनजाति लोगों से सम्बन्धित हैं। जिला मेजिस्ट्रेट ने आगे यह भी बताया कि अत्याचारों के शिकार को कोई राहत/ क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत नहीं की गई थी, क्योंकि मामले विचाराधीन थे। अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक राज्य में एफ.आई.आर. के रजिस्ट्रेशन के समय पीड़ितों को 50 प्रतिशत राशि दी गई थी। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य में क्षतिपूर्ति की 50 प्रतिशत राशि पीड़ित को चार्जशीट दाखिल करते समय दी जाती है तथा शेष राशि उसके बाद दी जाती है। तदनुसार, अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अपनाए गए पैटर्न पर अत्याचारों के शिकार लोगों को भुगतान की प्रणाली को अपनाना चाहिए।

सड़क संयोजकता

- (xi) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, जनजातीय गांवों में सड़कों के निर्माण हेतु जनसंख्या के मानदंडों को ढीला बनाया जाए। यह भी सुझाव दिया गया था कि पक्की

सड़कों के जाल का विस्तार करने के लिए जिला मेजिस्ट्रेट द्वारा सर्वेक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि यह नक्सल-प्रभावित क्षेत्र है तथा लोगों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पक्की सड़कों आवश्यक हैं।

सामाजिक-आर्थिक विकास

- (xii) राज्य सरकार को कृषि, पशुपालन, उर्वरक, भूमि सुधार और भूमि को समतल करने आदि के तहत जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की विभिन्न स्कीमें शुरू करनी चाहिए।

क्षतिपूर्ति

- (xiii) उन 78 लोधा सावर परिवारों के दावे यथासम्भव शीघ्र निपटाए जाने चाहिए, जिनकी बकरियां टी.एस.पी. कार्यक्रम के तहत खरीद के तत्काल बाद ही मर गई थीं तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित न हों।

रोजगार

- (xiv) राज्य सरकार रोजगार गारन्टी योजना को कार्यान्वित नहीं कर रही है तथा इसे शुरू किया जाना चाहिए। जनजातीय लोग अपनी आबादी के हिसाब से रोजगार प्राप्त नहीं कर रहे हैं। चूंकि जिले में 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों के कई पद थे, इसलिए जिला प्रशासन, आयोग को बताए कि इनमें से कितनी रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं और विशेष अभियान चलाकर बैकलॉग को समाप्त किया जाए।

गौण वन उत्पाद (एम.एफ.पी.)

- (xv) चूंकि गौण वन उत्पाद जनजातियों की आय का प्रमुख स्रोत है, इसलिए इन्हें उचित मूल्य पर एकत्र करने अथवा खरीदने की उचित व्यवस्था या तो राज्य सरकार द्वारा अथवा वन समिति द्वारा तत्काल की जानी चाहिए तथा गौण वन उत्पादों की खरीद में बिचौलियों अथवा दलालों का हस्तक्षेप पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गरीब जनजातीय लोगों का शोषण न हो। मेदिनीपुर जिले में स्व-सहायता समूहों, विशेषकर उन्हें जो जनजातीय महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जनजातीय इलाकों में परिवहन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से रफ्तार योजना के तहत जनजातीय लोगों को टैक्सी ऋण दिए जाने चाहिए तथा इसके अतिरिक्त उन्हें इन टैक्सियों को चलाने के लिए आवश्यक परमिट भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

ऊर्जा विकास

- (xvi) पश्चिम मेदिनीपुर जिला एक पिछड़ा हुआ इलाका है और उद्योगों की स्थापना करने के प्रयोजन से बेलपहाड़ी ब्लॉक में जनजातियों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए। रोजगार और विकास हेतु गरीब जनजातियों को सब्सिडी दी जानी चाहिए तथा उद्योग की स्थापना करने के मापदण्डों में ढील दी जाए ताकि इन्हें और आकर्षक बनाया जा सके।
- (7)(ख) जिला मेजिस्ट्रेट, पश्चिम मेदिनीपुर, ने अपने दिनांक 31.01.2006 के पत्र द्वारा 19.11.2005 और 20.12.2005 को हुई बैठकों (ऊपर उल्लिखित) के कार्यवृत्त के आधार पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भेजी।

स्वास्थ्य

- (i) बेलपहाड़ी में 60 बिस्तरों वाले अस्पताल और ओडोछुआ में 10 बिस्तर वाले अस्पताल के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। जहां तक उप-केन्द्र खोलने के प्रतिमानों का संबंध है, जनसंख्या और दूरी का मापदण्ड भारत सरकार द्वारा तय किया गया है और कार्यवृत्त की प्रति प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दी गई है ताकि इसे राज्य स्तर पर उठाया जा सके। मलेरिया के लिए सी.एम.ओ.एच. द्वारा

कदम उठाए गए थे और ब्लड स्लॉइडों को एकत्र करने का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

भूमि

- (ii) आगे और भूमि वितरित करने के लिए सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया था। इसी दौरान, 1000 से अधिक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों को गारबेटा-II ब्लॉक में पट्टे वितरित किए गए थे। वन विभाग द्वारा खान्दाखली सिंचाई योजना हाथ में ली जा रही है।

शिक्षा

- (iii) एस.एस.के. और एम.एस.के. के लिए टेके पर अध्यापक रखने के लिए उनकी आयु में छूट देने के मामले को सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया गया है ताकि इसे राज्य स्तर पर उठाया जा सके। वर्ष 2005-06 से 31.01.2006 तक छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। जनजातीय छात्रों को 7975 मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां और 730 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां वितरित की गई थीं।

पेय जल

- (iv) 17 गांवों में पीने के पानी के स्रोतों की व्यवस्था करने के लिए अनुमान तैयार कर लिए गए हैं तथा यह मुद्दा पंचायत समिति द्वारा पहले ही उठाया गया था।

जनजातीय उप-योजना

- (v) उचित मॉनिटरिंग और अभियान पहले ही शुरू कर दिया गया था।

विद्युतीकरण

- (vi) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा विद्युतीकरण हेतु बंसपहाड़ी ग्राम पंचायत को प्राथमिकता दी जा रही थी। जनवरी, 2006 में अम्लासोल और 5 अन्य गांवों में सौर प्रकाश संयंत्र लगाए गए थे। सौर प्रकाश संयंत्र अनुसूचित जाति छात्रावासों में भी लगाए गए हैं।

छात्रावास

- (vii) और अधिक महिला छात्रावास खोलने से सम्बन्धित मामला बी.सी.डब्ल्यू. विभाग के साथ उठाया गया था।

इन्दिरा आवास योजना

- (viii) बेघर व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया था।

खाद्य एवं आपूर्ति

- (ix) इस जिले में इस समय 13 जनजातीय एम.आर. डीलर हैं। एम.आर. डीलरों की संख्या बढ़ाने तथा कोटा निर्धारित करने के लिए इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया था।

अत्याचार

- (x) जहां तक घटना के तत्काल बाद अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों को राहत का भुगतान करने का सम्बन्ध है, मामले को प्रधान सचिव, बी.सी.डब्ल्यू. विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया गया था।

सड़क संयोजकता

- (xi) जहां तक जनजातीय इलाकों में सड़कों के निर्माण हेतु पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत जनसंख्या के प्रतिमानों को शिथिल करने का सवाल है, यह मामला केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है, इसलिए सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को तदनुसार निर्दिष्ट किया गया है।

सामाजिक-आर्थिक विकास

- (xii) आर.एस.वी.वाई. और एन.एफ.एफ.डब्ल्यू.पी. के तहत विशेष स्कीमें शुरू की गई थीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी आश्वासन स्कीम 02.02.2006 से शुरू की जा रही है।

क्षतिपूर्ति

- (xiii) न्यू इण्डिया इश्योरेंस, घाटशिला के साथ एक विशेष बैठक की गई थी, जिसमें सूचित किया गया था कि दावों का निपटान डिवीजनल कार्यालय, जमशेदपुर, न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी द्वारा किया जाना है और उन्होंने दावों की जांच करने के लिए प्राइवेट अन्वेषक लगाए थे। उनसे इस मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अनुरोध किया गया था। सम्बन्धित बैंकों से भी कहा गया है कि वे न्यू इण्डिया इश्योरेंस के साथ सहयोग करें।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

- (xiv) समूह 'ख', 'ग' और 'घ' की रिक्ति रिपोर्ट इस प्रकार है:

समूह अनुसूचित जनजाति रिक्तियां

ख	शून्य
ग.	5
घ.	3

जहां तक जिले के अन्य अधिकारियों का सम्बन्ध है, यह सूचित किया गया था कि राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों और निदेशालयों, जैसे एल.एंड एल.आर. विभाग, बी.सी. डब्ल्यू विभाग, द्वारा रोस्टर रखा जाता है, जिसकी सूचना संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को दिनांक 25.01.2006 के पी.ओ.एवं.डी.डब्ल्यू.ओ. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 108(5) – बी.सी. डब्ल्यू (डब्ल्यू) द्वारा दे दी गई थी।

जनसंख्या आंकड़े: 2001 जनगणना

क्रम सं.	राज्य	कुल जनसंख्या 1991	कुल जनसंख्या 2001	दशकीय वृद्धि (प्रतिशत)	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 1991	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2001	दशकीय वृद्धि (प्रतिशत)	2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशतता	2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	भारत	838,583,988	1,028,610,328	22.66	67,758,380	84,326,240	24.45	8.2	—
1.	आन्ध्र प्रदेश	66,508,008	76,210,007	14.59	4,199,481	5,020,104	19.64	6.6	5.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	864,558	1,097,968	27.00	550,351	705,158	28.13	64.2	0.84
3.	असम	22,414,322	26,655,582	18.92	2,874,441	3,308,570	15.10	12.4	3.92
4.	बिहार	86,374,465 *	82,998,509	—	6,616,914 *	758,351	—	0.9	0.90
5.	छत्तीसगढ़	@@	20,833,803	—	@@	6,616,596	—	31.8	7.85
6.	गोवा	1,69,793	13,47,668	55.21	376	566	50.53	—	0.07
7.	गुजरात	41,309,582	50,671,017	22.66	6,161,775	7,481,160	21.41	14.8	8.87
8.	हरियाणा	16,463,648	21,144,564	28.43	—	—	—	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	5,170,877	6,077,900	17.54	218,349	244,587	12.02	4.0	0.29
10.	झारखण्ड	**	26,945,829	—	"	7,087,068	—	26.3	8.40
11.	कर्नाटक	44,977,201	52,850,562	17.51	1,915,691	3,463,986	80.82	6.6	4.11
12.	केरल	29,098,518	31,841,374	9.43	320,967	364,189	13.47	1.1	0.43
13.	मध्य प्रदेश	66,181,170@	60,348,023	—	15,399,034*	12,233,474	—	20.3	14.51
14.	महाराष्ट्र	78,937,187	96,878,627	22.73	7,318,281	8,577,276	17.20	8.9	10.17
15.	मणिपुर	1,837,149	2,166,788	17.94	632,173	741,141	17.24	34.2	0.88
16.	मेघालय	1,774,778	2,318,822	30.65	1,517,927	1,992,862	31.29	85.9	2.36
17.	मिजोरम	689,756	888,573	28.82	653,565	839,310	28.42	94.5	1.00

18.	नागालैंड	1,209,546	1,990,036	64.53	1,060,822	1,774,026	67.23	89.1	2.10
19.	उड़ीसा	31,659,736	36,804,660	16.25	7,032,214	8,145,081	15.83	22.1	9.66
20.	पंजाब	20,281,969	24,358,999	20.10	0	—	—	—	—
21.	राजस्थान	44,005,990	56,507,188	28.41	5,474,881	7,097,706	29.64	12.6	8.42
22.	सिक्किम	406,457	540,851	33.06	90,901	111,405	22.56	20.6	0.13
23.	तमिलनाडु	55,858,946	62,405,679	11.7	574,194	651,321	13.43	1.0	0.77
24.	त्रिपुरा	2,757,205	3,199,203	16.03	853,345	993,426	16.42	31.1	1.18
25.	उत्तरांचल	\$ \$	8,489,349	—	\$ \$	256,129	—	3.0	0.30
26.	उत्तर प्रदेश	139,112,287 \$	166,197,921	—	287,901 \$	107,963	—	0.1	0.13
27.	पश्चिम बंगाल	68,077,965	80,176,197	17.77	3,808,760	4,406,794	15.70	5.5	5.23
28.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	280,661	356,152	26.19	26,770	29,469	10.08	8.3	3.03
29.	चंडीगढ़	642,015	900,635	40.28	0	—	—	—	—
30.	दादरा और नगर हवेली	138,477	220,490	59.22	109,380	137,225	2.46	62.2	0.16
31.	दमन और दीव	101,586	158,204	55.73	11,724	13,997	19.39	8.8	10.20
32.	दिल्ली	9,420,644	13,850,507	47.02	0	एनएसटी	—	—	—
33.	लक्षद्वीप	51,707	60,650	17.30	48,163	57,321	19.01	94.5	0.07
34.	पाण्डिचेरी	807,785	974,345	20.62	0	—	—	—	—
35.	जम्मू और कश्मीर	—	10,143,700	—	—	1,105,979	—	—	—
	कुल	838,583,988	1,028,610,328	—	67,758,380	84,326,240	—	—	—

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001

* अविभाजित बिहार की जनसंख्या को दर्शाया गया है।

@ अविभाजित मध्य प्रदेश की जनसंख्या को दर्शाया गया है।

\$ अविभाजित उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को दर्शाया गया है।

** झारखंड की जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ें बिहार में शामिल हैं।

@@ छत्तीसगढ़ की जनसंख्या संबंधी आंकड़ मध्य प्रदेश में शामिल हैं।

\$\$ उत्तर प्रदेश सहित उत्तरांचल की जनसंख्या संबंधी आंकड़े।

टिप्पणी: छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्य वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के बाद बनाए गए थे।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान जनजातीय उप-योजना के लिए राज्य-वार परिव्ययों से निधियों का प्रवाह

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता (1991 जनगणना के अनुसार)	राज्य योजना परिव्यय	जनजातीय उप-योजना के लिए प्रवाह	स्तम्भ 4 के आंकड़ों की तुलना में प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	6.3	13691.44	502.6	3.7
2.	असम	12.8	6048.6	640.7	10.6
3.	बिहार	7.7	5978.4	1771.3	29.6
4.	गुजरात	14.9	32100.0	3841.9	12.0
5.	हिमाचल प्रदेश	4.2	7488.0	640.6	8.6
6.	जम्मू और कश्मीर	11.0	2072.3	288.1	13.9
7.	कर्नाटक	4.3	30334.0	429.3	1.4
8.	केरल	1.1	9205.0	140.7	1.6
9.	मध्य प्रदेश	23.3	16337.3	3366.3	20.6
10.	महाराष्ट्र	9.3	35674.8	2741.6	7.7
11.	मणिपुर	34.4	1363.9	515.1	37.8
12.	उड़ीसा	22.2	13057.5	3484.4	26.7
13.	राजस्थान	12.4	20766.0	1469.8	7.1
14.	सिक्किम	22.4	603.7	116.3	19.3
15.	तमिलनाडु	1.0	25151.7	264.4	1.1
16.	त्रिपुरा	31.0	1588.0	592.2	37.3
17.	उत्तर प्रदेश	0.2	46791.0	217.1	0.6
18.	पश्चिम बंगाल	5.6	26259.6	883.2	3.4
19.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9.5	1795.0	238.7	13.3
20.	दमन और दीव	11.5	195.1	9.3	4.8
	जोड़	8.1	296911.2	22314.2	7.6

टिप्पणी: (i) छत्तीसगढ़, झारखण्ड और उत्तरांचल राज्यों के संबंध में अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अन्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में जनजातीय उप-योजना लागू नहीं है।

अनुलग्नक 3.III

राज्य योजना परिव्ययों से जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के लिए निधियों का प्रवा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र (अजजा की प्रतिशतता)	राज्य योजना परिव्यय		टी.एस.पी. आबंटन		योजना परिव्यय की तुलना में टी.एस.पी. आबंटन की प्रतिशतता		टी.एस.पी. के तहत वास्तविक आबंटन की तुलना में टी.एस.पी. व्यय की प्रतिशतता			
		2002-03 (2)	2003-04 (3)	2002-03 (4)	2003-04 (5)	2002-03 (6)	2003-04 (7)	2002-03 (8)	2003-04 (9)	2002-03 (10)	2003-04 (11)
1.	आन्ध्र प्रदेश	10100.00	10970.46	585.03	731.19	5.79	6.67	464.24	617.28	79.35	84.42
2.	असम	906.78	872.97	102.19	98.38	11.27	11.27	96.49	98.38	94.42	100
3.	छत्तीसगढ़	1851.71	2847.22	782.00	1028.85	42.24	36.13	648.49	871.42	82.92	84.69
4.	झारखण्ड	2651.94	2935.85	1461.38	1523.71	55.11	51.90	-	-	-	-
5.	कर्नाटक			130.67	130.09	-	-	105.96	99.04	81.09	76.13
6.	केरल (1.14)	3750.00	4350.00	85.00	88.58	2.26	2.25	79.48	27.10	93.50	30.59
7.	मध्य प्रदेश (20.3)	4799.77	5901.75	818.84	899.41	17.24	15.24	686.72	777.01	83.27	84.02
8.	मणिपुर	550.00	590.00	279.58	उ.न.	-	-	222.28	उ.न.	79.50	उ.न.
9.	उड़ीसा (22.1)	2550.00	2714.50	706.17	665.0263	27.69	24.00	706.17	665.03	100	100
10.	राजस्थान	-	-	263.0542	-	-	-	259.8556	-	98.78	-
11.	तमिलनाडु (1.0)	5751.5296	7000.1316	59.4103	86.06	1.03	1.23	34.29	84.9958	57.72	98.65
12.	त्रिपुरा (31.1)	-	-	169.7809	173.50183	-	-	161.5516	174.0373	95.15	100
13.	उत्तर प्रदेश (0.01)	7250.00	7728.00	5.9417	6.00	0.00195	0.0776	4.8203	6.24	81.14	100 से अधिक
14.	पश्चिम बंगाल	6307.00	3633.63	177.0559	129.61	2.81	3.57	143.4431	81.04	उ.न.	उ.न.
15.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	43.8260	64.2540	-	-	35.7580	59.7562	81.59	92.99
16.	दमन और दीव	-	-	1.1975	1.0472	-	-	1.1967	1.0403	99.93	99.34

टिप्पणी: बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तरांचल राज्य के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2005-06 के दौरान टी.एस.पी. को केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के योजना बजट आबंटनों से निधियों का संभावित प्रवाह

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग	बजट अनुमान 2005-06	टी.एस.पी. के तहत निर्धारित की जाने वाली बजट की 8% राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
	भाग-क		
1.	कृषि और सहकारिता	4209.32	336.75
2.	कृषि अनुसन्धान और शिक्षा	1150.00	92.00
3.	पशुपालन और डेयरी विभाग	669.08	53.53
4.	कृषि और ग्रामीण उद्योग	859.00	68.72
5.	डाक	354.00	28.32
6.	दूरसंचार	158.61	12.69
7.	सूचना और प्रौद्योगिकी	929.30	74.34
8.	संस्कृति	551.12	44.09
9.	पर्यावरण और वन	1234.91	98.79
10.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	180.00	14.40
11.	स्वास्थ्य	2881.77	230.54
12.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	345.00	27.60
13.	परिवार कल्याण	6424.00	513.92
14.	प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता	12531.76	1002.54
15.	माध्यमिक और उच्च शिक्षा	2710.50	216.84
16.	महिला और बाल विकास	3875.29	310.02
17.	सूचना और प्रसारण	528.00	42.24
18.	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	599.75	47.98
19.	पंचायती राज	50.00	4.00
20.	योजना	75.00	6.00
21.	ऊर्जा	3000.00	240.00
22.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	12120.36	969.63
23.	ग्रामीण विकास	18334.00	1466.72
24.	भूमि सुधार	1396.00	111.68
25.	पेय जल आपूर्ति	4750.00	380.00
26.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1240.00	99.20
27.	विज्ञान और औद्योगिक अनुसन्धान	846.00	67.68
28.	जैव-प्रौद्योगिकी	445.00	35.60
29.	लघु उद्योग	408.91	32.71
30.	कपड़ा	1150.00	92.00
31.	पर्यटन	786.00	62.88
32.	शहरी विकास	2080.33	166.43
33.	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	500.00	40.00
34.	जल संसाधन	621.00	49.68
35.	युवा कार्य और खेल	438.99	35.12
36.	श्रम और रोजगार	219.48	2.65
	भाग-क कुल योजना निधि	88652.48	7077.29
भाग ख	खाद्य और सार्वजनिक वितरण का योजना-भिन्न घटक	26496.23	2119.70
	निधियों का जोड़	115148.71	9196.99
भाग ग	जनजातीय कार्य मंत्रालय	1509.74	1509.74
	क,ख और ग का कुल जोड़	116658.45	10706.73

स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2005-06

दसवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान टी.एस.पी. को विशेष केन्द्रीय सहायता की विमोचित राशि और व्यय

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अधिशेष दसवीं योजना	2002-03			2003-04			2004-05			खर्च न की गई शेष राशि
			ए.आर.	ई.आर.	यू.बी.	ए.आर.	ई.आर.	यू.बी.	ए.आर.	ई.आर.	यू.बी.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.83	2732.80	2732.80	0.00	2459.52	2459.52	0.00	2459.52	2266.32	193.20	210.03
2.	असम	3256.63	3058.99	2391.36	667.63	2753.09	4844.06	2090.97	2064.82	2590.13	-525.31	130.98
3.	बिहार	8.60	556.56	645.52	-88.96	500.90	500.00	0.90	250.45	000	250.45	170.99
4.	गुजरात	869.08	3930.91	3162.25	768.66	3743.09	3035.58	707.51	3537.82	5951.97	-2414.15	-68.90
5.	हिमाचल प्रदेश	-75.64	643.53	643.53	0.00	612.79	579.09	33.70	750.87	631.57	119.30	77.36
6.	जम्मू और कश्मीर	366.31	971.94	971.94	0.00	925.50	918.28	7.22	874.75	894.33	-19.58	353.95
7.	कर्नाटक	72.85	771.33	790.53	-19.20	694.19	747.84	-53.65	899.97	625.55	-274.42	274.42
8.	केरल	270.86	273.70	348.45	-74.75	260.62	355.36	-94.74	319.35	379.30	-59.95	41.43
9.	मध्य प्रदेश	1316.11	7833.22	8793.98	-960.76	7458.93	7814.28	-355.35	9139.70	6268.91	2870.79	2870.79
10.	महाराष्ट्र	629.26	3723.83	2466.17	1257.66	3351.45	1572.86	1778.59	3351.45	000	3351.45	7016.96
11.	मणिपुर	83.49	761.96	458.03	303.93	725.55	676.18	49.37	685.76	456.82	228.94	665.73
12.	उड़ीसा	-228.49	6495.30	6437.00	58.30	6184.94	6014.75	170.19	7578.63	5095.23	2483.40	2483.40
13.	राजस्थान	449.91	3649.50	2631.69	1017.87	3284.60	4231.36	-946.76	3284.60	3258.59	26.01	547.03
14.	सिक्किम	-24.42	108.02	108.02	0.00	102.86	97.22	5.64	126.04	971.22	28.82	10.04
15.	तमिलनाडु	261.37	323.32	116.48	206.84	290.99	107.32	183.67	377.25	713.83	-336.58	315.30
16.	त्रिपुरा	52.80	1041.03	810.82	230.21	991.29	1169.68	-178.39	1214.66	733.09	481.57	586.19
17.	उत्तर प्रदेश	26.51	32.10	46.61	-14.51	30.57	25.40	5.17	37.45	17.61	19.84	37.01
18.	पश्चिम बंगाल	-191.94	2202.57	2202.57	0.00	1982.31	1982.31	0.00	1982.31	1973.68	8.63	-183.31
19.	उत्तरांचल	172.93	92.91	181.73	-88.82	88.47	126.28	-37.81	83.62	65.74	17.88	64.18
20.	झारखण्ड	2144.83	5870.24	5269.26	600.98	5283.22	6505.37	-1222.15	5283.22	000	5283.22	6806.88
21.	छत्तीसगढ़	349.30	4626.18	4128.55	497.63	4405.13	4935.85	-530.72	5397.76	3923.40	1474.36	1790.57
22.	अंडमान और निकोबार	384.20										384.20
23.	दमन और दीव	183.36										183.36
	कुल जोड़	10394.74	49700.00	45337.29	4362.72	46130.01	48698.59	-2568.58	49700.00	35943.29	13756.71	25945.58

स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय

*टिप्पणी: कुल 49700 लाख रुपए का आबंटन किया गया, जिसमें से 4970 लाख रुपए की राशि (कुल राशि की 10 प्रतिशत राशि) का उपयोग टी.एस.पी. के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से किया जाएगा, जैसाकि टी.एस.पी. को दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के बारे में 2.5.2003 के जारी संशोधित मार्गनिर्देशों के भाग IV(iv) में बताया गया है।

ए.आर. - विमोचित की गई राशि,

ई.आर. - सूचित व्यय,

यू.बी. - खर्च न की गई शेष राशि,

किसी राशि के सामने (-) चिह्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय का द्योतक है।

अनुलग्नक 3.VI

दसवीं योजना के दौरान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत विमोचित अनुदान और व्यय

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	अथशेष दसवीं योजना	2002.03			2003.04			2004.05			खर्च न की गई राशि		
			ए.आर..	ई.आर.	यू.बी.	ए.आर..	ई.आर.	यू.बी.	ए.आर..	ई.आर.	यू.बी.	ए.आर..	ई.आर.	यू.बी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	आन्ध्र प्रदेश	1130.97	2160.30	2160.30	0.00	1785.00	1367.80	417.20	2300.46	271.50	2028.96	3577.13		
2.	असम	11.15	1023.40	891.53	131.88	668.87	519.48	149.39	1155.00	311.72	843.28	1135.70		
3.	बिहार	3826.76	209.00	452.18	-243.18	209.00	209.00	0.00	229.90	0.00	229.90	1911.83		
4.	गुजरात	-112.56	2250.00	180.67	2069.33	2280.00	2756.97	-476.97	2515.00	603.16	1911.84	3391.64		
5.	हिमाचल प्रदेश	-26.73	80.00	173.71	-93.71	80.00	192.63	-112.63	109.36	88.65	20.71	-212.36		
6.	जम्मू और कश्मीर	272.74	318.00	351.07	-33.07	367.00	282.81	84.19	398.70	467.73	-69.03	254.83		
7.	कर्नाटक	767.76	904.35	1057.30	-152.95	797.00	1446.42	-649.42	957.88	770.00	187.88	153.27		
8.	केरल	167.76	588.00	114.51	473.49	158.00	124.38	33.62	161.56	268.01	-106.45	568.42		
9.	मध्य प्रदेश	764.57	4052.32	405.32	0.00	3821.58	3536.00	285.58	5173.57	4187.35	986.22	2036.76		
10.	महाराष्ट्र	3624.16	2925.00	1719.95	1205.05	2672.00	3838.50	-1166.50	2939.20	0.00	2939.20	6601.91		
11.	मणिपुर	468.82	424.55	595.98	-171.43	253.00	230.00	23.00	253.00	230.00	230.00	343.39		
12.	उड़ीसा	6389.50	3641.60	1211.89	2429.71	2830.00	2656.05	173.95	4346.98	4344.22	2.76	8995.92		
13.	राजस्थान	520.72	224.48	1854.54	369.94	207000	1009.65	1060.35	2200.00	442.26	1757.74	3708.75		
14.	सिक्किम	-49.03	83.00	83.00	0.00	33.00	33.00	0.00	45.20	26.30	18.90	-30.13		
15.	तमिलनाडु	188.40	210.00	127.76	82.24	250.00	144.70	105.30	287.40	0.00	287.40	666.34		
16.	त्रिपुरा	192.50	665.50	334.50	331.00	313.00	523.00	-210.00	428.30	463.00	-34.70	278.80		
17.	उत्तर प्रदेश	83.11	27.00	57.00	-30.00	27.00	.	27.00	36.82	11.72	25.10	105.21		
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	1543.00	1543.00	0.00	1763.00	1763.00	0.00	1987.30	1866.03	121.27	121.27		
19.	उत्तरांचल	-16.42	300.00	280.00	20.00	200.00	200.00	0.00	273.72	220.00	53.72	57.30		
20.	मंधालय	695.46	555.00	30.00	525.00	50.55	50.55	0.00	759.50	305.25	454.25	1674.71		
21.	मिजोरम	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	25.36	214.64	488.41	264.00	224.41	439.05		
22.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.58	0.00	529.58	529.58		
23.	झारखण्ड	4041.71	2808.00	2679.01	128.99	2208.00	2428.80	2208.00	2428.80	0.00	2428.80	8807.50		
24.	छत्तीसगढ़	748.69	2689.50	1423.11	1266.39	2089.00	2588.27	-499.27	2858.56	1729.98	1128.58	2644.39		
25.	उत्तरांचल	124.99	78.00	128.11	-50.11	128.00	24.41	103.59	135.80		135.80	314.27		
	कुल जोड़	23815.03	30000.00	21741.44	8258.57	25293.00	23521.98	1771.02	33000.00	16870.88	16129.12	48072.09		

स्रोत: जनजातीय कार्य मंत्रालय

ए.आर. - विमोचित की गई राशि,

ई.आर. - सूचित व्यय,

यू.बी. - खर्च न की गई शेष राशि,

किसी राशि के सामने (-) चिह्न राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किए गए अतिरिक्त व्यय का द्योतक है।

अनुलग्नक 3.VII

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान जारी की गई आदिम जनजाति समूह-वार राशि

क्रम संख्या	राज्य का नाम	आदिम जनजाति समूह का नाम	विमोचित राशि (लाख रुपए)						2004-05 के दौरान एल.आई. सी. कवरेज हेतु जारी राशि	बीमा किए जाने वाले परिवारों के मुखियाओं की संख्या									
			2003-04		2004-05		एन.जी.ओ.	राज्य सरकार			एन.जी.ओ.								
1.	आन्ध्र प्रदेश																		12,000
			1	चेन्बु	31.1	8.92	132.646	27.713											
			2	गदाबा	25.7	34.64	0	0											
			3	खोंड और खोरजा	64.20	0	0	0											
			4	कोलम	44.79	0	0	0											
			5	कोंडा रेड्डी	26.45	10.00	0	35.641											
2.	छत्तीसगढ़		1	अबुज मारिया	30.01	91.45	224.370	0											8000
			2	बैगा															
			3	बिरहोर															
			4	हिल कोरवा															
			5	कामर															
			6	सहारिया															
			7	भारिया	0	0	0	0											
3.	गुजरात		1	कोलघा	0	0	0	0											5000
			2	कठोड़ी	0	0	0	0											
			3	कोटवालिया	40.00	0	91.5	0											
			4	पधार	0	0	0	8.50											
			5	सिद्दी	0	0	0	0											
4.	कर्नाटक		1	जोने कुरुबा	36.90	25.57	8.00	9.973											2000
			2	कोरागा			7.00	0											
5.	केरल		1	चोलनैकन	0	0	4.00	0											500
			2	कादर	0	0	0	0											
			3	कट्टुनायकन	0	0	3.00	0											
			4	कुरुम्बा	0	0	4.00	0											
			5	कोरागा	0	0	1.5	0											

6.	मध्य प्रदेश	1	सहारिया	60.21	73.51	106.86	26.788	100.00	20000
		2	बैगा	17.45	0	38.31			
		3	भारिया	16.58	0	31.32	0		
7.	महाराष्ट्र	1	कटकारी / कठोडी	88.08	13.11	187.371	27.629	70.00	14000
		2	कोलम	0	0	0			
		3	मारिया गोंड	170.00	0	0			
8.	मणिपुर	1	मारम नागा	0	0.52	0	11.54	10.00	2000
9.	उड़ीसा	1	युकटिया भुंजिया	150.00	19.60	67.4	0	12.5	2500
		2	बिरहोर						
		3	बोंदो						
		4	डिङयी						
		5	डोंगरिया-खांड						
		6	जुआंग						
		7	खारिया						
		8	कुटिया खोंड						
		9	जजिया सौरा						
		10	लोधा						
		11	मकिरडिया						
		12	पौदी भूयां						
		13	सौरा						
10.	राजस्थान	1	सहारिया	10.00	0	50.00	18.15	12.50	2500
11.	तमिलनाडु	1	इरुलर	10.00	0	38.0	0	40.00	8000
		2	कट्टुनायकन	0	0	34.00	0		
		3	कोटा	0	0	9.9	0		
		4	कुरुम्बा	0	0	5.2	0		
		5	पनियां	0	0	2.00	0		
		6	टोडा	0	0	6.00	0		
12.	त्रिपुरा	1	रिआंग	85.00	0	60.00	0	25.00	5000
13.	उत्तरांचल / उ. प्रदेश	1	बुकसा	0	0	33.63	0	2.50	500
		2	राजी	0	0				
14.	पश्चिम बंगाल	1	बिरहोर	11.05	61.86	0	0	15.00	3000
		2	लोधा			38.17	0		
		3	टोटो			0	0		
15.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	ग्रेट अंडमानवासी	0	0	200.00	0	0	0

		2	जरावा	0	0									
		3	ऑजी	0	0									
		4	सेंटीनीलीज	0	0									
		5	शाम पेन	0	0									
16.	झारखण्ड	1	असुर	0	135.80					66.641		213.359	5.00	1000
		2	बिरहोर	0	0								0	0
		3	बिरजिया	0	0									
		4	हिल खारिया	0	0									
		5	कोरवा	0	0									
		6	माल पहाड़िया	0	0									
		7	परहैया	0	0									
		8	सौरिया पहाड़िया	0	0									
		9	सवार	0	0									

अनुलग्नक 3.VIII

वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान आदिम जनजाति समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत विमोचित वित्तीय सहायता और सूचित व्यय

क्रम सं.	कार्यान्वयन एजेंसी राज्य/ गैर-सरकारी संगठना का नाम	2001-02 के दौरान विमोचित राशि (3)	2001-02 के दौरान सूचित व्यय (4)	2002-03 के दौरान विमोचित राशि (5)	2002-03 के दौरान सूचित व्यय (6)	2003-04 के दौरान विमोचित राशि (7)	2003-04 के दौरान सूचित व्यय (8)	2004-05 के दौरान विमोचित राशि (9)	2004-05 के दौरान सूचित व्यय (10)	खर्च न हुई संचित शेष राशि (11)
1	आन्ध्र प्रदेश सरकार और टी.आर.आई.	262.27	262.27	120.00	120.00	202.85	109.05	190.80	0.00	284.60
2.	बिहार सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
3.	छत्तीसगढ़ सरकार	0.00	0.00	188.05	178.05	30.01	30.01	264.37	40.00	234.37
4.	गुजरात सरकार	300.00	300.00	20.00	9.44	40.00	0.00	116.50	0.00	167.06
5.	झारखण्ड सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
6.	कर्नाटक सरकार	96.94	96.94	80.00	0.00	36.90	0.00	25.00	25.00	116.90
7.	केरल सरकार	0.00	0.00	3.45	3.45	0.00	0.00	15.00	0.50	14.50
8.	मध्य प्रदेश सरकार	0.00	0.00	128.87	128.87	284.19	284.19	293.21	293.21	0.00
9.	महाराष्ट्र सरकार	31.36	0.00	100.00	0.00	288.00	0.00	107.00	0.00	526.36
10.	मणिपुर सरकार	0.00	0.00	5.16	5.16	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
11.	उड़ीसा सरकार	50.36	26.84	58.50	0.00	150.00	48.72	55.00	0.00	238.30
12.	राजस्थान सरकार	0.00	0.00	90.23	54.52	10.00	10.00	62.50	0.00	98.21
13.	तमिलनाडु सरकार	49.54	48.28	45.00	45.00	10.00	10.00	176.50	0.00	177.76
14.	त्रिपुरा सरकार	86.31	86.31	15.74	15.74	85.00	85.00	29.81	29.81	0.00
15.	पश्चिम बंगाल सरकार	50.00	50.00	15.00	15.00	11.05	11.05	53.17	53.17	0.00
16.	उत्तरांचल सरकार	23.48	15.48	10.00	10.00	0.00	0.00	33.63	0.00	41.63
17.	उत्तर प्रदेश सरकार	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50
	कुल जोड़	1,050.26	986.12	880.00	585.23	1,148.00	588.02	1,549.99	441.69	2,027.18

अनुलग्नक 3.IX

उच्चतम सीमा अधिशेष भूमि के वितरण की जानकारी देने वाला विवरण

(क्षेत्रफल एकड़ में)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	अधिशेष घोषित क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	वैयक्तिक लाभार्थियों को वितरित क्षेत्र	लाभार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति लाभार्थी	
						क्षेत्र	संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	789910	646521	582188	525663	119469	84653
2.	असम	613405	575337	545875	445862	58986	42365
3.	बिहार	415447	390752	306964	379528	39978	43050
4.	गुजरात	226043	161716	146578	33312	31579	14047
5.	हिमाचल प्रदेश	316556	304895	6167	6259	245	329
6.	जम्मू और कश्मीर	455575	450000	450000	450000	उ.न.	उ.न.
7.	कर्नाटक	268478	164675	123412	33727	4338	1250
8.	केरल	141427	96851	68745	166814	7248	8990
9.	मध्य प्रदेश	298763	260323	186942	74705	73379	82138
10.	महाराष्ट्र	708098	650031	613965	135301	97378	29268
11.	मणिपुर	1830	1685	1682	1258	97	72
12.	उड़ीसा	180301	168035	158030	141155	66228	52264
13.	राजस्थान	611912	570290	463547	82441	50239	11769
14.	तमिलनाडु	202795	194118	183670	145608	275	205
15.	त्रिपुरा	1995	1944	1598	1424	448	359
16.	उत्तर प्रदेश	366147	335525	260509	300163	951	450
17.	पश्चिम बंगाल	1394180	1304185	1088445	2759791	224778	523908
18.	दादरा और नगर हवेली	9406	9305	6851	3353	6795	3321

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट

बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में हाल ही में बने क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल राज्यों के आंकड़े भी शामिल हैं।

जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण और बहाली के मामलों की राज्य-वार संख्या

(मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य	न्यायालय में दायर किए गए मामलों की संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	न्यायालय द्वारा निपटारे गए मामले	क्षेत्रफल (एकड़ में)	निरस्त किए गए मामले	क्षेत्रफल (एकड़ में)	जनजातियों के पक्ष में निर्णीत मामले	क्षेत्रफल (एकड़ में)	वे मामले, जिनमें भूमि जनजातियों को लौटा दी गई है	क्षेत्रफल (एकड़ में)	न्यायालय में लब्धित मामले	क्षेत्रफल (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	आन्ध्र प्रदेश	65875	287776	58212	256452	31737	150227	26475	106225	23383	94312	7663	31324
2.	असम	2042	4211	50	19	-	-	50	19	50	19	1992	4192
3.	बिहार*	86291	104893	76518	95151	31884	49730	44634	45421	44634	45421	9773	9742
4.	गुजरात	47926	140324	40400	120691	119	497	40281	120194	39503	11825	7526	19633
5.	हिमाचल प्रदेश										9		
नगण्य													
6.	कर्नाटक**	42582	130373	38521	115021	16687	47159	21834	67862	21834	67862	4061	15352
7.	मध्य प्रदेश	53806	158398	29596	97123	29596	97123	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	एन.आर.	24210	61275
8.	महाराष्ट्र	45634	एन.आर.	44624	99486	24681	एन.आर.	19943	99486	19943	99486	1010	एन.आर.
9.	उड़ीसा	1431	1712	594	816	152	204	442	612	212	455	837	896
10.	राजस्थान	651	2300	240	774	53	187	187	587	187	587	411	1526
11.	त्रिपुरा	28926	25295	28888	25274	20084	18366	8804	6908	8551	6732	38	21
	कुल	375164	855282	317643	810807	154993	363493	162650	447314	158297	43313	57521	14396
											3		1

* बिहार के आंकड़ों में झारखण्ड के आंकड़े शामिल हैं।

** मध्य प्रदेश के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ के आंकड़े भी शामिल हैं।

एन.आर. - प्राप्त नहीं हुए

अनुलग्नक 3.XI

विभिन्न राज्यों में इस समय लागू जनजातीय भूमि अन्य-संक्रामण रोधी कानूनों का ब्योरा

क्रम सं.	राज्य	लागू कानून	मुख्य विशेषताएं
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश (अनुसूचित क्षेत्र) भूमि अन्तरण विनियम, 1959	1970-1971 और 1978 में यथा-संशोधित इस अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की अचल सम्पत्ति अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को अथवा किसी जनजातीय सहकारी समिति को अन्तरित करना निषिद्ध है। इसमें सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उचित जांच के बाद गैर-कानूनी अन्तरणों का निरस्त करने का भी उपबन्ध है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे कानून के होते हुए भी, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में आधी से अधिक भूमि पर, कानूनी अथवा गैर-कानूनी रूप से, गैर-जनजातीय लोगों का स्वामित्व है। इस बात की भी आवश्यकता है कि जो सुरक्षा अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध है, वह अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों को भी प्रदान की जाए।
2.	असम	1881 में यथा-संशोधित असम भूमि राजस्व विनियम, 1886	इन विनियमों का अध्याय X जनजातीय पट्टियों और ब्लॉकों का निर्माण करता है। किसी सुरक्षित पट्टी अथवा ब्लाक के भीतर पट्टा भूमि का किसी जनजातीय व्यक्ति से किसी एक अन्य भू-स्वामी अथवा किसी गैर-हकदार व्यक्ति को अन्तरण किए जाने को निषिद्ध करके, इन ब्लॉकों में भूमि के अन्तरण, विनियम और पट्टे पर पाबन्दी है। इन अधिनियम में 1964 में किए गए एक संशोधन में अन्तरण, विनियम, लीज़, करार अथवा बन्दोबस्त के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का उपबन्ध है, यदि रजिस्ट्रेशन प्राधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि लेन-देन अध्याय X के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किया गया है। अधिनियम को 1990 में और आगे संशोधित किया गया था और उसमें किसी पट्टी अथवा ब्लॉक में भूमि के अन्तरणकर्ता और अन्तरिती दोनों के लिए दंडिक उपबन्धों की व्यवस्था की गई थी। यदि ऐसी भूमि का अन्तरण अध्याय X के उपबन्धों का किसी भी तरह से उल्लंघन करते हुए किया गया हो। करबी अंगलांग और उत्तर कछार जिलों में, जहां स्वायत्तशासी परिषदें बनाई गई हैं, भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण समुदाय के पास है और भूमि का वैयक्तिक स्वामित्व बहुत सीमित है।
3.	गुजरात	1961 और 1980 में यथा-संशोधित बम्बई भू-राजस्व संहिता, 1879	बम्बई भू-राजस्व संहिता, 1879 को 1961 में संशोधित किया गया था और दो नई धाराएं 73(क) और 79(क) शामिल की गई थीं, जिनमें से पूर्वोक्त में कलेक्टर की अनुमति के बिना भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और उत्तरोक्त में जनजातीय भूमि के अ-प्राधिकृत अधिभोग के संक्षिप्त निष्कासन का उपबन्ध था। इस संहिता को 1980 में फिर से संशोधित किया गया और चार नई धाराएं अर्थात् 73(कक), 73(कख), 73(कग) और 73 (कघ) अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों द्वारा धारित भूमि के अन्तरण पर नए प्रतिबन्ध लगाने के उद्देश्य से शामिल की गई

		<p>थी। धारा 73(कक) में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की भूमि को कलेक्टर की पूर्वानुमति के बिना अन्तरित करने पर प्रतिबन्ध लागू किया गया है। धारा 73(कख) ऋण चुकाने में चूक की स्थिति में राज्य सरकार अथवा सहकारी समिति द्वारा जनजाति भूमि के अधिभोग की जल्दी की अनुमति देती है, लेकिन अधिभोग की बिक्री किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को किए जाने से पहले कलेक्टर को उसका अनुमोदन देना होगा। धारा 73(कख) में अन्तरिती के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह अन्तरण के रजिस्ट्रेशन से पहले वे दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिनमें कलेक्टर की मंजूरी दी गई हो।</p>
4.	<p>(क) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 (ख) सथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1949 (ग) बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969</p>	<p>झारखंड के दो प्रमुख डिवीजन (i) छोटा नागपुर और (ii) सथाल परगना डिवीजन हैं। भूमि के मामले में छोटा नागपुर डिवीजन में क्रम संख्या (क) वाला अधिनियम लागू होता है। अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित मुख्य उपबन्ध अधिनियम की धारा 46 में हैं, जिसमें रैयत द्वारा भूमि के अधिकारों के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। संस्थान परगना डिवीजन पर सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 लागू है। 1949 में, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1985 की अनुपूर्ति क्रम संख्या (2) के अधिनियम और 1949 के बिहार अधिनियम (XIV) द्वारा की गई थी। सथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उप-धारा (1) में किसी रैयत द्वारा बिक्री, उपहार, रेहन, वसीयत, लीज़, अथवा किसी अन्य सविदा या करार के जरिए भू-धृति के अन्तरण पर रोक लगाई गई है, जब तक कि अन्तरण करने के अधिकारों को अधिकार के अभिलेख (आर.ओ.आर.) में अभिलेखबद्ध न किया गया हो। इसकी उप-धारा (2) ऐसे अन्तरण की अनुमति देती है, बशर्ते कि अनुसूचित जनजाति के भू-स्वामी द्वारा यह अन्तरण उस परगना अथवा तालुका के अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किया जाना हो, जिसमें वह भूमि स्थित हो।</p>
5.	<p>हिमाचल प्रदेश (भूमि का अन्तरण अधिनियम, 1968</p>	<p>जनजातीय लोगों से गैर-जनजातीय लोगों को भूमि के अन्य-संक्रामण और उसकी बहाली की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश (भूमि का अन्तरण विनियम) अधिनियम, 1968 जनजातीय लोगों से गैर-जनजातीय लोगों को भूमि के अन्तरण का निषेध करता है। अधिनियम की धारा 3(1) में यह उपबन्ध है कि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी जनजाति का न हो, बिक्री, रेहन, लीज़, उपहार के जरिए अथवा अन्यथा किसी भूमि में अपने हित का अन्तरण, सम्बन्धित जिले के डिप्टी कमिश्नर की पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा। अब इसे और अधिक प्रभावकारी बना दिया गया है। इस अधिनियम को 4 जनवरी, 2003 से संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधित अधिनियम में यह उपबन्ध है कि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति भूमि, जिसमें निर्मित परिसर भी शामिल है, अपने हित का, अन्तरण, बिक्री, रेहन, उपहार द्वारा या अन्यथा, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका सम्बन्ध किसी ऐसी जनजाति से न हो, राज्य सरकार की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं करेगा। संशोधित अधिनियम में यह उपबन्ध भी किया गया है कि राज्य सरकार ऐसी अनुमति देने से पहले, उपयुक्त स्तर की ग्राम सभा अथवा पंचायत से सलाह करेगी।</p>
6.	<p>कर्नाटक</p>	<p>कर्नाटक</p>
	<p>अनुसूचित</p>	<p>इस अधिनियम में भूमि के अन्य-संक्रामण का निषेध है, लेकिन इसमें केवल राज्य द्वारा समनुदेशित भूमि को कवर</p>

		जाति और अनुसूचित जनजाति (कतिपय भूमियों के अन्तर्ण का निषेध) अधिनियम, 1979 (1979 का 2)	<p>किया गया है। आयोग की राय है कि इसका विस्तार अनुसूचित जनजातियों की सभी भूमियों को कवर करने के लिए किया जाना चाहिए। अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अन्य-संक्राम्य भूमि की बहाली, इसे नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार, करने का उपबन्ध भी किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत, सहायक आयुक्त को भूमि के अन्तर्ण से सम्बन्धित मामले के बारे में फैसला करने की शक्ति प्राप्त है। यदि भूमि को बहाल करना व्यावहारिक न हो, तो सरकार किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को, भूमि देने से सम्बन्धित नियमों के अनुसार, ऐसी भूमि दे सकती है। जो व्यक्ति सरकार की पूर्वानुमति के बिना, समनुदेशित भूमि प्राप्त करेगा, तो उसे छः मास तक के कारावास अथवा 2000/- रुपए तक के जुर्माने अथवा दोनों द्वारा दंडित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराध संज्ञेय हैं।</p>
7.	केरल	केरल अनुसूचित जनजाति (भूमि के अन्तर्ण का प्रतिबन्ध और अन्य-संक्राम्य भूमि की बहाली) अधिनियम, 1975	<p>यह अधिनियम 1 जून, 1982 को लागू हुआ और 1986 में नियम बनाए गए। इस अधिनियम की धारा 4 में यह उपबन्ध किया गया है कि किसी जनजातीय व्यक्ति की भूमि का अन्तर्ण किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को जिला कलेक्टर की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है। इस अधिनियम के बावजूद, अधिकतर पालाक्कड जिले के अट्टापपडी क्षेत्र में और वायानाड जिले में जनजातीय भूमि का अन्य-संक्रामण होता रहता है। माननीय केरल न्यायालय ने राज्य सरकार को जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण की समस्या का हल निकालने का निदेश दिया था। तदनुसार, राज्य सरकार ने 1975 के अधिनियम 31 का अतिक्रमण करते हुए केरल (भूमि के अन्तर्ण पर प्रतिबन्ध और अनुसूचित जनजातियों को उसकी बहाली) अधिनियम, 1999 पारित किया था। इस अधिनियम में यह उपबन्ध था कि उन गैर-जनजातीय लोगों को, जिन्होंने जनजातीय भूमि का अभिग्रहण कर लिया था, और वे उसका उपयोग कृषि-प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं, गैर-कानूनी रूप से कब्जे में ली गई जमीन में से दो हेक्टेयर भूमि अपने उपयोग के लिए अपने पास रखने का हक होगा। इस उपबन्ध की आलोचना की गई थी, क्योंकि यह महसूस किया गया था कि इससे गरीब जनजातीय लोगों की बहुत बड़ी संख्या अपनी भूमि से वंचित हो जाएगी। 1999 के अधिनियम के इस उपबन्ध को माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त, 2000 में विखण्डित कर दिया गया था और राज्य सरकार को 1975 के मूल अधिनियम को कार्यान्वित करने का निदेश दिया गया था। केरल सरकार ने केरल के उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक एस.एल.पी. दायर की है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 12.12.2000 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। यह अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में अभी लम्बित पड़ी है।</p>
8.	मध्य प्रदेश	(i) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (ii) मध्य प्रदेश भूमि वितरण विनियमन अधिनियम, 1964	<p>1959 की मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1954 सहित तक विभिन्न काश्तकारी कानूनों का निरसन कर दिया था। संहिता की धारा 153 जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण के खिलाफ सुरक्षा करती है। जनजातीय भूमि का अन्तर्ण कलेक्टर की लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है। इसके अलावा, अनुसूचित जनजातियों की भूमि को डिक्री अथवा आदेश की तामील के लिए जब्त नहीं किया जा सकता अथवा बेचा जा सकता है।</p>

9.	महाराष्ट्र	(i) महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, 1966 (ii) महाराष्ट्र (अनुसूचित जनजातियों को भूमि की बहाली) अधिनियम, 1974	नहीं जा सकता। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश भूमि वितरण विनियमन अधिनियम, 1964 लागू है। अधिनियम में ऐसे उपबन्ध हैं, जिनमें कलेक्टर की अनुमति के बिना जनजातीय भूमि का अन्य-संक्रामण गैर-जनजातीय लोगों को करने पर रोक लगाई गई है। 1966 की संहिता की धारा 36 की उप-धारा 2 के उल्लंघन द्वारा अन्य-संक्राम्य भूमि की बहाली की व्यवस्था करने के लिए इस अधिनियम को 6.7.1974 को जारी किए गए अध्यादेश द्वारा संशोधित किया गया था। बहाली के लाभ का विस्तार समूचे राज्य को कवर करने के लिए किया गया है और वह अनुसूचित क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। अध्यादेश के बाद, राज्य सरकार ने एक अन्य विधान बनाया, जिसे महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियों को भूमि की बहाली अधिनियम, 1974 कहा जाता है। यह अधिनियम 1957 से अनुसूचित क्षेत्रों के भीतर और बाहर कानूनी अथवा गैर-कानूनी रूप से अन्य-संक्राम्य भूमि की बहाली के लिए उपबन्ध करने के लिए है। इस अधिनियम में यह उपबन्ध भी किया गया है कि यदि जनजातीय भूमि के अधिभोग का अन्तरण किसी ऐसे गैर-जनजातीय व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो, जो लोक प्रयोजन के लिए अपनी भूमि के अभिग्रहण किए जाने के कारण भूमिहीन बन गया था, तो अन्तरण में अन्तर्गत केवल आधी भूमि जनजातीय व्यक्ति को बहाल की जाएगी।
10.	मणिपुर	मणिपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960	अधिनियम की धारा 158 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों की कोई भूमि डिस्ट्री कमिश्नर की अनुमति के बिना गैर-जनजातीय व्यक्ति को अन्तर्गत नहीं की जा सकती लेकिन यह अधिनियम पहाड़ी क्षेत्रों पर लागू नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के जनजातीय लोगों को कवर नहीं किया गया है।
11.	मेघालय	मेघालय भूमि का अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1971	मेघालय में, भूमि का स्वामित्व समुदाय और अलिखित रुढिबद्ध कानूनों और रीतियों द्वारा मान्यताप्राप्त कुलों के बड़े-बूढ़ों के अधीन होता है। लेकिन, अनुसूचित जनजातियों की भूमि के अन्य-संक्रामण से बचाने के लिए, मेघालय भूमि का अन्तरण अधिनियम, 1971 बनाया गया था। अधिनियम में किसी जनजातीय व्यक्ति से किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को भूमि का अन्तरण न किए जाने का उपबन्ध है।
12.	मिजोरम	मिजो जिला (भूमि का अन्तरण) अधिनियम, 1963	मिजोरम ऐसा राज्य है, जहां भूमि के अभिलेख नहीं हैं, जहां झूम खेती का व्यापक प्रचलन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि बस्तियों को स्थाई खेती और भूमि के स्वामित्व के लिए भूमि का आबंटन करने के उपाय किए जाएं। मिजो जिला (तब असम में) में भूमि के अन्तरण पर नियंत्रण प्रदान करने के लिए, जनजातीय व्यक्ति से गैर-जनजातीय व्यक्ति को भूमि के अन्तरण पर रोक लगाने के लिए मिजो जिला (भूमि का अन्तरण) अधिनियम, 1963 नामक एक अधिनियम बनाया गया।
13.	उड़ीसा	(i) उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र अचल सम्पत्ति का अन्तरण (अनुसूचित जनजातियों द्वारा)	1956 के विनियम 2 के अन्तर्गत, सक्षम प्राधिकारी को स्वयमेव अथवा किसी हितबद्ध पार्टी द्वारा आवेदन दिए जाने पर जनजातीय व्यक्ति को भूमि बहाल करने के लिए, यदि उसका अन्य-संक्रामण गैर-कानूनी रूप से किया गया हो, कार्रवाई शुरू करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह सक्षम प्राधिकारी को अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि पर गैर-प्राधिकृत कब्जा जमाए हुए व्यक्तियों को बेदखल करने और अपराधियों पर जर्माना लागू करने और कड़े

		<p>विनियम, 1956 (ii) उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960</p>	<p>कारावास का दंड देने की शक्ति भी प्रदान करता है। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के गैर-कानूनी अन्य-संक्रामण को रोकने के उद्देश्य से 1996-97 में 1956 के विनियम 2 को संशोधित किया गया था। संशोधित विनियम में यह उपबन्ध किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कम से कम 1 एकड़ भूमि अपने पास रखनी चाहिए। "पंचायतों के उपबन्ध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996-97" के अधिनियमन के बाद, राज्य सरकार ने 1956 के विनियम 2 को और आगे संशोधित किया है और ग्राम पंचायत को जनजातीय भूमि के कब्जे के मामलों को तय करने और भूमि की बहाली को मानीटर करने, अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान की है और ऐसे अपराधों को संज्ञेय बना दिया है।</p> <p>2. समय-समय पर संशोधित उड़ीसा भूमि सुधार अधिनियम, 1960 अनुसूचित क्षेत्र से बाहर रह रहे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि के अन्तर्ण को निषिद्ध करता है।</p>
14.	राजस्थान	<p>(i) राजस्थान अघिनियम, 1955 (ii) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956</p>	<p>अधिनियम [क्रम संख्या (i)] की धारा 42, 43 और 46क और 49क में विशेष उपबंध हैं। प्रथम दो धाराओं के अनुसार, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य न हो, बिक्री, उपहार, विरासत, रेहन द्वारा अन्तर्ण किए जाने का निषेध है। उत्तरोक्त दो धाराओं के अनुसार, अनुसूचित जाति और गैर-अनुसूचित जनजाति के बीच शिकमी देने अथवा विनियम करने की अनुमति नहीं है। अनुसूचित जनजातियों की किसी भूमि का गैर-अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अन्तर्ण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लिए बिना नहीं किया जा सकता। धारा 183ख और 183ग अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों की बेदखली और मौद्रिक शास्ति द्वारा संक्षिप्त निष्कासन की शक्ति देती है। इन धाराओं में यह उपबन्ध भी किया गया है कि अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक के कारावास और 20,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। कारावास की न्यूनतम अवधि एक महीने की है।</p> <p>2. जबकि एक ओर, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसूचित जनजाति की भूमि का अन्तर्ण गैर-अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन दूसरी ओर, नियमों का एक अन्य सेट सभी भू-स्वामियों (अनुसूचित जनजाति अथवा गैर-अनुसूचित जनजाति) के लिए अपनी कृषि भूमि को रिहायशी और वाणिज्यिक श्रेणियों में बदलना कानूनी रूप से सम्भव बना देता है और उन्हें इसे किसी तीसरी पार्टी को बेचने में समर्थ बना देता है। ये नियम हैं राजस्थान भू राजस्व आबंटन, शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का रिहायशी और वाणिज्यिक प्रयोजनों से रूपान्तरण और विनियमन नियम, 1981 और राजस्थान भू राजस्व, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का कृषि-भिन्न प्रयोजनों के लिए रूपान्तरण नियम, 1992। यह जाहिर है कि उत्तरोक्त पूर्वोक्त को निष्प्रभावी बना देता है। राज्य सरकार द्वारा इस त्रुटि की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।</p> <p>3. तहसीलदार को अनुसूचित जनजाति की भूमि में अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वतः कार्रवाई शुरू करने के लिए प्राधिकृत करने के उद्देश्य से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 को संशोधित किया</p>

			गया है।
15.	सिक्किम	-	सिक्किम में कोई भूमि सुधार अधिनियम नहीं है, सिवाय 1917 के राजस्व आदेश संख्या 1 के अन्तर्गत सिक्किम के महाराजा द्वारा अपनाई गई नीति के, जिसे 1956 में राज्य में पुनः लागू किया गया था। इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 371च के अन्तर्गत सुरक्षित किया गया है। मौजूद भूमि नीति में भूटिया और लेपचा समुदायों की भूमि का गैर-जनजातीय लोगों को अन्य-संक्रामण करने पर प्रतिबन्ध है और यह जनजातीय लोगों के हितों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
16.	तमिलनाडु	तमिलनाडु भूमि सुधार अधिनियम	तमिलनाडु में जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण को रोकने और उसकी बहाली के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। लेकिन, भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत किसी जनजातीय व्यक्ति को समनुदेशित भूमि 10 वर्षों के लिए अन्तरित नहीं की जा सकती और इस अवधि में उसे रहन पर रखा जा सकता है, लेकिन बेचा नहीं जा सकता। यदि कोई जनजातीय व्यक्ति अपनी भूमि बेचना चाहता है तो वह उसे केवल किसी जनजातीय व्यक्ति को ही बेच सकता है और वह भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से।
17.	त्रिपुरा	त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960	इस अधिनियम में जनजातीय व्यक्तियों से गैर-जनजातीय व्यक्तियों को भूमि के अन्तरण पर प्रतिबन्ध लागू है। इस अधिनियम की धारा 18(3) में यह उपबन्ध है कि गैर-जनजातीय व्यक्तियों को 1.1.1969 के बाद अन्तरित की गई जनजातीय भूमियां जनजातीय व्यक्तियों को बहाल की जानी हैं।
18.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को संशोधित करने के लिए बनाया गया था।	उत्तर प्रदेश में, 1986 में यथासंशोधित उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातीय लोगों द्वारा गैर-अनुसूचित जनजातीय लोगों को भूमि का अन्तरण कलेक्टर की अनुमति के बिना किए जाने पर पूरा प्रतिबन्ध लागू है। जनजातीय लोगों की भूमि के प्रतिकूल कब्जे के कारण काश्तकारी अधिकारों का उद्भव न होने के लिए जबरदस्ती बेदखली के लिए स्वतः कार्रवाई के लिए उपबन्ध करने के लिए इस अधिनियम की धारा 210 और 204 को संशोधित किया गया था। विधि में जनजातीय लोगों की भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के लिए 3 वर्ष तक के कारावास और 3000/- रुपए के जुर्माने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को निरन्तर अद्यतन बनाया जाता रहता है। 1982 का संशोधित अधिनियम कभी उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में (स्वर्ण सिंह बनाम राज्य सरकार) लेख्य मामले में अवरुद्ध पड़ा है। मौजूदा उत्तरांचल में, जो उत्तर प्रदेश का भाग था, थारु और बुक्सा क्षेत्र में भूमि हथियाने का काम बहुत व्यापक है। 1982 में बनाए गए अधिनियम को कभी कार्यान्वित नहीं किया गया।
19.	पश्चिम बंगाल	यथा-यंशोधित, पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955	इस अधिनियम के अध्याय 11-क में जनजातीय भूमि के अन्य-संक्रामण का निषेध है और बहाली करने का उपबन्ध है।

इंदिरा आवास योजना / समग्र आवास योजना / ऋण-सह-सब्सिडी स्कीम - राज्यवार वित्तीय निष्पादन 2005-06

25 फरवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार
(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	1.04.2004 की स्थिति के अनुसार अथशेष के	आबंटन			विमोचित			कुल उपलब्ध राशि	अजजा लोगों पर किया गया खर्च
			केन्द्रीय हिस्सा	राज्यीय हिस्सा	जोड़	केन्द्रीय हिस्सा	राज्यीय हिस्सा	जोड़		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1520.07	24399.42	8133.14	32532.56	24398.90	8132.97	32531.87	34051.94	2329.43
2.	अरुणाचल प्रदेश	564.30	949.43	316.48	1265.91	551.59	183.86	735.45	1299.75	581.56
3.	असम	3924.08	20994.23	6998.08	27992.31	11196.61	3732.20	14928.81	18852.89	6863.00
4.	बिहार	50861.53	72020.72	24006.91	96027.63	54272.15	18090.72	72632.87	123224.40	1198.30
5.	छत्तीसगढ़	277.44	3773.17	1257.72	5030.89	3674.19	1224.73	4898.92	5176.36	1219.72
6.	गोवा	1.54	150.28	50.09	200.37	136.95	45.65	182.60	184.14	177.55
7.	गुजरात	538.60	11966.03	3988.68	15954.71	10990.37	3663.46	14653.83	15192.43	2980.16
8.	हरियाणा	146.04	1680.04	506.01	2240.05	1628.64	542.88	2171.52	2317.56	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	188.60	592.56	197.52	790.08	538.22	179.41	717.63	906.23	35.73
10.	जम्मू और कश्मीर	43.59	1840.52	613.51	2454.03	1202.73	400.91	1603.64	1647.23	0.00
11.	झारखण्ड	4557.28	6423.93	2141.31	8565.24	5471.58	1823.86	7295.44	12752.72	4404.13
12.	कर्नाटक	4075.59	9400.43	3133.48	12533.91	7515.26	2505.09	10020.35	14095.94	1395.37
13.	केरल	872.15	5227.51	1742.50	6970.01	5169.28	1723.09	6892.37	7764.52	288.25
14.	मध्य प्रदेश	1086.70	7504.14	2501.38	10005.52	6869.12	2289.71	9158.83	10245.53	2742.23
15.	महाराष्ट्र	806.65	14714.56	4904.85	19619.41	12577.28	4192.43	16769.71	17576.36	2995.09
16.	मणिपुर	197.87	824.15	274.72	1098.87	309.22	103.07	412.29	610.16	704.69
17.	मेघालय	105.14	1435.38	478.46	1913.84	697.59	232.53	930.12	1035.26	879.08

18.	मिजोरम	56.72	305.89	101.96	407.85	301.29	100.43	401.72	458.44	305.06
19.	नागालैंड	45.40	949.84	316.61	1266.45	501.68	167.23	668.91	714.31	1084.37
20.	उड़ीसा	3692.10	14149.75	4716.58	18866.33	13947.18	4649.06	18596.24	22288.34	3311.53
21.	पंजाब	46.98	2077.71	692.57	2770.20	1314.39	438.13	1752.52	1799.50	0.00
22.	राजस्थान	769.70	6013.11	2004.37	8017.48	5650.30	1883.43	7533.73	8303.43	1094.40
23.	सिक्किम	69.39	181.66	60.55	242.21	125.77	41.92	167.69	237.08	61.51
24.	तमिलनाडु	357.47	9768.97	3256.32	13025.29	9409.66	3136.55	12546.21	12903.68	251.45
25.	त्रिपुरा	42.35	1849.42	616.47	2465.89	1647.14	549.05	2196.19	2238.54	793.10
26.	उत्तर प्रदेश	4062.35	32348.75	10782.92	43131.67	29019.26	9673.09	38692.35	42754.70	61.89
27.	उत्तरांचल	640.64	1621.77	540.59	2162.36	1414.43	471.48	1885.91	2526.55	150.79
28.	पश्चिम बंगाल	3325.86	19518.40	6506.13	26024.53	19316.98	6438.99	25755.97	29081.83	2137.97
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	310.50	309.46	0.00	309.46	0.00	0.00	0.00	310.50	61.85
30.	दादरा और नगर हवेली	10.22	51.56	0.00	51.56	0.00	0.00	0.00	10.22	8.75
31.	दमन और दीव	4.35	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	4.35	0.47
32.	लक्षद्वीप	0.11	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.11	14.82
33.	पांडिचेरी	124.74	154.14	0.00	154.14	0.00	0.00	0.00	124.74	0.00
	जोड़	84226.05	273240.00	90893.91	364133.91	229867.76	76615.93	306483.69	390709.74	37972.25

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक 3.XIII

इंदिरा आवास योजना / समग्र आवास योजना / ऋण-सह-सब्सिडी स्कीम - राज्यवार भौतिक उपलब्धि, 2005-06

25 फरवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार
(मकानों की संख्या)

क्रम संख्या	राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	वार्षिक लक्ष्य	पूर्णातः निर्मित मकान				जोड़
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	आन्ध्र प्रदेश	130130	36230	12509	35765	84504	
2.	अरुणाचल प्रदेश	4603	-	2732	0	2732	
3.	असम	101790	18893	26099	35035	80027	
4.	बिहार	384111	111235	5588	89600	206423	
5.	छत्तीसगढ़	20124	718	1930	1374	4022	
6.	गोवा	801	9	34	381	424	
7.	गुजरात	63819	4840	15843	8814	29497	
8.	हरियाणा	8960	3324	0	1776	5100	
9.	हिमाचल प्रदेश	2873	684	137	604	1425	
10.	जम्मू और कश्मीर	8924	0	0	1525	1525	
11.	झारखण्ड	34261	13326	23730	15848	52904	
12.	कर्नाटक	50136	15094	4986	13694	33774	
13.	केरल	27880	10578	1196	8922	20696	
14.	मध्य प्रदेश	40022	8046	10183	8521	26750	
15.	महाराष्ट्र	78478	12092	11695	14424	38211	
16.	मणिपुर	3996	29	3456	180	3665	
17.	मेघालय	6959	140	3074	82	3296	
18.	मिजोरम	1483	0	1338	0	1338	
19.	नागालैंड	4605	0	7308	0	7308	

20.	उड़ीसा	75465	16149	11084	16960	44193
21.	पंजाब	11081	5298	0	934	6232
22.	राजस्थान	32070	11637	4313	8399	24349
23.	सिक्किम	881	153	260	377	790
24.	तमिलनाडु	52101	21775	636	14454	36865
25.	त्रिपुरा	8967	445	922	492	1859
26.	उत्तर प्रदेश	172527	70962	255	46178	117395
27.	उत्तरांचल	7863	4499	1066	8769	14334
28.	पश्चिम बंगाल	104098	35074	10321	27295	72690
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1238	0	0	55	55
30.	दादरा और नगर हवेली	206	0	83	0	83
31.	दमन और दीव	92	0	5	1	6
32.	लक्षद्वीप	80	0	25	0	25
33.	पांडिचेरी	617	35	0	90	125
	जोड़	1441241	401265	160808	360549	922622

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक 3.XIV (क)

विभिन्न राज्यों में पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत कवर की जाने वाली सड़क से न जुड़ी बस्तियों की राज्य-वार और श्रेणी-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	बस्तियों की कुल संख्या	सड़क से न जुड़ी बस्तियों की संख्या	सड़क से न जुड़ी पात्र बस्तियां			पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत कवर की जाने वाली बस्तियों की कुल संख्या
				1000+	500-999	250-499	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आन्ध्र प्रदेश	67401	2679	167	417	396	980
2.	अरुणाचल प्रदेश	3880	2654	43	105	267	415
3.	असम	22963	15786	6149	4196	2799	13144
4.	बिहार	42286	24321	11717	6203	0	17920
5.	छत्तीसगढ़	29544	24202	2604	6313	3644	12561
6.	गोवा	369	55	0	20	35	55
7.	गुजरात	35282	8127	472	2288	1493	4253
8.	हरियाणा	6745	23	0	2	0	2
9.	हिमाचल प्रदेश	16997	11340	262	853	2379	3496
10.	जम्मू और कश्मीर	9270	3946	785	942	1065	2792
11.	झारखण्ड	35769	21036	2622	4178	3896	10696
12.	कर्नाटक	56682	4608	156	118	602	876
13.	केरल	14864	440	117	303	18	438
14.	मध्य प्रदेश	55719	34771	5804	10645	2043	18492
15.	महाराष्ट्र	56663	6892	203	794	754	1751
16.	मणिपुर	2905	1142	71	187	340	598
17.	मेघालय	5362	2752	9	150	597	756
18.	मिजोरम	790	392	47	114	124	285
19.	नागालैंड	1049	127	21	32	41	94
20.	उड़ीसा	49018	28299	3850	6738	3805	14393
21.	पंजाब	13579	920	103	433	0	536
22.	राजस्थान	40436	20729	2906	6073	2036	11015
23.	सिक्किम	901	410	16	138	164	318
24.	तमिलनाडु	62919	5318	577	1825	238	2640
25.	त्रिपुरा	8132	3803	203	706	1182	2091
26.	उत्तर प्रदेश	141534	61554	8839	15358	87	24284
27.	उत्तरांचल	16810	8654	171	667	1767	2605
28.	पश्चिम बंगाल	51472	35667	11941	11668	1679	25288
	जोड़	849341	330647	59855	81466	31451	172772

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक 3.XIV (ख)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों की सड़क से न जुड़ी बस्तियों को सड़क से जोड़ने के लिए अपेक्षित सड़क की राज्यवार लम्बाई

क्रम सं.	राज्य का नाम	निम्नलिखित जनसंख्या वाली बस्तियों के लिए अपेक्षित लम्बाई (किलोमीटर)			पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत कवर की जाने वाली कुल लम्बाई (किलोमीटर)
		1000	500.999	250.499	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	668	1668	990	3326
2.	अरुणाचल प्रदेश	303	854	1954	3112
3.	असम	7900	6671	4416	18987
4.	बिहार	26687	6664	0	33351
5.	छत्तीसगढ़	12213	14709	10634	37556
6.	गोवा	0	40	50	90
7.	गुजरात	1038	4027	2387	7453
8.	हरियाणा	0	26	0	26
9.	हिमाचल प्रदेश	1734	3389	7709	12832
10.	जम्मू और कश्मीर	3454	2722	2236	8412
11.	झारखण्ड	5298	8943	7204	21445
12.	कर्नाटक	103	397	1367	1866
13.	केरल	116	323	21	460
14.	मध्य प्रदेश	25131	31403	3730	60264
15.	महाराष्ट्र	633	1961	1774	4369
16.	मणिपुर	355	633	1143	5715
17.	मेघालय	31	553	2078	2662
18.	मिजोरम	236	948	837	2021
19.	नागालैंड	280	478	231	988
20.	उड़ीसा	7946	13652	7776	29376
21.	पंजाब	205	774	0	979
22.	राजस्थान	7063	19468	5417	31948
23.	सिक्किम	78	541	488	1107
24.	तमिलनाडु	1426	3552	281	5259
25.	त्रिपुरा	260	1205	1516	2980
26.	उत्तर प्रदेश	16300	22300	125	38725
27.	उत्तरांचल	1299	4251	4880	19429
28.	पश्चिम बंगाल	13192	9803	657	23652
	जोड़	133951	161952	69899	369386

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक 3.XIV (ग)

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव

क्रम सं.	राज्य का नाम	कुल			बस्तियां
		मूल्य (करोड़ रुपए)	संख्या	लम्बाई (किलोमीटर)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	369.24	607	2638.84	607
2.	अरुणाचल प्रदेश	106.22	64	340.04	72
3.	असम	927.01	486	2060.51	1278
4.	बिहार	405.04	140	1245.4	320
5.	छत्तीसगढ़	1035.73	990	4467.5	2248
6.	गोवा	121.38	370	763.72	395
7.	गुजरात	84.25	26	361.93	149
8.	हरियाणा	269.04	210	1234.71	579
9.	हिमाचल प्रदेश	212.00	190	1273.26	925
10.	मध्य प्रदेश	1114.02	1190	5605.65	1900
11.	मेघालय	30.05	30	93.101	28
12.	उड़ीसा	880.42	740	3096.82	1170
13.	राजस्थान	976.17	1578	5462.12	1784
14.	त्रिपुरा	39.58	7	80.92	.
15.	उत्तर प्रदेश	1007.76	2301	4230.69	2932
16.	उत्तरांचल	102.87	79	595.47	213
17.	पश्चिम बंगाल	313.71	132	999.32	915
	जोड़	7994.49	9140	34550.00	15515

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट

1.11.2004 की स्थिति के अनुसार जल आपूर्ति की स्थिति के सम्बन्ध में बस्तियों का राज्यवार कवरेज

क्रम सं. (1)	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र (2)	बस्तियों की संख्या			
		एन.सी. (3)	पी.सी. (4)	एफ.सी. (5)	जोड़ (6)
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	69732	69732
2.	अरुणाचल प्रदेश	245	656	3397	4298
3.	असम	301	10691	59563	70555
4.	बिहार	0	0	105340	105340
5.	छत्तीसगढ़	0	0	50379	50379
6.	गोवा	0	7	388	395
7.	गुजरात	0	52	30217	30269
8.	हरियाणा	0	0	6745	6745
9.	हिमाचल प्रदेश	0	6891	38476	45367
10.	जम्मू और कश्मीर	678	2640	7866	11184
11.	झारखण्ड	0	0	100096	100096
12.	कर्नाटक	0	5618	51064	56682
13.	केरल	0	7573	2190	9763
14.	मध्य प्रदेश	0	0	109489	109489
15.	महाराष्ट्र	346	23743	61841	85930
16.	मणिपुर	0	0	2791	2791
17.	मेघालय	13	404	8219	8636
18.	मिजोरम	0	112	695	807
19.	नागालैंड	41	690	794	1525
20.	उड़ीसा	0	0	114099	114099
21.	पंजाब	906	1198	11345	13449
22.	राजस्थान	2785	0	91161	93946
23.	सिक्किम	0	74	1605	1679
24.	तमिलनाडु	0	0	66631	66631
25.	त्रिपुरा	0	0	7412	7412
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	243508	243508
27.	उत्तरांचल	34	274	30666	30974
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	79036	79036
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	102	402	504
30.	दादरा और नगर हवेली	19	41	456	516
31.	दमन और दीव	0	0	32	32
32.	दिल्ली	0	0	219	219
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10
34.	पाण्डिचेरी	0	108	159	267
35.	चंडीगढ़	0	0	18	18
	जोड़	5368	60884	1356031	1422283
	प्रतिशतता	0.38	4.28	95.34	100.00

एन.सी. — कवर नहीं, पी.सी. — आंशिक रूप से कवर, एफ.सी. — पूर्णतः कवर

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट

स्वजल धारा स्कीम – 2005–06 के दौरान रिलीज की गई राशि (24.01.2006 की स्थिति के अनुसार)
(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	आबंटन	रिलीज की गई राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.01	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	3,045.35	2280.18
3.	असम	933.61	0
4.	बिहार	1,571.29	0
5.	छत्तीसगढ़	2,232.74	1442.81
6.	गोवा	0	0
7.	गुजरात	750.970	247.12
8.	हरियाणा	16.67	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	12.5	0
11.	झारखण्ड	28.05	0
12.	कर्नाटक	1,629.73	1222.31
13.	केरल	511.69	383.72
14.	मध्य प्रदेश	1,250.82	787.45
15.	महाराष्ट्र	2,900.60	2175.46
16.	मणिपुर	805.61	0
17.	मेघालय	2,253.99	1690.49
18.	मिजोरम	784.65	0
19.	नागालैंड	0	0
20.	उड़ीसा	2,200.27	1650.26
21.	पंजाब	4,019.88	0
22.	राजस्थान	320.93	0
23.	सिक्किम	366.77	0
24.	तमिलनाडु	262.58	0
25.	त्रिपुरा	270.91	203.16
26.	उत्तर प्रदेश	1,807.40	1355.55
27.	उत्तरांचल	12.50	0
28.	पश्चिम बंगाल	530.53	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,580.72	2686.78
30.	दादरा और नगर हवेली	112.53	0
31.	दमन और दीव	1,730.13	1,297.60
32.	दिल्ली	325.1	0
33.	लक्षद्वीप	3,608.10	0
34.	पाण्डिचेरी	834.12	625.59
35.	चंडीगढ़	1,938.90	0
	जोड़	41,674.65	17,801.36

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2005–06 की वार्षिक रिपोर्ट

कार्यान्वयनाधीन विद्युतीकरण परियोजनाओं के तहत कवर किए गए गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों का राज्यवार ब्यौरा (16.1.2006 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	विद्युतीकृत किए जाने वाले ग्रामीण घरों की कुल संख्या	विद्युतीकृत किए जाने वाले बी.पी.एल. घरों की कुल संख्या	कवर किए जा रहे बी.पी.एल. घरों की प्रतिशतता
1.	आन्ध्र प्रदेश	653430	523128	80
2.	अरुणाचल प्रदेश	3510	2565	73
3.	असम	62132	44548	71
4.	बिहार	771655	771655	100
5.	छत्तीसगढ़	132006	82269	62
6.	गुजरात	199032	151162	75
7.	हरियाणा	205646	92948	45
8.	हिमाचल प्रदेश	2531	647	25
9.	जम्मू और कश्मीर	35115	17491	49
10.	कर्नाटक	1319939	631828	47
11.	केरल	227320	122187	53
12.	मध्य प्रदेश	601765	327457	54
13.	महाराष्ट्र	278409	216217	77
14.	मणिपुर	15663	10645	67
15.	मिजोरम	15177	5907	38
16.	नागालैंड	24056	14417	59
17.	उड़ीसा	27316	17297	63
18.	पंजाब	69125	25004	36
19.	राजस्थान	947054	649685	68
20.	उत्तर प्रदेश	1104105	644678	58
21.	उत्तरांचल	88475	65679	74
22.	पश्चिम बंगाल	145918	97847	67
	कुल	6929379	4515261	65

राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी अधिनियम के प्रथम चरण में कार्यान्वयन के लिए निर्धारित जिलों की सूची

क्रम सं.	राज्य	जिलों के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	(1) आदिलाबाद, (2) अनन्तपुर, (3) चित्तूर, (4) कुडप्पा, (5) करीम नगर, (6) खम्माम, (7) महबूब नगर, (8) मेडक, (9) नालगोंडा, (10) निजामाबाद, (11) रंगारेड्डी, (12) विजय नगर, (13) वारंगल
2.	अरुणाचल प्रदेश	(1) अपर सुबांसिरी
3.	असम	(1) बोगईगांव, (2) धीमाजी, (3) गोलपाड़ा, (4) करबी अंगलॉग, (5) कोकराझार, (6) उत्तरी कछार हिल्स, (7) उत्तरी लखीम पुर
4.	बिहार	(1) अररिया, (2) औरंगाबाद, (3) भोजपुर, (4) दरभंगा, (5) गया, (6) जमुई, (7) जहानाबाद, (8) कैमूर (भाभुआ), (9) कटिहार, (10) किशनगंज, (11) लखीसराय, (12) मधुबनी, (13) मुंगेर, (14) मुजफ्फरपुर, (15) नालंदा, (16) नवादा, (17) पटना, (18) पूर्णिया, (19) रोहतास, (20) समस्तीपुर, (21) शिवपुर, (22) सुपाल, (23) वैशाली।
5.	छत्तीसगढ़	(1) बस्तर, (2) बिलासपुर, (3) दत्तेवाड़ा, (4) धमतरी, (5) जसपुर, (6) कांकर, (7) कवरधा, (8) कोरिया, (9) राजगढ़, (10) राजनन्दगांव, (11) सरगुजा।
6.	गुजरात	(1) बनसकंठा, (2) डांग्स, (3) दोहाद, (4) नमादा, (5) पंच महल, (6) सबरकंठा।
7.	हरियाणा	(1) महेन्द्रगढ़, (2) सिरसा
8.	हिमाचल प्रदेश	(1) चम्बा, (2) सिरमौर
9.	जम्मू और कश्मीर	(1) डोडा, (2) कुपवाड़ा, (3) पुंछ
10.	झारखण्ड	(1) बोकारो, (2) चतरा, (3) धनबाद, (4) दुमका, (5) गडवा, (6) गिरिडीह, (7) गोड्डा, (8) गुमला, (9) हजारीबाग, (10) जामतारा, (11) कोडरमा, (12) लतेहर, (13) लोहारडागा, (14) पाकुर, (15) पलामू, (16) रांची, (17) साहिबगंज, (18) सरायकेला, (19) सिमदेगा, (20) पश्चिमी सिंहभूम
11.	कर्नाटक	(1) बीदर, (2) चित्रदुर्गा, (3) दावनगरे, (4) गुलबर्गा, (5) रायचूर
12.	केरल	(1) पलक्कड़, (2) वायंड
13.	मध्य प्रदेश	(1) बालाघाट, (2) बड़वानी, (3) बैतूल, (4) छत्रपुर, (5) धार, (6) डिण्डौरी, (7) झाबुआ, (8) खण्डवा, (9) मण्डला, (10) सतना, (11) सिवनी, (12) शहडौल, (13) शिवपुर, (14) शिवपुरी, (15) सीधी, (16) टीकमगढ़, (17) उमरिया, (18) पश्चिमी निमार/ खरगौन।

14.	महाराष्ट्र	(1) अहमदनगर, (2) अमरावती, (3) औरंगाबाद, (4) भण्डारा, (5) चन्द्रपुर, (6) धुले, (7) गडचिरोली, (8) गोंदिया, (9) हिंगोली, (10) नान्देड़, (11) नन्दुरबार, (12) यवतमाल
15.	मणिपुर	(1) तमेनलांग
16.	मेघालय	(1) दक्षिणी गारो पहाड़ी, (2) पश्चिमी गारो पहाड़ी
17.	मिजोरम	(1) लांगटलाई, (2) सैहा
18.	नागालैण्ड	(1) मोन
19.	उड़ीसा	(1) बोलनगीर, (2) बोध, (3) देवगढ़, (4) धेनकनाल, (5) गजपती, (6) गंजम, (7) झारसुगुडा, (8) कालाहांडी, (9) कियोनझार, (10) कोरापुट, (11) मलकांगिरी, (12) मयूरभंज, (13) नवरंगपुर, (14) नौपदा, (15) फूलवानी, (16) रायगडा, (17) सम्बलपुर, (18) सोनपुर, (19) सुन्दरगढ़।
20.	पंजाब	(1) होशियारपुर
21.	राजस्थान	(1) बांसवाड़ा, (2) डूंगरपुर, (3) झालावाड़, (4) करौली, (5) सिरोही, (6) उदयपुर।
22.	सिक्किम	(1) उत्तरी सिक्किम
23.	त्रिपुरा	(1) धुलाई
24.	तमिलनाडु	(1) डिंडीगुल, (2) नागपट्टिनम, (3) शिवांगंगाई, (4) दक्षिणी अर्काट / कुड्डालोर, (5) थिरुवन्नामलाई, (6) विल्लुपुरम।
25.	उत्तरांचल	(1) चमोली, (2) चम्पा, (3) टिहरी गढ़वाल।
26.	उत्तर प्रदेश	(1) आजमगढ़, (2) बांदा, (3) बाराबंकी, (4) चन्दौली, (5) चित्रकूट, (6) फतेहपुर, (7) गोरखपुर, (8) हमीरपुर, (9) हरदोई, (10) जालौन, (11) जौनपुर, (12) कौशाम्बी, (13) कुशीनगर, (14) लखीमपुर खेरी, (15) ललितपुर, (16) महोबा, (17) मिर्जापुर, (18) प्रतापगढ़, (19) रायबरेली, (20) सीतापुर, (21) सोनभद्र, (22) उन्नाव।
27.	पश्चिम बंगाल	(1) 24 दक्षिणी परगना, (2) बांकुरा, (3) बीरभूम, (4) जलपाइगुडी, (5) मालदा, (6) मुर्शिदाबाद, (7) पुरुलिया, (8) दक्षिण दीनाजपुर, (9) पश्चिमी मिदनापुर, (10) पश्चिमी / उत्तरी दीनाजपुर।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियां (एस.सी.ए.)

क्रम सं.	राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसी का नाम और पता	क्रम सं.	राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसी का नाम और पता
1.	ए.पी. अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड, प्रथम तल, तेलगु संक्षेप भवन, मसब टैंक, हैदराबाद-500028	10.	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम लिमिटेड, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची-834008
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, न्यू मेरी ड्राइ डाक/वर्कशाप काम्पलेक्स, पी.बी. संख्या 180, पोर्ट ब्लेयर-744101	11.	कर्नाटक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम, 9वां और 10वां तल, विश्वेश्वरैया मिनि टावर, डॉ. अम्बेडकर वीधि बंगलौर-560001
3.	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक और वित्त विकास निगम (न्यू ए.ओ.सी.), ईटानगर-791111	12.	केरल राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड, टाउन हाल रोड, त्रिसूर-680020
4.	असम प्लेन जनजाति विकास निगम लिमिटेड, गणेशपुरी, चरियाली, दिसपुर, गुवाहाटी-781005	13.	लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड, जी-406, पानमपिल्ली नगर, अर्नाकुलम, कोचीन-682038
5.	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव अ.जा. /अनु.ज.जा., अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड, दूसरा तल, राइट विंग, ओल्ड डी.आइ.सी. आफिस, पी.डब्ल्यू.डी. काम्पलेक्स, सिलवासा-396230	14.	मणिपुर जनजातीय विकास निगम लिमिटेड लम्फेलपट, इम्फाल-795004
6.	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग विकास निगम, दूसरा तल, पेट्टो सेंटर, ई.डी.सी. काम्पलेक्स, कै.टी.सी. बस स्टैंड के निकट, पणजी-403001	15.	मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, राजीव गांधी भवन परिसर, 35, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
7.	गुजरात जनजातीय विकास निगम, ब्लॉक संख्या 10, दूसरा तल, डॉ. जीवराज मेहता भवन, गांधीनगर	16.	चीफ एक्सीक्यूटिव अधिकारी, मिजोरम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, "जोरुम" जर्कावत, ऐज़वाल-796007
8.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम, जैन भवन, अस्पताल रोड, सोलन-173212	17.	मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, लाल मामलियानी बिल्डिंग, (ऊपरी तल), जर्कावत, ऐज़वाल-796001
9.	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग विकास निगम, रमेश मार्केट, शास्त्री नगर, जम्मू-180004	18.	नागालैण्ड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आई.डी.सी. हाउस, पी.बी. संख्या 5, दीमापुर-797112

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसियां (एस.सी.ए.)(जारी)

क्रम सं.	राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसी का नाम और पता	क्रम सं.	राज्य चेनेलाइजिंग एजेंसी का नाम और पता
19.	नागालैंड स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं.151, दीमापुर-797112	27.	उत्तरांचल बहुदेशीय वित्त एवं विकास निगम, 6ए, रेस्ट कैम्प, प्रिंस होटल के निकट, देहरादून-248001
20.	उड़ीसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त सहकारी निगम लिमिटेड, ल्यूइस रोड, भुवनेश्वर-751014	28.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, आर-12, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ-226006
21.	राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम, नेहरु सहकार भवन, सेंट्रल ब्लॉक , तीसरा तल, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302002	29.	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यव्यवसाय सहकारी वित्त और विकास निगम, आर-12, अनुपम नगर, निकट टी.वी. टावर, रायपुर
22.	शबरी आदिवासी वित्त एवं विकास महामंडल मर्यादित, आदिवासी विकास भवन, तीसरा तल, गणेश चौक, ओल्ड आगरा रोड, नासिक-422002	30.	ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ट्राइफेड), एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, दूसरा तल, 30, सिरी इंस्टिट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016
23.	सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड, भानुपथ, गंगटोक-737101	31.	गिरिजन सहकारी निगम लिमिटेड ईस्ट प्वाइंट कालोनी, विशाखापत्तनम-530017
24.	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, सुपारी बागान, दृष्णा नगर, पो.आ. लेक चौमुहानी, अगरतला-799001	32.	प्रबन्ध निदेशक, मेघालय कोआपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, एम.जी. रोड, शिलांग-793001
25.	तमिलनाडु आदि द्रविडार आवास और विकास निगम लिमिटेड, तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड शापिंग काम्पलेक्स, दूसरा तल, (अन्नानगर)-600101	33.	प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, चौथा तल, बिस्कोमान टावर, पटना-800001
26.	पश्चिम बंगाल अनु.जा. और अनु.जन.जा. विकास और वित्त निगम, (दूसरा तल) 135ए, विपल्वी रासबिहारी बसु रोड, कालेकाता-700001		

अनुलग्नक 3.XX

लोक सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों की संख्या (राज्य-वार)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	लोक सभा				विधान सभा			
		कुल	सामान्य	अजा	अजजा	कुल	सामान्य	अजा	अजजा
1.	आन्ध्र प्रदेश	42	34	6	2	294	240	39	15
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	0	0	60	1	0	59
3.	असम	14	11	1	2	126	102	8	16
4.	बिहार	40	33	7	0	243	204	39	0
5.	छत्तीसगढ़	11	5	2	4	90	46	10	34
6.	गोवा	2	2	0	0	40	39	1	0
7.	गुजरात	26	20	2	4	182	143	13	26
8.	हरियाणा	10	8	2	0	90	73	17	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	1	0	68	49	16	3
10.	जम्मू और कश्मीर	6	6	0	0	87	80	7	0
11.	झारखण्ड	14	8	1	5	81	44	9	28
12.	कर्नाटक	28	24	4	0	224	189	33	2
13.	केरल	20	18	2	0	140	126	13	1
14.	मध्य प्रदेश	29	20	4	5	230	155	34	41
15.	महाराष्ट्र	48	41	3	4	288	248	18	22
16.	मणिपुर	2	1	0	1	60	40	1	19
17.	मेघालय	2	2	0	0	60	5	0	55
18.	मिजोरम	1	0	0	1	40	1	0	39
19.	नागालैंड	1	1	0	0	60	1	0	59
20.	उड़ीसा	21	13	3	5	147	91	22	34
21.	पंजाब	13	10	3	0	117	88	29	0
22.	राजस्थान	25	18	4	3	200	143	33	24
23.	सिक्किम	1	1	0	0	32	18	2	12
24.	तमिलनाडु	39	32	7	0	234	189	42	3
25.	त्रिपुरा	2	1	0	1	60	33	7	20
26.	उत्तर प्रदेश	80	63	17	0	403	314	89	0
27.	उत्तरांचल	5	4	1	0	70	55	12	3
28.	पश्चिम बंगाल	42	32	8	2	294	218	59	17
संघ राज्यक्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	1	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	1	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	1	1	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	7	6	1	0	70	57	13	0
34.	लक्षद्वीप	1	0	0	1	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	1	1	0	0	30	25	5	0
	जोड़	543	423	79	41	4120	3017	571	532

(क) 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार, तीन स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं की तथा अजा, अजजा, और महिलाओं का ब्यौरा देते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों की राज्य-वार संख्या पंचायतों के निर्वाचित सदस्य

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ग्राम पंचायत (जी.पी.)						मध्यवर्ती पंचायत (आई.पी.)						जिला पंचायत (डी.पी.)					
		जी.पी. संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	अजजा	महिलाएं	पुरुष	आई.पी. संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	अजजा	महिलाएं	पुरुष	डी.पी. संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	अजजा	महिलाएं	पुरुष			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	आन्ध्र प्रदेश	21913	160386	31243	16662	68736	208291	1095	10938	2586	1093	4919	14617	22	812	196	87	364	1095
2.	अरुणाचल प्रदेश@	1747	**	**	**	**	6260	150	**	**	**	**	1615	15	**	**	**	**	138
3.	असम	2489	14060	782	778	7851	15620	203	1236	80	86	746	1402	20	236	19	18	117	273
4.	बिहार	8471	96513	18650	866	40553	116029	531	9661	1859	91	4065	11611	38	966	187	9	410	1162
5.	छत्तीसगढ़	9139	56481	15532	52198	41913	124211	146	1259	318	1062	906	2639	16	152	30	112	95	274
6.	गोवा	190	982	0	0	457	982	***	***	***	***	***	***	2	33	0	0	17	33
7.	गुजरात	13819	56028	9895	17290	40985	83213	225	1953	265	550	1393	2768	25	390	39	115	275	544
8.	हरियाणा	6034	42800	11846	0	18356	54646	114	1879	551	0	842	2430	19	247	67	0	109	314
9.	हिमाचल प्रदेश	3037	12657	4898	994	6822	18549	75	1108	437	113	562	1658	12	165	65	21	87	251
10.	झारखण्ड	3746	*	*	*	*	*	211	*	*	*	*	*	22	*	*	*	*	*
11.	जम्मू और कश्मीर	2883	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
12.	कर्नाटक	5659	31051	14871	7499	35922	53421	175	1335	583	288	1375	2162	27	379	158	54	339	591
13.	केरल	991	6802	1487	169	4801	8458	152	803	188	18	629	1009	14	165	33	4	105	202
14.	मध्य प्रदेश	22029	119313	32585	56458	106491	208356	313	2476	682	1139	2159	4297	45	286	78	122	248	486
15.	महाराष्ट्र	28553	118996	26824	31826	77548	178132	349	1902	447	528	1407	2877	33	931	225	267	658	1423
16.	मणिपुर	166	1025	38	48	611	1111	***	***	***	***	***	***	4	36	1	2	22	39
17.	उड़ीसा	6234	49568	14930	23049	31414	87547	314	3498	1025	1704	2188	6227	30	496	139	219	296	854
18.	पंजाब	12445	33280	15580	0	27108	48860	140	1141	526	0	813	1667	17	130	60	0	89	190
19.	राजस्थान	9189	70027	24129	20126	39450	114282	237	3434	968	855	1908	5257	32	653	191	164	364	1008
20.	राजस्थान	159	571	39	263	322	873	***	***	***	***	***	***	***	4	50	6	36	2992
21.	तमिलनाडु	12618	51155	19301	821	26181	71277	385	3384	1369	47	1770	4800	29	341	139	3	173	483

22.	त्रिपुरा	537	2757	876	157	1895	3790	23	100	78	15	106	193	4	28	22	4	28	54
23.	उत्तर प्रदेश	52028	293868	83443	207	230865	377518	813	25530	7743	17	18580	33290	71	1025	313	0	788	1338
24.	उत्तरांचल	7227	237793	5378	703	18041	243874	95	1807	241	44	1133	2092	13	193	28	5	119	226
25.	पश्चिम बंगाल	3360	22586	13645	3472	11497	39703	333	3669	2383	604	1923	6656	18	314	202	51	156	567
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67	498	0	0	261	498	7	42	0	0	25	42	1	20	0	0	10	20
27.	चंडीगढ़	17	135	27	0	55	162	1	11	4	0	6	15	1	7	3	0	3	10
28.	दादर और नगर हवेली	11	4	2	118	45	124	***	***	***	***	***	***	1	0	0	12	4	12
29.	दमन और दीव	10	33	1	12	17	46	***	***	***	***	***	***	1	12	0	3	10	15
30.	लक्षद्वीप	10	0	0	49	30	49	***	***	***	***	***	***	1	0	0	14	8	14
31.	पांडिचेरी	98	*	*	*	*	*	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	जोड़	234676	1479369	346002	233765	838227	2065882	6097	77166	22333	8210	47455	109234	537	8067	2201	1322	4923	11708

मेघालय, मिजोरम और नागालैण्ड में परम्परागत परिषदें हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र - दिल्ली-पंचायती राज प्रणाली अभी চালू की जानी है।

* स्थानीय निकायों के चुनाव अभी कराए जाने हैं।

** तिराप जिले को छोड़कर पंचायतों के चुनाव 21.04.03 को हुए। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

*** मध्यवर्तीय पंचायत अस्तित्व में नहीं हैं (2 स्तर)।

@ तिराप जिले को छोड़कर

अभी संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 को नहीं अपनाया है।

अध्याय-4

विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनःस्थापन और पुनर्वास

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ ही, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास की गति को बढ़ाने की जरूरत पर बल पड़ना शुरू हो गया। फलस्वरूप, जनजातीय इलाकों में बांधों के निर्माण, हाइडल परियोजनाओं, उद्योगों, खानों के लिए विभिन्न जगहों पर भूमि प्राप्त करने हेतु दबाव बढ़ना शुरू हुआ तथा इन कार्यों के लिए भूमि का बड़ा भाग जनजातीय लोगों को ही मुहैया करना पड़ा। इसका सीधा सा कारण यह था कि नैसर्गिक संयोग से जनजातीय लोग खनिज संसाधनों के भण्डारों पर विराजमान थे और विशाल सिंचाई और ऊर्जा क्षमता से परिपूर्ण जलधाराओं और नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में रह रहे थे। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत उनकी भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, जनजाति-आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा विस्थापित हो गया और वे अपने घरों के साथ-साथ अपने जीविका-साधनों से भी वंचित हो गए। चूंकि जनजाति-भूमि का अधिग्रहण "लोक प्रयोजन" के लिए है (जैसाकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में निर्धारित है), इसलिए ऐसे अधिग्रहणों के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा करते समय सरकार ऐसे अधिग्रहण के परिणामों को भोगने वाले लोगों को पहुंचे आघात को अनदेखा नहीं कर सकती। अतः, इस प्रक्रिया की वजह से विस्थापित होने वाले लोगों को राहत देने, उनके पुनःस्थापन एवं पुनर्वास के लिए मार्ग-निर्देश निर्धारित करना आवश्यक है।

4.1.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2000-01 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में राय दी थी कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास को भूमि अधिग्रहण अधिनियम का ही एक हिस्सा बनाया जाना चाहिए अथवा इस प्रयोजन के एक अलग उपयुक्त विधान बनाया जाना चाहिए। उस आयोग ने यह भी कहा था कि ऐसा कदम उठाना इसलिए भी आवश्यक है कि पुनर्वास और पुनःस्थापन पैकेज को कानून में समाविष्ट करने से प्रभावित लोगों का व्यवस्थित ढंग से पुनर्वास और पुनःस्थापन सुनिश्चित होगा, मुकदमेबाजी से बचने, परियोजना लागत को कम करने तथा लागत को अत्यधिक बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। यह आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ सहमत हुए, सिफारिश करता है कि एक उपयुक्त केन्द्रीय विधान या तो अलग से या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के एक भाग के रूप में बनाया जाए, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले संभावित व्यक्तियों का सुव्यवस्थित पुनःस्थापन और पुनर्वास हो सके। इससे सभी राज्य सरकारों द्वारा एक-समान पुनःस्थापन और पुनर्वास पैकेज को अपनाना सुनिश्चित हो जाएगा।

4.1.3 आयोग यह भी सिफारिश करता है कि केन्द्रीय विधान बनने और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ही विधान बनाए जाने तक राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि पुनःस्थापन और पुनर्वास के पैकेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि:

- (i) विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के बदले भूमि दी जाए जिसकी गुणवत्ता और कानूनी स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसीकि उस भूमि की थी, जो पहले उनके पास थी, ताकि वे अपनी वर्तमान जरूरतों और भावी विकास का ध्यान रख सकें। यदि प्रभावित व्यक्ति नकद अथवा वस्तु के रूप में क्षतिपूर्ति चाहते हों तो उनकी क्षतिपूर्ति, उपयुक्त गारन्टियों के साथ, उसी प्रकार की जानी चाहिए।
- (ii) विस्थापित जनजातीय परिवारों के सभी सदस्यों के लिए स्थायी जीविका सुनिश्चित करने के लिए उस परिवार के प्रत्येक वयस्क को नई आबादी में 5 एकड़ सिंचित भूमि आबंटित की जानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक परिवार के सभी आबंटितियों को एक ही स्थान पर भूमि दी जाए।